सत्यमेव जयते

2025
International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

पशुपालन और डेयरी विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2024–25

पशुपालन और डेयरी विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

क्र. सं.	अध्याय का नाम	पृष्ठ
1	उपलब्धियों का सिंहावलोकन	1–10
2.	संगठन	11–27
3.	गोपशु विकास	29–67
4.	डेयरी विकास	69–88
5.	पशुपालन	89–102
6.	पशुधन स्वास्थ्य	103–124
7.	पशुपालन सांख्यिकी	125–136
8.	व्यापार संबंधी मामले	137–140
9.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति	141–143
10.	महिलाओं का सशक्तिकरण	145–154
11.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	155–157
12.	जीव–जंतु कल्याण	159–166
13.	क्रेडिट, विस्तार और प्रचार	167–186
14.	विभागीय लेखा संगठन	187–199
15.	संसद अनुभाग के कार्यकलाप	201–204
16.	विभाग की साइबर सुरक्षा स्थिति	205–210

अनुबंध

अनुबंध–I	20वीं पशुधन संगणना 2019 के दौरान राज्यवार पशुधन और पोल्ट्री की कुल संख्या	213–214
अनुबंध–II	प्रमुख पशुधन उत्पादों का उत्पादन–अखिल भारतीय	215
अनुबंध–III	वर्ष 2023–24 और वर्ष 2024–25 के दौरान वित्तीय आवंटन और व्यय (31.12.2024 तक)	216
अनुबंध–IV	संगठनात्मक चार्ट	217–218
अनुबंध–V	पशुपालन और डेयरी विभाग को आवंटित विषयों की सूची	219
अनुबंध–VI	पशुपालन और डेयरी विभाग के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों की सूची	220
अनुबंध–VII	"राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम" के अंतर्गत वित्तीय प्रगति (दिनांक 31.12.2024 तक)	221
अनुबंध–VIII	"राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम" के अंतर्गत वास्तविक प्रगति (दिनांक 31.12.2024) तक	222–224
अनुबंध–IX	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक अस्पतालों, औषधालयों और पशु चिकित्सा सहायता केंद्रों की संख्या	225
अनुबंध–X	विभाग द्वारा संस्वीकृत राज्यवार एमवीयू	226
अनुबंध–XI	2024 (जनवरी–जून) के दौरान भारत में पशुधन रोगों की प्रजातिवार घटनाएं	227–228
अनुबंध–XII	पशुधन वार्षिक रिपोर्ट 01.04.2024–31.12.2024	229–238
अनुबंध–XIII	लेखापरीक्षा पैरा की कार्रवाई रिपोर्ट	239–242
अनुबंध–XIV	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में लेखा संगठन की स्थापना	243–244

अध्याय-1

उपलब्धियों का सिंहावलोकन

उपलब्धियों का सिंहावलोकन

अध्याय-1

1.1 पशुपालन और डेयरी का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। पशुधन क्षेत्र कृषि जीवीए में 30.23% और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5.5% का योगदान करता है। दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में, पशुधन क्षेत्र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, रोजगार के अवसर पैदा करता है और फसल की हानि के समय आय और बीमा प्रदान करके ग्रामीण विकास में सहायता करता है। साथ ही यह महिलाओं को सशक्त बनाता है, निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा को बढ़ाता है और एकीकृत खेती के माध्यम से स्थिरता को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, यह विविध ग्रामीण उद्यमों का समर्थन करता है और पूरे भारत में आजीविका और सामाजिक–आर्थिक स्थिरता बढ़ाता है।

1.2 पशुधन उत्पादन और कृषि में एक सहजीवी संबंध है ये सतत खाद्य प्रणालियों के प्रमुख घटकों के रूप में एक साथ विकसित होते हैं। अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से परे, पशुधन क्षेत्र अब ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में नवाचार और लचीलेपन के वाहक के रूप में उभर रहा है। जलवायु–उपयुक्त (स्मार्ट) पशुधन पालन, बायोगैस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और पुनर्योजी चराई (ग्रेजिंग) प्रणालियों जैसी आधुनिक प्रथाओं को एकीकृत करके यह पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देता है। इसके अलावा पशुधन, विशेष रूप से महिलाओं और हाशिए के समूहों के लिए, उद्यमशीलता के एक मंच के रूप में कार्य करता है और वित्तीय समावेशन और समान विकास को बढ़ावा देता है।

1.3 मृदा के रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणों के लिए पशुधन खाद के फायदों पर प्रकाश डालते हुए मृदा स्वास्थ्य पर पशुधन खाद का प्रभाव। खाद, पोषक तत्वों की उपलब्धता, जैविक पदार्थ की मात्रा और केटायन विनिमय क्षमता में सुधार करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है, जबकि घटक डेंसिटी को कम करती है और छिद्रता (पोरोसिटी) को बढ़ाती है। यह मृदा द्वारा जल को बनाए रखने की क्षमता, उसके रिसने और कटाव प्रतिरोध को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त, खाद न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और मृदा उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीव विविधता और कार्यकलाप का समर्थन करती है। हालाँकि, इसका प्रभाव खाद के प्रकार, अनुप्रयोग दर और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जबकि खाद, सिंथेटिक उर्वरकों के लिए एक स्थायी विकल्प प्रदान करती है, पोषक तत्वों के अपवाह और परिणामों में परिवर्तनशीलता जैसी चुनौतियाँ उचित प्रबंधन प्रथाओं की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

1.4 जुलाई, 2022– जून, 2023 और जुलाई, 2023– जून, 2024 के दौरान आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार , राष्ट्रीय उद्योग वर्गीकरण (एनआईसी–2008) के उद्योग समूह 014 (पशु उत्पादन) और उद्योग समूह 015 (मिश्रित खेती) में लगे सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में श्रमिकों का अनुमानित प्रतिशत नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:–

तालिका 1: पीएलएफएस वर्ष 2022–23 और वर्ष 2023–24 के दौरान एनआईसी–2008 के उद्योग समूह 014 और 015 में लगे सामान्य रूप से कार्यरत व्यक्तियों (पीएस+एसएस) का प्रतिशत

उद्योग समूह (3–अंकीय कोड) एनआईसी–2008 के अनुसार)	उद्योग का विवरण समूह	आमतौर पर काम करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत(पीएस+ एसएस) वर्ष 2022–23	आमतौर पर काम करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत (पीएस +एसएस) वर्ष 2023–24
014	पशु उत्पादन	6.45	6.34
015	मिश्रित खेती	3.63	4.34

स्रोतः आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट, वर्ष 2022–23 और वर्ष 2023–24 एमओएसपीआई

डेटा से पता चलता है कि वर्ष 2022–23 से वर्ष 2023–24 तक पशु उत्पादन के लिए कार्यबल में मामूली गिरावट (6.45% से 6.34%) और मिश्रित खेती में उल्लेखनीय वृद्धि (3.63% से 4. 34%) होगी। यह विविधीकरण की ओर बदलाव का संकेत देता है, जबकि पशु उत्पादन को अपनी चुनौतियों का समाधान करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।

व्याख्यात्मक नोटः

(i) श्रमिक (नियोजित व्यक्ति) की परिभाषाः वे व्यक्ति जो संदर्भ अवधि के दौरान किसी आर्थिक कार्यकलाप में लगे थे या जो आर्थिक कार्यकलाप से जुड़े होने के बावजूद बीमारी, चोट या अन्य शारीरिक अक्षमता, खराब मौसम, त्योहारों, सामाजिक या धार्मिक समारोहों या अन्य आकस्मिकताओं के कारण अस्थायी रूप से काम से दूर रहे, वे श्रमिक कहलाए।

(ii) सामान्य स्थिति वाले श्रमिक की परिभाषा (मुख्य स्थिति और सहायक स्थिति): सामान्य स्थिति (ps+ss) वाले श्रमिकों को सामान्य मुख्य स्थिति (ps) और सहायक स्थिति (ss) को एक साथ लेकर प्राप्त किया जाता है। सामान्य स्थिति वाले कामगारों (पीएस+एसएस) में (क) वे लोग शामिल हैं जिन्होंने सर्वेक्षण की तारीख से पहले 365 दिनों के अपेक्षाकृत लंबे हिस्से के लिए काम किया और (ख) शेष आबादी में से वे लोग जिन्होंने सर्वेक्षण की तारीख से पहले 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान कम से कम 30 दिनों तक काम किया।

1.5 भारत के विशाल पशुधन और कुक्कुट संसाधन, जैसा कि 20 वीं पशुधन संगणना में विस्तृत रूप से बताया गया है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक भूमिका को रेखांकित करते हैं। 303.76 मिलियन बोवाइन (जिसमें गोपशु, भैंस, मिथुन और याक शामिल हैं) कृषि में डेयरी उत्पादन और भारवाही शक्ति का आधार है। भेड़ (74.26 मिलियन) और बकरियाँ (148.88 मिलियन) शुष्क और अर्ध–शुष्क क्षेत्रों के लिए आवश्यक मांस, दूध और ऊन उत्पादन में योगदान देती हैं, जबकि सूअर (9.06 मिलियन) उत्तरपूर्वी और आदिवासी क्षेत्रों के विशिष्ट बाज़ारों की पूर्ति करते हैं। प्रमुख कुक्कुट आबादी (851.81 मिलियन) अंडे और मांस के माध्यम से किफायती प्रोटीन प्रदान करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।

डेटा का विश्लेषण करने से प्रजातियों के वितरण में महत्वपूर्ण विविधता का पता चलता है, जिनमें से प्रत्येक क्षेत्रीय जलवायु और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुकूल है, जो निर्वाह और वाणिज्यिक खेती दोनों का समर्थन करता है। पशुधन क्षेत्र भारत की कृषि में, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है, जो रोजगार, आय स्थिरता और फसल खराब होने की स्थिति में एक बफर प्रदान करता है। हालांकि, चारे की कमी, रोग के प्रकोप और जलवायु कमजोरियों जैसी चुनौतियां उनकी पूरी क्षमता में बाधा डालती हैं। नस्ल सुधार, पशु चिकित्सा सेवाओं, जलवायु–लचीले अभ्यासों और बाजार पहुंच में रणनीतिक हस्तक्षेप उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा, पशु उत्पादों की वैश्विक मांग के साथ इस क्षेत्र का संरेखण इसे भारत में आर्थिक विकास और ग्रामीण विकास के लिए एक प्रमुख वाहक के रूप में स्थापित करता है। पिछली दो संगणनाओं के दौरान पशुधन और मुर्गीपालन आबादी में पशुओं की प्रजातियों के अनुसार जनसंख्या तालिका 1.2 में दी गई है।

तालिका 1.2: पशुधन और कुक्कुट संख्या

क्र.सं.	प्रजातियाँ	19वीं पशुधन संगणना 2012 (संख्या मिलियन में)	20वीं पशुधन संगणना 2019 (संख्या मिलियन में)	विकास दर वर्ष 2012–19 (प्रतिशत में)
1	पशु	190.90	193.46	1.34
2	भैंस	108.70	109.85	1.06
3	याक	0.08	0.06	-24.90
4	मिथुन	0.30	0.39	29.52
कुल बोवाइन		**299.98**	**303.76**	**1.26**
5	भेड़	65.07	74.26	14.13
6	बकरी	135.17	148.88	10.14
7	सुअर	10.29	9.06	-12.03
8	**अन्य पशु**	1.54	0.79	-48.70
	कुल पशुधन	**512.06**	**536.76**	**4.82**
9	कुक्कुट	729.21	851.81	16.81

पशुधन और कुक्कुट जनसंख्या की विभिन्न प्रजातियों का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध–I** में दिया गया है

1.6 पशुधन उत्पादनः

1.6.1 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान मौजूदा कीमतों पर लगभग 13,55,460 करोड़ रुपये है, जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र के जीवीए का लगभग 30.23%और कुल जीवीए का 5.50% है। स्थिर कीमतों (2011–12) पर, पशुधन क्षेत्र का जीवीए वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान लगभग 6,90,268 करोड़ रुपये है, जिसमें पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 5.02% की सकारात्मक वृद्धि हुई है ।

चित्र 1.1: पशुधन क्षेत्र का जीवीए में योगदान %

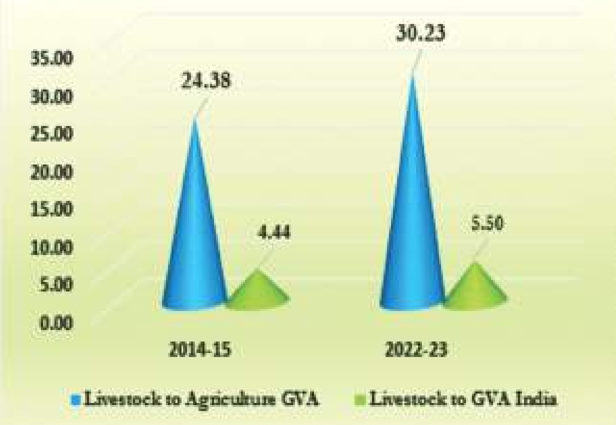

चित्र 1.2: जीवीए में अन्य कृषि का योगदान %

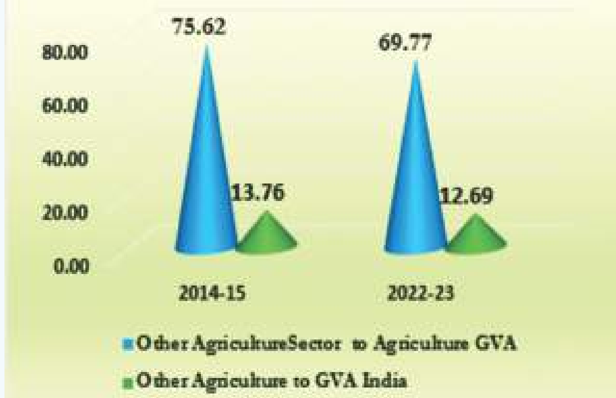

1.6.2 दूध उत्पादन

भारत की श्वेत क्रांति जारी है: डेयरी प्रधानता की कहानी

कृषि कौशल के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में, भारत ने दूध उत्पादन में असाधारण वृद्धि करके दुनिया के डेयरी पावरहाउस के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया है। देश के डेयरी क्षेत्र ने वर्ष 2018–19 और वर्ष 2023–24 के बीच 4.97% की प्रभावशाली चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की है, जो वर्ष 2023–24 में 239.30 मिलियन टन के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है । एफएओ के अनुसार, भारत ने अमेरिका, पाकिस्तान, चीन और ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए दूध उत्पादन में वैश्विक लीडर के रूप में गर्व से अपना स्थान बनाए रखा है।

चित्र 1.3: वर्ष 2014–15 से वर्ष 2023–24 तक दूध उत्पादन और संगत वार्षिक वृद्धि दर (%) (अखिल भारत)

दूध के लिए औसत उत्पादन दरः वर्ष 2023–24 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रजातियों से प्रति पशु प्रति दिन दूध का औसत उत्पादन नीचे दिया गया है:

तालिका 1.3: दूध की औसत उत्पादन दर

विदेशी गायें (किलोग्राम/दिन/पशु)	संकर नस्ल की गायें (किलोग्राम/दिन/पशु)	देशी गायें (किलोग्राम/दिन/पशु)	नॉन–डिस्क्रिप्ट गायें (किलोग्राम/दिन/पशु)	देशी भैंस (किलोग्राम/दिन/पशु)	नॉन डिस्क्रिप्ट भैंस (किलोग्राम/दिन/पशु)	बकरी (किलोग्राम/दिन/पशु)
9.82	8.35	4.20	3.00	6.63	4.73	0.48

स्रोतः मूल पशुपालन सांख्यिकी–2024

वर्ष 2023–24 के दौरान दूध उत्पादन की प्रतिशत हिस्सेदारी

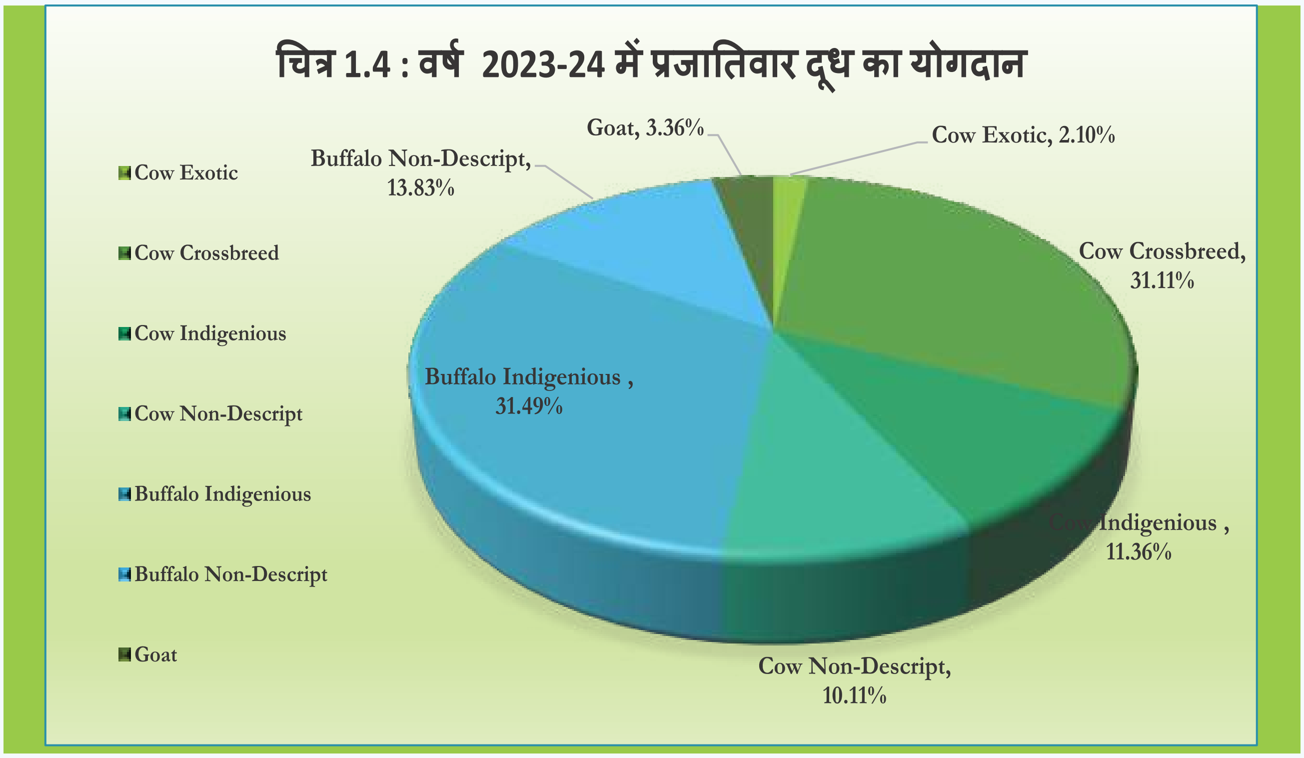

चित्र 1.4 : वर्ष 2023-24 में प्रजातिवार दूध का योगदान

उपरोक्त चार्ट में गाय, भैंस और बकरी द्वारा दूध उत्पादन में योगदान दिखाया गया है। विश्लेषण से पता चलता है कि लगभग दूध उत्पादन में देशी/नॉन–डिस्क्रिप्ट भैंसों का योगदान 45.32% और उसके बाद संकर/विदेशी गायों का योगदान 33.21% है। देशी/ नॉन–डिस्क्रिप्ट गायें देश में कुल दूध उत्पादन में 21.47% योगदान देती हैं। देश भर में कुल दूध उत्पादन में बकरी के दूध का योगदान 3.36% है।

1.6.3 अंडा उत्पादन

भारत की अंडा क्रांतिः वैश्विक उत्पादन में रिकॉर्ड तोड़ना

कृषि उत्कृष्टता के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में, भारत ने जिसने वर्ष 2018–19 और वर्ष 2023–24 के बीच 6.58% की शानदार चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) हासिल करते हुए अंडा उत्पादन में एक असाधारण प्रगति हासिल की है। इस अभूतपूर्व विकास प्रक्षेपवक्र ने वर्ष 2023–24 में 142.77 बिलियन अंडों की अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है, जिसने भारत को अंडा उत्पादन में एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में मजबूती से स्थापित किया है। चीन के बाद गर्व से विश्व के दूसरे सबसे बड़े अंडा उत्पादक के रूप में बढ़ते हुए, भारत ने इस महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र में अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे प्रमुख भागीदारों को पीछे छोड़ दिया है।

चित्र 1.5 : वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 तक अंडा उत्पादन और संगत वार्षिक वृद्धि दर (%) (अखिल भारत)

1.6.4 मांस उत्पादन

भारत की मांस उत्पादन गाथा: विकास और वैश्विक प्रमुखता की कहानी

अपने विकसित होते कृषि परिदृश्य के रूप में, भारत ने वर्ष 2018–19 और वर्ष 2023–24 के बीच 4.80% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) मांस उत्पादन में एक प्रभावशाली नैरेटिव तैयार किया है। जिसमें यह उल्लेखनीय यात्रा वर्ष 2023–24 में 10.25 मिलियन टन के ऐतिहासिक उत्पादन के साथ समाप्त हुई है, जिसने भारत को वैश्विक मंच पर चौथा सबसे बड़ा मांस उत्पादक बना दिया है। विश्व में प्रमुख स्थान प्राप्त करते हुए भारत ने वैश्विक मांस उद्योग में अपने बढ़ते प्रभाव को प्रदर्शित करते हुए चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील जैसे शक्तिशाली देशों का अनुसरण करता है।

चित्र 1.7 : वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 तक मांस उत्पादन और संगत वार्षिक वृद्धि दर (%) (अखिल भारत)

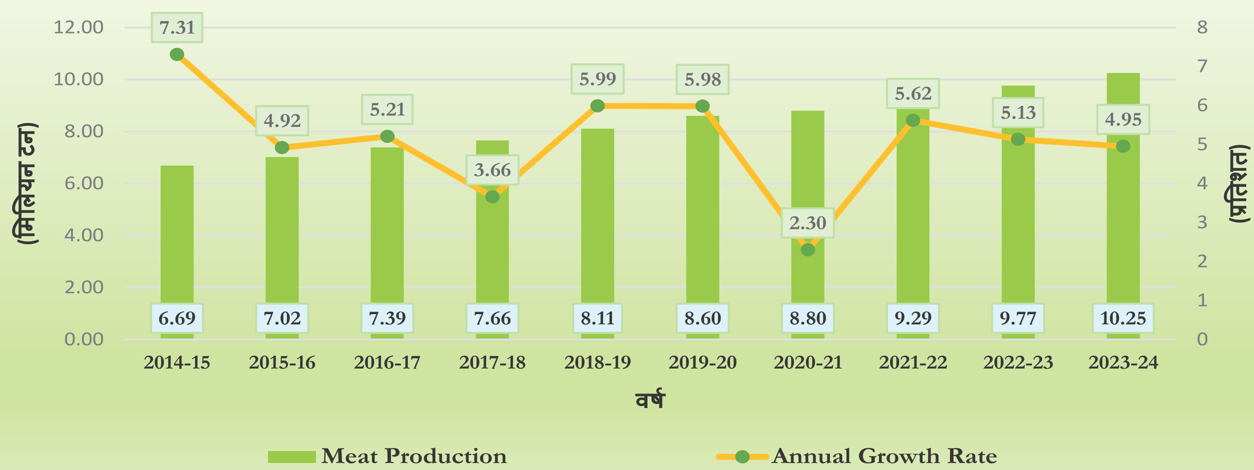

1.6.5 ऊन उत्पादन

बदलाव की बयार: भारत का ऊन उद्योग नई चुनौतियों का सामना कर रहा है

भारत की अन्य कृषि सफलता की कहानियों के विपरीत, देश का ऊन क्षेत्र परिवर्तन और लचीलेपन की एक अनूठी कहानी प्रस्तुत करता है। उद्योग ने वर्ष 2018–19 से वर्ष 2023–24 तक –3.58% की नकारात्मक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ एक महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव किया है। इस गिरावट ने वर्ष 2023–24 में उत्पादन स्तर को 33.69 मिलियन किलोग्राम तक पहुंचा दिया है, जो भारत के पारंपरिक ऊन उत्पादक क्षेत्रों में बदलती गतिशीलता को

दर्शाता है। इस रूझान का एक प्रमुख कारण पशुपालन के उद्देश्य में परिवर्तन हो सकता है जिसमें ऊन उत्पादन के मुकाबले मांस उत्पादन पर ज्यादा ध्यान दिया है जो संभावित रूप से उच्च लाभप्रदता और गतिशील बाजार मांग से प्रभवित हो।

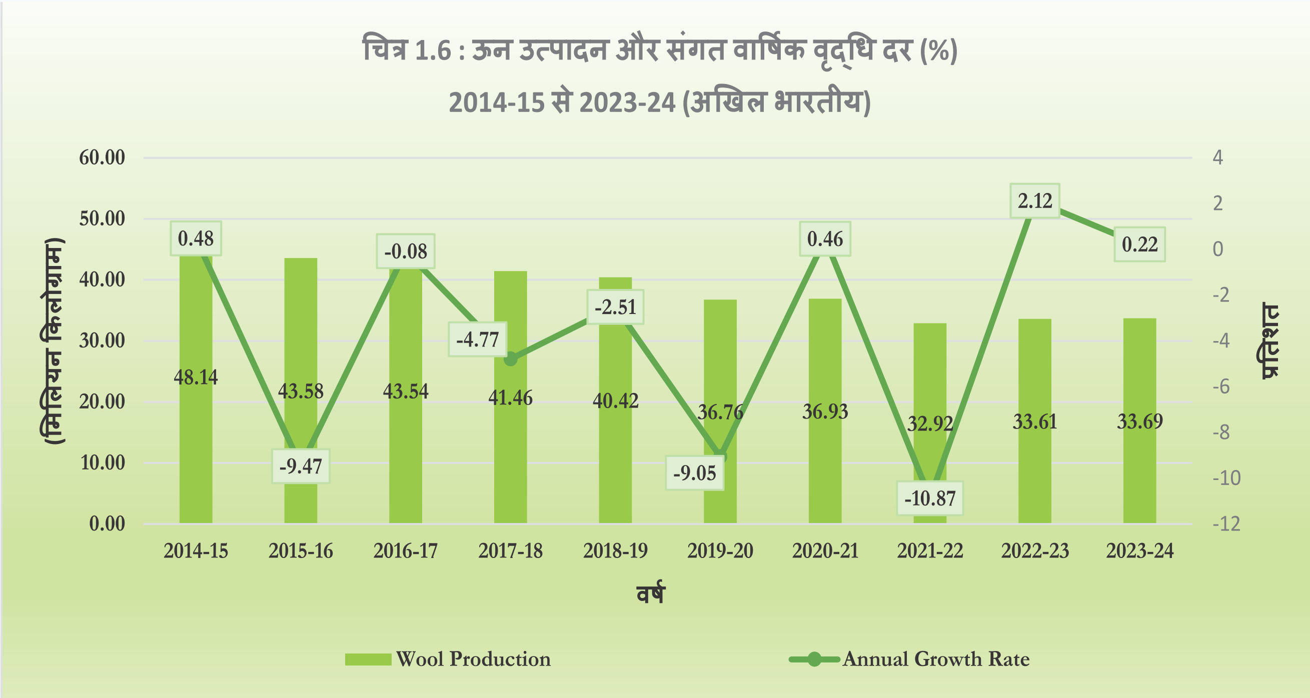

वर्ष 2011–12 से वर्ष 2022–23 तक प्रमुख पशुधन उत्पादों (एमएलपी) का उत्पादन **अनुबंध –II** में दिया गया है

1.6.5 भारत के पशुधन उत्पादों का वैश्विक परिदृश्य:

विश्व स्तर पर भारत 239.30 मिलियन टन प्रति वर्ष के साथ दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और यह विश्व दूध उत्पादन का 25% है, उसके बाद अमेरिका का स्थान है। इसी तरह, चीन के बाद 142.77 बिलियन अंडे के उत्पादन के साथ भारत दूसरे स्थान पर है। मांस उत्पादन में भारत का स्थान 10.25 मिलियन टन प्रति वर्ष के साथ चौथा है, जो विश्व मांस उत्पादन का 3% है।

स्रोत: एफएओ वेबसाइट और बीएएचएस 2024

1.7 "ए – हेल्प" (पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट)

अभिसरण के माध्यम से ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) मंच का लाभ उठाने के लिए, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (एमओ एफएएचडी) के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) और ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) ने दिनांक 1 सितंबर 2021 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

मास्टर ट्रेनर्स कार्यक्रम की समेकित स्थिति			
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	उपस्थित प्रतिभागियों की संख्या
1	मध्य प्रदेश	5	60
2	जम्मू और कश्मीर	2	40
3	उत्तराखंड	4	59
4	झारखंड	4	59
5	महाराष्ट्र	3	59
6	बिहार	3	60
7	गुजरात	4	99
8	कर्नाटक	4	96
9	केरल	3	65
10	असम	2	40
11	राजस्थान	3	74
12	छत्तीसगढ	3	61
13	मिजोरम	2	10
14	सिक्किम	1	5
15	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	2	5
16	त्रिपुरा	2	9
17	ओडिशा	2	33
	कुल	**49**	**834**

- केरल, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, झारखंड, असम, महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान, सिक्किम, ओडिशा और त्रिपुरा जैसे 15 राज्यों में कुल 215 ए–हेल्प फील्ड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 3773 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम एएचडी प्रशिक्षण केंद्रों/आरएसईटीआई/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/एनजीओ/ट्रस्ट/एलडीबी प्रशिक्षण केंद्रों/निजी प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित किए जाते हैं।

कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित प्रतिभागियों का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है :

राज्यवार प्रशिक्षित ए–हेल्प की समेकित सूची			
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1	मध्य प्रदेश	39	997
2	जम्मू और कश्मीर	24	599
3	बिहार	40	996
4	गुजरात	21	486
5	कर्नाटक	18	542
6	झारखंड	12	294

राज्यवार प्रशिक्षित ए–हेल्प की समेकित सूची			
क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
7	उत्तराखंड	17	426
8	असम	6	150
9	केरल	15	438
10	महाराष्ट्र	9	233
11	मिजोरम	7	175
12	राजस्थान	3	70
13	सिक्किम	2	50
14	ओडिशा	1	25
15	त्रिपुरा	1	25
	कुल	**215**	**5506**

1.8 वार्षिक योजना वर्ष 2023–24 और वर्ष 2024–25

1.8.1 विभाग को वित्त वर्ष 2023–24 के लिए बजट अनुमान स्तर पर 4687.85 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। जिसे संशोधित अनुमान चरण में घटाकर 4183.93 करोड़ रुपये कर दिया गया। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए वास्तविक व्यय 3485.50 करोड़ रुपये था। वर्ष 2024–25 के लिए विभाग को बजट अनुमान चरण में 4931.24 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसे संशोधित अनुमान चरण में घटाकर 4014.25 करोड़ रुपये कर दिया गया है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए आवंटित निधि में से 2116.77 करोड़ रुपये (दिनांक 31.12.2024 तक) खर्च किए हैं।

1.8.2 वित्त वर्ष 2023–24 और वित्त वर्ष 2024–25 (31.12.2024 तक) के लिए योजनावार बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय **अनुबंध–III** में दिया गया है।

*****

अध्याय-2

संगठन

संगठन अध्याय-2

2.1 संरचना

2.1.1 पशुपालन और डेयरी विभाग, दिनांक 14.06.2019 के मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना संख्या एसओ 1972 (ई) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों में से एक है। पशुपालन और डेयरी विभाग मूल रूप से 1 फरवरी, 1991 को कृषि और सहकारिता विभाग के दो प्रभागों अर्थात पशुपालन और डेयरी विकास को एक अलग विभाग में विलय करके अस्तित्व में आया था। कृषि और सहकारिता विभाग का मत्स्यपालन प्रभाग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा बाद में 10 अक्टूबर, 1997 को इस विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था। अंतरिम बजट घोषणा वर्ष 2019–20 के अनुसरण में, मत्स्यपालन प्रभाग को कैबिनेट सचिवालय की अधिसूचना संख्या एसओ 762 (ई) दिनांक 05.02.2019 के अनुसार पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग से अलग करके मत्स्यपालन विभाग नामक एक नए विभाग के रूप में अलग किया गया है।

2.1.2 यह विभाग श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के समग्र प्रभार में है। उन्हें दो राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल और श्री जॉर्ज कुरियन द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। विभाग का प्रशासनिक प्रमुख पशुपालन और डेयरी सचिव है।

2.1.3 इस विभाग को सौंपी गई जिम्मेदारियों के निर्वहन में विभाग के सचिव को पशुपालन आयुक्त, एक अतिरिक्त सचिव, तीन संयुक्त सचिव और एक सलाहकार (सांख्यिकी) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। विभाग का संगठनात्मक चार्ट और विभिन्न प्रभागों के बीच कार्य आवंटन **अनुबंध–IV** में दिया गया है ।

2.2 कार्य

2.2.1 विभाग पशुधन उत्पादन, संरक्षण, स्टॉक की सुरक्षा और सुधार, डेयरी विकास, दिल्ली दुग्ध योजना, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, भारतीय जीव–जंतु कल्याण बोर्ड और पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण समिति (सीसीएसईए) से संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार है ।

2.2.2 विभाग पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को सलाह देता है। कार्यकलाप का मुख्य ध्यान (क) पशु उत्पादकता में सुधार के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अपेक्षित अवसंरचना के विकास पर है; (ख) दूध और दूध उत्पादों की हैंडलिंग, प्रसंस्करण और विपणन के लिए अवसंरचना को बढ़ावा देना; (ग) स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान के माध्यम से पशुधन का संरक्षण और सुरक्षा; (घ) राज्यों को वितरण के लिए बेहतर जर्मप्लाज्म के विकास के लिए केंद्रीय पशुधन फार्मों (गोपशु, भेड़ और मुर्गी) को मजबूत करना और (ड) भारतीय जीव–जंतु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) और पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण समिति (सीसीएसईए) से संबंधित मामले।

2.2.3 विभाग को आबंटित विषयों की सूची **अनुबंध–V** में दी गई है।

2.3 अधीनस्थ कार्यालय

2.3.1 विभाग पूरे देश में फैले निम्नलिखित क्षेत्रीय/अधीनस्थ कार्यालयों के प्रशासन की देखभाल करता है (तालिका 2.1)।

तालिका 2.1: अधीनस्थ कार्यालय

क्र.सं.	अधीनस्थ कार्यालय	संख्या
(i)	पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र*	1
(ii)	नस्ल सुधार संस्थान	10
(iii)	केंद्रीय पोल्ट्री विकास संगठन	4
(iv)	केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म	1
(v)	केंद्रीय चारा विकास संगठन	7
(vi)	चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत	1

क्र.सं.	अधीनस्थ कार्यालय	संख्या
(vii)	पशु संगरोध प्रमाणन सेवा केंद्र	5
(viii)	दिल्ली दुग्ध योजना	1
	कुल	**30**

* पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र (सीईएच) की स्थापना भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत हेसरघट्टा, बेंगलुरु में 5 संगठनों के एक संघ के रूप में दिनांक 14 मार्च , 2023 के आदेश संख्या एफए–430011/3/2023–स्था. (मुख्यालय), तहत की गई है। यह भारत सरकार के "मिशन कर्मयोगी" के तहत राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) के लिए डीओपीटी के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाया गया है। सीईएच 642 एकड़ में फैला हुआ है, जो हेसरघट्टा, बेंगलुरु में पांच संस्थानों में वितरित है, अर्थात् (i) केंद्रीय पोल्ट्री विकास संगठन और प्रशिक्षण संस्थान (सीपीडीओ और टीआई), (ii) केंद्रीय हिमीकृत वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान (सीएफएसपीटीआई), (iii) केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (सीसीबीएफ), (iv) पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाएं (एक्यूसीएस), बेंगलुरु और (v) क्षेत्रीय चारा स्टेशन (आरएफएस)।

Index	
Heads	**Symbol**
Central Cattle Breeding Farm (CCBF- 7 Nos	●
Central Herd Registration Unit (CHRU)- 4 Nos	▮
Regional Fodder Station (RFS)- 8 Nos	✱
National Institute of Animal Health (NIAH), UP- 1 Nos	◆
Animal Quarantine & Certification Service Station (AQCS)- 6 Nos	T
Central Sheep Breeding Farm- 1 No.	▲
Central Poultry Development Organization (CPDO)- 5 Nos	+
Central Frozen Semen Production and Training Institute	⬤

2.3.2 उपर्युक्त अधीनस्थ कार्यालयों की सूची **अनुबंध–VI** पर दी गई है ।

2.4 वैधानिक/स्वायत्त निकाय

2.4.1 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी)

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) का मुख्यालय आनंद, गुजरात (भारत) में है, जिसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी और तत्पश्चात वर्ष 1987 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। एनडीडीबी ने वर्ष 1970 से वर्ष 1996 तक ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की सफलतापूर्वक योजना बनाई और उसे क्रियान्वित किया। हाल ही में, एनडीडीबी राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) और मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता/सहयोग भी कर रहा है।

एनडीडीबी सहकारी रणनीतियों का पालन करते हुए डेयरी और अन्य कृषि और संबद्ध उद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रमों को बढ़ावा देती है, योजना बनाती है और उनका आयोजन करती है और डेयरी सहकारी समितियों को तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ–साथ ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करती है। एनडीडीबी और इसकी सहायक कंपनियों का मुख्य ध्यान पशु प्रजनन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर डेयरी क्षेत्र को अधिक कुशल, प्रभावी और टिकाऊ बनाना है। पशु पोषण, पशु स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग सेवाएं, सहकारी सेवाएं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, बायोगैस/खाद प्रबंधन आदि के माध्यम से सतत डेयरी।

एनडीडीबी अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से अपनी स्वयं की योजनाएं भी चला रही है जैसे– प्रगति संभावी दूध संघों को पुनर्जीवित करना, डेयरी सहकारी समितियों को समर्थन देने के लिए विपणन पहल, एथनो–पशु चिकित्सा दवाओं के माध्यम से रोग नियंत्रण कार्यक्रम, वन हेल्थ आदि।

एनडीडीबी विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के अनुरोध पर पश्चिमी असम दुग्ध संघ, पूर्वी असम दुग्ध संघ, झारखंड दुग्ध महासंघ, वाराणसी दुग्ध संघ, लद्दाख डेयरी महासंघ और महानंद (महाराष्ट्र डेयरी महासंघ) के साथ–साथ महाराष्ट्र में विदर्भ मराठवाड़ा डेयरी विकास परियोजना के पुनरुद्धार के लिए व्यावसायिक सहायता भी प्रदान कर रही है।

एनडीडीबी, भारत को 'विश्व डेयरी' बनाने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग के साथ सक्रिय रूप से काम कर रही है और इसे सुगम बनाने के लिए कई पहलें शुरू की जा रही हैं। एनडीडीबी श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों और केन्या जैसे छोटे धारक डेयरी प्रणाली वाले देशों को सहकारी रणनीतियों और वैज्ञानिक हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के माध्यम से अपने डेयरी क्षेत्र को बदलने में सहायता करने के लिए पहलों का समन्वय भी कर रही है।

एनडीडीबी अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों की योजनाओं और कार्यक्रमों का भी लाभ उठा रही है। एनडीडीबी राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड, भारतीय बीज सहकारी संघ लिमिटेड की मुख्य प्रवर्तक है, जो राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्यीय सहकारी समितियां हैं, जो संबंधित मूल्य श्रृंखला में एंड टू एंड सेवाएं प्रदान करती हैं, जिसमें पशुपालन और डेयरी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ।

2.4.2 भारतीय पशु चिकित्सा परिषद

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के प्रावधान के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद पशु चिकित्सा पद्धतियों को विनियमित करने के साथ–साथ देश भर के सभी पशु चिकित्सा संस्थानों में पशु चिकित्सा शिक्षा विनियमों के न्यूनतम मानक के माध्यम से पशु चिकित्सा शिक्षा के समान मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।

परिषद में 27 सदस्य होते हैं – 5 (पांच) सदस्य, जो भारत सरकार द्वारा उन राज्यों के पशुपालन निदेशकों में से नामित होते हैं, जिन राज्यों पर यह अधिनियम लागू होता है, 4 (चार) सदस्य, जिन राज्यों पर यह अधिनियम लागू होता है, वहां के पशु चिकित्सा संस्थानों के प्रमुखों में से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा नामित 1 (एक) सदस्य, पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी), मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1 (एक) सदस्य, भारतीय पशु चिकित्सा संघ द्वारा नामित 1 (एक) सदस्य, उन राज्यों के राज्य पशु चिकित्सा परिषदों के अध्यक्षों में से नामित 1 (एक) सदस्य, जिन राज्यों पर यह अधिनियम लागू होता है और उन राज्यों के राज्य पशु चिकित्सा संघों के अध्यक्षों में से नामित 1 (एक) सदस्य, जिन राज्यों पर यह अधिनियम लागू होता है। 11(ग्यारह) सदस्य भारतीय पशुचिकित्सा प्रैक्टिशनर रजिस्टर में नामांकित व्यक्तियों में से चुने जाते हैं। भारत सरकार के पशुपालन आयुक्त और भारतीय पशुचिकित्सा परिषद के सचिव परिषद के पदेन सदस्य होते हैं।

मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 26 से बढ़कर अब 59 हो गई है। तदनुसार, कुल 20 पशु चिकित्सा महाविद्यालय मान्यता के विभिन्न चरणों में हैं।

देश में पशु चिकित्सा शिक्षा के मानकों को विनियमित करने और पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानकों – डिग्री कोर्स (बीवीएससी एंड एएच) विनियम, 2016 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए परिषद पशु चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 19 और 20 के प्रावधानों के तहत समय–समय पर बीवीएससी एंड एएच डिग्री प्रदान करने वाली परीक्षाओं के संबंध में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों का निरीक्षण करती है। वीसीआई द्वारा वर्ष 2024 (01.04.2024 से 31.12.2024) के दौरान पशु चिकित्सा महाविद्यालयों के कुल 33 निरीक्षण किए गए।

परिषद ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 24 और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (पंजीकरण) विनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय पशु चिकित्सा परिषद में अपना नाम पंजीकृत कराने के इच्छुक 1017 चिकित्सकों को सीधे पंजीकृत किया है। वर्ष के दौरान, परिषद ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 52 के प्रावधानों के अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य में पशु चिकित्सा चिकित्सकों के पंजीकरण के हस्तांतरण के लिए 374 आवेदनों का निपटारा किया।

वर्ष 2024 के दौरान परिषद ने अखिल भारतीय कोटा की 15% सीटें भरने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित की और बी.वी.एस.सी. एवं ए.एच. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 734 सीटें भरी गईं।

2.4.3 भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड

भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड पशु कल्याण कानूनों पर एक वैधानिक सलाहकार निकाय है और देश में पशु कल्याण को बढ़ावा देता है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का क्रमांक 59) की धारा 4 के तहत 1962 में स्थापित, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की शुरुआत स्वर्गीय श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडेल, जो एक प्रसिद्ध मानवतावादी थीं, के नेतृत्व में हुई थी। देश में पशु कल्याण कानूनों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने से लेकर पशु कल्याण संगठनों को अनुदान प्रदान करने और पशु कल्याण के मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देने तक, बोर्ड पिछले 62 वर्षों से देश में पशु कल्याण आंदोलन का हिस्सा रहा है।

2.5 विशेष अभियान 4.0

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने दिनांक 02 से 31 अक्टूबर, 2024 के बीच "विशेष अभियान 4.0" का सफलतापूर्वक संचालन किया है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक शिकायतों का समाधान करना, स्वच्छता अभियान आयोजित करना, रिकॉर्ड प्रबंधन आदि है।

माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के नेतृत्व में कृषि भवन, नई दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलाया गया

पशु संगरोध प्रमाणन सेवा, कापसहेड़ा, नई दिल्ली के परिसर में स्वच्छता अभियान

चौ. चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत, उत्तर प्रदेश द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया

विशेष अभियान 4.0 के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा के लिए माननीय राज्य मंत्री द्वारा समीक्षा बैठक ली गई

एससी 4.0 के दौरान लक्ष्य और उपलब्धि का विवरणः—

		विशेष अभियान 4.0	
क्रम सं.	पैरामीटर	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	सांसदों से संदर्भ	5	5
2.	संसदीय आश्वासन	2	2
3.	आईएमसी संदर्भ (कैबिनेट प्रस्ताव)	0	0
4.	राज्य सरकार संदर्भ	0	0
5.	सार्वजनिक शिकायतें	247	247
6.	पीएमओ संदर्भ.	2	2
7.	सार्वजनिक शिकायत अपील	98	85
8.	नियमों / प्रक्रियाओं को आसान बनाना	1	1
9.	वास्तविक फ़ाइलों की समीक्षा	14800	14800 वास्तविक फाइलों की समीक्षा की गई और 9246 को हटाया गया
10	ई—फाइलों की समीक्षा	780	780 ई—फाइलों की समीक्षा की गई और 260 को बंद कर दिया गया
11	स्थलों की सफाई	21 8	218
12	उत्पन्न राजस्व	रु. 8,42,753	
13	स्क्रैप निपटान और फाइलों की छंटाई के कारण खाली हुई जगह (वर्ग फीट में)	1761	

एससी 4.0 के दौरान विभागीय सर्वोत्तम अभ्यास

तालाब सिंचाई प्रणाली पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र (सीईएएच), बैंगलोर में स्थिरता और बेहतर जल प्रबंधन प्रणाली के लिए अपनाई गई सबसे अच्छी पद्धति है। तालाब सिंचाई प्रणाली को अपनाकर, क्षेत्रीय चारा स्टेशन (पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र) बारिश पर निर्भर प्रणाली से एक स्थायी तालाब प्रणाली बन गया है। यह प्रणाली किसानों को पानी बचाने और पूरे साल भूमि से बेहतर फसल उत्पादन के लिए ऊर्जा और जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन में मदद कर रही है।

पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र (सीईएएच) में तालाब सिंचाई प्रणाली

2.6 एससी /एसटी /ओबीसी/ पीडब्ल्यूडी/ ईडब्ल्यूएस के लिए संपर्क अधिकारी

विभाग के मुख्यालय के साथ–साथ अधीनस्थ/क्षेत्रीय कार्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा, सेवा में आरक्षण पर सरकारी नीति के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्लस्टर में अधीनस्थ कार्यालयों के लिए भी संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

2.7 सतर्कता इकाई

2.7.1 सतर्कता इकाई इस विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित सतर्कता मामलों/शिकायतों की जांच और कार्रवाई करती है। नियमित मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट डीओपीटी, सीवीसी, पीएमओ आदि को प्रस्तुत की जाती है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि; सीवीसी की सलाह लेने से लेकर आरोप–पत्र जारी करने तक और सलाह और संबंधित निर्देशों के लिए सीवीसी और यूपीएससी के साथ नियमित समन्वय करके मामलों को अंतिम रूप देने तक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। मुख्य सतर्कता अधिकारी नियमित आधार पर सतर्कता मामलों की निगरानी करते हैं।

2.7.2 विभाग ने अपनी क्षेत्रीय इकाइयों के साथ दिनांक 28 अक्टूबर से दिनांक 03 नवंबर 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। इस वर्ष के सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय "सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि" था। सचिव (एएचडी) ने दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 को सुबह 11:00 बजे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अखंडता की शपथ दिलाई। पूरे सप्ताह कृषि भवन और चंद्रलोक भवन परिसर के प्रमुख स्थानों पर सीवीसी की थीम को प्रदर्शित करते हुए बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए। सभी अधीनस्थ कार्यालयों को सतर्कता जागरूकता सप्ताह और संबद्ध कार्यकलाप के पालन के संबंध में निर्देश दिए गए। डीएएचडी के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने और राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह (दिनांक 19.10.2024 से दिनांक 25.10.2024) के दौरान आईगॉट प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम "मिशन कर्मयोगी" करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2024 मनाने के लिए दिनांक 30 नवंबर, 2024 को 11:00 पूर्वाह्न सचिव, एएचडी (कमरा सं 218), कृषि भवन के सामने "प्रतिज्ञा समारोह" मनाया गया। पशुपालन और डेयरी विभाग के सभी अधिकारी/कर्मचारी समारोह में भाग लेते हुये।

कर्मचारियों में जागरूकता फैलाने के लिए सप्ताह भर जागरूकता अभियान चलाया गया तथा कृषि भवन और चंद्रलोक इमारत परिसर में प्रमुख स्थानों में द्विभाषिक बैनर प्रदर्शित किए गए और पर्चे बांटे गए।

2.8 हिंदी का प्रगामी प्रयोग

2.8.1 विभाग ने वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। राजभाषा अनुभाग वार्षिक रिपोर्ट, संसदीय प्रश्न, संसदीय स्थायी समितियों से संबंधित दस्तावेजों और कैबिनेट नोट आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण दस्तावेजों के अनुवाद के साथ–साथ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में भी सक्रिय रूप से शामिल रहा है।

2.8.2 वर्ष 2024 के दौरान विभाग के राजभाषा अनुभाग द्वारा संयुक्त सचिव (राजभाषा) एवं निदेशक (राजभाषा) की अध्यक्षता में 12 अधीनस्थ कार्यालयों का वास्तविक निरीक्षण किया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	अधीनस्थ कार्यालय का नाम	निरीक्षण की तिथि
1	केंद्रीय पोल्ट्री प्रदर्शन परीक्षण केंद्र, गुरुग्राम, हरियाणा	25/04/2024
2	केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, उत्तरी क्षेत्र, चंडीगढ़	26/04/2024
3	पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र , बेंगलुरु	29/04/2024
4	केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, अलमधि, चेन्नई	30/04/2024
5	क्षेत्रीय चारा स्टेशन , अलमधी, चेन्नई	30/04/2024
6	पशु संगरोध प्रमाणन सेवाएँ, चेन्नई	01/05/2024
7	केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, हिसार, हरियाणा	10/07/2024
8	क्षेत्रीय चारा स्टेशन, हिसार, हरियाणा	10/07/2024
9	भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़, हरियाणा	18/07/2024
10	केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़, राजस्थान	09/09/2024
11	क्षेत्रीय चारा स्टेशन, सूरतगढ़, राजस्थान	09/09/2024
12	केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना, ओंगोल, आंध्र प्रदेश	18/10/2024

संयुक्त सचिव (राजभाषा) द्वारा केंद्रीय पोल्ट्री निष्पादन परीक्षण केंद्र, गुरुग्राम, हरियाणा का राजभाषा निरीक्षण

संयुक्त सचिव (राजभाषा) द्वारा केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, (एनआर) चंडीगढ़ का राजभाषा निरीक्षण

निदेशक (राजभाषा) द्वारा पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र, बेंगलुरु का राजभाषा निरीक्षण

निदेशक (राजभाषा) द्वारा क्षेत्रीय चारा स्टेशन , अलामाधी, चेन्नई का राजभाषा निरीक्षण

संयुक्त सचिव (राजभाषा) द्वारा क्षेत्रीय चारा केंद्र हिसार, हरियाणा का राजभाषा निरीक्षण

संयुक्त सचिव (राजभाषा) द्वारा भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़, हरियाणा का राजभाषा निरीक्षण

संयुक्त सचिव (राजभाषा) द्वारा केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़, राजस्थान का राजभाषा निरीक्षण

निदेशक (राजभाषा) द्वारा केंद्रीय पंजीकरण योजना, ओंगोल, आंध्र प्रदेश का राजभाषा निरीक्षण

इस प्रकार विभाग के 33 अधीनस्थ कार्यालयों में से 16 का निरीक्षण पिछले तीन वर्षों में किया गया है। 14 अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण तीन वर्ष पूर्व किया गया था। अब केवल तीन कार्यालय ऐसे हैं जिनका एक बार भी निरीक्षण नहीं किया गया है तथा उनका निरीक्षण होना शेष है।

2.8.3 इस विभाग में संयुक्त सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यरत है। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित करना अनिवार्य है। इसके अनुपालन में, विभाग ने वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित कीं, जिनका विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की तिथि
1	03/06/2024
2	19/09/2024
3	26/12/2024

संयुक्त सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में सितंबर, 2024 तिमाही के लिए राजभाषा कार्यान्वयन बैठक

संयुक्त सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में दिसंबर, 2024 तिमाही के लिए राजभाषा कार्यान्वयन बैठक

2.8.4 पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव तथा संबंधित संयुक्त सचिव द्वारा समय–समय पर सभी अधिकारियों/अनुभागों को परिपत्र/पत्र जारी कर सरकार की राजभाषा नीति के समुचित कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया गया तथा विशेष रूप से निर्देश दिया गया कि वे अपना कार्य हिंदी में करें।

2.8.5 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के प्रावधानों का भी पूर्णतः अनुपालन किया गया। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया गया। इसी प्रकार, विभाग द्वारा क्षेत्र 'क' और 'ख' में स्थित राज्यों को भेजे गए पत्र अधिकांशतः हिंदी में भेजे गए। जून, 2024 की तिमाही बैठक में संयुक्त सचिव (एस.एस.पी.) ने सभी अधिकारियों से कहा कि वे अपने–अपने अनुभागों की तिमाही रिपोर्ट अपने प्रभागाध्यक्षों से हस्ताक्षरित करवाकर ही भेजें, ताकि आंकड़ों में कोई गलती न हो। परिणामस्वरूप, सितंबर, 2024 की तिमाही के दौरान पत्राचार में कुछ कमी देखी गई है।

2.8.6 विभाग में 14 सितम्बर, 2024 से 28 सितम्बर, 2024 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। हिन्दी दिवस पर माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री एवं राज्य मंत्री द्वारा संयुक्त संदेश जारी किया गया।

इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों एवं मुख्यालय के कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

हिंदी पखवाड़ा, 2024 के दौरान आयोजित कविता पाठ प्रतियोगिता में भाग लेते विभाग के अधिकारी/कर्मचारी

निबंध लेखन में भाग लेते विभाग के अधिकारी/कर्मचारी।

2.8.7 पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के सभी विजेताओं को मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल द्वारा पुरस्कृत किया गया। उन्होंने सभी विजेताओं के साथ–साथ कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक से अधिक सरकारी कार्य राजभाषा हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में मत्स्यपालन विभाग के सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान विभाग की राजभाषा पत्रिका 'सुरभि' के दूसरे अंक का विमोचन भी माननीय मंत्री द्वारा किया गया।

माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल जी विजेताओं के साथ।

माननीय मंत्री महोदय विभाग की राजभाषा पत्रिका 'सुरभि' के द्वितीय अंक का विमोचन करते हुए।

2.8.8 मंत्रालय की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और यह शीघ्र ही पूरी हो जाएगी।

2.8.9 विभाग के अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद, गुजरात को वर्ष 2024 में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के बोर्ड/स्वायत्त निकाय/ट्रस्ट/सोसायटी श्रेणी में क्षेत्र 'ख' में प्रथम राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यालय को वर्ष 2023 में द्वितीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष को क्षेत्र 'ख' में प्रथम राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ

2.8.10 राजभाषा अनुभाग से संयुक्त सचिव (राजभाषा), निदेशक (राजभाषा) एवं सहायक निदेशक (राजभाषा), वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने हिंदी दिवस, 2024 तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लिया ।

संयुक्त सचिव (राजभाषा) ने हिंदी दिवस, 2024 में भाग लिया

राजभाषा अनुभाग के अधिकारी/कर्मचारियों ने हिंदी दिवस, 2024 में भाग लिया

2.9 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

2.9.1 जनहित की सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, विभाग ने आरटीआई अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए हैं। इसी प्रकार, विभाग के अधीन विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त संगठनों के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत अलग–अलग सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल और अन्य माध्यमों से प्राप्त आरटीआई आवेदनों को शीघ्र निपटान के लिए संबंधित सीपीआईओ को ऑनलाइन भेजा जाता है।

2.10 अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) और अन्य के लिए आरक्षण

विभाग ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के सख्त कार्यान्वयन के लिए अपना प्रयास जारी रखा है। सेवा में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए विभाग में आरक्षण पर सरकारी नीति के उचित कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

2.11 महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न की रोकथाम

महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए विभाग में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक समिति मौजूद है। "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम सप्ताह" के उपलक्ष्य में दिनांक 20 दिसंबर, 2024 को कृषि भवन में यौन उत्पीड़न जागरूकता और च्ैभ् (यौन उत्पीड़न की रोकथाम) अनुपालन पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें विभाग और अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों ने भाग लिया।

2.12 मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत क्षमता निर्माण

विभाग में कार्यान्वित मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य निरंतर सीखने और क्षमता निर्माण के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की दक्षताओं को बढ़ाना है। कौशल विकास को बढ़ावा देने और उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने के माध्यम से, मिशन पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों में कुशल सेवा वितरण और बेहतर शासन का समर्थन करता है। विभाग ने मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण के लिए कई कदम उठाए हैं। संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में एक क्षमता निर्माण इकाई बनाई गई है। एमटीएस और स्टाफ कार ड्राइवरों सहित सभी अधिकारियों को आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया है। मिशन कर्मयोगी के तहत एक राष्ट्रीय लर्निंग सप्ताह का आयोजन किया गया। दिनांक 19 से 27 अक्टूबर 2024 तक कर्मयोगी सप्ताह (राष्ट्रीय लर्निंग सप्ताह) के दौरान, विभाग ने अपने अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यकलाप में सफलतापूर्वक शामिल किया। इसके अतिरिक्त, संयुक्त आयुक्त डॉ. एस.के. दत्ता के नेतृत्व में "पशुधन विकास और आर्थिक विकास में इसका योगदान" विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया। विभाग ने 1100+ घंटे का प्रशिक्षण भी हासिल किया और 672 कोर्स किए। इन प्रयासों की दृश्यता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट भी साझा किए गए। विभाग की सचिव सुश्री अलका उपाध्याय को माननीय राज्य मंत्री, डीओपीटी द्वारा कर्मयोगी शपथ के दौरान शीर्ष प्रदर्शन करने वाली सचिव के रूप में सम्मानित किया गया।

सुश्री अलका उपाध्याय, सचिव, डीएएचडी, माननीय राज्य मंत्री, डीओपी एंड टी, श्री जितेंद्र सिंह से कर्मयोगी सप्ताह के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सचिव का पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

दिनांक 20 दिसंबर, 2024 को कृषि भवन में "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम सप्ताह" के उपलक्ष्य में कार्यशाला का आयोजन।

कर्मयोगी सप्ताह के दौरान "पशुधन विकास और आर्थिक विकास में इसका योगदान" पर एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है ।

कर्मयोगी सप्ताह के दौरान आईजीओटी प्लेटफॉर्म का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए विभाग के सभी एमटीएस और स्टाफ कार चालकों की सहायता के लिए संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया।

*****

अध्याय–3

गोपशु विकास

गोपशु विकास

अध्याय-3

3.1 राष्ट्रीय गोकुल मिशन

राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत दिसंबर वर्ष 2014 में विशेष रूप से वैज्ञानिक समग्र तरीके से देशी बोवाइन नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए की गई थी। भारत सरकार की पिछली योजनाओं में देश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए क्रॉसब्रीडिंग पर जोर दिया गया है। यह योजना ग्रामीण गरीबों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 80% से अधिक कम उत्पादन वाले देशी पशु छोटे और सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों के पास हैं।

यह योजना दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने और देश के ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी व्यवसाय को अधिक लाभकारी बनाने के लिए दूध उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना से देशी नस्लों के उत्कृष्ट पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है और देशी पशुओं की उपलब्धता में वृद्धि हुई है।

भारत सरकार द्वारा की गई योजना और अन्य उपायों के कार्यान्वयन के कारण, वर्ष 2014–15 से वर्ष 2023–24 के दौरान देश में दूध उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर पिछले 10 वर्षों में 5.69% है, जबकि विश्व दूध उत्पादन 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। सभी श्रेणी के पशुओं सहित डेस्क्रिप्ट नॉन–डेस्क्रिप्ट गोपशुओं, भैंसों और संकर गोपशुओं की उत्पादकता वर्ष 2014–15 के दौरान प्रति पशु प्रति वर्ष 1647 किलोग्राम से 25.74% बढ़कर वर्ष 2023–24 में प्रति पशु प्रति वर्ष 2071 किलोग्राम हो गई है, जो दुनिया में सबसे अधिक उत्पादकता वृद्धि दर है। इसी प्रकार भैंसों की उत्पादकता वर्ष 2013–14 में प्रति पशु प्रति वर्ष 1792 किलोग्राम से बढ़कर वर्ष 2023–24 में प्रति पशु प्रति वर्ष 2161 किलोग्राम हो गई है। दूध देने वाले पशुओं की संख्या वर्ष 2013–14 में 84.08 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 111.76 मिलियन हो गई है, जो कि 32.93% है। इसी अवधि के दौरान देशी गोपशुओं (डेस्क्रिप्ट और नॉन–डेस्क्रिप्ट गोपशु) में 25% की वृद्धि हुई है। देशी गोपशुओं से दूध उत्पादन वर्ष 2013–14 में 28.13 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 49.91 मिलियन टन हो गया है, जो कि 77.42% है। वर्ष 2023–24 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 471 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि विश्व औसत 394 ग्राम प्रतिदिन है। प्रति व्यक्ति उपलब्धता वर्ष 2014–15 में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 319 ग्राम से बढ़कर वर्ष 2023–24 में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 471 ग्राम हो गई है, जो 47.64% की वृद्धि दर्शाती है।

नीचे दिए गए ग्राफ़ भारत में दूध उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों में हुई वृद्धि को दर्शाते हैं, जो वर्ष 2001–02 में 84 एमएमटी से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 239.30 एमएमटी हो गया है। ग्राफ़ वर्ष 2014 से वर्ष 2022 तक बोवाइन पशुओं की उत्पादकता (किग्रा/वर्ष) में हुई वृद्धि को भी दर्शाता है। भारत ने इसमें 27.39 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई है, जो सबसे अधिक है, इसके बाद चीन, जर्मनी और डेनमार्क का स्थान है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत में प्रतिशत वृद्धि विश्व औसत से अधिक है जो 13.97 प्रतिशत है।

पिछले कुछ वर्षों में एमएमटी में दूध उत्पादन

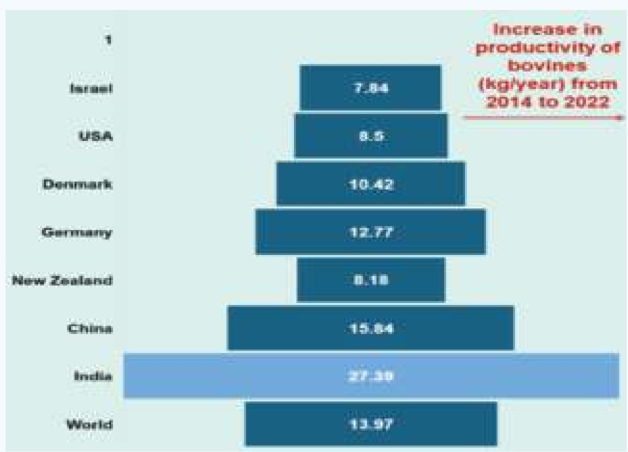

उत्पादकता में वृद्धि तुलना

राष्ट्रीय गोकुल मिशन को 5 वर्षों की अवधि के लिए 2400 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ कार्यान्वयन के लिए पुनर्गठित और विस्तारित किया गया है। योजना के कार्यान्वयन का ध्यान राज्यों में गोपशु और भैंस प्रजनन अवसंरचना के निर्माण से हटकर किसानों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं, आईवीएफ तकनीक और लिंग–सॉर्टेड वीर्य सहित गुणवत्तापूर्ण प्रजनन सेवाएं लाने पर केंद्रित किया गया है। यह योजना पहुंच और सामर्थ्य में सुधार के लिए निजी उद्यमिता को सुविधाजनक बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करती है।

क्षेत्र की मुख्य विशेषताएंः प्रमुख उपलब्धियां

- वर्ष 1998 से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक और वर्तमान में दुनिया के कुल दूध उत्पादन में **25 प्रतिशत** का योगदान दे रहा है
- वर्ष 2023–24 में दूध उत्पादन **239.30 एमएमटी,** उत्पादन का मूल्य 2.50 लाख करोड़ रुपये होगा। **11.16 लाख करोड़**
- **8.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों** को आजीविका प्रदान करना
- कुल बोवाइन आबादी में **0.86%** की वृद्धि हुई (वर्ष 2012 में 29.96 करोड़ से वर्ष 2019 में 30.22 करोड़ तक) जबकि दूध देने वाली बोवाइन आबादी में **32.97%** की वृद्धि हुई (वर्ष 2013–वर्ष 2014 में 8.4 करोड़ से वर्ष 2023–24 में 11.17 करोड़ तक)
- एनएआईपी के तहत, 605 जिलों में किसानों के द्वार पर मुफ्त में एआई सेवाएं प्रदान की गईं और अब तक 8.30 करोड़ पशुओं को कवर किया गया, 12.20 करोड़ एआई किए गए और **5.19 करोड़ किसान लाभान्वित** हुए
- आधुनिक प्रजनन तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए, **22 आईवीएफ प्रयोगशालाएँ स्थापित** की गईं
- अब तक सेक्स सॉर्टेड वीर्य की 10.32 मिलियन खुराक का उत्पादन किया गया; कृत्रिम गर्भाधान के लिए **70 लाख खुराकें** वितरित की गईं
- पिछले 4 वर्षों में **38736 मैत्री** को शामिल किया गया
- पिछले 3 वर्षों के दौरान 5 वर्षों की अवधि में 4111 सांडों के लक्ष्य के मुकाबले **3747 संतति परीक्षण** किए गए सांडों का उत्पादन किया गया
- **132 नस्ल वृद्धि फार्म स्वीकृत किए गए**
- पशुपालन और डेयरी विभाग ने संपूर्ण पशुधन डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र **भारत पशुधन प्रणाली** विकसित की। भारत पशुधन डेटाबेस को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया। सभी कार्यात्मकताओं का उपयोग करके एफएलडब्लू द्वारा **75 करोड़** से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए हैं।

उद्देश्य

क) उन्नत तकनीकों का उपयोग करके संधारणीय तरीके से बोवाइन पशुओं की उत्पादकता और दूध उत्पादन में वृद्धि करना

ख) प्रजनन उद्देश्यों के लिए उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों के उपयोग का प्रचार करना।

ग) प्रजनन नेटवर्क को सुदृढ़ करने और किसानों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की प्रदायगी के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाना।

घ) वैज्ञानिक और समग्र तरीके से देशी गोपशुओं और भैंसों के पालन और संरक्षण को बढ़ावा देना।

3.1.1 निधियन पैटर्न

योजना के सभी घटकों को 100% अनुदान के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है, सिवाय निम्नलिखित घटकों के: **i) त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रमः** घटक के अंतर्गत, भाग लेने वाले किसानों को भारत सरकार के हिस्से के रूप में प्रति आईवीएफ गर्भावस्था 5000 रुपये की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है; **ii) सेक्स सॉर्टेड वीर्य को बढ़ावा देनाः** घटक के अंतर्गत भाग लेने वाले किसानों को सेक्स सॉर्टेड वीर्य की लागत का 50% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है और **iii) नस्ल वृद्धि फार्म की स्थापनाः** घटक के अंतर्गत परियोजना की पूंजीगत लागत का 50% तक अधिकतम 2.00 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी उद्यमी को उपलब्ध कराई जा रही है।

3.1.2 आरजीएम के घटक

1. उच्च आनुवंशिक गुणता वाले जर्मप्लाज्म की उपलब्धताः

क. सांड उत्पादन कार्यक्रम

- संतति परीक्षण
- नस्ल चयन
- जीनोमिक चयन
- जर्मप्लाज्म का आयात

ख. वीर्य स्टेशनों को सहायताः मौजूदा वीर्य स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण।

ग. आईवीएफ तकनीक का कार्यान्वयन

- आईवीएफ प्रयोगशालाएं
- इन विट्रो भ्रूण उत्पादन तकनीक का कार्यान्वयन
- सुनिश्चित गर्भावस्था प्राप्त करने के लिए आईवीएफ तकनीक का कार्यान्वयन

घ. **नस्ल वृद्धि फार्म**

2. कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क का विस्तार

क. मैत्री की स्थापना

ख. राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम

ग. सुनिश्चित गर्भधारण के लिए लिंग आधारित वीर्य का उपयोग

घ. राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (पशुधन) का कार्यान्वयन

3. देशी नस्लों का विकास और संरक्षण

क. गौशालाओं, गोसदनों और पिंजरापोलों को सहायता

ख. राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का प्रशासनिक व्यय / संचालन

4. कौशल विकास

5. किसानों को जागरूक करना

6. बोवाइन प्रजनन में अनुसंधान विकास और नवाचार

3.1.3 त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रमः इस घटक के अंतर्गत, डेयरी किसानों के लिए मादा बच्छियों के उत्पादन के लिए आईवीएफ तकनीक और सेक्स–सॉर्टेड वीर्य के साथ कृत्रिम गर्भाधान का लाभ उठाया जा रहा है। आईवीएफ तेजी से बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है, जो काम 7 पीढ़ियों (गाय और भैंस के मामले में 21 वर्ष) में किया जाता है, वह आईवीएफ के माध्यम से 1 पीढ़ी (गाय और भैंस के मामले में 3 वर्ष) में किया जा सकता है। इस तकनीक में केवल मादा बछड़ों के उत्पादन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की बहुत संभावना है, जिसमें प्रति ब्यांत 4000 किलोग्राम दूध उत्पादन की आनुवंशिक क्षमता है, जिससे किसानों की आय कई गुना बढ़ जाती है। त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत योजना के अंत तक 2 लाख आईवीएफ गर्भधारण स्थापित किए जाएंगे। किसानों को प्रति सुनिश्चित गर्भधारण 5000 रुपये की दर से सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। देश में यह कार्यक्रम पहले ही शुरू हो चुका है।

देश में केवल मादा बछड़ों के उत्पादन के लिए 90% सटीकता तक सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन शुरू किया गया है। सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग न केवल दूध उत्पादन को बढ़ाने में बल्कि आवारा पशुओं की आबादी को सीमित करने में भी गेम चेंजर साबित होगा। परियोजना अवधि के दौरान 51 लाख गर्भधारण स्थापित किए जाएंगे और सुनिश्चित गर्भधारण पर सॉर्टेड सीमन की लागत का 50% या 750 रुपये की सब्सिडी किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी।

ii) **नस्ल वृद्धि फार्मों की स्थापनाः** महत्वाकांक्षी डेयरी किसानों के लिए एक बड़ी बाधा अपने स्थानीय क्षेत्रों से उच्च गुणवत्ता वाली बछिया या दुधारू पशु प्राप्त करने की कठिनाई है। इस मुद्दे के समाधान के लिए तथा डेयरी क्षेत्र के लिए उद्यमशीलता सहित निवेश को आकर्षित करने के लिए, तथा साथ ही डेयरी फार्मिंग का हब और स्पोक मॉडल विकसित करने के अवसर का सृजन करने के लिए, जहां छोटे और सीमांत डेयरी किसान विश्वसनीय डेयरी सेवाओं के स्थानीय हब की सहायता से उन्नति कर सकें, इस घटक के अंतर्गत निजी उद्यमियों को पूंजीगत लागत (भूमि लागत को छोड़कर) पर 50% (उत्तर–पूर्वी, पहाड़ी राज्यों और 31 शुष्क जिलों को छोड़कर प्रति फार्म 2 करोड़ रुपये तक; उत्तर–पूर्वी, पहाड़ी राज्यों और 31 शुष्क जिलों में 50 लाख रुपये तक) की सब्सिडी प्रदान की जा रही है, ताकि देश में न्यूनतम 200 बोवाइन पशुओं के नस्ल वृद्धि फार्मों की स्थापना की जा सके। (पहाड़ी राज्यों, उत्तर–पूर्वी राज्यों और 31 शुष्क जिलों को छोड़कर, जहां यह संख्या 50 है)। उद्यमी शेष पूंजी लागत के लिए बैंक से वित्त प्राप्त करेगा और क्षेत्र के किसानों को सॉर्टेड सेक्स सीमेन / आईवीएफ के माध्यम से गर्भित उच्च क्षमता वाली बछिया बेचेगा। इसके अलावा बैंक ऋण के लिए उद्यमी एएचआईडीएफ योजना के साथ एकीकरण करके 3% की ब्याज छूट प्राप्त कर सकता है। अब तक विभाग ने 132 नस्ल वृद्धि फार्म की स्थापना को मंजूरी दी है।

देश भर में आरजीएम के तहत विभिन्न नस्ल वृद्धि फार्मों की जियो–टैग की गई तस्वीरें

3.1.4 कार्यान्वयन की स्थिति

3.1.4.1 वर्ष वर्ष 2023–24 के दौरान योजना के अंतर्गत **869.54 करोड़ रुपए** का आवंटन उपलब्ध कराया गया है तथा **868.13 करोड़ रुपए** का व्यय किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रारंभ से अब तक वर्षवार आवंटन तथा व्यय निम्नानुसार है:

वर्ष 2014–15 से आरजीएम के अंतर्गत किया गया आवंटन और व्यय

											करोड़ रुपये में
वित्तीय	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	Total
आवंटन	159.4	81.89	119.5	190	750.5	270	400	663.55	**600**	**869.54**	**268**	4372.38
व्यय	159.02	81.76	118.75	187.64	750.5	269.73	399.9	662.84	**599.84**	**869.13**	**232.35**	4331.46

3.1.5 इन–विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) तकनीक का क्रियान्वयन: आईवीएफ तेजी से बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन के लिए महत्वपूर्ण साधन है, जो काम 7 पीढ़ियों (गाय और भैंस के मामले में 21 वर्ष) में किया जाता है, वह आईवीएफ के माध्यम से 1 पीढ़ी में किया जा सकता है। आईवीएफ तकनीक में केवल मादा बछड़ों के उत्पादन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की बहुत संभावना है, जिनमें उच्च आनुवंशिक क्षमता होती है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देश में आईवीएफ और भ्रूण स्थानांतरण तकनीक को बढ़ावा देने के लिए 22 आईवीएफ और ईटी प्रयोगशालाएँ चालू की गई हैं। सरकार ने त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरू किया है और इस कार्यक्रम के तहत अगले पाँच वर्षों में 2 लाख आईवीएफ गर्भधारण स्थापित किए जाएँगे। किसानों को प्रति सुनिश्चित गर्भधारण 5000 रुपये की दर से सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी।

सभी क्रियाशील प्रयोगशालाओं ने भ्रूण उत्पादन शुरू कर दिया है और दिसंबर वर्ष 2024 तक देशी नस्लों के श्रेष्ठ पशुओं से 25375 भ्रूण तैयार किए जा चुके हैं और इनमें से 13799 भ्रूण स्थानांतरित किए जा चुके हैं तथा अब तक योजना के तहत 2055 श्रेष्ठ बछड़े पैदा हुए हैं। इन प्रयोगशालाओं की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

आरजीएम के अंतर्गत ईटीटी–आईवीएफ प्रयोगशालाओं की स्थिति

क्र. सं	राज्य	ईटीटी/आईवीएफ	रखे गए डोनर	उत्पादित भ्रूण	हस्तांतरित भ्रूण	पैदा बछिया	भ्रूण संग्रहित
1	गुजरात	साबरमती आश्रम गौशाला	30	5432	1742	130	2180
2	बिहार	बसु,पटना	39	568	249	22	67
3	हरियाणा	लुवास, हिसार (एचआर)	20	535	153	18	340
4	केरल	मत्तुपेत्ति	20	1077	442	69	635
5	मध्य प्रदेश	ईटीटी प्रयोगशाला, भदाभदा, भोपाल	43	1646	1412	390	20
6	पश्चिम बंगाल	ईटीटी/आईवीएफ प्रयोगशाला, पीबीजीएसबीएस, हरिंगाटा फार्म	37	691	649	81	0
7	उत्तराखंड	भ्रूण जैव तकनीक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कालसी, देहरादून	20	2175	1427	455	713
8	तमिलनाडु	डीएलएफ होसूर	51	983	921	105	16
9	तमिलनाडु	पशु चिकित्सा महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान, नमक्कल, तनुवास	14	241	97	7	41
10	हिमाचल प्रदेश	ईटीटी प्रयोगशाला पालमपुर	7	241	184	29	37
11	बिहार	आरजीएम, पीपराकोठी, मोतिहारी	25	62	54	9	0
12	आंध्र प्रदेश	पशुधन अनुसंधान केंद्र, लाम, गुंटूर	12	1001	599	31	402
13	आंध्र प्रदेश	ईटीटी/आईवीएफ, एनकेबीसी, चिंतलादेवी	29	689	338	13	351
14	महाराष्ट्र	ईटीटी/आईवीएफ केंद्र, माफसू, नागपुर	20	670	463	47	34
15	महाराष्ट्र	बीएआईएफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन, उरुली कंचन, पुणे	38	3373	1522	132	1878
16	महाराष्ट्र	जे.के.ट्रस्ट, वडगांव रसाई –जिला. पुणे	20	3280	1843	277	1423
17	पंजाब	ईटी आईवीएफ प्रयोगशाला, डीएलएफ, गडवासु	30	910	458	101	329
18	उत्तर प्रदेश	निबलेट, बाराबंकी, यूपीएलडीबी	15	597	463	90	139
19	पंजाब	पीएलडीबी ईटीटी केंद्र, पटियाला	6	457	291	25	166
20	छत्तीसगढ	ईटीटी केंद्र, अंजोरा	15	3	3	0	0
21	तेलंगाना	ईटीटी/आईवीएफ, पीवीएन आरटीवीयू	50	435	350	13	0
22	गुजरात	आईवीएफ प्रयोगशाला, अमरेली, एएमआर डेयरी	-	309	139	11	90
	कुल		**541**	**25375**	**13799**	**2055**	**8861**

ईटीटी/आईवीएफ प्रयोगशाला, पीबीजीएसबीएस, हरिंगाटा फार्म, पश्चिम बंगाल

बिहार की पहली आईवीएफ बछिया – तनुजा

ईटी–आईवीएफ बछड़े (आईवीएफ प्रयोगशाला निबलेट, बाराबंकी)

एकल दाता से पैदा हुए आईवीएफ बछड़े, (आईवीएफ प्रयोगशाला, गडवासू, लुधियाना)

साबरमती आश्रम गौशाला, बिदाज, गुजरात में आईवीएफ प्रयोगशाला

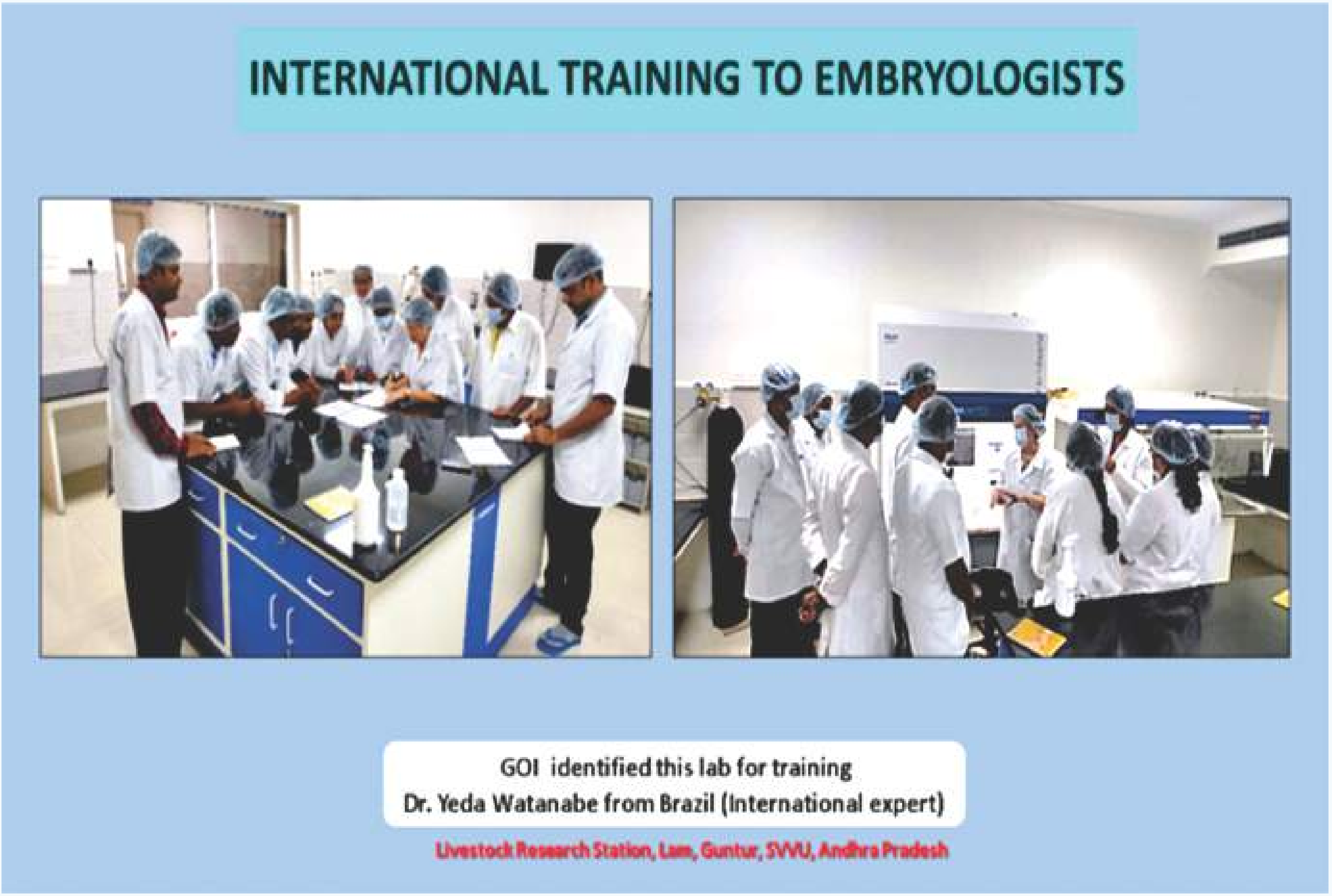

पशुधन अनुसंधान केंद्र, लाम, गुंटूर, आंध्र प्रदेश में आरजीएम के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण

देशी आईवीएफ मीडिया का शुभारंभः इन–विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) के लिए देशी मीडिया का शुभारंभ 13 सितंबर, 2024 को भुवनेश्वर में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा आयोजित मानसून मीट में किया गया। देशी मीडिया, महंगे आयातित मीडिया का एक लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करता है। मीडिया के उपयोग से भ्रूण उत्पादन की लागत 5000 रुपये से घटकर 2000 रुपये प्रति भ्रूण रह जाएगी।

माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा देशी आईवीएफ मीडिया का शुभारंभ

3.1.6 सेक्स सॉर्टेड वीर्य उत्पादन सुविधा की स्थापनाः

3.1.6.1.1 कृषि के मशीनीकरण के कारण नर गोपशु की उपयोगिता कम हो गई है और किसान खेती या अन्य किसी काम के लिए बैल पालने को तैयार नहीं हैं। इसलिए, किसान के द्वार पैदा होने वाले नर बछड़े बोझ बन गए हैं। धार्मिक कारणों से, देश के अधिकांश हिस्सों में नर गोपशु को कलिंग करना (culling) मुश्किल है। किसान अक्सर नर बछड़ों को खुला छोड़ देते हैं, जिससे आवारा पशुओं की संख्या में वृद्धि होती है। एआई प्रोग्राम में सेक्स सॉर्टेड सीमेन जैसी नवीनतम तकनीक के इस्तेमाल से केवल मादा बछड़े (90% से ज़्यादा सटीकता के साथ) ही पैदा किए जा सकते हैं। यह तकनीक भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। देश में पहली बार सेक्स सॉर्टेड सीमेन उत्पादन सुविधा बनाई जा रही है। इस तकनीक के व्यापक इस्तेमाल से न केवल मादा पशुओं की संख्या बढ़ेगी, बल्कि मादा पशुओं की बिक्री या दूध की बिक्री से किसानों की आय भी बढ़ेगी और आवारा पशुओं की समस्या का समाधान भी होगा।

3.1.6.2 वर्तमान स्थिति

सरकारी क्षेत्र (उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु) में पांच वीर्य केंद्र चालू हैं। प्रत्येक वीर्य केंद्र की उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 6 लाख से 10 लाख खुराक उत्पादन करने की है। अब तक राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत सहायता प्राप्त सरकारी वीर्य केंद्रों पर 55.88 लाख खुराक तथा दुग्ध संघ, एनजीओ और निजी वीर्य केंद्रों से 57.33 लाख खुराक का उत्पादन किया गया है। लिंग–सॉर्टेड वीर्य का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम लागू किया गया है। कार्यक्रम के तहत 51 लाख गर्भधारण स्थापित किए जाएंगे और सुनिश्चित गर्भधारण पर सॉर्टेड वीर्य की लागत का 50% या 750 रुपये की सब्सिडी किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। भारत में लिंग–सॉर्टेड वीर्य उत्पादन तकनीक देशी नस्ल के गोपशुओं जैसे कि रेड सिंधी, थारपारकर, साहीवाल, गिर आदि के लिए विकसित की गई है।

राज्य हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान – पाटण, गुजरात में लिंग–सॉर्टेड वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला

डीएलएफ–ऊटी, तमिलनाडु में लिंग–सॉर्टेड वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला

बाबूगढ़, उत्तर प्रदेश में लिंग–सॉर्टेड वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला

राज्य हिमित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान – पाटण, गुजरात में सेक्स–सॉर्टेड वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला

सेंट्रल सीमेन स्टेशन, भोपाल, मध्य प्रदेश में सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन सुविधा

सेंट्रल सीमेन स्टेशन, भोपाल, मध्य प्रदेश में सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन सुविधा

त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत सेक्स सॉर्टेड सीमन से पैदा हुए बछड़े

देशी रूप से विकसित सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन तकनीक का शुभारंभः 5.10.वर्ष 2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देशी रूप से विकसित सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन तकनीक का शुभारंभ किया गया है। इस तकनीक से सेक्स सॉर्टेड सीमन की कीमत 800 रुपये से घटकर 250 रुपये प्रति खुराक रह जाएगी। यह तकनीक हमारे किसानों के लिए गेम चेंजर साबित होगी क्योंकि सेक्स सॉर्टेड सीमन उचित दरों पर उपलब्ध है।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देशी रूप से विकसित सेक्स सॉर्टेड वीर्य उत्पादन तकनीक का शुभारंभ किया गया

3.1.7 देशी नस्लों के लिए राष्ट्रीय बोवाइन जीनोमिक केंद्र (एनबीजीसी–आईबी)

3.1.7.1 विकसित डेयरी देशों में तेजी से आनुवंशिक लाभ प्राप्त करने के लिए दूध उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए जीनोमिक चयन का उपयोग किया जाता है। देशी गोपशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, देश में एक राष्ट्रीय बोवाइन जीनोमिक केंद्र की स्थापना की गई है। जीनोमिक चयन का उपयोग करके देशी नस्लों को कुछ पीढ़ियों के भीतर व्यवहार्य बनाया जा सकता है। यह केंद्र देशी नस्लों के रोग मुक्त उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

3.1.7..2 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद–राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (आईसीएआर–एनबीएजीआर) और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हमारे देशी नस्ल के गोपशुओं और भैंसों के जीनोमिक चयन के लिए सामान्य जीनोमिक चिप विकसित करने के प्रयास शुरू किए गए हैं। चिप के विकास से आनुवंशिक लाभ की दर में वृद्धि होगी क्योंकि बेहतर आनुवंशिकी वाले पशुओं को कम उम्र में चुना जा सकता है, जबकि पारंपरिक तरीकों में पशुओं का आनुवंशिक मूल्य 6 से 7 साल बाद साबित होता है।

3.1.7.3 की गई प्रगति

एनडीडीबी द्वारा जीनोमिक चयन के लिए डीएनए चिप अर्थात इंडस चिप और बफ चिप विकसित की गई है तथा एनबीएजीआर द्वारा गोपशुओं और भैंसों के लिए कम घनत्व वाली चिप विकसित की गई है। इंडस चिप और बफ चिप को अब एनबीएजीआर द्वारा विकसित चिप के साथ एकीकृत किया जा रहा है ताकि अधिक विश्वसनीयता के साथ देशी नस्लों का जीनोमिक चयन किया जा सके।

देशी रूप से विकसित जीनोमिक चिप का शुभारंभः राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत पहली बार हमारी देशी नस्लों के लिए जीनोमिक चिप विकसित की गई है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 05.10.2024 को उच्च विश्वसनीयता वाली सामान्य जीनोमिक चिप लॉन्च की गई है।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देशी रूप से विकसित जीनोमिक चिप का शुभारंभ

3.1.8 संतति परीक्षण:

दूध उत्पादन एक लिंग–सीमित विशेषता है, इसलिए सांड की आनुवंशिक क्षमता का अनुमान मादाओं के प्रदर्शन से लगाया जाता है। मादाओं के प्रदर्शन पर सांड की अनुमानित संचारण क्षमता का अनुमान लगाने के लिए वैज्ञानिक प्रजनन पद्धति को संतति परीक्षण कहा जाता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत मुख्य रूप से देशी नस्लों के लिए संगठित संतति परीक्षण कार्यक्रम (PTP) लागू किया गया है। आरजीएम के तहत कार्यान्वित परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

मानक /परियोजनाएं	खरीदे गए एचजीएम सांड
एसएजी गिर	349
गंगमुल साहीवाल	250
पीएलडीबी साहीवाल	199
एचएलडीबी मुर्रा	345
पीएलडीबी मुर्रा	429
एबीआरओ मुर्रा	518
एसएजी मुर्रा	289
बनास–मेहसाणा	79
मेहसाणा–मेहसाणा	91
एसएजी एचएफसीबी	308
केएलडीबी एचएफसीबी	199
एपीएलडीए जेवाईसीबी	252
टीसीएमपीएफ जेवाईसीबी	439
एचपीएलडीबी जेवाई	-
कुल	3747

मानक /परियोजनाएं	खरीदे गए एचजीएम सांड
राठी	24
कांकरेज	35
हरियाना	62
थापरकर	96
जाफराबादी	51
नीली रवि	19
पंढरपुरी	33
गाओलाओ	1
बन्नी	**0**
कुल	**321**

आरजीएम के तहत एसएजी गिर संतति परीक्षण परियोजना के तहत उत्पादित उच्च आनुवंशिक गुणता वाला गिर सांड

3.1.9 कृत्रिम गर्भाधान कवरेज का विस्तार

3.1.9.1 कृत्रिम गर्भाधान कवरेज

कृत्रिम गर्भाधान, बोवाइन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक सिद्ध तकनीक है। वर्तमान में, देश में कृत्रिम गर्भाधान कवरेज प्रजनन योग्य बोवाइन पशुओं के 33% तक सीमित है और प्रजनन योग्य पशुओं का 70% अज्ञात आनुवंशिक गुणता वाले स्क्रब सांडों के माध्यम से कवर किया जाता है।

3.1.9.2 कृत्रिम गर्भाधान कवरेज:

वर्ष 2024–25 (अप्रैल वर्ष 2024 से दिसंबर वर्ष 2024) में सभी राज्यों में कुल 565.55 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में सबसे कम 1% कृत्रिम गर्भाधान कवरेज है, जबकि केरल में प्रजनन योग्य 100% बोवाइन मादाएं कृत्रिम गर्भाधान कवरेज के अंतर्गत हैं।

3.1.9.3 ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय एआई तकनीशियनों (मैत्री) की स्थापना

ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय एआई तकनीशियनों (मैत्री) की स्थापना किसानों के द्वार–द्वार तक प्रजनन इनपुट पहुँचाने के लिए की गई है। मैत्री को मान्यता प्राप्त एआई प्रशिक्षण संस्थानों में 3 महीने (90 दिन) की अवधि में प्रशिक्षित किया जाता है। संबंधित राज्यों को प्रति मैत्री 50,000 रुपये की दर से उपकरणों के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। 3 वर्षों के बाद, मैत्री वस्तुओं और सेवाओं की लागत की वसूली के माध्यम से आत्मनिर्भर हो जाते हैं।

मैत्री संस्थानों को कृत्रिम गर्भाधान सामग्री का वितरण

सिक्किम में मैत्री संस्थाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया

3.1.9.4 फील्ड एआई नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना

आरजीएम के तहत राज्यों को पोर्टेबल क्रायो कंटेनर, यूनिवर्सल गन के साथ एआई किट और मदर कंटेनर उपलब्ध कराकर स्थिर एआई केंद्रों को मोबाइल एआई केंद्रों में बदलने के लिए निधि जारी की गई है। इसके लिए 5 एआई केंद्रों पर 1 किट की दर से पोर्टेबल क्रायो कंटेनर, यूनिवर्सल गन के साथ एआई किट और मदर कंटेनर उपलब्ध कराए गए हैं। अनुपयोगी क्रायो कंटेनर और एआई किट को बदलने के लिए भी राज्यों को सहायता उपलब्ध कराई गई है।

आरजीएम के तहत मैत्री को एआई किट और मोटरबाइक का वितरण

3.1.9.5 एआई प्रशिक्षण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना

एआई प्रशिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन के लिए विभाग द्वारा केंद्रीय निगरानी इकाई का गठन किया गया है। वर्ष 2018–19 के दौरान किए गए मूल्यांकन के अनुसार, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा तैयार एमएसपी और एसओपी के अनुसार 48 एआईटी केंद्रों को मान्यता मिली है। एआई प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करने और क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए राज्यों को निधि जारी की गई है। सभी राज्यों में एक समान प्रशिक्षण मॉड्यूल भी विकसित और प्रसारित किए गए हैं। क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए राज्यों को निधि जारी की गई है।

3.1.9.6 तरल नाइट्रोजन भंडारण, परिवहन और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना

अनुमान है कि प्रत्येक एआई के लिए 0.5 लीटर एलएन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार देश में 40 मिलियन लीटर तरल नाइट्रोजन को संभालने के लिए अवसंरचना की आवश्यकता है। देश में तरल नाइट्रोजन के लिए थोक भंडारण, परिवहन और वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए राज्यों को निधि जारी की गई है।

3.1.9.7 वीर्य स्टेशनों का मूल्यांकन:

वीर्य उत्पादन में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार लाने के लिए, विभाग द्वारा 20.5.2004 को दो वर्षों में एक बार वीर्य स्टेशनों के मूल्यांकन और ग्रेडिंग के लिए केंद्रीय निगरानी इकाई (सीएमयू) का गठन किया गया था। तब से सीएमयू ने छह मौकों पर मूल्यांकन किया है और वीर्य स्टेशनों की ग्रेडिंग नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

पिछले कुछ वर्षों में वीर्य स्टेशनों का वर्गीकरण

श्रेणी	2005	2009	2011	2013	2016	2018-19	2022-23
क	2	12	20	30	37	36	41
ख	12	15	17	15	14	13	9
ग	12	7	3	-	_	-	-
ग्रेड नहीं किया गया (एनजी)	33	13	7	5	2	2	3
मूल्यांकित नहीं किया गया (एनई)	-	2	2	2	5	5	3
कुल	**59**	**49**	**49**	**52**	**58**	**56**	**56**

3.1.9.8 वीर्य उत्पादन के लिए न्यूनतम मानक प्रोटोकॉल (एमएसपी)

एक समान गुणवत्ता वाले जमे हुए वीर्य का उत्पादन करने के लिए, एनडीडीबी, एनडीआरआई (करनाल) और सीएफएसपी और टीआई के विशेषज्ञों के परामर्श से वीर्य उत्पादन के लिए न्यूनतम मानक प्रोटोकॉल (एमएसपी) विकसित किया गया था और इसे 20 मई, 2004 से प्रभावी किया गया था। वीर्य प्रसंस्करण तकनीक में हाल के विकास को ध्यान में रखते हुए, वीर्य उत्पादन के लिए एमएसपी को वर्ष 2022 में अद्यतन किया गया है और देश के सभी वीर्य स्टेशनों को उपलब्ध कराया गया है।

3.1.9.9 वीर्य केन्द्रों का आईएसओ प्रमाणन

वर्तमान में, 54 वीर्य केन्द्र आईएसओ प्रमाणित हैं।

3.1.9.10 जनशक्ति विकास:

योजना के तहत पेशेवरों को जमे हुए वीर्य तकनीक और डेटाबेस प्रबंधन में नवीनतम विकास में प्रशिक्षित किया गया है। मौजूदा एआई तकनीशियनों/मैत्री को कृत्रिम गर्भाधान में पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया गया है। ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय एआई तकनीशियनों (मैत्री) को एआई में बुनियादी प्रशिक्षण दिया गया है।

3.1.10 जागरूकता कार्यक्रम:

3.1.10.1 राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम

राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चरण IV को 1 अगस्त 2022 से अब तक 50% से कम कृत्रिम गर्भाधान कवरेज वाले 592 जिलों में वर्ष 2022–24 के दौरान लागू किया गया है।

3.1.10.2 एनएआईपी–III कार्यक्रम ने 3 करोड़ गोपशु के लक्ष्य के मुकाबले 221.72 लाख गोपशु को कवर करके महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। कार्यक्रम के तहत किसानों के द्वार–द्वार जाकर 305.94 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान निःशुल्क किए गए और 153.25 लाख किसान लाभान्वित हुए। इसके अलावा, एनएआईपी कार्यक्रम को चरण IV तक बढ़ाया गया, जिसमें 592 जिले शामिल हैं। एनएआईपी–IV के तहत दिसंबर वर्ष 2024 तक 408.86 लाख पशुओं को कवर किया गया है, 663.14 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं और कार्यक्रम के तहत 243.02 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

कार्यक्रम के तहत, प्रत्येक जिले के चिन्हित गांवों में किसानों के द्वार पर निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। देशी गोपशुओं की नस्लों के लिए, कार्यक्रम के तहत 3000 किलोग्राम/स्तनपान से अधिक की मादा के दूध उत्पादन वाले एचवाईआईबी सांड के वीर्य का उपयोग किया जाता है। राज्य प्रजनन नीति के अनुसार, कार्यक्रम के तहत विदेशी वीर्य और उच्च उत्पादन वाले संकर वीर्य के साथ नॉन–डेस्क्रिप्ट गोपशुओं के उन्नयन की भी अनुमति है। इस उद्देश्य के लिए, एचएफ के लिए 10,000 किलोग्राम और जर्सी के लिए 6000 किलोग्राम एमएसपी वाला वीर्य निर्धारित किया गया है। नॉन–डेस्क्रिप्ट भैंसों के मामले में, 3000 किलोग्राम और उससे अधिक एमएसपी वाले मुर्राह/नीली–रावी के वीर्य का उपयोग किया जाता है। इस कार्यक्रम से बोवाइन आबादी का समग्र आनुवंशिक उन्नयन होगा।

3.1.10.3 कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल सभी पशुओं की पहचान एनिमल यूआईडी (एयूआईडी) का उपयोग करके की जा रही है और उनका डेटा एनडीएलएम डेटा बेस (भारत पशुधन) पर अपलोड किया जा रहा है। कृत्रिम गर्भाधान के बाद, पशु का पालन किया जाता है और बछड़े के जन्म तक सभी घटनाओं को डेटा बेस पर दर्ज किया जाता है।

3.1.10.4 अपेक्षित परिणाम

- इस अभियान मोड दृष्टिकोण के कारण, लगभग 7.5 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान से 3.00 करोड़ बेहतर बछड़े पैदा होंगे, 1.35 करोड़ बेहतर मादा बछड़े पैदा होंगे जो 3 साल बाद 16.2 एमएमटी दूध /वर्ष देंगे। किसानों के द्वार में 54,000 करोड़ रुपये (प्रति वयस्क गाय 40,000 रुपये) मूल्य की गायें और भैंसें जुड़ जाएँगी।
- दूध की बिक्री से डेयरी किसानों को 55258 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी।
- देश के डेयरी पशुयूथ में अधिक दुधारू पशुओं के शामिल होने से देशी नस्ल की आबादी में सुधार होगा।

एनएआईपी के तहत कर्नाटक में जुड़वां भैंस बछड़ों का जन्म

चरण–IV के अंतर्गत किसानों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान (एआई) तकनीशियन द्वारा कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है

एनएआईपी के तहत सिक्किम में पैदा हुए बछड़े

सिक्किम में आरजीएम के तहत किसान जागरूकता कार्यक्रम

छत्तीसगढ़ में आरजीएम के तहत किसान जागरूकता कार्यक्रम

राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत बछड़ा रैली का आयोजन

3.1.11 गोपाल रत्न पुरस्कार

पशुधन और डेयरी क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक के रूप में गोपाल रत्न पुरस्कार की शुरुआत विभाग द्वारा की गई है। इस पुरस्कार का उद्देश्य इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी व्यक्तिगत किसानों, कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों और डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना है। पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, अर्थात् (i) देशी गोपशु/भैंस नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान; (ii) सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी) और सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी। पुरस्कार में प्रथम, द्वितीय और तृतीय सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी) के लिए गुणता प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह और गुणता प्रमाण पत्र, एक स्मृति चिन्ह और निम्नलिखित नकद राशि शामिल है: प्रथम रैंक धारक को 5,00,000/– (पांच लाख रुपये); द्वितीय रैंक धारक को 3,00,000/– (तीन लाख रुपये) और तृतीय रैंक धारक को 2,00,000/– (दो लाख रुपये) और देशी गोपशु/भैंस नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान और सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी के लिए उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेष पुरस्कार के लिए 2 लाख रुपये। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल https://awards.gov.in के माध्यम से स्व–नामांकन के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। कुल 2574 आवेदन प्राप्त हुए और विभाग द्वारा उनका मूल्यांकन किया गया और देश में प्रत्येक श्रेणी में 3 सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसानों, 3 सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियनों, 3 सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समितियों और उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेष पुरस्कार को 26 नवंबर वर्ष 2024 को माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया।

विजेताओं का विवरण निम्नानुसार है

क्र.सं.	वर्ग	एनजीआरए वर्ष 2024 के विजेताओं के नाम और रैंक
1.	देशी गाय/भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान	प्रथम श्रीमती. रेनू, झज्जर, हरियाणा, द्वितीय श्री देवेन्द्र सिंह परमार, शाजापुर, मध्य प्रदेश, तृतीय श्रीमती सुरभि सिंह,बिजनौर,उत्तर प्रदेश, **उत्तर पूर्व क्षेत्र श्रेणी में विशेष पुरस्कार:** सुश्री जुना तामुली बर्मन, बाजाली, असम, श्रीमती जुनुमा माली, मोरीगांव, असम
2.	सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति/दूध उत्पादक कंपनी/डेयरी किसान उत्पादक संगठन	प्रथम द गैबट मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, अरावली, गुजरात, प्रथम दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड बिसानल, बागलकोट, कर्नाटक, द्वितीय प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड प्रतापपुरा, भीलवाड़ा, राजस्थान, तृतीय टीएनडी 208 वदापथी एमपीसीएस लिमिटेड, कुड्डालोर, तमिलनाडु, **एनईआर के लिए श्रेणी में विशेष पुरस्कार:** कामधेनु दुग्ध उत्पादक समबाय समिति लिमिटेड नित्यानंद, बजाली, असम,
3.	सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी)	प्रथम श्री भास्कर प्रधान, सुबरनापुर, ओडिशा, प्रथम श्री राजेंद्र कुमार, हनुमानगढ़, राजस्थान, द्वितीय श्री वीरेन्द्र कुमार सैनी, हनुमानगढ़, राजस्थान, तृतीय श्री वी अनिल कुमार, अन्नमय्या, आंध्र प्रदेश, **एनईआर श्रेणी में विशेष पुरस्कार:** श्री मोहम्मद अब्दुर रहीम, कामरूप, असम

माननीय मस्त्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया

3.1.12 राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन

पशुपालन और डेयरी विभाग (पशुपालन और डेयरी विभाग) ने एनडीडीबी के साथ मिलकर **"भारत पशुधन"** नाम से एक डेटाबेस विकसित किया है। यह डिजिटल इकोसिस्टम 2 मार्च वर्ष 2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह डेटाबेस प्रत्येक पशुधन पशु को आवंटित एक अद्वितीय 12 अंकों की टैग आईडी का उपयोग करके विकसित किया गया है, इस डेटाबेस पर 34.12 करोड़ पशुओं को पंजीकृत किया गया है। सभी हितधारक एक ओपन सोर्स एपीआई आधारित आर्किटेक्चर के माध्यम से एक ही डेटाबेस से जुड़े हुए हैं।

प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

(i) प्राथमिक पहचान कुंजी के रूप में अद्वितीय 12 अंकों की टैग आईडी के साथ "भारत पशुधन" डेटाबेस का निर्माण;

(ii) पशुपालकों के लिए 1962 मोबाइल एप्लीकेशन;

(iii) रोग निगरानी के लिए सीरो–निगरानी और सीरो–मॉनिटरिंग एप्लीकेशन;

(iv) गिर गाय के घी, बद्री गाय के घी, पश्मीना और अन्य पशुधन उत्पादों के लिए ट्रेसेबिलिटी समाधान और

(v) वर्तमान में क्षेत्र अधिकारियों और श्रमिकों द्वारा 70 करोड़ से अधिक लेनदेन प्रणाली में दर्ज किए गए हैं।

पशुधन उत्पादों के लिए ट्रैसेबिलिटी प्लेटफॉर्म 22 अक्टूबर वर्ष 2024 को गुजरात से माननीय गृह मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है।

माननीय गृह मंत्री द्वारा पशुधन उत्पादों के लिए ट्रैसेबिलिटी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ

3.1.13 सुरभि चयन श्रंखला (एचजीएम पशुधन चयन कार्यक्रम) के लिए मैनुअल: यह मैनुअल उत्कृष्ट पशुधन की पहचान और चयन के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करता है, जो एक बेहतर दुधारू पशुयूथ के विकास की सुविधा प्रदान करता है और संधारणीय पशुधन प्रबंधन का समर्थन करता है। सुरभि चयन श्रंखला के लिए मैनुअल को माननीय एफएएचडी मंत्री द्वारा 26 नवंबर, 2024 को लॉन्च किया गया था।

3.1.14 कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएँ: यह दस्तावेज़ कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की दक्षता और सफलता दर को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रोटोकॉल को रेखांकित करता है, जिससे पशुधन में आनुवंशिक सुधार में योगदान मिलता है।

3.2 नस्ल सुधार संस्थान

3.2.1 प्रस्तावना:

केन्द्रीय गोपशु विकास संगठनों में सात केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, एक केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा चार केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण इकाइयां शामिल हैं, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिक रूप से श्रेष्ठ सांड बछड़ों, उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों (एचजीएम) से गुणवत्ता वाले हिमित वीर्य का उत्पादन करने तथा देशी नस्लों के गोपशुओं और भैंसों के श्रेष्ठ जर्मप्लाज्म की पहचान करने और स्थान निर्धारण करने के लिए स्थापित की गई हैं, ताकि देश में एचजीएम सांडों और हिमित वीर्य खुराकों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। ये संगठन हिमित वीर्य तकनीक में जनशक्ति के प्रशिक्षण तथा फार्म प्रबंधन में किसानों और उद्यमियों के प्रशिक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

3.2.2 केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (सीसीबीएफ)

3.2.2.1 पशुओं में उत्पादन क्षमता को सुविधाजनक बनाने और दीर्घकालिक आधार पर उत्पादन में प्रगतिशील आनुवंशिक सुधार लाने के लिए प्रजनन एक महत्वपूर्ण उपकरण है। केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म भारत सरकार द्वारा वर्ष 1968 से वर्ष 1976 के बीच विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के तहत देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में शुरू किए गए थे। उनका मुख्य उद्देश्य देश के भीतर महत्वपूर्ण देशी और विदेशी गोपशु नस्लों (होलस्टीन फ्रीजियन और जर्सी) के उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले जर्मप्लाज्म को उपलब्ध कराना है ताकि डेयरी उद्योग की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम किया जा सके। इन फार्मों ने देशी और विदेशी नस्लों के रोग मुक्त एचजीएम सांड और जमे हुए वीर्य खुराक के रूप में प्रजनन इनपुट की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

3.2.2.2 अलामधी (तमिलनाडु), अंदेशनगर (यूपी), चिपलीमा और सुनाबेडा (ओडिशा), धामरोड़ (गुजरात), हेसरघट्टा (कर्नाटक) और सूरतगढ़ (राजस्थान) में स्थित सात केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (सीसीबीएफ) हैं। ये सीसीबीएफ आनुवंशिक उन्नयन कार्यक्रमों के लिए उच्च नस्ल सांड के उत्पादन के उद्देश्य से गोपशुओं और भैंसों के वैज्ञानिक प्रजनन में लगे हुए हैं। इसके अलावा, ये फार्म किसानों और प्रजनकों को जागरूकता प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं।

मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार दिनांक 01.04.2023 से तीन फार्मों अर्थात सीसीबीएफ–आलमधी, सीसीबीएफ–अन्देशनगर और सीसीबीएफ–धामरोद का तकनीकी प्रबंधन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को हस्तांतरित कर दिया गया है ताकि अतिरिक्त अवसंरचना का निर्माण और फार्मों के आधुनिकीकरण के माध्यम से डेयरी नवाचार केंद्रों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके और राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी कार्यकलाप संचालित की जा सकें।

3.2.2.3 ये फार्म राज्य सरकारों, प्रजनन एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, सहकारी समितियों आदि को वितरण के लिए देशी, विदेशी नस्लों के गोपशुओं और महत्वपूर्ण भैंस नस्लों के उच्च नस्ल सांड बछड़ों का उत्पादन कर रहे हैं। सांड बछड़ों को देशी नस्लों जैसे थारपारकर, रेड सिंधी,

विदेशी नस्लों जैसे जर्सी, होलस्टीन फ्रीजियन, भैंस नस्लों जैसे मुर्राह और सुरती और जर्सी रेड सिंधी और होलस्टीन फ्रीजियन थारपारकर के संकर नस्ल के सांडों से उत्पादित किया जाता है।

3.2.2.4 उद्देश्य:

इन फार्मों का अधिदेश इस प्रकार है:

(i) वैज्ञानिक चयन और संगठित प्रजनन योजना के माध्यम से दूध उत्पादन और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं जैसे बछड़े के जन्म के अंतराल, खुले दिन और सूखे दिन के लिए पशुयूथ का प्रगतिशील आनुवंशिक सुधार।

(ii) विभिन्न गोपशुओं और भैंसों की नस्लों के बेहतर जर्मप्लाज्म का विकास और संरक्षण।

(iii) वीर्य उत्पादन के लिए विभिन्न प्रजनन एजेंसियों को उच्च आनुवंशिक गुणता (एचजीएम) सांड का उत्पादन और वितरण।

(iv) तकनीकी कर्मियों, विस्तार कार्यकर्ताओं और किसानों को वैज्ञानिक प्रजनन और फार्म प्रबंधन प्रथाओं का प्रदर्शन।

3.2.2.5 कार्य:

3.2.2.5.1 स्टॉक का प्रगतिशील आनुवंशिक सुधार:

वैज्ञानिक नस्ल सुधार कार्यक्रम के माध्यम से, परीक्षण किए गए संतति और आयातित वीर्य का उपयोग करके इन फार्मों में प्रगतिशील आनुवंशिक सुधार किया जा रहा है। पशुओं का चयन कम बछड़े के अंतराल, खुले दिनों और सूखे दिनों के लिए किया जाता है।

3.2.2.5.2 देशी नस्लों का विकास और संरक्षण

इन फार्मों पर लाल सिंधी और थारपारकर नस्ल की गायों और सुरती नस्ल की भैंसों जैसी देशी नस्लों का विकास और संरक्षण किया जा रहा है। इन नस्लों के एचजीएम सांडों को राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों के वीर्य स्टेशनों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। सीसीबीएफ चिपलिमा देश में राज्यों और अन्य एजेंसियों द्वारा लागू किए जा रहे प्रजनन कार्यक्रमों में उपयोग के लिए लाल सिंधी जर्मप्लाज्म का महत्वपूर्ण स्रोत है।

3.2.2.5.3 श्रेष्ठ सांड बछड़ों का उत्पादन और वितरण:

इन फार्मों पर वैज्ञानिक प्रजनन के माध्यम से रोग मुक्त उच्च आनुवंशिक गुणता वाले नर बछड़ों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें संतति परीक्षण किए गए सांडों के वीर्य और गोपशुओं की विदेशी नस्लों के मामले में आयातित वीर्य का उपयोग किया जाता है। उच्च आनुवंशिक गुणता वाले रोग मुक्त सांड वीर्य उत्पादन के लिए राज्यों और अन्य एजेंसियों को उपलब्ध कराए जाते हैं।

3.2.2.6 सीसीबीएफ, अलामादी:

केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (अवाडी), अलमाधी, चेन्नई में स्थित है, जिसकी स्थापना 1973 में दक्षिणी क्षेत्र में भैंस की मुर्रा नस्ल को बढ़ावा देने और क्षेत्र में मुर्रा नस्ल के एचजीएम सांड की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से की गई थी। यह फार्म 214.98 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। फार्म में मुर्रा भैंसें हैं और वर्तमान में पशुयूथ की संख्या 300 है। एनडीडीबी द्वारा आईवीएफ प्रयोगशाला सेंटर की स्थापना के लिए सिविल कार्य पूरा कर लिया गया है।

सीसीबीएफ, अलमाधी में मुर्रा नस्ल

सीसीबीएफ, अलमाधी में मुर्रा पशुयूथ

3.2.2.7 सीसीबीएफ, धामरोड़:

केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, धामरोड़ गुजरात के सूरत में स्थित है। इस फार्म की स्थापना 1968 में सुरती भैंस नस्ल के साथ की गई थी, जिसका उद्देश्य पूरे देश में प्रजनन और प्रजनन के उद्देश्य से बेहतर उच्च नस्ल वाले सुरती सांड बछड़ों का उत्पादन करना और इस देशी नस्ल का संरक्षण करना था। फार्म की क्षमता 328 पशुओं की है। इस फार्म को सुरती नस्ल की भैंस के संरक्षण फार्म के रूप में बनाए रखा जा रहा है क्योंकि देश में इस नस्ल की सीमित आबादी उपलब्ध है। कम उत्पादकता वाली सुरती नस्ल की गायों की जगह गिर नस्ल की गायों को लाने का निर्णय लिया गया है, जिनकी इस क्षेत्र में अधिक मांग है और जो बेहतर प्रदर्शन करती हैं। इस फार्म पर अत्याधुनिक आईवीएफ प्रयोगशाला और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है और उसे चालू कर दिया गया है। प्रयोगशाला में आईवीएफ का काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर किया गया है।

सीसीबीएफ, धामरोड़ में गिर नस्ल

सीसीबीएफ, धामरोड़ में सुरती नस्ल

3.2.2.8 सीसीबीएफ, अंदेशनगरः

केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, लखीमपुर–खीरी से लगभग 13 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के अंदेशनगर में स्थित है। इस फार्म की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी और इसमें मुर्रा नस्ल की भैंस और होलस्टीन फ्रीजियन एक्स थारपारकर के संकर हैं। अत्याधुनिक आईवीएफ प्रयोगशाला और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए सिविल कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।

सीसीबीएफ अंदेशनगर में मुर्रा बछड़े

सीसीबीएफ, अंदेशनगर में मुर्रा नस्ल

3.2.2.9 सीसीबीएफ, चिपलिमा:

केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा ओडिशा राज्य के संबलपुर जिले के बसंतपुर में स्थित है। इस फार्म की स्थापना 1968 में की गई थी और इसमें रेड सिंधी नस्ल की गायें और जर्सी एक्स रेड सिंधी की संकर नस्लें हैं। वर्ष 2024–25 के दौरान, फार्म ने 10 सांड बछड़े पैदा किए और 10 सांड बछड़े राज्यों को बेचे। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 728 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। अत्याधुनिक आईवीएफ प्रयोगशाला और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए सिविल कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।

सीसीबीएफ, चिपलिमा में दूध निकालने का कार्य

सीसीबीएफ, चिपलिमा में लाल सिंधी बछड़े और सांड

सीसीबीएफ चिपलिमा में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम

सीसीबीएफ, चिपलिमा में महिला एसएचजी समूह (पानी मित्र) का प्रशिक्षण

3.2.2.10 सीसीबीएफ, सुनाबेड़ाः

केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा ओडिशा राज्य के कोरापुट जिले के सुनाबेड़ा में स्थित है। इस फार्म की स्थापना 1972 में की गई थी और इसमें विदेशी जर्सी नस्ल के गोपशु हैं। वर्ष 2024—25 के दौरान, फार्म ने 17 सांड बछड़े पैदा किए और राज्यों को 14 सांड बछड़े बेचे। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 473 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। अत्याधुनिक आईवीएफ लैब और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए सिविल कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।

जर्सी नस्ल सीसीबीएफ, सुनाबेडा में

सीसीबीएफ, सुनाबेडा में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम

3.2.2.11सीसीबीएफ, हेसरघट्टाः

केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, हेसरघट्टा कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में स्थित है। इस फार्म की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी और इसमें विदेशी होलस्टीन फ़्रीज़ियन नस्ल के गोपशु रखे गए हैं।

दिनांक 01.04.2023 से यह फार्म अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ क्षमता निर्माण और उद्यमियों के प्रशिक्षण को विकसित करने के लिए पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र (सीईएएच) का हिस्सा बन गया है।

3.2.2.12सीसीबीएफ, सूरतगढ़ः

केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़ राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में स्थित है। इस फार्म की स्थापना 1967 में की गई थी और इसमें थारपारकर नस्ल के देशी गोपशु हैं। फार्म में 378 पशु हैं। वर्ष 2024–25 के दौरान, फार्म ने 45 सांड बछड़े पैदा किए और राज्यों को 21 सांड बछड़े बेचे। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 322 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। अत्याधुनिक आईवीएफ लैब और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए सिविल कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।

सीसीबीएफ, सूरतगढ़ में थारपारकर झुंड

सीसीबीएफ, सूरतगढ़ में आईवीएफ के माध्यम से उत्पादित बछिया

सीसीबीएफ, सूरतगढ़ में प्रशिक्षण कार्यकलाप

3.2.3 समग्र वास्तविक प्रगति

इन फार्मों ने वर्ष 2024–25 के दौरान 72 सांड बछड़े पैदा किए, 45 सांड बछड़े किसानों और राज्य प्रजनन फार्मों को बेचे और 1523 किसानों को डेयरी फार्म प्रबंधन में प्रशिक्षित किया। वर्ष 2024–25 के दौरान पैरामीटरवार वास्तविक प्रगति निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत की गई है:

क्रम सं.	पैरा मीटर की दूरी पर	चिपलिमा	सुनाबेडा	सूरतगढ	कुल
1	सांड बछड़ा उत्पादन	10	17	45	72
2	बेचे गए सांड बछडे	10	14	21	45
3	प्रशिक्षित किसानों की संख्या	728	473	322	1523

3.2.4 केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना (सीएचआरएस):

3.2.4.1 परिचय:

विभाग उच्च कोटि की गायों और भैंसों के पंजीकरण के लिए तथा उच्च कोटि की गायों और नर बछड़ों के पालन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय झुंड पंजीकरण योजना (सीएचआरएस) लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य प्रजनन पथ में देशी नस्लों के श्रेष्ठ जर्मप्लाज्म की पहचान और प्रसार करना है, तथा फील्ड परफॉरमेंस रिकॉर्डिंग के माध्यम से उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले बैलों के साथ चयनित गायों के प्रजनन की व्यवस्था करना है। यह योजना देशी नस्लों के विकास और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

3.2.4.2 योजना की संरचना:

इस योजना के अंतर्गत रोहतक, अहमदाबाद, अजमेर और ओंगोल में 4 सीएचआरएस इकाइयाँ हैं। फील्ड परफॉरमेंस रिकॉर्डिंग (एफपीआर) करने के लिए 95 दूध रिकॉर्डिंग केंद्र हैं। इस योजना में 9 राज्यों में 14 देशी नस्लों के गोपशुओं और भैंसों को शामिल किया गया है। डेटा को डेटाबेस पर अपलोड किया जाता है और 12 अंकों की पशु विशिष्ट पहचान (एयूआईडी) संख्या का उपयोग करके पशुओं की पहचान की जाती है। इस योजना के तहत पशु रिकॉर्डिंग पर अंतर्राष्ट्रीय समिति के दिशा–निर्देशों का पालन किया जाता है।

3.2.4.3 सीएचआर यूनिट रोहतक

इस इकाई की स्थापना 1963 में की गई थी। इस इकाई के पास क्षेत्र में दूध की रिकॉर्डिंग करने के लिए 33 रिकॉर्डिंग केंद्र हैं। इसमें शामिल देशी नस्लों में हरियाणा, साहीवाल, रेड सिंधी और गिर नस्ल की गायें और मुर्राह और नीली रावी नस्ल की भैंसें शामिल हैं। इस इकाई में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली जैसे राज्य शामिल हैं।

हरियाणा गोपशु

3.2.4.4 उपलब्धियां:

वर्ष 2024–25 के दौरान नस्ल विशेषताओं के अनुरूप 9682 श्रेष्ठ गायों और भैंसों को एफ.पी.आर. के अंतर्गत लाया गया। वर्ष 2024–25 के दौरान प्राप्त उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

प्राथमिक पंजीकरण	अंततः पंजीकृत पशु	प्रजनक जागरूकता/प्रचार शिविर	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
3376	2106	48	160

साहीवाल

टैग संख्या – 340145750517 दूध उपज – 4408/304

मुर्रा भैंस

टैग संख्या – 100905323205 दूध उपज – 4802/302

3.2.4.5 सीएचआर इकाई, अहमदाबाद

3.2.4.5.1 यह इकाई 1969 में स्थापित की गई थी। इस इकाई में क्षेत्र में दूध की रिकॉर्डिंग करने के लिए 42 रिकॉर्डिंग केंद्र हैं। इसमें शामिल देशी नस्लों में गिर, कंकरेज नस्ल के गोपशु और सुरती, जाफराबादी, मेहसानी, पंढरपुरी नस्ल की भैंसें शामिल हैं। इस इकाई में गुजरात और महाराष्ट्र राज्य शामिल हैं।

3.2.4.5.2 उपलब्धियां:

वर्ष 2024–25 के दौरान, नस्ल विशेषताओं के अनुरूप 5078 उत्कृष्ट गायों और भैंसों को एफपीआर के अंतर्गत लाया गया। वर्ष 2024–25 के दौरान हासिल की गई उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

प्राथमिक पंजीकरण	अंततः पंजीकृत पशु	प्रजनक जागरूकता/प्रचार शिविर	प्रशिक्षितों की संख्या
2129	1915	56	62

3.2.4.6 सीएचआर इकाई, अजमेर

3.2.4.6.1 इस इकाई की स्थापना 1979 में की गई थी। इस इकाई में क्षेत्र में दूध की रिकॉर्डिंग करने के लिए 10 रिकॉर्डिंग केंद्र हैं। इसमें शामिल देशी नस्लों में गिर, राठी, थारपारकर नस्ल की गायें और मुर्रा नस्ल की भैंसें शामिल हैं। इस इकाई द्वारा कवर किया जाने वाला राज्य राजस्थान है।

3.2.4.6.2 उपलब्धियाँः

वर्ष 2024–25 के दौरान, नस्ल विशेषताओं के अनुरूप 2452 बेहतरीन गायों और भैंसों को एफपीआर के तहत लाया गया। वर्ष 2024–25 के दौरान हासिल की गई उपलब्धियाँ इस प्रकार हैंः

प्राथमिक पंजीकरण	अंततः पंजीकृत पशु	प्रजनक जागरूकता/ प्रचार शिविर	प्रशिक्षितों की संख्या
702	651	34	91

गिर गाय

3.2.4.7 सीएचआर यूनिट, ओंगोलः

3.2.4.7.1 इस इकाई की स्थापना 1979 में की गई थी। इस इकाई में क्षेत्र में दूध की रिकॉर्डिंग करने के लिए 10 रिकॉर्डिंग केंद्र हैं। इसमें शामिल देशी नस्लों में ओंगोल नस्ल की गाय और मुर्रा नस्ल की भैंस शामिल हैं। इस इकाई द्वारा कवर किया जाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है।

3.2.4.7.2 उपलब्धियांः

वर्ष 2024–25 के दौरान, नस्ल विशेषताओं के अनुरूप 1920 बेहतरीन गायों और भैंसों को एफपीआर के तहत लाया गया। वर्ष 2024–25 के दौरान हासिल की गई उपलब्धियाँ इस प्रकार हैंः

प्राथमिक पंजीकरण	अंततः पंजीकृत पशु	प्रजनक जागरूकता/ प्रचार शिविर	प्रशिक्षितों की संख्या
946	931	54	70

मुर्रा भैंस

ओंगोल गोपशु

3.2.4.8 आनुवंशिक उन्नयन कार्यक्रमों में सीएचआरएस द्वारा निभाई गई भूमिकाः

3.2.4.8.1 वर्ष 2024–25 के दौरान 7156 गायों और भैंसों का प्राथमिक पंजीकरण किया गया, जिनमें से 5603 का अंतिम रूप से पंजीकरण किया गया; 192 प्रजनक जागरूकता/प्रचार शिविर आयोजित किए गए और राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए सर्वेक्षण और दूध रिकॉर्डिंग करने के लिए 347 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। योजना के तहत पहचाने गए श्रेष्ठ नर बछड़ों की सूची विभाग की वेबसाइट पर डाल दी गई है। राज्यों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे प्रजनन कार्यक्रमों में उपयोग के लिए उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले नर बछड़ों को राज्य द्वारा खरीदा गया है।

*****

अध्याय–4

डेयरी विकास

4.1 सिंहावलोकन

भारत में डेयरी क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में महत्र्ण वृद्धि हुई है। विवेकपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप, भारत दुनिया के दूध उत्पादक देशों में पहले स्थान पर है, इसने वर्ष 2023–24 के दौरान 239.30 मिलियन टन का वार्षिक उत्पादन हासिल किया, जबकि वर्ष 2022–23 के दौरान यह 230.58 मिलियन टन था, जो 3.78% की वृद्धि दर दर्शाता है।

एफएओ डेयरी मार्केट रिव्यू (वर्ष 2024) के अनुसार विश्व दूध उत्पादन वर्ष 2023 (अनुमान) में 966.6 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2024 (नवंबर) में 981.1 मिलियन टन हो जाएगा, जो 1.5% की वृद्धि है। इसके अलावा, मूल पशुपालन सांख्यिकी–2024 के अनुसार भारत का दूध उत्पादन वर्ष 2024–25 में 254.19 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.22% (अनुमानित) की वृद्धि है और जिसने विश्व औसत वृद्धि दर को पीछे छोड़ दिया है।

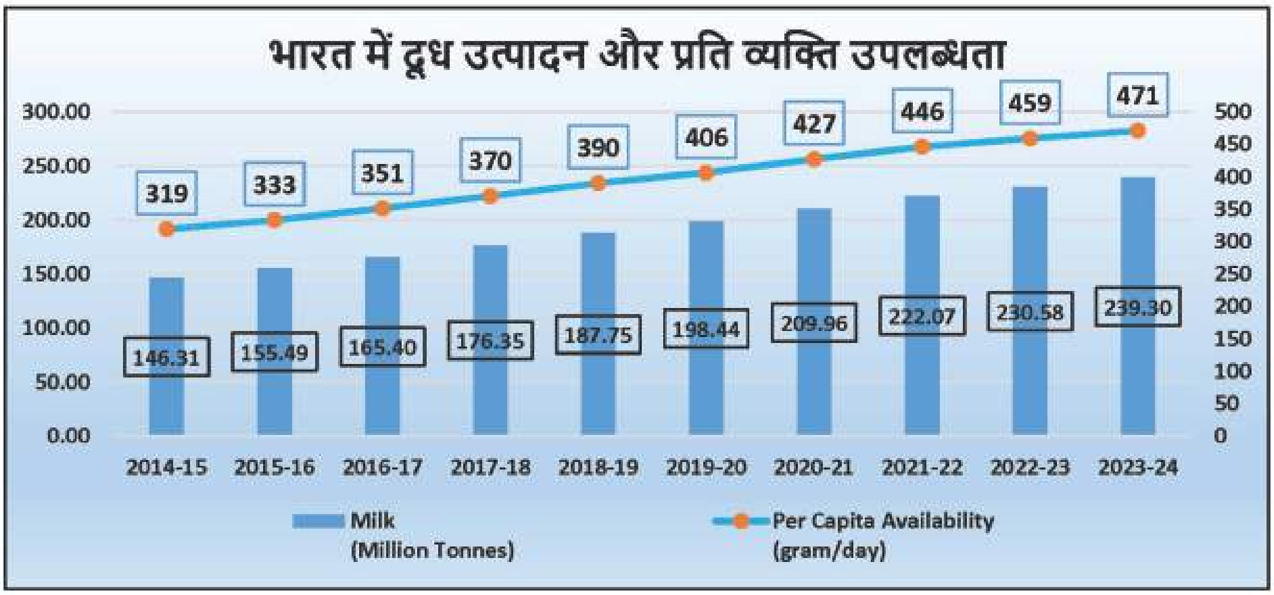

डेयरी, लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण द्वितीयक स्रोत बन गया है और इसने विशेष रूप से महिलाओं और सीमांत किसानों के लिए रोजगार और आय सृजन के अवसर प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2023–24 के दौरान दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 471 ग्राम प्रतिदिन के स्तर पर पहुँच गई है, जो वर्ष 2023 में लगभग 329 ग्राम प्रतिदिन (अनुमान) (फूड आउटलुक नवंबर 24) के विश्व औसत से अधिक है। देश में अधिकांश दूध का उत्पादन छोटे, सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों द्वारा किया जाता है।

4.1.1 डेयरी का आर्थिक महत्व

पशुधन उप–क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था और लाखों ग्रामीण परिवारों के सामाजिक–आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पशुधन ग्रामीण क्षेत्रों में भारवाही शक्ति का एक प्रमुख स्रोत है तथा दूध, मांस, अंडे, ऊन, खाल और चमड़े, खाद और ईंधन प्रदान करता है। यह भारत के कुल जीवीए का लगभग 5.50% (वर्तमान मूल्यों पर) और कृषि और संबद्ध क्षेत्र के जीवीए का 30.23% है। राष्ट्रीय जीवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान वर्ष 1999–20 के 25.17% के स्तर से गिरकर वर्ष 2022–23 में 18.19% (वर्तमान मूल्य पर) हो गया है। हालाँकि, इसी अवधि के दौरान कुल जीवीए में पशुधन क्षेत्र का योगदान 4.7% से बढ़कर 5.5% (वर्तमान मूल्य पर) हो गया।

4.1.2 दूध उत्पादन और आपूर्ति का हिस्सा

भारत में उत्पादित दूध का लगभग 37% या तो उत्पादक स्तर पर खपत कर लिया जाता है या ग्रामीण क्षेत्र में गैर–उत्पादकों को बेच दिया जाता है, शेष 63% दूध संगठित और असंगठित भागीदारों को बिक्री के लिए उपलब्ध है। संगठित क्षेत्र में सरकार, उत्पादकों के स्वामित्व वाली संस्थाएँ (दूध सहकारी समितियाँ और दूध उत्पादक संगठन) और निजी भागीदार शामिल हैं जो गांव स्तर पर पूरे साल दूध संग्रह की निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली प्रदान करते हैं। असंगठितध्अनौपचारिक क्षेत्र में स्थानीय दूधवाले, दूधिया, ठेकेदार आदि शामिल हैं। और वे ज्यादातर अवसरवादी पाए जाते हैं, क्योंकि उत्पादकों को दिए जाने वाले दूध के मूल्य में कोई एकरूपता नहीं है और यह स्थिति के आधार पर अलग–अलग होता है। इन असंगठित समूहों में दूध में मिलावट की संभावना अधिक होती

है। जिन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा अधिक है और औपचारिक क्षेत्र की उपस्थिति मजबूत है, वे आम तौर पर उच्च मूल्य देते हैं और साथ ही, वे उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नहीं देते हैं जहाँ संगठित क्षेत्र मौजूद नहीं है। वर्ष 2024 में डेयरी बाजार का कुल आकार लगभग 18.98 लाख करोड़ रुपये था और आईएमएआरसी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2033 तक लगभग 57.00 लाख करोड़ रुपये के बाजार आकार तक पहुँचने की उम्मीद है।

4.1.3 मांग

भारत में दूध की मांग के कारक हैं– जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि, बदलती खाद्य आदतें और जीवन–शैली और जनसांख्यिकीय वृद्धि के अनुरूप दूध की खपत बढ़ रही है। अपने विविध लाभों के साथ दूध देश की अधिकांश शाकाहारी आबादी के लिए पशु प्रोटीन का एकमात्र स्रोत है। इसके अलावा, उच्च प्रोटीन आहार में उपभोक्ता की बढ़ती रुचि और संगठित खुदरा श्रृंखला जैसे चौनलों के माध्यम से डेयरी उत्पादों की बढ़ती जागरूकता और उपलब्धता जैसे कारक भी इस वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं।.

देश में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में दूध का उपभोग करने वाली आबादी लगातार बढ़ रही है। एनएसएसओ के घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (HCES, 2022–23) के अनुसार, देश में ग्रामीण और शहरी आबादी के लगभग 93% और 95% लोगों ने क्रमशः दूध और दूध उत्पादों की खपत की जानकारी दी। उपरोक्त कारकों में वृद्धि यह दर्शाती है कि भविष्य में दूध और दूध उत्पादों की मांग में लगातार वृद्धि होगी।

4.1.4 संगठित क्षेत्र

4.1.4.1 सहकारी क्षेत्र

तीन स्तरीय संरचना

ग्राम सहकारी समितिः भारत में ग्राम सहकारी समितियों द्वारा अपनाई जाने वाली मुख्य पद्धति दूध उत्पादकों की आनंद मॉडल ग्राम डेयरी सहकारी समिति (डीसीएस) है। कोई भी उत्पादक शेयर खरीदकर और केवल समिति को दूध बेचने का वचन देकर डीसीएस का सदस्य बन सकता है। प्रत्येक डीसीएस में एक दूध संग्रह केंद्र होता है जहाँ सदस्य प्रतिदिन दूध लेते हैं। प्रत्येक सदस्य के दूध की गुणवत्ता की जाँच की जाती है और वसा और सॉलिड्स–नॉट फैट (एसएनएफ) के प्रतिशत के आधार पर भुगतान किया जाता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में, डीसीएस के मुनाफे का एक हिस्सा प्रत्येक सदस्य को डाले गए दूध की मात्रा के आधार पर संरक्षण बोनस का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाता है।

जिला संघः जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ का स्वामित्व डेयरी सहकारी समितियों के पास होता है। संघ सभी समितियों का दूध खरीदता है, फिर तरल दूध और उत्पादों को संसाधित करता है और उनका विपणन करता है। अधिकांश संघ डीसीएस और उनके सदस्यों को कई तरह की इनपुट और सेवाएँ भी प्रदान करते हैंः चारा, पशु चिकित्सा देखभाल, दूध उत्पादन और सहकारी समितियों के व्यवसाय की वृद्धि को बनाए रखने के लिए कृत्रिम गर्भाधान। संघ के कर्मचारी डीसीएस नेताओं और कर्मचारियों का सहायता करने के लिए प्रशिक्षण देते हैं और परामर्श सेवाएँ प्रदान करते हैं।

राज्य संघः सहकारी दूध उत्पादकों के संघ राज्य स्तर पर एक राज्य संघ बनाते हैं, जो सदस्य संघों के तरल दूध और उत्पादों के विपणन के लिए जिम्मेदार होता है। कुछ संघ आहार का निर्माण भी करते हैं और अन्य संघ कार्यकलापों का सहायता करते हैं।

4.1.4.2 वर्तमान स्थितिः सहकारी क्षेत्र में, 22 दूध संघ, 241 जिला सहकारी दूध संघ, 28 विपणन डेयरियाँ, 25 दूध उत्पादक संगठन हैं जो लगभग 2.35 लाख गाँवों को कवर करते हैं और 1.72 करोड़ डेयरी किसान सदस्य हैं।

4.1.4.3 दुग्ध उत्पादक संगठन

एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज (एनडीडीबी–डीएस), एनडीडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली गैर–लाभकारी सहायक कंपनी ने दूध उत्पादक संगठनों (एमपीओ) के निगमन और संचालन में सहायता की थी। एनडीडीबी–डीएस ने सफलतापूर्वक 22 एमपीओ स्थापित किए हैं। 22 एमपीओ में से छह को राष्ट्रीय डेयरी योजना (चरण ¹) के तहत सहायता दी गई थी। इन 22 एमपीओ में से पंद्रह में सभी महिला सदस्य हैं और उनके संबंधित बोर्ड में सभी उत्पादक निदेशक महिलाएं हैं। कुल मिलाकर, इन एमपीओ में लगभग 24,116 गांवों में फैले लगभग 10.05 लाख दूध उत्पादक हैं। इन उत्पादकों में से 73. 54 प्रतिशत महिलाएँ हैं और 65 प्रतिशत छोटे धारक दूध उत्पादक हैं। इन संगठनों के सदस्यों ने शेयर पूंजी के रूप में लगभग 233 करोड़ रुपये जुटाए। उन्होंने 2023–24 के दौरान प्रतिदिन लगभग 46.77 लाख किलोग्राम दूध खरीदा है और वर्ष के दौरान कुल मिलाकर लगभग 9119 करोड़ रुपये का सकल कारोबार हासिल किया है। एनडीएस द्वारा तकनीकी रूप से समर्थित एमपीओ में, किसान कार्यशालाओं, डेयरी फार्म प्रबंधन प्रशिक्षण जैसी क्षमता निर्माण कार्यकलापों के अलावा कृत्रिम गर्भाधान और राशन संतुलन कार्यक्रम जैसी उत्पादकता बढ़ाने वाली कार्यकलाप भी की गईं। एंटीबायोटिक मुक्त दूध को बढ़ावा देने के लिए, एनडीडीबी–डीएस ने इन एमपीओ में एथनो–पशु चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग शुरू किया है। वर्ष के दौरान, इन एमपीओ के परिचालन क्षेत्रों में 13.09 लाख से अधिक कृत्रिम गर्भाधान किए गए। इसके अतिरिक्त, विभिन्न एमपीओ के सदस्यों के बीच लगभग 1.23 लाख मीट्रिक टन पशु चारा और 894 मीट्रिक टन खनिज मिश्रण भी बेचा गया।

4.1.4.4 निजी डेयरी क्षेत्र

1991 के बाद, जब औद्योगिक लाइसेंसिंग में सुधार का युग शुरू हुआ, निजी क्षेत्र की कंपनियों ने दूध और दूध से बने उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए क्षमता निर्माण में प्रभावशाली वृद्धि की है। उन्होंने डेयरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किया

और ऐसी क्षमताएं बनाईं जो पिछले 20 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों और सरकारी डेयरियों की संयुक्त क्षमता से भी अधिक थी। इनमें से कुछ निजी कंपनी अब कुछ सहकारी डेयरियों से बहुत बड़े हैं और उनमें विकास की बहुत संभावना है। चूंकि निजी क्षेत्र अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से पूरी तरह से वाणिज्यिक आधार पर काम करता है, इसलिए किसानों के विकास के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी काफी हद तक प्रभावित होती है। निजी भागीदार विक्रेताओं के माध्यम से दूध खरीदना पसंद करते हैं, जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना प्रभावित होता है। हालांकि, निजी क्षेत्र में वृद्धि से बड़ी संख्या में किसानों को बाजार तक पहुंच मिलती है। एफएसएसएआई लाइसेंस (मार्च 2024 तक) के अनुसार निजी डेयरियों (दूध प्रसंस्करण इकाइयों) की कुल संख्या 1164 एलएलपीडी है।

4.2 डेयरी प्रभाग की भूमिका

- दूध और दूध उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए अवसंरचना में सुधार के माध्यम से पशुधन उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि और संगठित डेयरी क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि।
- देश में डेयरी विकास के लिए नीतिगत रूपरेखा, कार्य योजना और योजनाओं का निर्माण
- संबंधित मंत्रालयों, केंद्रीय संस्थानों, तकनीकी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों आदि के साथ डेयरी विकास नीति रूपरेखा के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी परामर्श और समन्वय।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियों के साथ समन्वय सहित विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार एजेंसियों के माध्यम से केंद्र सरकार की डेयरी विकास योजनाओं का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन, अनुमोदन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन।
- विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक निकायों के साथ दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता और डेयरी मशीनरी के विनिर्देशों और मानकों पर मानकों और प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए तकनीकी और वैज्ञानिक कार्य।
- पशुधन आयात अधिनियम 1998 और एस.पी.एस. उपायों के तहत स्वच्छता आयात परमिट जारी करने के लिए दूध और दूध उत्पादों के आयात के लिए प्राप्त आवेदनों (वैज्ञानिक और तकनीकी) की जांच सहित दूध और दूध उत्पादों से संबंधित व्यापार नीति।
- उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति बनाए रखने और संगठित डेयरी क्षेत्र के माध्यम से दूध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत निर्णयों सहित देश में दूध की स्थिति की निगरानी।
- क्षेत्र में उपयुक्त नीति हस्तक्षेप के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी डेटाबेस का विकास और रखरखाव।

4.3 दूध परिदृश्य

4.3.1 घरेलूः

दिसंबर 2023 की तुलना में दिसंबर 2024 के महीने के दौरान औसत दूध खरीद लगभग 3.5% ज्यादा थी और दूध की बिक्री लगभग 1.6% अधिक थी। दिसंबर 2023 की तुलना में दिसंबर 2024 के दौरान, सहकारी क्षेत्र में स्किम्ड मिल्क पाउडर (एसएमपी) का स्टॉक लगभग 32% अधिक है और सफेद मक्खन का स्टॉक लगभग 16% बढ़ा है।

4.3.2 पिछले दो वर्षों के दौरान डेयरी विकास क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियाँ

भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है और विश्व के कुल दूध उत्पादन में इसका योगदान 24% है। पिछले दो वर्षों के दौरान डेयरी की प्रगति इस प्रकार हैः

मानक	वर्ष (2021-22)	वर्ष (2022-23)	वर्ष (2023-24)	% वृद्धि
भारत का दूध उत्पादन (एमएमटी) (संचयी वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर))	222.07	230.58	239.30	3.78
विश्व दूध उत्पादन (एमएमटी)*	951.6 (2022)	966.6 (2023)	981.1 (2024)	1.5
(संचयी वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर))	446	459	471	2.61

स्रोत– फूड आउटलुक नवंबर 2024

- वर्ष 2024 में विश्व में प्रति व्यक्ति दूध की औसत उपलब्धता लगभग 329 ग्राम प्रतिदिन थी, जबकि भारत में वर्ष 2023–24 में यह 471 ग्राम प्रतिदिन थी, जो कि 43% अधिक है।

4.3.3 वर्ष 2024–25 के दौरान दूध की स्थिति:

देश के प्रमुख दूध उत्पादक राज्यों में अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 की अवधि के दौरान दूध की स्थिति निम्नानुसार है:

1. दूध की खरीद औसतन 533.04 किलोग्राम प्रति दिन (एलकेजीपीडी) की गई और औसतन 442.05 लाख लीटर प्रति दिन (एलएलपीडी) की बिक्री की गई।
2. देश की प्रमुख दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा 6% वसा और 9% एसएनएफ वाले दूध के लिए औसतन 45.80 रुपये प्रति किलोग्राम दूध खरीद मूल्य का भुगतान किया गया। औसत बिक्री मूल्य 61.73 रुपये प्रति लीटर था।
3. निर्यात और आयात का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

वस्तु (एचएस कोड)	मात्रा (मीट्रिक टन में)			
	वर्ष 2021–22	वर्ष 2022–23	वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25 नवंबर 2024
निर्यात				
दूध और क्रीम (0401)	12,143.09	15,295.49	16,515.02	13,671.97
दूध पाउडर (0402)	49,653.89	18,737.77	6,952.95	5,641.81
किण्वित और अम्लीकृत दूध उत्पाद (0403)	1,503.22	1,574.18	2,501.17	1,970.40
व्हे और व्हे उत्पाद (0404)	165.67	350.64	336.16	230.56
मक्खन/घी/मक्खन तेल (0405)	37,682.94	22,903.22	27,837.30	37,092.34
पनीर और दही (0406)	7,623.67	9,320.94	9,590.78	6,255.03
कैसीन, कैसिनेट्स और अन्य कैसिइन व्युत्पन्न; कैसिइन ग्लू (3501)	8,768.48	8,843.53	2,044.34	1,921.57
कुल	**117,540.96**	**76,434.67**	**65,777.72**	**66,783.68**
आयात				
दूध और क्रीम (0401)	312.57	408.12	758.58	677.26
दूध पाउडर (0402)	277.6	604.12	988.76	266.75
किण्वित और अम्लीकृत दूध उत्पाद (0403)	12.82	57.51	1,000.47	101.99
व्हे और व्हे उत्पाद (0404)	9612.69	10808.35	23041.22	15,937.30
मक्खन/घी/मक्खन तेल (0405)	130.84	275.85	252.5	262.84
पनीर और दही (0406)	1527.01	1821.87	2,250.73	1,417.51
कैसीन, कैसिनेट और अन्य कैसिइन व्युत्पन्न; कैसिइन गोंद (3501)	2039.12	1007.54	2517.47	1945.88
कुल	**13,912.65**	**14,983.36**	**30,809.73**	**20609.53**

4.4 डेयरी विकास योजना

विभाग केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं जैसे राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) तथा डेयरी सहकारी और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता प्रदान करने का कार्यान्वयन कर रहा है।

4.4.1 राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम

विभाग फरवरी 2014 से पूरे देश में "राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)" को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) अर्थात राज्य सहकारी डेयरी संघ के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण दूध के उत्पादन, दूध और दूध उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण/सुदृढ़ीकरण करना है।

जुलाई 2021 में इस योजना का पुनर्गठन/पुनर्संरेखण किया गया है। पुनर्संरेखित एनपीडीडी योजना 2021–22 से 2025–26 तक 1790 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ लागू की जाएगी। पुनर्संरेखित योजना के दो घटक होंगे:

घटक 'क' का उद्देश्य राज्य सहकारी डेयरी संघों/जिला सहकारी दूध उत्पादक संघों/एसएचजी द्वारा संचालित निजी डेयरी/दूध उत्पादक कंपनियों/किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरणों के साथ–साथ प्राथमिक प्रशीतन सुविधाओं के लिए अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है। यह योजना वर्ष 2021–22 से वर्ष 2025–26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए पूरे देश में लागू की जाएगी।

उद्देश्य

क) किसान को उपभोक्ता से जोड़ने वाली कोल्ड चेन अवसंरचना सहित गुणवत्तापूर्ण दूध के लिए अवसंरचना का निर्माण और सुदृढ़ीकरण करना'

ख) स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए डेयरी किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना'

ग) गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ दूध उत्पादन के बारे में जागरूकता पैदा करना'

घ) गुणवत्तापूर्ण दूध और दूध उत्पादों पर अनुसंधान और विकास का सहायता करना

निधियन पैटर्न

क) भारत सरकार और राज्यध्राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए)/अंतिम कार्यान्वयन एजेंसी (ईआईए) के बीच 60:40 लागत साझाकरण आधार

ख) उत्तर पूर्व राज्यों और पर्वतीय राज्यों के लिए भारत सरकार और राज्य/एसआईए/ईआईए के बीच 90:10 लागत साझाकरण आधार।

ग) संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्रीय सहायता 100% होगी।

घ) अनुसंधान एवं विकास, आईसीटी नेटवर्किंग, प्रशिक्षण, जागरूकता और योजना एवं निगरानी के लिए निधियन सहायता के संबंध में सहायता 100% होगी।

निधियन किए जाने वाले कार्यकलाप घटक

प्राथमिक स्तर पर दूध ठंडा करने की सुविधाएं (बीएमसी सहित), दूध परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, प्रमाणन और मान्यता, सूचना और संचार तकनीक नेटवर्किंग, प्रशिक्षण और किसान जागरूकता कार्यक्रम, योजना और निगरानी तथा अनुसंधान और विकास

एनपीडीडी के तहत उपलब्धियां

28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्र में 218 परियोजनाओं को वर्ष 2014–15 से वर्ष 2024–25 (31.12.2024) तक कुल 3594.29 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा 2661.30 करोड़ रुपये) की लागत से मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कुल 2107.21 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें से 1783. 80 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है और दिनांक 31. 12.2024 तक 248.98 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए हैं। दिसंबर 2024 तक राज्यवार वित्तीय प्रगति **अनुबंध VII** में दी गई है।

एनपीडीडी के अंतर्गत वास्तविक प्रगति

- 19,211 डेयरी सहकारी समितियों का गठन/पुनर्जीवित किया गया, 18.29 लाख नए किसानों को डेयरी सहकारी समितियों की सदस्यता का लाभ दिया गया तथा परियोजनाओं के तहत 97.21 लाख लीटर अतिरिक्त दूध की खरीद की गई।
- 28.18 लाख लीटर प्रतिदिन नई दूध प्रसंस्करण क्षमता स्थापित की गई।
- 122.88 लाख लीटर प्रशीतन क्षमता वाले 5110 बल्क मिल्क कूलर स्थापित किए गए, ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों में 38040 स्वचालित दूध संग्रह इकाई तथा डाटा प्रोसेसिंग एवं दूध संग्रह इकाई स्थापित की गई।
- दूध में मिलावट की जांच के लिए 6266 इलेक्ट्रॉनिक दूध मिलावट परीक्षण उपकरण तथा 559 ब्यूटाइरो रिफ्रैक्टोमीटर स्थापित किए गए।
- 16 राज्यों में लगभग 17 राज्य स्तरीय प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं।
- राज्यवार वास्तविक प्रगति, लक्ष्य तथा उपलब्धियां **अनुबंध–VIII** में दी गई हैं।

तमिलनाडु– एनपीडीडी योजना के तहत प्रयोगशाला सुदृढ़ीकरण और प्रशिक्षण

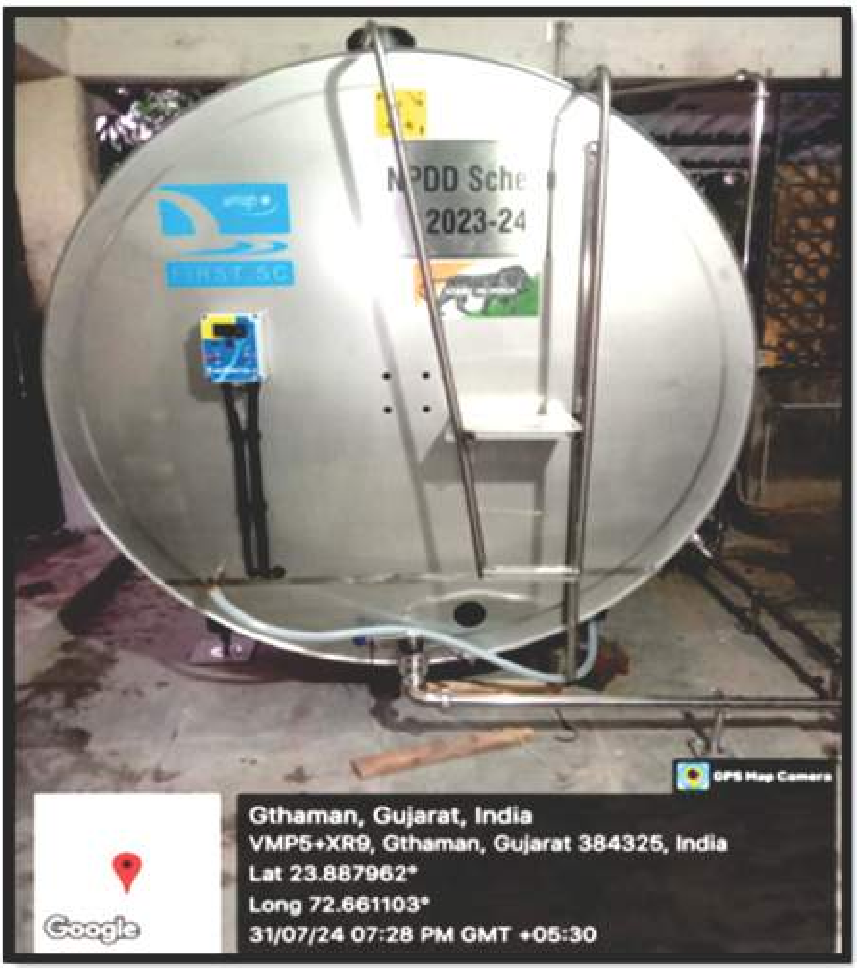

गुजरात– एनपीडीडी योजना के तहत स्वचालित दूध संग्रहण इकाई और बल्क मिल्क कूलर में दूध डालना

फरीदकोट, पंजाब– एनपीडीडी योजना के तहत स्वचालित दूध संग्रहण इकाई और बल्क मिल्क कूलर में दूध डालना

बडगाम, कश्मीर– एनपीडीडी योजना के तहत डेयरी सहकारी समिति में स्वचालित दूध संग्रह इकाई

जम्मू और कश्मीर– एनपीडीडी योजना के तहत जम्मू के सतवारी में नया यूएचटी दूध संयंत्र

जम्मू और कश्मीर– एनपीडीडी योजना के तहत श्रीनगर के चश्माशाही में दूध प्रसंस्करण संयंत्र का विस्तार

एनपीडीडी योजना के अंतर्गत मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स के तुरा में नई दूध प्रसंस्करण इकाई

एनपीडीडी योजना के अंतर्गत रिभोई, मेघालय में नई दूध प्रसंस्करण इकाई

घटक ख– सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी

उद्देश्य "संगठित बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाकर, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को उन्नत करके और उत्पादकों के स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करके दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करना, जिससे परियोजना क्षेत्र में दूध उत्पादकों को मिलने वाले लाभ में वृद्धि करने में योगदान दिया जा सके"।

निधियन स्रोत

स्रोत	निधि राशि (करोड़ रुपये में)
कुल परियोजना लागत	1568.28
ईएफसी द्वारा अनुमोदित केंद्रीय हिस्सा	475.54 (30.3%)
जेआईसीए ऋण	924.56 (59.0%)
अंतिम कार्यान्वयन एजेंसी योगदान	168.18 (10.7%)

कार्यान्वयन एजेंसी– राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी)

पात्र राज्य– यह योजना उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है और इसे अतिरिक्त सात राज्यों, अर्थात् मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और पंजाब तक विस्तारित किया गया है। उत्तराखंड राज्य को जेआईसीए की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद अनुदान सहायता के साथ चारा पायलट परियोजना के लिए शामिल किया गया है।

पात्र सहभागी संस्थाएँ– दुग्ध संघ/दुग्ध उत्पादक कंपनियाँ/राज्य दुग्ध संघ/बहु–राज्य दुग्ध सहकारी समितियाँ

घटक– दूध खरीद अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना, प्रसंस्करण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना, विपणन अवसंरचना के लिए सहायता, आईसीटी के लिए सहायता, उत्पादकता वृद्धि–पोषण हस्तक्षेप के माध्यम से, परियोजना प्रबंधन और शिक्षण एवं प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

परियोजना आउटपुट:

परियोजना से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होंगे:

I. 4470 गांवों में नई/ग्राम स्तरीय संस्थाओं की स्थापना।

II. लगभग 1.5 लाख अतिरिक्त दूध उत्पादकों (जिनमें 50% महिला दूध उत्पादक होंगी) को दूध उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदिन लगभग 14.20 लाख किलोग्राम दूध की खरीद में वृद्धि होगी।

III. 4694 एएमसीयू की स्थापना तथा दूध संग्रहण एवं स्थानांतरण के लिए 104 दूध टैंकरों को शामिल करना, ताकि कार्यक्रम के अंत में 8 एलएलपीडी दूध स्थानांतरित किया जा सके।

IV. गांव स्तर पर 8.96 एलएलपीडी की अतिरिक्त प्रशीतन क्षमता का सृजन, लगभग 7 एलएलपीडी (प्रतिदिन एक लाख लीटर) की प्रसंस्करण क्षमता, 190 एमटीपीडी मूल्य संवर्धित उत्पाद (वीएपी) विनिर्माण क्षमता।

V. कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत डीप फ्रीजर और विजी कूलर के साथ 3000 मिल्क पार्लर, 198 वॉक–इन–कोल्ड स्टोरेज और 5 केएल क्षमता के 96 इंसुलेटेड वैन की स्थापना करके POI के मार्केटिंग कोल्ड चेन अवसंरचना को मजबूत करना।

VI. 3000 गांवों में चारा विकास और पशु पोषण सलाहकार सेवाएं।

VII. 724 एमटीपीडी की आहार और आहार सप्लीमेंट विनिर्माण क्षमता का निर्माण।

उपलब्धि:

वित्तीय: एनपीडीडी योजना के घटक ख के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं, आवंटित और जारी निधि का राज्यवार विवरण (दिनांक 24.11.2024 तक)

राज्य	परियोजनाओं की संख्या	करोड़ रु. में					
		संस्वीकृत परियोजनाओं का विवरण				जारी निधि	
		कुल	ऋण	अनुदान	पी आई हिस्सा	ऋण	अनुदान
आंध्र प्रदेश	2	193.85	107.76	80.25	5.84	12.83	18.87
बिहार	12	117.21	55.01	53.05	9.15	3.87	8.14
मध्य प्रदेश	1	76.50	50.00	0.00	26.50	29.53	0.00
पंजाब	2	371.18	286.37	54.52	30.29	30.37	25.83

राज्य	परियोजनाओं की संख्या	करोड़ रु. में					
		संस्वीकृत परियोजनाओं का विवरण				जारी निधि	
		कुल	ऋण	अनुदान	पी आई हिस्सा	ऋण	अनुदान
राजस्थान	6	293.37	192.30	81.22	19.84	27.82	26.95
तेलंगाना	1	90.71	71.53	12.46	6.72	29.12	3.60
उत्तर प्रदेश	8	124.98	29.90	89.30	5.78	19.66	55.94
उत्तराखंड	1	6.39	0.00	5.76	0.63	0.00	2.16
पश्चिम बंगाल	2	68.83	48.69	11.98	8.16	0.00	0.00
कुल	**35**	**1343.00**	**841.55**	**388.54**	**112.92**	**153.19**	**141.50**
पीआई–भाग लेने वाली संस्थाएं							

वास्तविक : एनपीडीडी योजना के घटक ख के अंतर्गत स्वीकृत कार्यकलापों का राज्यवार विवरण (24.11.2024 तक)

राज्य	परियोजनाओं की संख्या	दुग्ध संग्रहण केंद्र		प्रसंस्करण अवसंरचना	
		नई डीसी (सं.)	बीएमसी (सं.)	दुग्ध प्रसंस्करण (लाख लीटर /दिन	मूल्य वर्धित उत्पाद (एमटीपीडी)
आंध्र प्रदेश	2	2450	68	0	0
बिहार	12	1180	15	0	50
मध्य प्रदेश	1	0	0	0	30
पंजाब	2	1075	18	5	64
राजस्थान	6	1723	125	0	0
तेलंगाना	1	120	0	0	150
उत्तर प्रदेश	8	2565	32	0	0
उत्तराखंड	1	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	2	300	3	0.5	0
कुल योग	**35**	**9413**	**261**	**5.5**	**294**
उपलब्धि		**2667**	**21**	**0**	**30**
एमटीपीडी–मीट्रिक टन प्रतिदिन					

गोंडा दुग्ध संघ, उत्तर प्रदेश में एनपीडीडी घटक ख के अंतर्गत साइलेज प्रदर्शन

अयोध्या दुग्ध संघ में चारा कटर वितरण

इंदौर मिल्क यूनियन, मध्य प्रदेश में मिल्क पाउडर प्लांट (30 मीट्रिक टन) की क्षमता सृजित की गई

बरेली दुग्ध संघ, उत्तर प्रदेश में दूध संग्रहण

बापूधाम मिल्क यूनियन में राशन संतुलन प्रदर्शन

जयपुर मिल्क यूनियन, राजस्थान में महिला सदस्यों को राशन संतुलन का प्रदर्शन

करीमनगर एमपीसी में 1.5 लाख लीटर क्षमता का दही संयंत्र

करीमनगर एमपीसी में 1.5 लाख लीटर क्षमता का दही प्लांट (प्लांट के अंदर का दृश्य)

4.4.2 पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएच आईडीएफ)

डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआई डीएफ) को मुख्य रूप से डेयरी सहकारी समितियों/संघों के लिए दूध प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और शीतलन सुविधाओं को बनाने/सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 01.02.2024 को हुई अपनी बैठक में एएचआईडीएफ और डीआईडीएफ को समाहित कर दिया है।

पूर्ववर्ती डीआईडीएफ परियोजनाओं की उपलब्धि: डीआईडीएफ के तहत 6776.87 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 37 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। 4575.22 करोड़ रुपये के स्वीकृत ऋण में से दिनांक 31.12.2024 तक 3554.67 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है।

4.4.3 डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एसडीसी एफपीओ) को सहायता:

संक्षिप्त विवरण:

यह योजना वर्ष 2017–18 के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

i) डेयरी कार्यकलापों में लगी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को गंभीर रूप से प्रतिकूल बाजार स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिए आसान कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करके सहायता प्रदान करना।

ii) डेयरी किसानों को स्थिर बाजार पहुंच प्रदान करना।

iii) डेयरी कार्यकलापों में लगी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को किसानों को बकाया राशि का समय पर भुगतान जारी रखने में सक्षम बनाना।

iv) डेयरी कार्यकलापयों में लगी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को किसानों से लाभकारी मूल्य पर दूध खरीदने में सक्षम बनाना, यहां तक कि फ्लश सीजन के दौरान भी।

अस्थायी रूप से, घटक 'क' अर्थात् 'कार्यशील पूंजी ऋण' को वर्ष 2020–21 से निलंबित रखा गया है।

डेयरी क्षेत्र पर कोविड–19 के आर्थिक प्रभाव के कारण, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने वर्ष 2020–21 के लिए 203 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ घटक "ख" के रूप में एक नया घटक "डेयरी क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज सबवेंशन" शुरू किया है। इस प्रकार योजना का वास्तविक कार्यान्वयन वर्ष 2020–21 के दौरान शुरू हुआ।

वित्तीय सहायता का स्वरूप: योजना के घटक ष्खष के अंतर्गत उत्पादक स्वामित्व वाले संस्थानों (पीओआई) को कार्यशील पूंजी ऋण पर 2% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सबवेंशन प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, शीघ्र और समय पर चुकौती के लिए, ऋण चुकौती/ब्याज सेवा अवधि के अंत में अतिरिक्त 2% प्रति वर्ष ब्याज सबवेंशन देय है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021–22 से वर्ष 2025–26 तक 500 करोड़ रुपये अर्थात हर साल 100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अम्ब्रेला योजना "अवसंरचना विकास निधि" के एक हिस्से के रूप में डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एसडीसीएफपीओ) को सहायता देने वाली केंद्रीय क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, दिनांक 01.02.2024 के मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, यह मंजूरी दे दी गई है कि एसडीसीएफपीओ का कार्यान्वयन स्वीकृत परिव्यय (यानी वर्ष 2021–22 से वर्ष 2025–26 तक 500 करोड़ रुपये) के भीतर अवसंरचना विकास निधि (आईडीएफ) के एक घटक के रूप में जारी रहेगा।

एसडीसीएफपीओ के अंतर्गत संचयी उपलब्धि:

- दिनांक 31.12.2024 तक, एनडीडीबी ने देश भर में 64 दूध संघों के लिए 67,472.18 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी ऋण राशि के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से 773.31 करोड़ रुपये की ब्याज सबवेंशन राशि की मंजूरी दी है और 613.61 करोड़ रुपये जारी किए हैं (नियमित ब्याज सबवेंशन के रूप में 317.81 करोड़ रुपये और अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन राशि के रूप में 295.80 करोड़ रुपये)।

वर्षवार प्रगति/उपलब्धि (31.12.2024 तक):

- एनडीडीबी ने देश भर के 55 दूध संघों के लिए 10588.64 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी ऋण राशि के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से 151.02 करोड़ रुपये की ब्याज सबवेंशन राशि को मंजूरी दी है और वर्ष 2020–21 के लिए 156.69 करोड़ रुपये (नियमित ब्याज सबवेंशन के रूप में 78.96 करोड़ रुपये और अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन राशि के रूप में 77.73 करोड़ रुपये) जारी किए हैं।
- वर्ष 2021–22 के लिए, एनडीडीबी ने 60 दूध संघों के लिए 14117.85 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी ऋण राशि के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से 210.08 करोड़ रुपये की ब्याज सबवेंशन राशि की मंजूरी दी है और 201.13 करोड़ रुपये (नियमित ब्याज सबवेंशन के रूप में 101.26 करोड़ रुपये और अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन राशि के रूप में 99.87 करोड़ रुपये) जारी किए हैं।
- वर्ष 2022–23 के लिए, एनडीडीबी ने 64 दूध संघों/महासंघों के लिए 15144.02 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी ऋण राशि के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से 169.05 करोड़ रुपये की ब्याज सबवेंशन राशि की मंजूरी दी है और 136.62 करोड़ रुपये (नियमित ब्याज सबवेंशन के रूप में 70.67 करोड़ रुपये और अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन राशि के रूप में 65.95 करोड़ रुपये) जारी किए हैं।

- वर्ष 2023–24 के लिए, एनडीडीबी ने 57 दूध संघों/महासंघों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से 21015.17 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी ऋण राशि के लिए 168.66 करोड़ रुपये की ब्याज सबवेंशन राशि की मंजूरी दी है और 118.95 करोड़ रुपये (नियमित ब्याज सबवेंशन के रूप में 66.70 करोड़ रुपये और अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन राशि के रूप में 52.25 करोड़ रुपये) जारी किए हैं।
- वर्ष 2024–25 के लिए, एनडीडीबी ने 16 दूध संघों/महासंघों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से 6606.50 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी ऋण राशि के लिए 74.50 करोड़ रुपये की ब्याज सबवेंशन राशि की संस्वीकृति दी है और 0.22 करोड़ निधिया जारी की गई है।

*****

अध्याय-5

पशुपालन

5.1 राष्ट्रीय पशुधन मिशन

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) वर्ष 2014–15 में आरंभ किया गया जिसका उद्देश्य डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्र में प्राप्त सफलता का अनुकरण करते हुए सभी प्रजातियों और क्षेत्रों का विकास करते हुए पशुधन सेक्टर का सतत और निरंतर विकास को सुनिश्चित करना है। इस मिशन को पशुधन क्षेत्र के सतत विकास के उद्देश्य से तैयार किया गया था, जिसमें गुणवत्तापूर्ण आहार और चारे की उपलब्धता में सुधार, जोखिम कवरेज, प्रभावी विस्तार, ऋण के बेहतर प्रवाह और पशुधन किसानों/पशुपालकों आदि के संगठन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्यमिता सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन को वर्ष 2021–22 से पांच वर्षों के लिए 2300 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ संशोधित और पुनर्संरेखित किया गया। पुनर्संरेखित योजना को दिनांक 14.07.2021 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस योजना में रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि और इस प्रकार अम्ब्रेला योजना विकास कार्यक्रमों के तहत मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अतिरिक्त उत्पादन घरेलू मांगों को पूरा करने के बाद निर्यात आय में मदद करेगा। एनएलएम योजना की अवधारणा असंगठित क्षेत्र में उपलब्ध उपज के लिए आगे और पीछे की कड़ी बनाने और संगठित क्षेत्र से जोड़ने के लिए उद्यमी विकसित करना है। इस योजना को 21 फरवरी, 2024 को और संशोधित किया गया, जिसमें बंजर भूमि/अवक्रमित वन भूमि से चारा उत्पादन के साथ–साथ ऊंट, घोड़े और गधे की नस्ल–उन्नयन को शामिल किया गया।

इस योजना का कार्यान्वयन निम्नलिखित तीन उप–मिशनों के साथ किया गया है:

(i) पशुधन और पोल्ट्री नस्ल विकास संबंधी उप–मिशन

(ii) आहार और चारा विकास संबंधी उप–मिशन

(iii) विस्तार और नवाचार संबंधी उप–मिशन

5.1.1 पशुधन और पोल्ट्री नस्ल विकास संबंधी उप–मिशन

इस उप–मिशन में व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), किसान सहकारी संगठनों (एफसीओ), संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), धारा 8 कंपनियों जैसी पात्र संस्थाओं को उद्यमिता विकास के लिए और नस्ल सुधार बुनियादी ढांचे के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन प्रदान करके मुर्गी पालन, भेड़, बकरी और सूअर पालन में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार पर तीव्र ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव है।

5.1.1.1 ग्रामीण पोल्ट्री की नस्ल विकास के लिए उद्यमियों की स्थापना

इस घटक के अंतर्गत केंद्र सरकार हैचरी और ब्रूडिंग इकाई के साथ न्यूनतम 1000 मादा पक्षियों और 100 नर पक्षियों वाले ग्रामीण पोल्ट्री पक्षी पैरेंट लेयर फार्म की स्थापना के लिए 25 लाख रुपये तक की 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति, एफपीओ, एफसीओ, जेएलजी, एसएचजी और धारा 8 कंपनियां आवेदन कर सकती हैं।

इस योजना में आवेदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के सहयोग से www.nlm.udyamimitra.in नामक एक समर्पित डिजिटल पोर्टल भी बनाया गया है। यह पोर्टल आवेदकों को संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करने और ऋण देने वाली संस्थाओं को चुनने सहित आवेदन प्रक्रिया पूरा करने में सक्षम बनाता है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में पशुपालन और डेयरी विभाग ने ग्रामीण पोल्ट्री प्रजनन फार्मों की स्थापना के लिए 183 उद्यमिता प्रस्तावों को अनुमोदन दिया। इन प्रस्तावों की कुल परियोजना लागत 9871.27 लाख रुपये है, जिसमें 4392.54 लाख रुपये की अनुमोदित सब्सिडी शामिल है।

चित्र 1

चित्र 2

चित्र 1 और 2: ग्रामीण पोल्ट्री नस्ल फार्म के तहत उद्यमिता विकास के एक भाग के रूप में, मध्य प्रदेश में 1100 पशुयूथ आकार का एक ग्रामीण पोल्ट्री फार्म स्थापित किया गया है।

5.1.1.2 जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के पशु क्षेत्र (भेड़ एवं बकरी पालन) में नस्ल विकास हेतु उद्यमी की स्थापना

इस घटक के अंतर्गत, केंद्र सरकार भेड़ या बकरी प्रजनन फार्म की स्थापना के लिए 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है। आवेदक 100+5 इकाई के गुणकों में आवेदन कर सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 500 मादा पशु और 25 नर पशु है। पात्र सब्सिडी की सीमा योजना के आकार के अनुपात में 10 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक होती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति, एफपीओ, एफसीओ, जेएलजी, एसएचजी और धारा 8 कंपनियां ऑनलाइन पोर्टल www.nlm.udyamimitra.in के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।

वित्तीय वर्ष 2024—25 में पशुपालन और डेयरी विभाग ने भेड़/बकरी प्रजनन फार्मों की स्थापना के लिए 3010 उद्यमिता प्रस्तावों को अनुमोदन दिया। इन प्रस्तावों की कुल परियोजना लागत 218252.16 लाख रुपये है, जिसमें 100586. 60 लाख रुपये की अनुमोदित सब्सिडी शामिल है।

चित्र 3

चित्र 4

चित्र 3 और 4: जुगाली करने वाले छोटे पशुओं वाले क्षेत्र में नस्ल विकास के अंतर्गत उद्यमिता विकास के भाग के रूप में, आंध्र प्रदेश में 525 स्टॉक आकार का एक भेड़ फार्म स्थापित किया गया है।

5.1.1.3 भेड़ और बकरी की नस्लों का आनुवंशिक सुधार

उद्देश्य: कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से श्रेष्ठ नर जर्मप्लाज्म के प्रसार द्वारा चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से भेड़/बकरी की नस्लों में आनुवंशिक सुधार करना

भेड़ और बकरी की नस्लों के आनुवंशिक सुधार के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप हैं:–

5.1.1.3.1 भेड़ और बकरी के लिए क्षेत्रीय वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला और वीर्य बैंक की स्थापना:

इस घटक के अंतर्गत, केन्द्र सरकार क्षेत्रीय स्तर पर रणनीतिक स्थान पर बकरी के लिए हिमित वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला तथा भेड़ के लिए तरल वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करती है, ताकि उक्त क्षेत्र के निकटवर्ती राज्यों को उत्कृष्ट पशुओं का वीर्य उपलब्ध कराया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में पूर्वी क्षेत्र में क्षेत्रीय बकरी वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को 111.00 लाख रुपये जारी किए गए।

5.1.1.3.2 राज्य वीर्य बैंक की स्थापना

इस घटक के अंतर्गत, बकरी के हिमित वीर्य को संग्रहीत करने और वितरित करने के लिए मौजूदा गोपशु और भैंस वीर्य बैंक को सुदृढ़ करने के लिए राज्य को 10.00 लाख रुपये तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।

5.1.1.3.3 मौजूदा गोपशु और भैंस कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों के माध्यम से भेड़ और बकरी में कृत्रिम गर्भाधान का प्रसार

इस घटक के अंतर्गत, बकरी और भेड़ के कृत्रिम गर्भाधान के लिए गोपशु और भैंस कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों को आवश्यक उपकरण (बकरी एआई ट्रैविस, एआई गन, वेजाइनल स्पेकुलम, हेड लाइट) की आपूर्ति और गोपशु कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करके सुदृढ़ किया जाता है।

वर्ष 2024–25 के दौरान , 1000 एआई केंद्रों के उन्नयन के लिए राजस्थान राज्य को 42.00 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई।

5.1.1.3.4 विदेशी भेड़ और बकरी जर्मप्लाज्म का आयात

इस घटक के अंतर्गत, राज्य को जीवित पशुओं के रूप में भेड़ और बकरी के जर्मप्लाज्म के आयात के लिए एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।

5.1.1.4 सुअर पालन उद्यमी को बढ़ावा

इस घटक के अंतर्गत, केंद्र सरकार 50 मादा पशुओं के साथ 5 नर पशुओं या 100 मादा पशुओं के साथ 10 नर पशुओं के सुअर प्रजनन फार्म की स्थापना के लिए 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है। पात्र सब्सिडी की सीमा योजना के आकार के अनुपात में 15 लाख रुपये से 30 लाख रुपये तक भिन्न भिन्न होती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति, एफपीओ, एफसीओ, जेएलजी, एसएचजी और धारा 8 कंपनियां ऑनलाइन पोर्टल www.nlm.udyamimitra.in के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में पशुपालन और डेयरी विभाग ने सुअर प्रजनन फार्मों की स्थापना के लिए 282 उद्यमिता प्रस्तावों को अनुमोदिन दिया है। इन प्रस्तावों की कुल परियोजना लागत 17222.33 लाख रुपये है, जिसमें 6849.25 लाख रुपये की अनुमोदित सब्सिडी शामिल है।

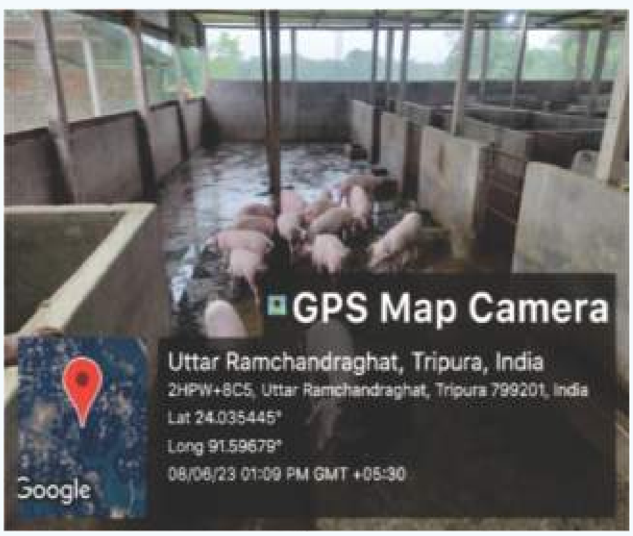

चित्र 5

चित्र 6

चित्र 5 और 6: सूअर पालन फार्म विकास के अंतर्गत उद्यमिता विकास के एक भाग के रूप में, त्रिपुरा में 110 स्टॉक आकार का एक सूअर पालन फार्म स्थापित किया गया है।

5.1.1.5 सूअर की नस्लों का आनुवंशिक सुधार

सूअर वीर्य संग्रहण और प्रसंस्करण प्रयोगशाला की स्थापनाः इस घटक के अंतर्गत, केन्द्र सरकार कृत्रिम गर्भाधान के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सूअर के तरल वीर्य का उत्पादन करने हेतु सरकारी सूअर फार्म में सूअर वीर्य प्रसंस्करण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करती है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में सूअर वीर्य संग्रहण और प्रसंस्करण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए सिक्किम राज्य को केंद्रीय हिस्से के रूप में 41.41 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

5.1.1.6 देशी घोड़ा, गधा और ऊंट में उद्यमिता विकास

इस घटक के तहत केंद्र सरकार संगठित पालन और देशी नस्ल सुधार को लक्षित करते हुए घोड़े, गधे और ऊंट प्रजनन में उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है। पात्र लाभार्थियों में व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), किसान सहकारी समितियां (एफसीओ), संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) और धारा 8 कंपनियां शामिल हैं। यह योजना प्रजनन फार्म स्थापित करने के लिए प्रति परियोजना 50 लाख रुपये तक की 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है, जिसमें आवास, पशु खरीद, चारा खेती और आवश्यक उपकरण शामिल हैं। सब्सिडी केवल देशी नस्लों तक सीमित है और आयातित शुद्ध नस्ल के घोड़ों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। उद्यमियों को शेष धनराशि बैंक ऋण, वित्तीय संस्थानों या स्व–वित्तपोषण के माध्यम से जुटानी होगी।

5.1.1.7 घोड़े, गधे और ऊँट का आनुवंशिक सुधार

(i) घोड़े, गधे और ऊँट के लिए क्षेत्रीय वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना

इस घटक के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और आईसीएआर संस्थानों को चुनिंदा प्रजनन, उच्च आनुवंशिक नरों के साथ क्रॉसब्रीडिंग और कृत्रिम गर्भाधान जैसी सहायक प्रजनन तकनीकों के माध्यम से देशी घोड़े, गधे और ऊंट की नस्लों के आनुवंशिक सुधार के लिए क्षेत्रीय वीर्य उत्पादन प्रयोगशालाएं स्थापित करने में सहायता करेगी। ये प्रयोगशालाएँ वीर्य प्रसंस्करण के लिए मानक प्रोटोकॉल का पालन करेंगी और आस–पास के राज्यों में उत्कृष्ट पशु वीर्य वितरित करेंगी। आईसीएआर संस्थान वीर्य को व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कराएंगे। सभी राज्यों के लिए निधियन 60:40 पैटर्न, उत्तर पूर्व और पर्वतीय राज्यों के लिए 90:10 और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% होगा। अधिकतम निधियन सीमा 10 करोड़ रुपये है, जिसमें आईसीएआर संस्थानों के लिए 100% निधियन होगा। राज्य पशुपालन विभाग और आईसीएआर संस्थान परियोजना के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने वाली प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसियां होंगी।

(ii) घोड़ा, गधा और ऊंट के लिए न्यूक्लियस प्रजनन फार्म की स्थापनाः

इस घटक के अंतर्गत, केंद्र सरकार श्रेष्ठ जर्मप्लाज्म का प्रसार करके देशी और लुप्तप्राय घोड़े, गधे और ऊंट की नस्लों के संरक्षण और आनुवंशिक सुधार में सहायता करती है। आवश्यक अवसंरचना के साथ न्यूक्लियस ब्रीडिंग फार्म स्थापित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केंद्रीय सहायता के रूप में 10 करोड़ रुपये तक की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। न्यूक्लियस ब्रीडिंग फार्म उद्यमियों और क्षेत्रीय वीर्य प्रयोगशालाओं को आगे के प्रजनन और वीर्य उत्पादन के लिए उत्कृष्ट नर और मादा पशुओं की आपूर्ति करेंगे।

अनुदान स्वस्थाने (इन–सीटू) (प्रजनन क्षेत्र के भीतर) और पर–स्थाने (एक्स–सीटू) (प्रजनन क्षेत्र के बाहर) संरक्षण प्रयासों के लिए प्रदान किए जाएंगे। राज्य विश्वविद्यालय और आईसीएआर–एनबीएजीआर (राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो) नई नस्लों का अध्ययन और पंजीकरण करने के लिए सहयोग करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य और केंद्र स्तर पर पशुपालन विभाग शामिल होंगे ताकि देशी प्रजातियों के प्रभावी कार्यान्वयन और संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके।

(iii) घोड़े, गधे और ऊँट के लिए नस्ल पंजीकरण सोसायटी की स्थापना :

इस घटक के तहत, केंद्र सरकार नस्ल पंजीकरण समितियों की स्थापना करेगी। देशी नस्लों के पंजीकरण, रिकॉर्ड बनाए रखने और ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए सोसायटी को एकमुश्त 100% केंद्रीय सहायता 1 करोड़ रुपये तक प्रदान की जाएगी। इस निधियन में सोसायटी का पंजीकरण, डीएनए परीक्षण, कर्मचारियों का वेतन और पंजीकरण नेटवर्क की स्थापना शामिल होगी। जागरूकता पैदा करने में भी सहायता की जाएगी। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा अनुमोदित पंजीकृत नस्ल समितियां पात्र संस्थाएं होंगी।

5.1.1.8 आहार और चारा विकास संबंधी उप–मिशनः

इस उप–मिशन का उद्देश्य चारा उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमाणित चारा बीज की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए चारा बीज श्रृंखला को सुदृढ़ करना और प्रोत्साहन के माध्यम से चारा ब्लॉक/घास बांधने/(हे बेलिंग) बनाने वाली इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है।

चारा और आहार विकास के उप–मिशन में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं:

कार्यकलाप (i): गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता

हरे चारे के उत्पादन का पशुधन उत्पादन और उत्पादकता में सुधार से सीधा संबंध है। हरे चारे के उत्पादन के लिए गुणवत्ता वाले चारे के बीज मूल इनपुट हैं। इसलिए पुनर्गठित एनएलएम के तहत, गुणवत्ता वाले चारा बीज के उत्पादन और चारा बीज श्रृंखला यानी ब्रीडर, फाउंडेशन और प्रमाणित बीजों को सुदृढ़ करने के प्रयास किए गए हैं।

दिनांक 31.12.2024 तक, गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता घटक के अंतर्गत विभाग ने वर्ष 2024–25 के दौरान 55697 मीट्रिक टन गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन के लिए 113.20 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

कार्यकलाप (ii): आहार और चारा में उद्यमशीलता कार्यकलाप

इसके अंतर्गत लाभार्थी को परियोजना लागत पर 50% सब्सिडी प्रदान करके घास/(हे) साइलेज/कुल मिश्रित राशन (टीएमआर)/चारा ब्लॉक जैसे चारे के मूल्य संवर्धन और चारे के भंडारण के लिए प्रयास किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में पशुपालन और डेयरी विभाग ने आहार तथा चारा इकाइयों की स्थापना के लिए 113 उद्यमिता प्रस्तावों को अनुमोदन दिया। इन प्रस्तावों की कुल परियोजना लागत 10529.21 लाख रुपये है, जिसमें 4618.08 लाख रुपये की अनुमोदित सब्सिडी शामिल है।

5.1.1.8.1: नए घटक:

वर्ष 2024 में पुनर्संरेखित राष्ट्रीय पशुधन मिशन के आहार और चारा विकास पर संबंधी मिशन में निम्नलिखित कार्यकलाप/घटक जोड़े गए।

i. गैर वन बंजर भूमि/रेंजलैंड/गैर कृषि योग्य भूमि से चारा उत्पादन।

ii. वन भूमि से चारा उत्पादन।

iii. उद्यमशीलता कार्यकलापों के अंतर्गत बीज प्रसंस्करण और ग्रेडिंग अवसंरचना की स्थापना

i. **गैर–वन बंजर भूमि/रेंजभूमि/चारागाह/गैर–कृषि योग्य भूमि से चारा उत्पादन:** इस घटक का मुख्य उद्देश्य उपयुक्त घास, फलियां और चारे के पेड़ लगाकर अवक्रमित गैर–वन बंजर भूमि/रेंजभूमि/चारागाह/गैर–कृषि योग्य भूमि का उपयोग करना तथा बायोमास का उत्पादन करके चारे की उपलब्धता और आवश्यकता के बीच के अंतर को कम करना है। इस कार्यक्रम के तहत, विशेष प्रकार की मिट्टी के लिए विशिष्ट चारा वृक्षों, बारहमासी घास और फलियों का प्रचार किया जाता है, ताकि वनस्पति आवरण प्रदान किया जा सके जो न केवल अतिरिक्त मात्रा में चारा देगा बल्कि उपयुक्त फलियों से भूमि की उर्वरता की स्थिति में भी सुधार करेगा।

ii. **वन भूमि से चारा उत्पादन:** इसका मुख्य उद्देश्य उपयुक्त घास, फलियां और चारे के पेड़ लगाकर अवक्रमित वन भूमि को उपयोग लायक बनाना तथा बायोमास का उत्पादन करके चारे की उपलब्धता और आवश्यकता के बीच के अंतर को कम से कम करना है। इस कार्यक्रम के तहत अवक्रमित वन क्षेत्र को प्रभावी सुरक्षा प्रदान की जाएगी तथा वन क्षेत्र के लिए उपयुक्त चारा वृक्ष, बारहमासी घास और फलियां लगाकर प्राकृतिक पुनर्जनन में सहायता की जाएगी, ताकि वनस्पति आवरण घनत्व में सुधार हो सके, जिससे न केवल अतिरिक्त मात्रा में चारा मिलेगा, बल्कि वन का समग्र स्वास्थ्य भी बेहतर होगा।

iii. **उद्यमशीलता कार्यकलापों के अंतर्गत बीज प्रसंस्करण और ग्रेडिंग अवसंरचना की स्थापना:** इस कार्यकलाप के अंतर्गत लाभार्थी को बीज भंडारण/प्रसंस्करण/ग्रेडिंग संयंत्रों से संबंधित अवसंरचना विकास, अपेक्षा/आवश्यकता के अनुसार संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए 50 लाख रुपये तक परियोजना लागत पर के 50 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है।

एनएलएम ईडीपी के अंतर्गत कुल 530,650 पशुओं को शामिल किया गया है तथा 46,065 मीट्रिक टन आहार और चारा क्षमता स्थापित की गई है। चारा उत्पादन के तहत क्षेत्र को बढ़ाने और बीज प्रसंस्करण उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए, निम्नलिखित कार्य किए गए हैं: गुणवत्तावाले चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता के तहत, वर्ष 2021–22 से वर्ष 2023–24 के दौरान ग्वार, मक्का, सोरघम, लोबिया, मोती बाजरा, जई, बरसीम और ल्यूसर्न के 83599.71 टन गुणवत्तापूर्ण चारा बीज (53 टन प्रजनक, 3731.24 टन आधार और 79815.47 टन प्रमाणित) का उत्पादन किया गया है।

चित्र 7

चित्र 8

चित्र 7 एवं 8: आहार और चारा विकास के अंतर्गत उद्यमिता विकास के एक भाग के रूप में, मध्य प्रदेश के हरदा में एक साइलेज निर्माण इकाई स्थापित की गई है।

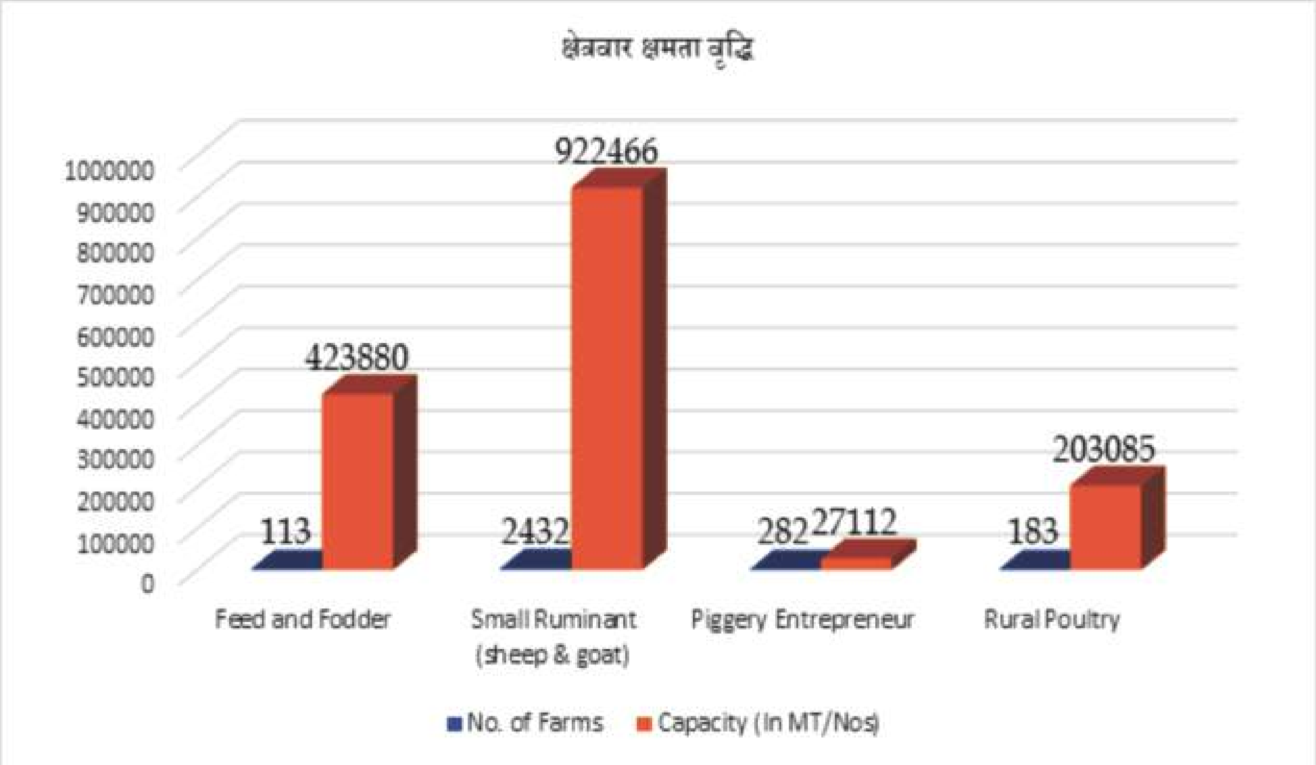

क. एनएलएम–ईडीपी योजना के तहत ग्रामीण पोल्ट्री फार्म की स्थापना– समाराला शानुशा, आंध्र प्रदेश

पोल्ट्री फार्मिंग की दुनिया में समाराला शानुशा की यात्रा चार साल पहले आरंभ हुई जब उन्होंने अपने घरेलू पोल्ट्री फार्म की स्थापना की। कई महत्वाकांक्षी उद्यमियों की तरह, उन्होंने अपने व्यवसाय का विस्तार करने का सपना देखा, लेकिन सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण उन्हें महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालाँकि, उनके रास्ते ने एक परिवर्तनकारी मोड़ लिया जब उन्हें भारत सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) योजना के बारे में पता चला, जिसे उनके जैसे व्यक्तियों को अपने उद्यम को बढ़ाने में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया था।

एनएलएम योजना के सहयोग से शानुशा की आकांक्षाएं साकार हो गईं। उन्हें प्राप्त सब्सिडी ने विभिन्न ग्रामप्रिया और असील नस्लों वाली एक व्यापक पोल्ट्री इकाई स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शानुशा की सफलता की कहानी 100 चूजों की बिक्री से शुरू हुई। एनएलएम योजना द्वारा प्रदान की गई 12,500,000 रुपये की पर्याप्त सब्सिडी ने शानुशा की उद्यमशीलता की सफलता की नींव रखी। बढ़ी हुई पूंजी और योजना से प्राप्त अमूल्य सहायता के साथ, उन्होंने अपने स्थानीय समुदाय के सदस्यों को रोजगार दिया, रोजगार के अवसर पैदा किए और स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दिया।

एनएलएम योजना से पहले, शानुशा के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करना एक कठिन चुनौती थी। हालाँकि, इस योजना के समर्थन से, उसने बैंक से संपर्क करने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आवश्यक निधियां प्राप्त करने का आत्मविश्वास हासिल किया। यह इस बात का प्रमाण था कि एनएलएम जैसी सरकारी पहल किस तरह से व्यक्तियों को वित्तीय बाधाओं को दूर करने और उनकी उद्यमशीलता क्षमता को साकार करने के लिए सशक्त बना सकती है।

शानुशा का पोल्ट्री फार्म न केवल फल–फूल रहा है, बल्कि उसके गांव में प्रेरणा का स्रोत भी बन गया है, जो युवा व्यक्तियों को उद्यमिता अपनाने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। शानुशा का अगला महत्वाकांक्षी कदम अपने चूजों को बेचने के लिए दुकानें स्थापित करके अपने व्यवसाय का विस्तार करना है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) योजना ने शानुशा को उसके उद्यमशील सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक सहायता और संसाधन प्रदान करके उसके जीवन को गहराई से बदल दिया है। उसकी यात्रा स्थायी आजीविका बनाने और ग्रामीण उद्यमियों को सशक्त बनाने की योजना की क्षमता का प्रमाण है, जो एक उज्ज्वल और अधिक समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है।

चित्र 9

चित्र 10

चित्र 9 और 10: ग्रामीण कुक्कुट नस्ल फार्म के अंतर्गत उदयमशिलता विकास के भाग के रुप में महिला उद्यमियों द्वारा आंध्र प्रदेश में 1100 झुंड आकार का एक ग्रामीण पोल्ट्री फार्म स्थापित किया गया है।

ख. एनएलएम–ईडीपी योजना के तहत साइलेज बनाने की इकाई की स्थापना– कंचन वर्मा

मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की एक दृढ़ निश्चयी महिला कंचन वर्मा ने पारंपरिक मानदंडों को तोड़ते हुए कृषि क्षेत्र में कदम रखा और कृषि क्षेत्र में एक सफल उद्यमी बन गईं। कंचन की शादी एक किसान परिवार में हुई थी, जहाँ उन्होंने कृषि पद्धतियों का सार आत्मसात किया। हालाँकि, बाधाओं को तोड़ने और आत्मनिर्भर बनने की उनकी भावना ने उन्हें सीखने और कौशल हासिल करने की यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित किया। उन्हें एहसास हुआ कि एक महिला किसान के रूप में, उन्हें खुद के अलावा किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस दृढ़ संकल्प ने उन्हें ट्रैक्टर चलाने में पारंगत होने और सभी कृषि कार्यकलापों में सीधे शामिल होने के लिए प्रेरित किया।

कंचन की यात्रा पशु आहार के लिए मक्के की खेती से शुरू हुई। उन्होंने मक्के की डेयरी फार्मिंग क्षेत्र में मांग को पहचाना। दिसंबर 2021 में कंचन ने राज्य डेयरी विभाग योजना के तहत सहायता के लिए आवेदन किया। उनका आवेदन अनुमोदित हो गया, और उन्हें 49.45 लाख रुपये की पर्याप्त सब्सिडी मिली। इस वित्तीय सहायता ने उन्हें अपनी खेती की तकनीकों को उन्नत करने, साइलेज उत्पादन के लिए मशीनरी को शामिल करने और अपने कार्यों का विस्तार करने में सक्षम बनाया। पशुपालन और डेयरी विभाग से मिली सहायता ने उन्हें सतत खेती के तरीकों और आर्थिक विकास की ओर बढ़ने में मदद की।

किसानों को समझाकर कंचन ने 200 एकड़ भूमि को चारे की खेती के लिए समर्पित कर दिया है और आने वाले वर्षों में इसे और बढ़ाने की योजना बना रही हैं। उनकी उद्यमशीलता की भावना खेती से परे है; उन्होंने अपनी उपज का विपणन करने, दृश्यता बढ़ाने और व्यापक ग्राहक आधार तक पहुँचने के लिए एक ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्थापित किया। कंचन की सफलता ने न केवल उन्हें सशक्त बनाया है, बल्कि उनके समुदाय के 100 से अधिक किसानों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हुए एक लहर भी पैदा की है। उनके प्रयास ने आर्थिक वृद्धि प्रदान की है, रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और स्थानीय विकास को बढ़ावा दिया है।

चित्र 11

चित्र 12

चित्र 11 और 12: आहार और चारा इकाई की स्थापना के हिस्से के रूप में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में महिला उद्यमी सुश्री कंचन वर्मा द्वारा एक साइलेज बनाने की इकाई स्थापित की गई है।

5.1.2 नवाचार और विस्तार संबंधी उप–मिशनः

इस उप–मिशन का उद्देश्य भेड़, बकरी, सुअर और चारा क्षेत्र, विस्तार कार्यकलापों, पशुधन बीमा और नवाचार से संबंधित अनुसंधान और विकास करने वाले संस्थानों, विश्वविद्यालयों, संगठनों को प्रोत्साहित करना है।

इस उप–मिशन में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं:

(i) कार्यकलाप I : अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार : भेड़, बकरी, पोल्ट्री, सुअर और आहार तथा चारा क्षेत्र में अनुसंधान में शामिल आईसीएआर, केंद्रीय संस्थानों, राज्य सरकार के विश्वविद्यालय फार्मों तथा अन्य विश्वसनीय संस्थानों को सहायता प्रदान की जाती है। क्षेत्र के विकास के लिए नवीन कार्यकलापों तथा तकनीक हस्तांतरण के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। भेड़, बकरी, पोल्ट्री, सुअर, आहार और चारा क्षेत्र में समस्या समाधान के लिए स्टार्ट–अप को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

वर्ष 2024–25 (दिसंबर, 2024 तक) के दौरान अनुसंधान और नवाचार के लिए संस्थानों को 1679.18 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

(ii) कार्यकलाप II: विस्तार कार्यकलापः इस कार्यकलाप के तहत आईसी कार्यकलाप जैसे सेमिनार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, पशुधन पालक समूह / प्रजनक एसोसिएशन, पशुपालन से संबंधित विभिन्न प्रचार कार्यकलापों का आयोजन, राज्य, केंद्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर योजना प्रचार आदि, किसान फील्ड स्कूलों का संचालन, पशुधन विस्तार सुविधादाताओं (एलईएफ) के लिए एक्सपोजर विजिट, किसान का एक्सपोजर विजिट, पशुधन विस्तार का स्टाफ घटक, प्रदर्शन कार्यकलाप, सोशल मीडिया और ऑडियो विजुअल सहायता के माध्यम से जागरूकता पैदा करने, विस्तार शिक्षा और पशुधन विस्तार आदि पर साहित्य का निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2024–25 (दिसंबर, 2024 तक) के दौरान विस्तार कार्यकलापों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 137.10 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

(iii) कार्यकलाप III: पशुधन बीमा : जोखिम प्रबंधन और बीमा, देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया गया है। इसमें देशी/संकरित दुधारू पशु भारवाही पशु (घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट, टट्टू और गोपशु/भैंस के नर पशु) शामिल हैं और अन्य पशुधन (बकरी, भेड़, सूअर, खरगोश, याक और मिथुन) का बीमा पशुधन बीमा के दायरे में आता है। सब्सिडी का लाभ सुअर और खरगोश को छोड़कर सभी पशुओं के लिए प्रति परिवार 10 गोपशु इकाइयों तक सीमित है। सुअर और खरगोश के लिए लाभ 5 गोपशु इकाइयों (1 गोपशु इकाई = 10 छोटे जानवर) तक सीमित रहेगा। भेड़, बकरी, सूअर और खरगोश के मामले में, लाभ 10 पशुओं के बराबर यानी भेड़, बकरी, सूअर और खरगोश के लिए है। इस प्रयोजन के लिए, "परिवार" को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के तहत अपनाई गई तर्ज के अनुसार परिभाषित किया जाएगा।

प्रीमियम भुगतान में किसान का हिस्सा जाति और निवास के क्षेत्र के अनुसार 20–50% से घटाकर 15% कर दिया गया है। शेष 85% राशि केंद्र और राज्य द्वारा साझा की जाएगी। पर्वतीय और उत्तर पूर्व क्षेत्र को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए यह अनुपात 60:40 है, जबकि पर्वतीय और उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए यह अनुपात 90:10 है।

योजना के तहत निधियों का उपयोग प्रीमियम सब्सिडी के भुगतान, पशु चिकित्सकों को मानदेय देने और प्रचार–प्रसार के लिए किया जा रहा है। वर्ष 2024–25 के दौरान दिसंबर, 2024 तक पशुधन बीमा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2342.80 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

5.2 लघु पशुधन संस्थान

5.2.1 केंद्रीय पोल्ट्री विकास संगठनः चंडीगढ़, भुवनेश्वर, मुंबई और बेंगलुरु जैसे क्षेत्रों में चार स्थानों पर स्थित केंद्रीय पोल्ट्री विकास संगठन (सीपीडीओ) पोल्ट्री के संबंध में सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन संगठनों का कार्य घरेलू पोल्ट्री के लिए पक्षियों की उन्नत किस्म पर ध्यान केंद्रित करना है जो किसान के द्वार पर जीवित रह सकें, घरेलू पोल्ट्री किसानों को मूलभूत प्रशिक्षण प्रदान करना और आहार विश्लेषण करना है।

कलिंगा ब्राउन, कावेरी, चाब्रो और चोब्रो इन सीपीडीओ द्वारा विकसित कम इनपुट तकनीक पक्षियों (चिकन) की किस्में/प्रजातियाँ हैं। मांग के आधार पर, वे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और व्यक्तिगत किसानों को इन किस्मों के अंडे, पेरेंट व्यावसायिक के एक दिन के चूजों की आपूर्ति करते हैं। इसके अलावा, वे नस्ल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कड़कनाथ, असील आदि जैसी देशी किस्मों को भी बनाए रखते हैं।

सीपीडीओ पोल्ट्री के अलावा बत्तख, जापानी बटेर, टर्की और गिनी फाउल जैसी अन्य प्रजातियों के साथ विविधीकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। व्हाइट पेकिन (मांस प्रकार) और खाकी कैंपबेल (अंडे प्रकार) बत्तख की वे किस्में हैं जिन्हें सीपीडीओ, बेंगलुरु द्वारा विभिन्न राज्यों की मांग के आधार पर आपूर्ति के लिए रखा जाता है। सीपीडीओ सभी प्रकार के पशु आहार के लिए आहार विश्लेषण भी कर रहे हैं। भुवनेश्वर, मुंबई और हेसरघट्टा में तीन सीपीडीओ के पास आहार नमूनों का विश्लेषण करने के लिए नियर इंफ्रा–रेड (एनआईआर) स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। पक्षियों को खिलाने और पानी पिलाने के लिए ऑटोमेशन सिस्टम हेसरघट्टा, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है।

इन सीपीडीओ में किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है और पोल्ट्री किसानों/उद्यमियों के प्रशिक्षण के लिए इन सीपीडीओ में एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है जिसे इन सीपीडीओ में अपनाया जाता है। पोल्ट्री उत्पादन पाठ्यक्रम में व्यावहारिक सत्र और पोल्ट्री फार्मिंग कार्यकलापों का प्रदर्शन शामिल है जिसमें ब्रूडिंग व्यवस्था, फीडिंग, पानी, टीकाकरण, तापमान प्रबंधन, दवा आदि और फीड मिल प्रबंधन और हैचरी प्रबंधन पर युक्तियों के अलावा अन्य प्रबंधन पहलू शामिल हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों से निधियों के माध्यम से वित्तीय सहायता (बैंक ऋण) प्राप्त करने के विशेष संदर्भ के साथ पोल्ट्री फार्मिंग में मूल अर्थशास्त्र के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है। किसानों को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मॉडलों के साथ वाणिज्यिक पोल्ट्री फार्मिंग की व्यवहार्य परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाती है।

सीपीडीओ और प्रशिक्षण संस्थान (सीपीडीओ और टीआई), हेसरघट्टा, जो अब सीईएएच का एक विंग है, देश के भीतर और साथ ही विदेशों में सेवारत कर्मियों को प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण भी दे रहा है। इस संस्थान में नियमित पोल्ट्री प्रबंधन पाठ्यक्रम और विशेष, उन्नत और प्रयोगशाला पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। सीपीडीओ और टीआई ने विशेष रूप से प्रशिक्षण के उद्देश्य से एक कौशल विकास और प्रशिक्षण केंद्र खोला है।

यह संगठन (सीपीडीओ और टीआई) वर्ष 2005 से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आईएसओ 9001:2008 से मान्यता प्राप्त है। चार सीपीडीओ को राष्ट्रीय कौशल विकास ढांचे के तहत प्रशिक्षण केंद्र के रूप में संबद्ध किया गया है।

गुड़गांव स्थित केंद्रीय पोल्ट्री प्रदर्शन परीक्षण केंद्र (सीपीपीटीसी) को लेयर और ब्रॉयलर किस्मों के प्रदर्शन के परीक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यह केंद्र देश में उपलब्ध विभिन्न आनुवंशिक स्टॉक से संबंधित बहुमूल्य जानकारी देता है। आमतौर पर एक वर्ष में एक लेयर और दो ब्रॉयलर परीक्षण शुरू किए जाते हैं।

वर्ष 2024–25 के दौरान, दिसंबर 2024 तक, सीपीडीओ द्वारा विभिन्न राज्यों/एजेंसियों/व्यक्तियों को क्रमशः लगभग 0.13 लाख और 4.25 लाख मूल चूजों और वाणिज्यिक चूजों की आपूर्ति की गई है। इसी तरह, इस वर्ष 2024–25 में, सीपीडीओ द्वारा क्रमशः 0.12 लाख और 2.35 लाख मूल हैचिंग अंडों और वाणिज्यिक हैचिंग अंडों की आपूर्ति की गई है। लगभग 1011 किसानों और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा, लगभग 709 आहार नमूनों का विश्लेषण किया गया है।

5.2.2 केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार (हरियाणा)

सीएसबीएफ, हिसार की स्थापना 1969–70 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कोलंबो योजना के तहत ऑस्ट्रेलिया सरकार के सहयोग से की गई थी, जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्य भेड़ फार्मों में वितरण के लिए अनुकूलित विदेशी मेढ़ों का उत्पादन करना और भेड़ प्रबंधन और यांत्रिक भेड़ कतरनी (शिअरिंग) में कर्मियों को प्रशिक्षित करना था। वर्तमान में फार्म में नाली एक्स रैंबौलेट और सोनाडी एक्स कोरिडेल क्रॉस के साथ–साथ शुद्ध नस्ल की बीटल बकरियां भी रखी जा रही हैं।

वर्ष 2023–24 के दौरान फार्म ने विभिन्न राज्य एजेंसियों और किसानों को 321 मेढ़े, 46 नर भेड़ें उपलब्ध कराए। इसके अलावा, 31 मार्च 2024 तक कुल 122 किसानों को मशीन से भेड़ कतरने की तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया, 1189 किसानों को एक दिवसीय भेड़ प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया और 112 किसानों को छह दिवसीय भेड़ प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया।

उपर्युक्त के अलावा, चालू वित्त वर्ष के दौरान इस फार्म ने विभिन्न राज्य एजेंसियों और किसानों को 181 मेढ़े, 14 नर भेड़े उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा, 31 दिसंबर, 2024 तक कुल 76 किसानों को मशीन से भेड़ कतरने की तकनीक, 720 किसानों को एक दिवसीय भेड़ प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम और 112 किसानों को छह दिवसीय भेड़ प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया है।

5.2.3 क्षेत्रीय चारा स्टेशन

इसके अतिरिक्त, विभाग केन्द्रीय क्षेत्र योजना अर्थात केन्द्रीय चारा विकास संगठन का भी कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत देश के विभिन्न कृषि–जलवायु क्षेत्रों में सात क्षेत्रीय चारा स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जो देश में गुणवत्तापूर्ण चारा बीजों के उत्पादन, प्रशिक्षण और चारा विकास से संबंधित अन्य विस्तार कार्यकलापों में लगे हुए हैं।

ये सात क्षेत्रीय चारा स्टेशन रविराला, हैदराबाद (तेलंगाना), धामरोड, सूरत (गुजरात), हिसार (हरियाणा), सूरतगढ़ (राजस्थान), सुहामा (जम्मू और कश्मीर), अलमादी (तमिलनाडु) और कल्याणी (पश्चिम बंगाल) में स्थित हैं। हेसरघट्टा स्थित एक अन्य क्षेत्रीय चारा स्टेशन का सीईएएच में विलय कर दिया गया है।

दिनांक 31.12.2024 तक इन स्टेशनों ने 320 मीट्रिक टन चारा बीज का उत्पादन किया है, 4702 प्रदर्शन आयोजित किए हैं, और 105 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 99 किसान मेले/क्षेत्र दिवस आयोजित किए हैं।

5.3 पशुपालन अवसंरचना विकास निधि

पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा 29,110.25 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), धारा 8 कंपनियों और डेयरी सहकारी समितियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करना है ताकि (i) डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, (ii) मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, (iii) पशु चारा संयंत्र, (iv) गोपशु/भैंस/भेड़/बकरी/सुअर के लिए नस्ल

सुधार तकनीक और नस्ल वृद्धि फार्म, (v) पशु चिकित्सा टीका और दवा उत्पादन सुविधाएं, (vi) पशु अपशिष्ट से संपत्ति प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन), और (vii) प्राथमिक ऊन प्रसंस्करण अवसंरचना स्थापित की जा सके।

इस योजना के तहत, केंद्र सरकार पात्र संस्थाओं को 3% ब्याज सबवेंशन प्रदान करती है जो किसी भी अनुसूचित बैंक/नाबार्ड/एनसीडीसी/एनडीडीबी से परियोजना लागत के 90% तक सावधि ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत एनएबी संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्थापित क्रेडिट गारंटी फंड की सुविधा एमएसएमई के लिए 25% क्रेडिट गारंटी प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत पात्र सावधि ऋण राशि की कोई सीमा नहीं है।

योजना के उद्देश्य:

क) दूध और मांस प्रसंस्करण क्षमता और उत्पाद विविधीकरण को बढ़ाने में सहायता करना, जिससे असंगठित ग्रामीण दूध और मांस उत्पादकों को संगठित दूध और मांस बाजार तक अधिक पहुंच प्रदान की जा सके।

ख) उत्पादक को बढ़ी हुई कीमत उपलब्ध कराना

ग) घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध और मांस उत्पाद उपलब्ध कराना

घ) देश की बढ़ती जनसंख्या की प्रोटीन युक्त गुणवत्तापूर्ण भोजन की आवश्यकता को पूरा करना तथा विश्व में सर्वाधिक कुपोषित बच्चों की आबादी में से एक भारत में कुपोषण को रोकना।

ङ) उद्यमशीलता कार्यकलापयों को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन को सुगम बनाना।

च) निर्यात को बढ़ावा देना तथा दूध एवं मांस क्षेत्र में निर्यात योगदान में वृद्धि करना।

छ) गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और पोल्ट्री के लिए गुणवत्तापूर्ण पशु आहार उपलब्ध कराना ताकि किफायती मूल्य पर संतुलित आहार उपलब्ध कराया जा सके।

एएचआईडीएफ की अब तक की प्रगति:

दिसंबर 2024 तक विभाग द्वारा 18,096 करोड़ रुपए की कुल 933 परियोजनाओं को पात्र चिह्नित किया गया है और ऋणदाता बैंकों द्वारा 13,551 करोड़ रुपए की कुल 498 परियोजनाओं को संस्वीकृत किया गया है। योजना के शुभारंभ के पहले वर्ष में 713 परियोजनाएं प्राप्त हुईं, जो बढ़कर वर्ष 2021–22 में 2480, वर्ष 2022–23 में 2014, वर्ष 2023–24 में 298 परियोजनाएं और वर्ष 2024–25 में दिसंबर 2024 तक 1228 परियोजनाएं हो गईं। यह दर्शाता है कि समय के साथ योजना की लोकप्रियता बढ़ी है। विभाग ने इस योजना के तहत सभी संभावित कार्यकलापों को शामिल किया है चाहे वह डेयरी प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण, चारा निर्माण, पशु चिकित्सा टीका और दवा निर्माण, पशु अपशिष्ट से संपत्ति प्रबंधन हो, इसके अलावा, प्राथमिक ऊन प्रसंस्करण अवसंरचना को योजना के तहत पात्र श्रेणी के रूप में जोड़ा गया है। समय बीतने के साथ, योजना के तहत हर कार्यकलाप में तेजी आई है और अब विभाग दूरस्थ ज़िलों से भी परियोजनाएं प्राप्त कर रहा है जहां से पहले कम संख्या में परियोजनाएं देखी जाती थीं।

दिनांक 31.12.2024 तक 149 परियोजनाओं के लिए 80.87 करोड़ रुपये की ब्याज सबवेंशन जारी की जा चुकी है।

एएचआईडीएफ के तहत बैंकों द्वारा दिनांक 31.12.2024 तक अनुमोदित 363 परियोजनाओं के अंतर्गत, डेयरी प्रसंस्करण के अंतर्गत निर्मित अवसंरचना की क्षमता 130 परियोजनाओं के लिए 165.75 लाख लीटर प्रतिदिन (एलएलपीडी) है। मांस प्रसंस्करण में, अब तक 21 परियोजनाओं के लिए 8.95 लाख एमटीपीए क्षमता निर्मित की गई है। पशु आहार विनिर्माण के अंतर्गत, 128 परियोजनाओं के लिए लगभग 84.52 लाख एमटीपीए क्षमता निर्मित की गई है।

नस्ल सुधार तकनीक और वृद्धि फार्म श्रेणी के अंतर्गत 75 इकाइयों को सहायता प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत, कुल 8060 गायों/भैंसों/सूअरों के लिए नस्ल सुधार फार्म, प्रति वर्ष 24.49 करोड़ पोल्ट्री पक्षियों/चूजों की क्षमता वाले आधुनिक पोल्ट्री फार्म तथा प्रति वर्ष 191 करोड़ अंडे की क्षमता वाले आधुनिक पोल्ट्री फार्म को सहायता प्रदान की गई है।

पशु अपशिष्ट से संपत्ति प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन) श्रेणी के अंतर्गत 10351 मीट्रिक टन प्रति वर्ष कम्प्रेस्ड गैस की क्षमता वाली तीन परियोजनाओं को सहायता दी गई है। इनके माध्यम से दिनांक 31.12.2024 तक 63 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं।

पशु चिकित्सा टीके और औषधि उत्पादन सुविधा श्रेणी के अंतर्गत 3 परियोजनाओं को सहायता दी गई है, जिनमें 90 लाख बोलस, 400 लाख टैबलेट, 60,000 किलोग्राम पाउडर, 70 लाख शीशियाँ और 2.74 लीटर तरल पशु चिकित्सा औषधियां और दवाईयां प्रति वर्ष तथा 3 करोड़ इंजेक्शन योग्य औषधियां प्रति वर्ष उत्पादन की सुविधा है। इनके माध्यम से दिनांक 31.12.2024 तक 253 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं।

363 परियोजनाओं के तहत कुल 50,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए गए हैं। हालांकि, इस योजना से दिनांक 31.12.20224 तक 1,80,000 से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

उपरोक्त दो तस्वीरें पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) योजना के तहत हरियाणा में जे डी फीड्स द्वारा पशु आहार श्रेणी की हैं।

उपरोक्त दो तस्वीरें पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) योजना के अंतर्गत पंजाब में चाणक्य डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र को दर्शाती हैं।

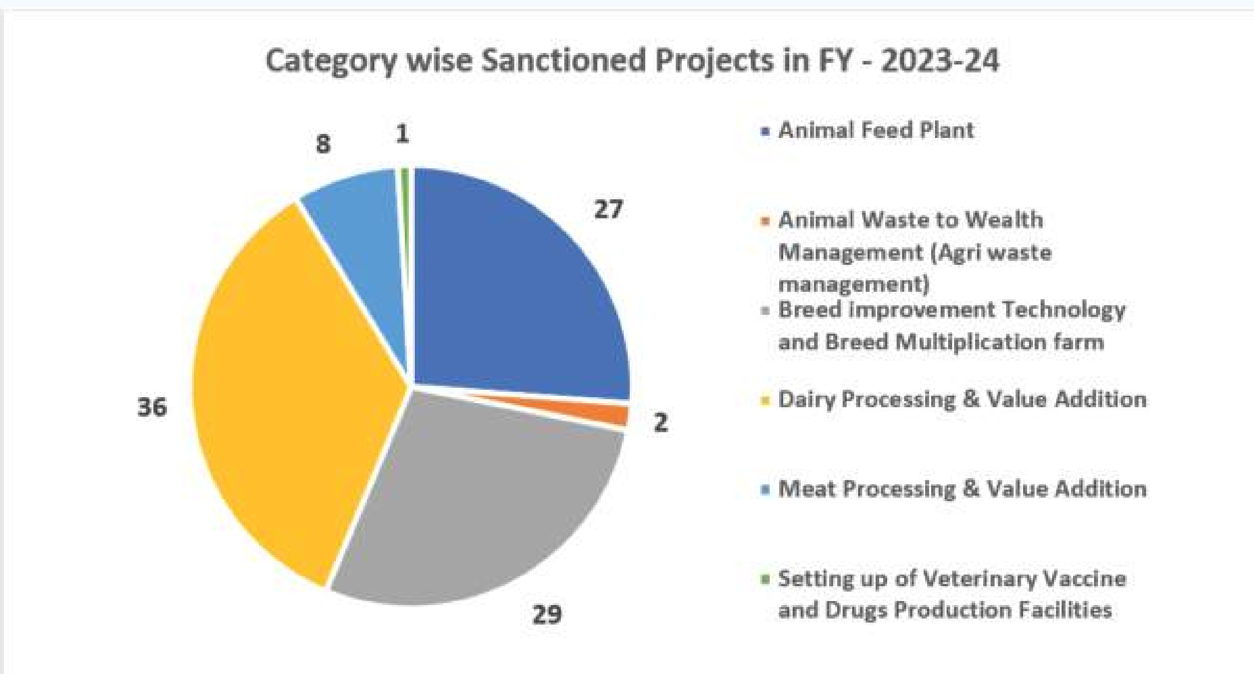

चित्रः 1— वर्ष 2023—24 में श्रेणीवार संस्वीकृत परियोजनाएं

वित्तीय वर्ष के दौरान, इस योजना के तहत कुल 103 परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई। यह स्पष्ट है कि संस्वीकृति परियोजनाओं का बड़ा हिस्सा डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन श्रेणियों और नस्ल सुधार तकनीक तथा नस्ल वृद्धि फार्म द्वारा हैं, इसके बाद शेष चार श्रेणियां हैं (चित्र 1)। इन परियोजनाओं के माध्यम से 1.79 लाख एमटीपीए मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, 69 एलएलपीडी डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, 18 लाख एमटीपीए पशु आहार विनिर्माण, 13 करोड़ पक्षी/वर्ष, 7460 गोपशु, 20.51 करोड़ अंडे/वर्ष उत्पादन सुविधा के लिए नस्ल वृद्धि फार्म की वार्षिक क्षमता सृजन/संवर्द्धन हासिल किया जाएगा।

एएच उप क्षेत्रों में वार्षिक क्षमता वृद्धि
1.79 लाख एमटीपीए मांस प्रसंस्करण
69 लाख एलपीडी डेयरी प्रसंस्करण
18 लाख एमटीपीए पशु आहार संयंत्र
13 करोड़ पक्षी/वर्ष, 7460 गोपशु, 20.51 अंडे/वर्ष
नस्ल सुधार और नस्ल वृद्धि फार्म
4401 एमटीपीए पशु अपशिष्ट से संपत्ति प्रबंधन
प्रति वर्ष 70 लाख शीशियां पशु चिकित्सा टीके और दवा उत्पादन

चित्रः2— संस्वीकृत परियोजनाओं की स्लैबवार परियोजना लागत

इसके अलावा, यह योजना क्षेत्र में समावेशी विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देते हुए स्थापित पशुपालन उद्यमों और महत्वाकांक्षी कृषि—संबद्ध उद्यमियों के लिए विस्तार के अवसरों को बढ़ावा देती है। परियोजनाओं की कीमत 5 करोड़ रुपये से लेकर 100 करोड़ रुपये से अधिक तक है (चित्र 2)

*****

अध्याय–6

पशुधन स्वास्थ्य

पशुधन स्वास्थ्य

अध्याय-6

6.1 अवलोकन

6.1.1 पशुधन उत्पादन में तीव्र वृद्धि, उच्च पशु घनत्व, पशुधन आबादी का विस्तार, पशुधन, मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ता संपर्क, तथा पशुधन के वैश्विक व्यापार और आवागमन में वृद्धि, पशुधन और पोल्ट्री के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में काफी चुनौतियां पेश करती है।

पशुधन स्वास्थ्य कार्यक्रमों, विशेष रूप से पशु रोग नियंत्रण के माध्यम से, पशुपालन और डेयरी विभाग का लक्ष्य जूनोटिक, उभरते और पुनः उभरने वाले रोगों को नियंत्रित करना और रोकना है, साथ ही संधारणीय उत्पादन सुनिश्चित करना, इष्टतम आजीविका के लिए मार्गदर्शन करना और पशु मूल के खाद्य पदार्थों का सुरक्षित और पौष्टिक उत्पादन करना है।

मनुष्यों को प्रभावित करने वाले दो–तिहाई संक्रामक रोग पशुओं से उत्पन्न होते हैं, तथा उभरते मानव रोगाणुओं में से तीन–चौथाई पशु–आधारित होते हैं, साथ ही खाद्य जनित रोगों की चुनौती भी बढ़ती जा रही है।

विभाग, केन्द्रित अनुसंधान और विकास कार्यकलापों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करके पशु स्वास्थ्य प्रबंधन की क्षमता में वृद्धि कर रहा है; जनशक्ति और महामारी विज्ञान के क्षमता निर्माण के माध्यम से राज्य–स्तरीय क्षमताओं को सुदृढ़ कर रहा है; राज्य नैदानिक क्षमताओं में सुधार कर रहा है, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच में सुधार कर रहा है, फार्म जैव–सुरक्षा में सुधार कर रहा है तथा एवियन इन्फ्लूएंजा, लम्पी स्किन डिजीज, ग्लैंडर्स, अफ्रीकी स्वाइन फीवर आदि जैसे पशुधन और पोल्ट्री रोगों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए परामर्शी साझा कर रहा है। विभाग ने गर्मियों के दौरान पशु प्रबंधन पद्धतियों के लिए परामर्शी भी जारी की है, और अन्य चरम मौसम की स्थिति के साथ–साथ प्राकृतिक आपदाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्शी साझा की है।

6.1.2. विभाग पशुओं में "संक्रामक और संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 2009'', और "पशुधन आयात अधिनियम, 1898" के माध्यम से रोगों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए विनियामक उपायों को कार्यान्वित करता है, जिसका उद्देश्य पशुधन और पशुधन उत्पादों के आयात के माध्यम से देश में विदेशी और उभरते रोगों के प्रवेश को रोकना है। दिनांक 31.03.2024 तक अस्पतालों, औषधालयों और पशु चिकित्सा सहायता केंद्रों की संख्या **अनुबंध–IX** में दी गई है।

6.2. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी)

विभाग द्वारा कार्यान्वित पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी), पशु रोगों के प्रवेश और प्रसार की रोकथाम के लिए पिछले कुछ वर्षों में संशोधित/परिवर्तित चल रही केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है और इसका उद्देश्य पशुओं के रोगों के खिलाफ रोगाणुरोधी टीकाकरण के कार्यान्वयन, गुणवत्तायुक्त पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के माध्यम से पशु स्वास्थ्य में सुधार करना है।

समर्थित प्रमुख कार्यकलापों में खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी), ब्रुसेलोसिस, पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (पीपीआर) और क्लासिकल स्वाइन फीवर (सीएसएफ) के लिए टीकाकरण शामिल है।

वर्ष 2021–22 के दौरान, एलएच और डीसी योजना को भी संशोधित किया गया और 3 घटकों में पुनर्संरेखित किया गया (i) पीपीआर और सीएसएफ के नियंत्रण के लिए गंभीर पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम –100% केंद्रीय क्षेत्र (ii) पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी) और पशु चिकित्सा अस्पतालों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण – मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ (ईएसवीएचडी–एमवीयू) – एमवीयू की खरीद को छोड़कर केंद्र प्रायोजित घटक जो 100% है। एनएडीसीपी और एलएचडीसी को वर्ष 2021–22 के दौरान एलएचडीसीपी के तहत घटकों के रूप में विलय कर दिया गया।

किसानों के द्वार पर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम छोर तक प्रदायगी करने के उद्देश्य से स्थापित मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए, केंद्र सरकार दूरदराज के क्षेत्रों में पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए एमवीयू की खरीद और अनुकूलन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

राज्य द्वारा प्राथमिकता प्राप्त आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विदेशी, आकस्मिक और जूनोटिक पशु रोगों के नियंत्रण के लिए पशु रोग नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (एएससीएडी) भी क्रियान्वित की जा रही है।

एलएचडीसीपी घटकों का विवरण निम्नानुसार है:

6.2.1. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी):

खुरपका–मुंहपका रोग (एफएमडी) और ब्रुसेलोसिस (एनएडीसीपी) के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम को विभाग द्वारा वर्ष 2019 में पशुयूथ प्रतिरक्षा के विकास के माध्यम से एफएमडी और ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। खुरपका–मुंहपका रोग (एफएमडी) और ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम को मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 3 जून, 2019 के पत्र

संख्या 17/सीएम/2019 माध्यम से एक अलग 100% केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) योजना के रूप में अनुमोदित किया गया था, जिसमें वर्ष 2019–20 से वर्ष 2023–24 तक पांच वर्षों के लिए 13,343.00 करोड़ रुपये का परिव्यय था, जिसका उद्देश्य टीकाकरण के साथ वर्ष 2025 तक एफएमडी पर पूर्ण नियंत्रण और वर्ष 2030 तक इसका अंतिम उन्मूलन और ब्रुसेलोसिस पर नियंत्रण करना था। वर्ष 2021 में इस कार्यक्रम को पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) के अंतर्गत शामिल कर लिया गया।

राज्यों को टीकाकरण सहायक उपकरण खरीदने, टीका लगाने वालों को पारिश्रमिक देने, राज्यों के लिए कोल्ड चेन अवसंरचना (वॉक–इन–कोल्ड रूम, कोल्ड कैबिनेट, आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर, टीका कैरियर, एक्टिव कूल बॉक्स आदि) के विकास, निगरानी और मॉनीटरिंग तथा आईईसी/जागरूकता अभियान के लिए 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

6.2.1.1 एनएडीसीपी–एफएमडी:

खुरपका और मुंहपका रोग आर्थिक रूप से प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके कारण हर साल लगभग 24,000 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है और यह भारत के बाहर भारतीय पशु उत्पादों की स्वीकार्यता को प्रभावित करता है। इस रोग को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूओएएच) द्वारा नियंत्रण और उन्मूलन के लिए प्राथमिकता वाले रोग के रूप में वैश्विक रूप से मान्यता दी गई है।

वर्ष 2024–25 के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को कुल 34.80 करोड़ एफएमडी टीका खुराकें आपूर्ति की गईं। इस अवधि के दौरान, लगभग 22.36 करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया गया और लगभग 5.57 करोड़ किसान लाभान्वित हुए। इसके अलावा, सहायक उपकरण, जागरूकता, पारिश्रमिक और कोल्ड चेन उपकरण के लिए लगभग 212.99 करोड़ रुपये जारी किए गए।

एफएमडी के अंतर्गत टीकाकरण

वर्ष 2024–2025 में एफएमडी प्रकोप में पिछले वर्षों की तुलना में काफी कमी आई है। एफएमडी प्रकोप वर्ष 2018 में 227 मामलों से जून 2024 तक 66 प्रकोपों तक लगातार कम हो रहा है।

ये प्रकोप छिटपुट प्रकृति के हैं तथा ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें एफएमडी से बहुत सीमित संख्या में पशु प्रभावित हुए हैं तथा यह आसपास की सामूहिक प्रतिरक्षा के कारण नहीं फैला।

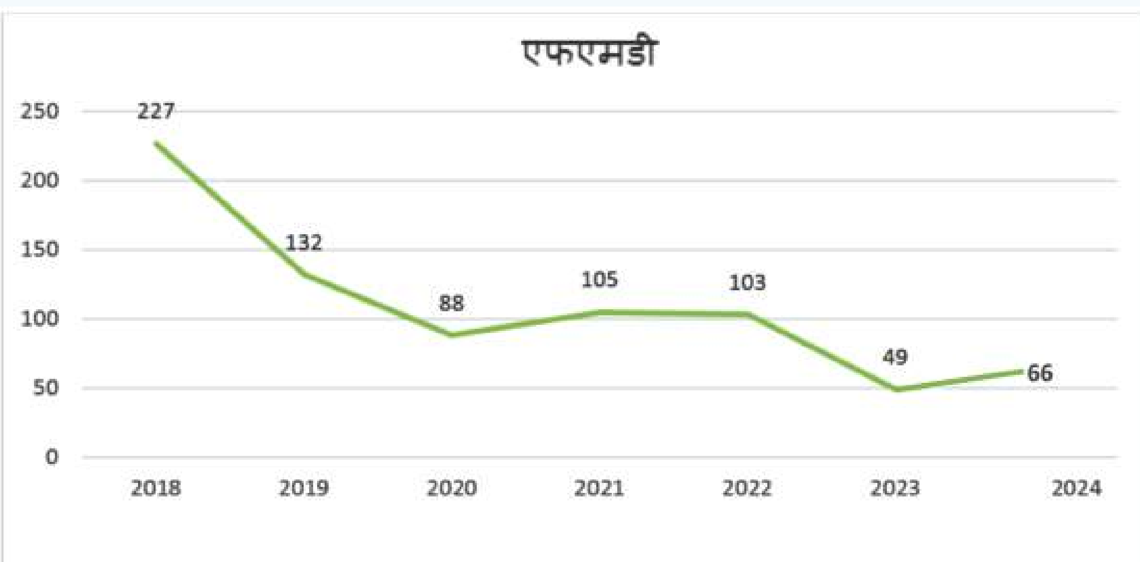

6.2.1.2 एनएडीसीपी–ब्रुसेलोसिस :

ब्रुसेलोसिस गोपशुओं और भैंसों की एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजनन रोग है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव गर्भपात के रूप में सामने आता है और यह मनुष्यों में भी फैलती है क्योंकि यह जूनोटिक है। यह एक गंभीर व्यावसायिक खतरा भी है और भारत में स्थानिक है।

इस घटक में, ब्रुसेलोसिस से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरे देश में मादा बोवाइन बछड़ों (4–8 महीने की आयु) को टीका लगाया जाता है।

इस घटक के तहत वर्ष 2024–25 में दिसम्बर 2024 तक ब्रुसेलोसिस के लिए लगभग 39.39 लाख टीकाकरण किए जाएंगे।

ब्रुसेलोसिस के लिए टीकाकरण

6.2.2 अन्य गंभीर पशु रोग

6.2.2.1 पीपीआर–ईपी:

पेस्टे डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स – उन्मूलन कार्यक्रम (पीपीआर–ईपी) – पीपीआर जिसे भेड़ और बकरी प्लेग के रूप में भी जाना जाता है, एक अत्यधिक संक्रामक ट्रांसबाउंड्री पशु रोग है जो घरेलू और जंगली छोटे जुगाली करने वाले पशुओं को प्रभावित करता है। यह गंभीर रुग्णता और मृत्यु दर के रूप में पहचाना जाता है और हमारे देश पर जहां छोटे जुगाली करने वाले पशु आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, वहां इसका उच्च आर्थिक प्रभाव पड़ता है।

इस घटक में, देश की पूरी भेड़ और बकरी आबादी का पीपीआर टीकाकरण किया जा रहा है ताकि छोटी जुगाली करने वाली पूरी पशु आबादी को 100% प्रभावी कवरेज मिल सके। प्रवासी पशुयूथ/पशुओं को भी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

कुल वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान पीपीआर के मुकाबले लगभग 2.76 करोड़ टीकाकरण किए गए ।

पीपीआर के लिए टीकाकरण

6.2.2.2 सीएसएफ–नियंत्रण कार्यक्रमः

क्लासिकल स्वाइन फीवर (सीएसएफ), जिसे हॉग हैजा के नाम से भी जाना जाता है, घरेलू और जंगली सूअरों का एक संक्रामक वायरल रोग है और यह आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। क्लासिकल स्वाइन फीवर वायरस से संक्रमित सूअरों में न्यूरोलॉजिकल लक्षण, प्रजनन विफलता और गर्भपात हो सकता है। क्लासिकल स्वाइन फीवर के लिए रोग नियंत्रण कार्यक्रम में सूअरों की पूरी आबादी को कवर करने के लिए सूअरों की आबादी वाले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

कुल वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान सीएसएफ के मुकाबले लगभग 5.42 लाख टीकाकरण किए गए ।

सीएसएफ–ईपी के अंतर्गत सीएसएफ के लिए टीकाकरण

6.2.3 पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसी)

6.2.3.1 ईएसवीएचडी–एमवीयूः

पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण– मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां (ईएसवीएचडी–एमवीयू) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं ताकि किसानों/पशु मालिकों को उनके द्वार पर निदान उपचार, टीकाकरण, मामूली शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप, दृश्य–श्रव्य सहायक उपकरण और विस्तार सेवाएं प्रदान की जा सकें। देश में प्रति 1 लाख पशुधन आबादी पर एक एमवीयू की सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

इस घटक के अंतर्गत, निदान, उपचार, नमूना संग्रह, छोटी सर्जरी और ऑडियो–विजुअल सहायक उपकरण आदि के लिए उपकरणों से पूरी तरह युक्त कस्टमाइज्ड मोबाइल वैन/वाहन पर होने वाले गैर–आवर्ती व्यय के लिए 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। हालांकि मोबाइल वैन/वाहन, कॉल सेंटर और आउटसोर्स्ड मैनपावर सेवाओं को चलाने पर होने वाले आवर्ती व्यय में केंद्रीय–राज्य निधि साझाकरण 60–40/उत्तर पूर्व और पर्वतीय राज्यों के लिए 90–10/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% का पैटर्न होगा।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान दिसंबर 2024 तक एमवीयू चलाने के लिए आवर्ती व्यय के लिए 23 राज्यों को 116.05 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। अब तक कुल 4016 एमवीयू चालू हैं और वर्ष 2024–25 में दिनांक 39.28 लाख किसान लाभान्वित हुए और 90.47 लाख पशुओं का इलाज किया गया।

एमवीयू कॉल सेंटर, वाहन स्थान, पशु उपचार और शिविर

6.2.3.2 पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी) :

यह घटक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पशुओं के आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रोगों के लिए टीकाकरण के लिए सहायता पर केंद्रित है, जिसे राज्यों द्वारा प्रचलित रोग (रोगों) और किसानों को हुए नुकसान के अनुसार प्राथमिकता दी जाती है। एंथ्रेक्स, रेबीज आदि जैसे जूनोटिक पशु रोगों के लिए टीकाकरण पर भी बल दिया जाता है। रोग निदान किटों/टीकों के उत्पादन के पूरक के लिए और रोग निदान के लिए राज्य जैविक उत्पादन इकाइयों और रोग निदान प्रयोगशालाओं को भी एएससीएडी के तहत सुदृढ़ और समर्थित किया जाता है। इस घटक के तहत प्राथमिकता वाला एक अन्य कार्यकलाप 'आकस्मिक और विदेशी रोगों का नियंत्रण' है। इसमें विदेशी रोगों और आकस्मिक/पुनः उभरने वाले पशु रोगों के प्रवेश को रोकने के लिए निगरानी और संबंधित कार्यकलाप शामिल हैं। पक्षियों की कलिंग (culling), संक्रमित पशुओं को एलिमिनेट करने और परिचालन लागत सहित चारा/अंडों को नष्ट करने के लिए किसानों को मुआवजे के भुगतान के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

एएससीएडी में केंद्रीय–राज्य निधि साझाकरण पैटर्न उत्तर पूर्व और पर्वतीय राज्यों के लिए यह 90:10 के आधार पर, अन्य राज्यों के लिए 60:40 का और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% साझा किया जाता है। अनुसंधान और नवाचार, प्रचार और जागरूकता, प्रशिक्षण और संबद्ध कार्यकलापों के तहत कार्यकलापों के लिए 100% केंद्रीय सहायता दी जाती है।

दिसंबर 2024 तक वर्ष 2024–25 के लिए 21 राज्यों को 77.12 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है ।

एमवीयू की स्थिति, टीकाकरण और रोग की घटना: वर्ष 2024 (जनवरी से जून, 2024) के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से एकत्रित एमवीयू की स्थिति, टीकाकरण और रोग की घटना का विवरण **अनुबंध X** और **XI** में है ।

6.3 जूनोटिक, उभरते और पुनः उभरने वाले रोगों का नियंत्रण

6.3.1. लंपी त्वचा रोग (एलएसडी)

लंपी त्वचा रोग (एलएसडी) गोपशुओं और भैंसों का एक संक्रामक वायरल रोग है जो कैप्रिपॉक्स वायरस के कारण होता है। यह मच्छरों, काटने वाली मक्खियों और टिक्स जैसे आर्थ्रोपोड वैक्टर द्वारा फैलता है। इस रोग की विशेषता 2–3 दिनों के लिए हल्का फीवर है जिसके बाद कठोर, गोल त्वचा संबंधी गांठें (2–5 सेमी व्यास) विकसित होती हैं। पशु अक्सर 2–3 सप्ताह की अवधि के भीतर ठीक हो जाते हैं। रुग्णता दर लगभग 10–20% है और मृत्यु दर लगभग 1–5% है।

भारत में, सितंबर, 2019 के दौरान एनआईएचएसएडी (NIHSAD), भोपाल द्वारा पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों में लंपी त्वचा रोग की प्रारंभिक पुष्टि की गई थी। बाद में अन्य राज्यों में भी इस रोग की पुष्टि की गई। जैव सुरक्षा उपायों, उपचार, निगरानी, निदान और टीकाकरण (कालीन और नियंत्रित) के संबंध में विभाग द्वारा विकसित परामर्शी और दिशा–निर्देश सभी प्रभावित और गैर–प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए, ताकि गोटपॉक्स टीका (उत्तरकाशी स्ट्रेन) का उपयोग करके वार्षिक टीकाकरण के लिए समयसीमा सहित आवश्यक कार्रवाई की जा सके। क्षेत्र में बेहतर योजना बनाने के लिए प्रभावित राज्यों को आवश्यक मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता देने के लिए केंद्रीय टीमों को भी तैनात किया गया।

वर्ष 2024 के दौरान यह रोग पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, केरल और महाराष्ट्र में देखा गया।

वर्ष 2024–25 के दौरान लगभग 8.54 करोड़ गोपशुओं का टीकाकरण किया गया है। प्रभावित पशुओं के ठीक होने की दर 95% है, जिसका मुख्य कारण जैव सुरक्षा और टीकाकरण है।

6.3.2 एवियन इन्फ्लूएंजा

वर्ष 2006 से ही देश में एच5एन1 एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस की रिपोर्ट आ रही है। सरकार ने तुरंत नियंत्रण और रोकथाम अभियान चलाए और रोग को नियंत्रित किया। आगे चलकर जूलॉजिकल पार्कों के लिए दिशा–निर्देश तैयार किए गए और उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए जारी किए गए।

विभिन्न उपरिकेंद्रों पर एवियन इन्फ्लूएंजा (एचपीएआई) के प्रकोप के लिए एवियन इन्फ्लूएंजा की तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम पर मौजूदा कार्य योजना, 2021 के दिशानिर्देशों के अनुसार नियंत्रण और रोकथाम अभियान चलाए गए।

एलएचडीसीपी के एएससीएडी घटक के तहत, भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ लागत को समान रूप से साझा करेगी (50:50)। हालांकि, सरकारी स्वामित्व वाले फार्मों में होने वाले नुकसान के लिए कोई मुआवजा लागू नहीं होता है।

तालिकाः वर्ष के दौरान एवियन इन्फ्लूएंजा के प्रकोप (दिनांक 31 दिसंबर, 2024 तक)

अवधि	प्रभावित राज्य	अभिकेन्द्रों की संख्या	वध किए गए पक्षियों की संख्या (लाख में)
फरवरी 2024	आंध्र प्रदेश	2	0.003
मार्च 2024	महाराष्ट्र	1	0.087
अप्रैल और मई 2024	झारखंड	2	0.03
अप्रैल से जुलाई 2024	केरल	38+18*	1.93
अगस्त और दिसंबर 2024	ओडिशा	6	0.71

कार्य योजना के अनुसरण में निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है:

(i) प्रभावित क्षेत्र के 0–1 किमी के क्षेत्र में सम्पूर्ण पोल्ट्री आबादी को मार दिया जाता है।

(ii) एवियन इन्फ्लूएंजा के निदान को सुदृढ़ करने के लिए जालंधर, कोलकाता, बैंगलोर और बरेली में चार बायो–सेफ्टी लेवल 3 (बीएसएल–III) प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, एनईआरडीडीएल, गुवाहाटी को एक मोबाइल बीएसएल–III प्रयोगशाला प्रदान की गई है। ये प्रयोगशालाएं पहले से ही चालू हैं।

(iii) सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियानों के माध्यम से एवियन इन्फ्लूएंजा के बारे में आम जनता को जागरूक करना।

(iv) सभी राज्य सरकारों को समय–समय पर रोग के प्रकोप के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा जाता है।

(v) रोग नियंत्रण, निगरानी और जैव सुरक्षा के महत्व के विभिन्न पहलुओं पर पोल्ट्री किसानों के मार्गदर्शन के लिए राज्यों को समय–समय पर परामर्श जारी किए जाते हैं।

पोल्ट्री संबंधी मुआवजा दरों में संशोधन

एवियन इन्फ्लूएंजा की रोकथाम, नियंत्रण और रोकथाम, 2021 के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुसार, प्रकोप के अभिकेंद्र के 1 किलोमीटर के दायरे में पोल्ट्री पक्षियों को मारना, अंडों को नष्ट करना और पोल्ट्री फ़ीड का निपटान करना अनिवार्य है। इन उपायों से प्रभावित किसानों को प्रक्रिया के हिस्से के रूप में उनके नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाता है।

इस विभाग की तकनीकी समिति की सिफारिशों और 29 और 30 अप्रैल, 2024 को विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ परामर्श के बाद, संशोधित मुआवजा दरों को मंजूरी दी गई और उन्हें आधिकारिक तौर पर सितंबर 2024 में जारी किया गया। इन अद्यतन दरों का उद्देश्य देश भर में पाले जाने वाले विभिन्न पोल्ट्री प्रजातियों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करना है। दरों का अंतिम संशोधन मई 2013 में हुआ था।

6.3.3 सूअरों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर (एएसएफ):

अफ़्रीकी स्वाइन फीवर (एएसएफ) सूअरों, जंगली सूअरों/जंगली सूअरों और सभी नस्लों और उम्र के अन्य सूअरों की एक अत्यधिक संक्रामक और संक्रामक रक्तस्रावी वायरल रोग है। मृत्यु दर 100% तक है। एएसएफ मानव या अन्य पशुधन प्रजातियों को संक्रमित नहीं करता है। यह एस्फारिविरिडे परिवार, जीनस एस्फीवायरस के डीएनए वायरस के कारण होता है। ऊष्मायन अवधि 4 से 19 दिनों तक भिन्न होती है।

भारत में, अफ्रीकी स्वाइन फीवर (एएसएफ) की पुष्टि एनआईएचएसएडी, भोपाल द्वारा जून, 2020 के दौरान प्रारंभ में अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में और उसके बाद एनईआर और देश के अन्य राज्यों में की गई है। विभाग ने भारत में अफ्रीकी स्वाइन फीवर (एएसएफ) के नियंत्रण, रोकथाम और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है और सभी हितधारकों को प्रसारित की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र से कार्य योजना में निहित उपयुक्त कार्रवाई करने का आग्रह किया गया ताकि अफ्रीकी स्वाइन फीवर (एएसएफ) को एक निश्चित समयसीमा में देश से नियंत्रित, रोका और मिटाया जा सके। क्षेत्र में बेहतर योजना बनाने के लिए प्रभावित राज्यों को आवश्यक मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता देने के लिए केंद्रीय टीमों को भी तैनात किया गया है। वर्ष 2024 के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मिजोरम और आंध्र प्रदेश में यह रोग देखा गया। वर्ष 2024 के दौरान कुल 99308 सूअरों की मौत हुई और 51261 सूअरों को मारा गया। वर्तमान में, रोग नियंत्रण में है और जैव सुरक्षा उपाय जारी हैं।

6.3.4 घोड़ों में ग्लैंडर्स:

ग्लैंडर्स घोड़ों, गधों और खच्चरों में होने वाली एक संक्रामक और जानलेवा रोग है, जो बर्कहोल्डरिया मैलेई (बी. मैलेई) नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण होती है। ग्लैंडर्स पर नियंत्रण के लिए संदिग्ध नैदानिक मामलों की जांच, सामान्य दिखने वाले घोड़ों की जांच और रिएक्टरों को खत्म करने की आवश्यकता होती है। बी. मैलेई में जूनोटिक क्षमता होती है और इसे संभावित जैविक युद्ध या जैव आतंकवाद एजेंट माना जाता है क्योंकि यह मनुष्यों में अत्यधिक घातक रोग पैदा कर सकता है।

ग्लैंडर रोग का नैदानिक मामला

पशुपालन और डेयरी विभाग ने भारत में ग्लैंडर्स के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य भारत में घोड़ों में ग्लैंडर्स की निगरानी, नियंत्रण और उन्मूलन करना है।

उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ग्लैंडर्स के मामले देखे गए हैं और तदनुसार, विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों को तेज करने सहित नियंत्रण करने और जैव–सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए परामर्शियां जारी की गई थी।

अवसंरचना और जैव–सुरक्षा व्यवस्था के अपेक्षित मूल्यांकन के बाद, विभाग ने रक्षा सेवाओं/निजी प्रतिष्ठानों की 16 अश्वपालन सुविधाओं को अलग ग्लैंडर्स–मुक्त क्षेत्रों के रूप में मान्यता दी।

तालिकाः वर्ष 2024 के दौरान कुल मामलों की संख्या निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	घटना
1	उत्तर प्रदेश	2
2	हरियाणा	4
3	गुजरात	2
4	कर्नाटक	1
5	पश्चिम बंगाल	1
6	उत्तराखंड	2
7	दिल्ली	2
कुल		**14**

6.3.5 कैनाइन रेबीज़ः

वर्ष 2030 तक कुत्तों से फैलने वाले रेबीज को समाप्त करने के वैश्विक प्रयास के एक भाग के रूप में, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (एनआरसीपी), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी) ने अन्य हितधारकों के परामर्श से मिलकर वर्ष 2030 तक भारत से कुत्तों से फैलने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीआरई) तैयार की है।

दिनांक 28 सितंबर 2021 को वर्ष 2030 तक भारत से कुत्ते से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना' को माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से आरंभ किया गया।

एनएपीआरई एक मार्गदर्शन दस्तावेज़ है जो राज्यों को रोग की व्यापकता, संख्या जनसांख्यिकी और संसाधन उपलब्धता के आधार पर अपने राज्यों के लिए उपयुक्त राज्य कार्य योजनाओं का प्रारूप तैयार करने में सक्षम बनाता है। इस दस्तावेज़ ने देश में कुत्ते से होने वाले रेबीज को नियंत्रित करने और चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की रणनीतियों का पहचाना गया है। यह दस्तावेज़ रेबीज मुक्त क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए कदमों और कार्यकलापों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। इसका उद्देश्य निरंतर बड़े पैमाने पर कुत्तों के टीकाकरण, जोखिम से पहले और बाद में प्रोफिलैक्सिस और सार्वजनिक शिक्षा के माध्यम से रेबीज के जोखिम को व्यवस्थित रूप से कम करना है।

वर्ष 2024 के दौरान कुत्तों से होने वाले रेबीज के नियंत्रण और रोकथाम पर जागरूकता लाने के लिए विभाग द्वारा 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया।

6.4 पशुचिकित्सा पद्धति का विनियमनः

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के प्रावधान के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद पशु चिकित्सा पद्धतियों को विनियमित करने के साथ–साथ देश भर के सभी पशु चिकित्सा संस्थानों में पशु चिकित्सा शिक्षा विनियमों के न्यूनतम मानक के माध्यम से पशु चिकित्सा शिक्षा के समान मानकों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद में 27 सदस्य होते हैं – 5 (पांच) सदस्य, जो भारत सरकार द्वारा उन राज्यों के पशुपालन निदेशकों में से नामित होते हैं, जिन राज्यों पर यह अधिनियम कार्यान्वित होता है, 4 (चार) सदस्य, उन राज्यों के पशु चिकित्सा संस्थानों के प्रमुखों में से, जिन पर यह अधिनियम कार्यान्वित होता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा नामित 1 (एक) सदस्य, पशुपालन और डेयरी विभाग (पशुपालन और डेयरी विभाग), मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1 (एक) सदस्य, भारतीय पशु चिकित्सा संघ द्वारा नामित 1 (एक) सदस्य, उन राज्यों के राज्य पशु चिकित्सा परिषदों के अध्यक्षों में से नामित 1 (एक)

सदस्य, जिन राज्यों पर यह अधिनियम कार्यान्वित होता है और उन राज्यों के राज्य पशु चिकित्सा संघों के अध्यक्षों में से नामित 1 (एक) सदस्य, जिन पर यह अधिनियम कार्यान्वित होता है पशुपालन आयुक्त, भारत सरकार और सचिव, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद परिषद के पदेन सदस्य हैं।

देश में प्रशिक्षित पशु चिकित्सा जनशक्ति की कमी को पूरा करने के लिए, मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या अब बढ़कर 58 हो गई है। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद की सिफारिश के आधार पर, विभाग ने वर्ष 2024 के दौरान पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए तीन नए प्रस्तावों को बीवीएससी और एएच शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुमति पत्र जारी किया है।

देश में पशु चिकित्सा शिक्षा के मानकों को विनियमित करने और पशु चिकित्सा शिक्षा डिग्री पाठ्यक्रम (बीवीएससी और एएच) विनियम, 2016 के न्यूनतम मानकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए परिषद पशु चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 19 और 20 के प्रावधानों के तहत समय–समय पर बीवीएससी और एएच डिग्री प्रदान करने वाली परीक्षाओं के संबंध में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों का निरीक्षण करती है। वीसीआई द्वारा वर्ष 2024 (01.04.2024 से 31.12.2024) के दौरान पशु चिकित्सा महाविद्यालयों के कुल 33 निरीक्षण किए गए।

परिषद ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 24 और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (पंजीकरण) विनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय पशु चिकित्सा परिषद में अपना नाम पंजीकृत कराने के इच्छुक 1017 चिकित्सकों को सीधे पंजीकृत किया है। वर्ष के दौरान, परिषद ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 52 के प्रावधानों के अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य में पशु चिकित्सा चिकित्सकों के पंजीकरण के हस्तांतरण के लिए 374 आवेदनों का निपटारा किया।

परिषद ने वर्ष 2024 के दौरान 15% अखिल भारतीय कोटा सीटों को भरने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित की और बी.वी.एस.सी. और ए.एच. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 734 सीटें भरी गईं।

6.5 एनडीएमए के सहयोग से आपदा/संकट प्रबंधन में भूमिका :

विभाग आपदा/संकट से निपटने और पशुधन क्षेत्र के संबंध में दिशा–निर्देश और परामर्शी तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्मी, शीत लहर, आंधी और बाढ़/मानसून के संबंध में आपदा प्रबंधन योजना और दिशा–निर्देश/परामर्शी तैयार की गई है और अग्रिम तैयारी कार्रवाई करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई है।

6.6 पशु स्वास्थ्य संस्थान

ये शीर्ष स्तर के संस्थान हैं जो टीकों के गुणवत्ता नियंत्रण, बाहर से रोग के प्रवेश को रोकने तथा रोग निदान और निगरानी आदि में शामिल हैं।

6.6.1 चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान (सीसीएसएनआईएएच), बागपत

चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना बागपत, उत्तर प्रदेश में भारत में मानक, कुशल और सुरक्षित पशु चिकित्सा जैविक के गुणवत्ता नियंत्रण और आश्वासन का कार्य करने और देश में पशु चिकित्सा टीकों के लाइसेंस की सिफारिश करने के लिए एक नोडल संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए की गई है, जिसका उद्देश्य मानक, कुशल और सुरक्षित पशु चिकित्सा जैविक का उपयोग करके भारतीय उपमहाद्वीप में स्वस्थ और उत्पादक पशुधन को बढ़ावा देना है। संस्थान को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दो रोगों अर्थात् हेमोरेजिक सेप्टीसीमिया और रानीखेत रोग के पशु चिकित्सा जैविक के गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण के लिए दिनांक 11 मार्च, 2019 की राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 213, (ई) के माध्यम से केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला (सीडीएल) के रूप में मान्यता दी गई है। संस्थान ने विभिन्न स्तनधारी कोशिका रेखाओं, बैक्टीरिया और वायरस के संदर्भ संवर्धन को बनाए रखा है और संवर्धन रखरखाव की प्रणाली स्थापित की है। संस्थान ने एफएमडी, ब्रुसेला, सीएसएफ और पीपीआर नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए टीका परीक्षण एसओपी के विकास और संकलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष के दौरान संस्थान ने एफएमडी एंटीबॉडी के खिलाफ सीरो–नेगेटिविटी के लिए विभिन्न राज्य और केंद्रीय फार्मों से 373 पशुओं की जांच की है और सभी मापदंडों के आधार पर एफएमडी टीकों के 12 बैचों का परीक्षण पूरा किया है। इसी तरह वर्ष के दौरान विभाग के नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ब्रुसेला टीकों के 18 बैचों का सुरक्षा परीक्षण किया गया है। एलएचडीसीपी कार्यक्रम के तहत पीपीआर टीकों के 34 बैचों का गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण पूरा किया गया।संस्थान ने संस्थान के पूर्ण सीडीएल के संबंध में डीसीजीआई की संयुक्त निरीक्षण समिति के अनुपालन को पूरा कर लिया है। एफएमडी टीका परीक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करने पर विश्व संदर्भ प्रयोगशाला–भारत सहयोग परियोजना के तहत, कार्य पैकेजों के तहत किट सत्यापन से संबंधित कार्यकलापयाँ चल रही हैं। संस्थान ने एफएमडी, यूके, प्रवीणता परीक्षण योजना अभ्यास चरण XXXV पर विश्व संदर्भ प्रयोगशाला में भाग लिया और 4 में से 4 अंक हासिल किए, जहां परीक्षण में संस्थान का प्रदर्शन और व्याख्या उद्देश्य के लिए उपयुक्त पाई गई और जहां आगे कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी। संस्थान को राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत आईसीएमआर की महामारी की तैयारी और प्रकोप जांच के लिए बीएसएल 3/4 नेटवर्क प्रयोगशाला को भागीदार प्रयोगशालाओं में से एक के रूप में नामित किया गया

है। कार्यक्रम के तहत, संस्थान के अधिकारियों ने एनआईवी, पुणे और आईसीएआर–एनआईएचएसएडी भोपाल में बीएसएल –3 प्रयोगशाला में उच्च जोखिम वाले रोगजनकों से निपटने के लिए जैव सुरक्षा और जैव सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण लिया संस्थान ने एफएओ और पशुपालन और डेयरी विभाग के सहयोग से आयोजित पशु संक्रामक रोग प्राथमिकता (एआईडीपी) और आईएसएवीईटी में भी सहायता की। संस्थान एफएओ के महामारी निधि के तहत टीएडी, ईआईडी और जूनोटिक रोगों (आईएनटीईजेड) और जीनोमिक निगरानी के लिए भारतीय नेटवर्क (आईएनजीईएस) के लिए भारतीय नेटवर्क में अपनी भागीदारी के लिए तैयार है। सीसीएसएनआईएएच की जैव–रोकथाम सुविधा के उन्नयन के लिए विभाग के दूरदर्शी कदम के तहत, संस्थान को 160 करोड़ रुपये का बजटीय परिव्यय प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा चरणबद्ध तरीके से उन्नयन कार्य शुरू किया गया है।

संस्थान ने आधिकारिक संचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए चार एक दिवसीय 'हिंदी कार्यशाला' और एक 'हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन किया। संस्थान ने स्वच्छता अभियान 4.0 के तहत परिसर के अंदर और बाहर कई सफाई कार्यकलाप आयोजित किए हैं। संस्थान ने 23 दिसंबर 2024 को केवीके, खेकड़ा में किसान सम्मान दिवस मेले में भी भाग लिया।

इसके अलावा संस्थान के अधिकारियों ने विभिन्न अन्य वैज्ञानिक सम्मेलनों/ई–सम्मेलनों/वेबिनार/टीकाकरण प्रशिक्षणों और बैठकों/समन्वय अभ्यासों में भाग लिया।

सीसीएसएनआईएएच, बागपत से संबंधित जानकारी इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.ccsniah@gov.in पर उपलब्ध है ।

सीसीएस एनआईएएच, बागपत में कार्यक्रम, प्रयोगशाला भ्रमण, सेमिनार, स्टॉल और संबद्ध कार्यकलाप

6.6.2 पशु संगरोध और प्रमाणन सेवा (एक्यूसीएस)

पशु संगरोध केन्द्रों की स्थापना का उद्देश्य और दायरा आयातित पशुधन और पशुधन उत्पादों के माध्यम से देश में विदेशी रोगों के प्रवेश को रोकना है। बढ़ता और तेज़ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और यात्रा हर देश को ज्ञात और अज्ञात संक्रामक पशु रोगों की घुसपैठ के खतरों के प्रति उजागर करती है, जिनके तेजी से फैलने की संभावना होती है और साथ ही सामाजिक–आर्थिक और मानव/पशु स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। देश को विदेशी रोगों से मुक्त रखने के लिए संगरोध सेवाएँ आवश्यक हैं।

पशुओं में होने वाले कई संक्रामक रोग दूसरे देशों में भी व्याप्त हैं, लेकिन भारत उनसे मुक्त है। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे विदेशी रोग, विदेशों से पशुओं और पशुधन उत्पादों की आवाजाही के ज़रिए हमारे देश में प्रवेश न कर पाएं। पशुओं रोगों पर नज़र रखने की पूरी प्रक्रिया का उत्तरदायित्व विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, (पूर्व में ऑफिस डेस इंटरनेशनल एपिजूटीज (ओआईई) का है, जो अपने स्थलीय और जलीय पशु स्वास्थ्य कोड की मदद से यह कार्य करता है। ओआईई के पास प्रचलित रोगों (जलीय और स्थलीय) की एक सूची है।

ज़ूनोसिस भी एक्यूसीएस का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें एक्यूसीएस नियमों के सख्त कार्यान्वयन से मानव स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों/बंदरगाहों और भूमि मार्गों पर जांच करने के लिए एक कुशल पशु संगरोध संगठन आवश्यक है क्योंकि पशुधन बिना किसी नैदानिक रोग के लक्षण के भी गुप्त रूप से रोगाणुओं को ले जा सकता है; उन्हें देश में छोड़ने से पहले उनकी रोगाणु–मुक्त स्थिति स्थापित करने के लिए निरीक्षण और परीक्षण के लिए संगरोध में रखा जाना चाहिए। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में छह पशु संगरोध स्टेशन हैं।

AQCS से संबंधित सभी जानकारी इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.aqcsindia.gov.in पर उपलब्ध है।

6.7 डब्ल्यूओएएच से संबंधित कार्यकलाप

6.7.1 पीपीआर और लेप्टोस्पायरोसिस के लिए डब्ल्यूओएएच संदर्भ प्रयोगशाला की मान्यता

डब्ल्यूओएएच ने आवेदन को अनुमोदन दे दिया है और आईसीएआर–राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, हिसार में इक्वाइन पिरोप्लास्मोसिस की प्रयोगशालाओं को इक्वाइन पिरोप्लास्मोसिस के लिए डब्ल्यूओएएच संदर्भ प्रयोगशाला और आईसीएआर–राष्ट्रीय पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान और रोग सूचना विज्ञान संस्थान (एनआईवीईडीआई) में पीपीआर तथा लेप्टोस्पायरोसिस की प्रयोगशालाओं को पीपीआर और लेप्टोस्पायरोसिस के लिए डब्ल्यूओएएच संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में नामित किया है।

भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं, नैदानिक अवसंरचना और महत्वपूर्ण पशु स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में नेतृत्व को बढ़ाने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

डब्ल्यूओएएच संदर्भ प्रयोगशाला का यह दर्जा न केवल अनुसंधान और निदान में उच्चतम अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रति भारत के पालन की पुष्टि करता है, बल्कि वैश्विक पशु स्वास्थ्य में भारत के योगदान को सुविधाजनक बनाने में पशुपालन और डेयरी विभाग की भूमिका को भी सुदृढ़ करता है। रोग नियंत्रण के लिए एक परस्पर जुड़े वैश्विक दृष्टिकोण के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग का दृष्टिकोण इस उपलब्धि में परिलक्षित होता है, जो ज्ञान के आदान–प्रदान को बढ़ावा देगा और पशु स्वास्थ्य नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा को सुदृढ़ करेगा।

6.8 प्रकोप प्रबंधन और प्रतिक्रिया के लिए तैयारी

6.8.1 एवियन इन्फ्लूएंजा प्रकोप और प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास

पशुपालन और डेयरी विभाग ने विश्व बैंक के साथ साझेदारी में 19–20 जून, 2024 को मध्य प्रदेश के भोपाल में एवियन इन्फ्लूएंजा प्रकोप और प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास का आयोजन किया। अभ्यास में प्रकोप का पता लगाने, त्वरित प्रतिक्रिया रणनीतियों और अंतर–एजेंसी समन्वय पर जोर दिया गया।

इंटरैक्टिव परिदृश्यों ने वास्तविक जीवन की प्रकोप स्थितियों का अनुकरण किया, जिससे प्रतिभागियों को व्यावहारिक संकट प्रबंधन कौशल से युक्त किया गया। मुख्य विषयों में निगरानी प्रणाली, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल और एवियन इन्फ्लूएंजा के प्रसार को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक संचार रणनीतियाँ शामिल थीं।

19–20 जून, 2024 को भोपाल, मध्य प्रदेश में एवियन इन्फ्लूएंजा प्रकोप और प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास

6.8.2 पशुधन रोगों के लिए संकट प्रबंधन योजना (सीएमपी) :

25 अक्टूबर, 2024 को नई दिल्ली में महामारी निधि परियोजना शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान पशुधन रोगों के लिए संकट प्रबंधन योजना (सीएमपी) आरंभ की गई, जो पशुधन रोग प्रकोपों के लिए तैयारी, प्रतिक्रिया और उससे उबरने के लिए बनाई गई एक व्यापक रणनीति है। इसमें जोखिम मूल्यांकन, हितधारक जुड़ाव, जैव सुरक्षा उपाय और प्रकोप के बाद की वसूली शामिल है, जो सभी "पशुओं में संक्रामक और संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 2009" के अनुरूप हैं।

सीएमपी का उद्देश्य पशुधन रोग संकटों से तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति के लिए एक संरचित ढांचा स्थापित करना, पशु मृत्यु दर को कम करना, रोग के प्रसार को रोकना और पशु स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता की त्वरित बहाली सुनिश्चित करना है। यह योजना पशुधन रोग प्रकोपों से शीघ्र पहचान, प्रभावी प्रतिक्रिया और कुशल पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करती है, जिससे पशु स्वास्थ्य की रक्षा होती है, जूनोटिक रोगों से सार्वजनिक सुरक्षा होती है और आर्थिक नुकसान कम होता है। यह जोखिमों को सक्रिय रूप से संबोधित करके स्वास्थ्य संकटों की गंभीरता और संभावना को भी कम करता है।

25 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में पशुधन रोगों के लिए संकट प्रबंधन योजना जारी की गई

6.8.3 अफ्रीकी स्वाइन फीवर (एएसएफ) पर परामर्शी

पशुपालन और डेयरी विभाग ने 24 सितंबर, 2024 को एएसएफ के नियंत्रण और रोकथाम पर एक परामर्श जारी किया, जिसमें एनएपी–एएसएफ में उल्लिखित महत्वपूर्ण उपायों पर जोर दिया गया। इनमें एनएपी का कार्यान्वयन, जनसंख्या में कमी (सूअरों की कलिंग और चारा सामग्री को नष्ट करना), जैव सुरक्षा उपाय और स्वच्छ आहार पद्धतियां, वन्यजीव अधिकारियों के साथ प्रभावी संपर्क, हितधारकों के साथ सहयोग, शवों का उचित निपटान और कीटाणुशोधन, और डेटा की नियमित और सटीक रिपोर्टिंग शामिल हैं।

6.8.4 पोल्ट्री रोग कार्य योजना–2024:

पोल्ट्री रोग कार्य योजना–2024 का शुभारंभ 13 सितंबर, 2024 को ओडिशा के भुवनेश्वर में मानसून मीट 2024 के दौरान माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा किया गया।

पोल्ट्री रोग कार्य योजना पोल्ट्री क्षेत्र में रोग प्रबंधन के लिए समन्वित और व्यापक दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता के जवाब में विकसित की गई है। यह कार्य योजना पोल्ट्री रोगों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करती है, जो आम और उभरते खतरों दोनों को संबोधित करती है। इसमें रोग प्रबंधन के आवश्यक पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें जैव सुरक्षा अभ्यास, टीकाकरण प्रोटोकॉल, प्रारंभिक पहचान और रिपोर्टिंग प्रणाली, और रोग प्रकोप के लिए प्रतिक्रिया रणनीतियाँ शामिल हैं। दिशा–निर्देश पोल्ट्री उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, छोटे पैमाने के पिछवाड़े के खेतों से लेकर बड़े वाणिज्यिक संचालन तक।

इन उपायों को अपनाकर पोल्ट्री उद्योग की लचीलापन बढ़ाया जा सकता है, पशु स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है, तथा सुरक्षित और पौष्टिक पोल्ट्री उत्पादों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है।

13 सितंबर 2024 को भुवनेश्वर, ओडिशा में पोल्ट्री रोग कार्य योजना का शुभारंभ

6.9 केंद्रीय / क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाएं

राज्यों में 650 मौजूदा रोग निदान प्रयोगशालाओं के अलावा रेफरल सेवाएं प्रदान करने के लिए मौजूदा सुविधाओं को सुदृढ़ करके एक केंद्रीय और पांच क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (*ICAR&IVRI*), इज्जतनगर का पशु रोग अनुसंधान और निदान केंद्र (CADRAD) केंद्रीय रोग निदान प्रयोगशाला (CDDL) के रूप में कार्य कर रहा है। रोग जांच प्रयोगशाला (पुणे), पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा जैविक संस्थान (कोलकाता), पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा जैविक संस्थान (बेंगलुरु), पशु स्वास्थ्य संस्थान (जालंधर) और पशु चिकित्सा जैविक संस्थान, खानापारा (गुवाहाटी) क्रमशः पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी और उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों के लिए रेफरल प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। एनआरडीडीएल (जालंधर), एसआरडीडीएल (बेंगलोर), ईआरडीडीएल (कोलकाता) और सीडीडीएल (इज्जतनगर) की प्रयोगशालाओं को प्री–फैब्रिकेटेड बीएसएल–III प्रयोगशालाओं के साथ सुदृढ़ किया गया है, जबकि एनईआरडीडीएल, गुवाहाटी को एक मोबाइल बीएसएल–III प्रयोगशाला प्रदान की गई है। ये आरडीडीएल एवियन इन्फ्लूएंजा और बोवाइन स्पोंजिफॉर्म एन्सेफैलोपैथी (बीएसई) सहित विभिन्न पशुधन और पोल्ट्री रोगों की निगरानी और निदान में सहायता करते हैं।

- एनईआरडीडीएल एक रेफरल प्रयोगशाला है जो पशुधन और पोल्ट्री के महत्वपूर्ण रोगों के लिए जांच, निदान, निगरानी और मॉनीटरिंग की सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित है, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के अफ्रीकी स्वाइन फीवर और एवियन इन्फ्लूएंजा के लिए संदिग्ध नमूनों के प्रसंस्करण के लिए मोबाइल बीएसएल– ||| प्रयोगशाला से युक्त है।
- रोग निदान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एनआरडीडीएल जालंधर में न्यू कैसल रोग, एवियन इन्फ्लूएंजा, अफ्रीकन स्वाइन फीवर और लेप्टोस्पायरोसिस जैसी रोगों के लिए आरटी–पीसीआर परीक्षण शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त, रेबीज के प्रारंभिक निदान के लिए अब रैपिड टेस्टिंग किट का उपयोग किया जा रहा है।

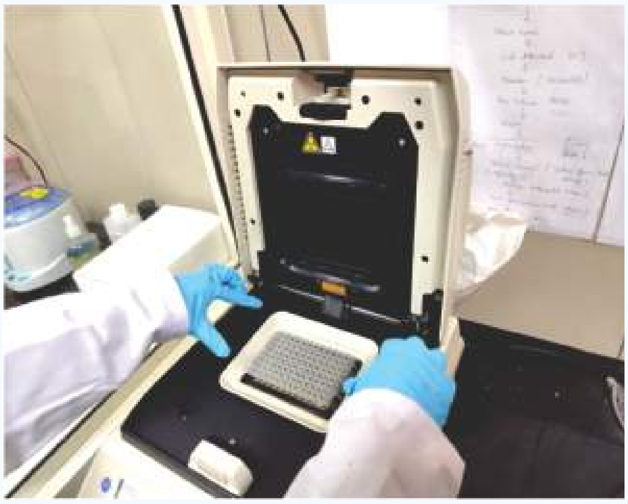
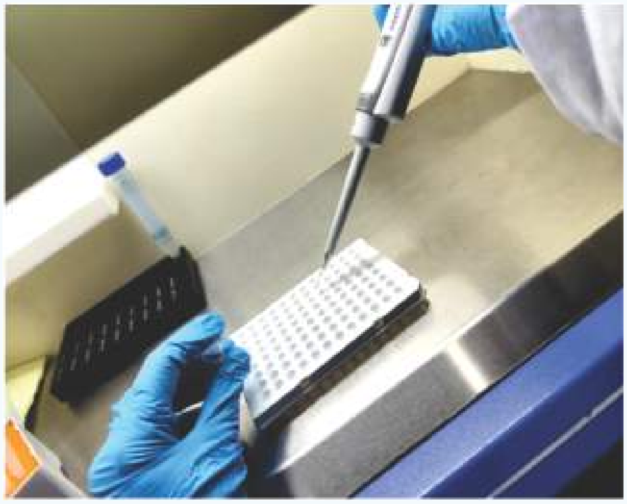

आरडीडीएल में पशु और पोल्ट्री रोगजनकों के लिए आरटी–पीसीआर परीक्षण

- सी.डी.डी.एल. (आई.वी.आर.आई.) विभिन्न हितधारकों को जूनोटिक महत्व के विभिन्न रोगजनकों से निपटने तथा आणविक और सीरोलॉजिकल परीक्षणों द्वारा निदान पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में पशु स्वास्थ्य कार्यकलापों में सहायता कर रहा है। नमूनों का परीक्षण लम्पी स्किन डिजीज, थेलेरिया, एनाप्लाज्मा, खुरपका और मुंहपका रोग, रेबीज, ब्लूटंग वायरस, कैनाइन डिस्टेंपर, ट्राइकोएपिथेलियोमा, एंकिलोस्टोमा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मायोकार्डिटिस, इंटरस्टीशियल न्यूमोनिया, अफ्रीकी स्वाइन फीवर, एवियन इन्फ्लूएंजा जैसी रोगों के लिए बी.एस.ई. निगरानी के साथ किया जाता है। वर्ष 2024 के दौरान, विभिन्न रोगों और स्थितियों के लिए वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, पैथोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी प्रयोगशालाओं में कुल 36,592 नमूनों का विश्लेषण किया गया। वर्ष के दौरान रोग जांच दौरे, स्वास्थ्य जांच और एसटीडी परीक्षण किए गए।

राज्यों में मौजूदा रोग निदान प्रयोगशालाओं के अलावा, रेफरल सेवाएं प्रदान करने के लिए, एक केंद्रीय और पांच क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं और पूरी तरह कार्यात्मक हैं। इसके अलावा, रोगनिरोधी टीकाकरण के माध्यम से प्रमुख पशुधन और पोल्ट्री रोगों के नियंत्रण के लिए , देश में आवश्यक मात्रा में टीकों का उत्पादन किया जाता है।

क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाओं द्वारा जागरूकता कार्यक्रम

6.10 'वन हेल्थ' और जूनोसिस नियंत्रण पहल

वन हेल्थ की यह अवधारणा मानव और पशु स्वास्थ्य (घरेलू पशुओं और वन्यजीवों दोनों सहित) और समग्र रूप से पर्यावरण के लिए जोखिमों को समझने और कम करने के लिए परिकल्पित है। पशु मूल के रोग जो मनुष्यों में फैल सकते हैं (जूनोटिक रोग) जैसे एवियन इन्फ्लूएंजा, रेबीज, ब्रुसेलोसिस, ग्लैंडर्स, निपाह, आदि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए दुनिया भर में जोखिम पैदा करते हैं जो वैश्वीकरण, जलवायु परिवर्तन और मानव व्यवहार में परिवर्तन के साथ बढ़ते हैं, जिससे रोगजनकों को नए क्षेत्रों में बसने और नए रूपों में विकसित होने के कई अवसर मिलते हैं। प्रमुख पहल और कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

6.10.1 मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशानिर्देश (एसवीटीजी)

मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशानिर्देश (एसवीटीजी) दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में महामारी निधि परियोजनाओं के हिस्से के रूप में लॉन्च किए गए थे। ये दिशानिर्देश पशुधन और पोल्ट्री के लिए चिकित्सीय टीकों, दवाओं और उपचारों की पहचान, निदान और उचित उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका उद्देश्य विज्ञान समर्थित उपचार प्रोटोकॉल, टीकों के माध्यम से रोग की रोकथाम और संधारणीय पशुधन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जैव सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना है।

एसवीटीजी पशु चिकित्सकों, पैराप्रोफेशनल्स और सामुदायिक पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए एक व्यापक संदर्भ दस्तावेज के रूप में काम करते हैं , जो विभिन्न पशुधन रोगों के प्रभावी उपचार के लिए विशेषज्ञ उपकरण प्रदान करते हैं। यह लागत प्रभावी, उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करता है और रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए उत्तरदायी रोगाणुरोधी उपयोग को बढ़ावा देता है। 80 से अधिक पशु चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए दिशा–निर्देश एक "लिविंग डॉक्यूमेंट" है जिसे समय–समय पर नई पद्धतियों और अंतर्दृष्टि को प्रतिबिंबित करने के लिए अद्यतित किया जाएगा।

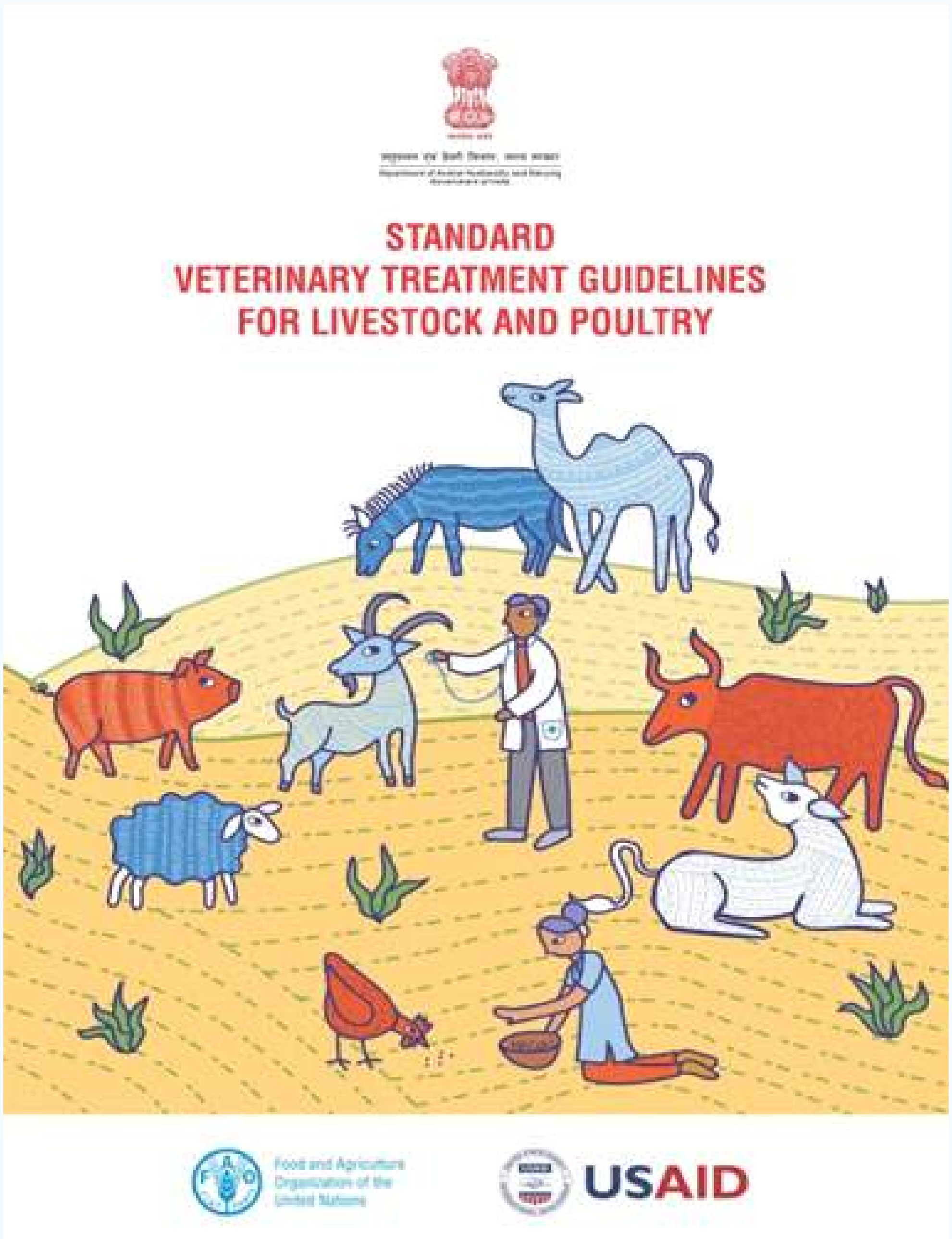

पशुधन और पोल्ट्री के लिए मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशा–निर्देशों का कवर पेज

6.11 पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत आयोजित प्रमुख कार्यक्रम

6.11.1 महामारी निधि परियोजनाओं का शुभारंभ :

जी20 महामारी कोष द्वारा वित्तपोषित भारत की 25 मिलियन डॉलर की परियोजना का शुभारंभ 25 अक्टूबर, 2024 को नई दिल्ली में हुआ। पशुपालन और डेयरी विभाग ने "महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण" परियोजना के लिए प्रतिस्पर्धी जी20 महामारी कोष से 25 मिलियन डॉलर प्राप्त किए हैं। इंडोनेशिया की जी20 प्रेसीडेंसी के दौरान लॉन्च किया गया यह कोष विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में महामारी की तैयारी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सहायता करता है। भारत की भागीदारी वैश्विक वन हेल्थ पहल में हमारी सक्रिय भूमिका को रेखांकित करती है, जो मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को एकीकृत करती है।

जी20 महामारी कोष को 350 अभिरुचि पत्र और 180 पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें उपलब्ध 338 मिलियन डॉलर के मुकाबले 2.5 बिलियन डॉलर से अधिक की मांग की गई। 20 जुलाई, 2023 को गवर्निंग बोर्ड ने 37 देशों में 19 अनुदानों को अनुमोदन दिया गया। विशेष रूप से पशु स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने पर केंद्रित भारत का प्रस्ताव अपनी तरह का एकमात्र प्रस्ताव है।

भारत की परियोजना रोग निगरानी को सुदृढ़ करने, प्रयोगशाला की अवसंरचना को उन्नत करने और सीमा पार सहयोग पर जोर देते हुए डेटा सिस्टम को एकीकृत करने पर केंद्रित है। ये प्रयास पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाले रोगजनकों के जोखिम को कम करेंगे, हमारे सबसे कमजोर समुदायों के स्वास्थ्य, आजीविका और खाद्य सुरक्षा की रक्षा करेंगे। एशियाई विकास बैंक (एडीबी), खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) और विश्व बैंक संयुक्त रूप से इस परियोजना को कार्यान्वित करेंगे।

माननीय मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा महामारी कोष परियोजना का शुभारंभ

6.11.2 अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं:

क) विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूओएएच) का 91वां आम सत्र – दिनांक 26 से 30 मई 2024

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूओएएच) के प्रतिनिधियों की विश्व सभा का 91वां आम सत्र 26 से 30 मई 2024 तक पेरिस (फ्रांस) के मैसन डे ला चिमी में आयोजित किया गया, और इसकी अध्यक्षता सभा के अध्यक्ष डॉ. ह्यूगो फेडेरिको इडोयागा बेनिटेज़ (पराग्वे) ने की। 166 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया, और इस कार्यक्रम में 1100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूओएएच) के विश्व प्रतिनिधि सभा के 91वें आम सत्र में पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव, डब्ल्यूओएएच प्रतिनिधि भारत, पशुपालन आयुक्त, संयुक्त सचिव (एलएच) और संयुक्त सचिव (अंतर्देशीय मत्स्यपालन) ने भाग लिया।

पेरिस, फ्रांस में डब्ल्यूओएएच के 91वें आम अधिवेशन में एएचडी के सचिव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल

राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने नए प्रस्तावों को अपनाया और एवियन इन्फ्लूएंजा के वैश्विक नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की, जो एक पशु रोग है जिसने पिछले वर्षों में दुनिया के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। भविष्य के परिदृश्यों में डब्ल्यूओएएच की संभावित भूमिका का पता लगाने के लिए एक समर्पित मंच का आयोजन किया गया, जिसमें डब्ल्यूओएएच के मूल ग्रंथों के बारे में निर्णय लेने में मदद करने के लिए उन भविष्यों से सबक लाए गए। मंच का विषय था "क्या डब्ल्यूओएएच भविष्य के लिए तैयार है?"

भारतीय प्रतिनिधिमंडल की डब्ल्यूओएएच प्रतिनिधि, फ्रांस के साथ बैठक

आम सत्र के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने डब्ल्यूओएएच के महानिदेशक और डब्ल्यूओएएच के क्षमता निर्माण विभाग के प्रमुख तथा अन्य अधिकारियों के साथ अलग से बैठकें कीं और पीपीपी लक्षित सहायता सहित एब्ल्यूओएएच की नई पहलों के बारे में चर्चा की। फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, यूएसडीए और न्यूजीलैंड के पशुपालन विभाग के प्रमुखों तथा सार्क देशों के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों के साथ भी अलग से बैठकें की गईं।

ख) 45वां व्यावसायिक सत्र और एपीएचसीए की 83वीं कार्यकारी समिति

एपीएचसीए (एशिया और प्रशांत के लिए पशु उत्पादन और स्वास्थ्य आयोग) का 45 वां व्यावसायिक सत्र और एपीएचसीए की 83 वीं कार्यकारी समिति की बैठक 11 नवंबर 2024 को खोन कीन, थाईलैंड में आयोजित की गई। डॉ . अभिजीत मित्रा, पशुपालन आयुक्त, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार ने एशिया और प्रशांत के लिए पशु उत्पादन और स्वास्थ्य आयोग (#एपीएचसीए) की 83वीं कार्यकारी समिति की बैठक और 45वें व्यावसायिक सत्र की अध्यक्षता की।

उद्घाटन सत्र में एफएओ एनएसए निदेशक और एडीजी एफएओ डॉ. थानावत तिएनसिन और एपीएचसीए सचिव डॉ. स्कॉट न्यूमैन ने भाग लिया। प्रमुख सदस्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, समोआ, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान और भारत शामिल थे, जो सभी साझा लक्ष्यों की दिशा में मिलकर काम कर रहे थे।

45 वां व्यावसायिक सत्र और एपीएचसीए की 83 वीं कार्यकारी समिति की बैठक खोन काएन, थाईलैंड में आयोजित

वर्ष 1974 में पशु उत्पादन पर 5वें एफएओ क्षेत्रीय सम्मेलन में एफएओ के ढांचे के भीतर एपीएचसीए की स्थापना की गई थी। आयोग दिसंबर 1975 में चालू हुआ और आज इसके 18 सदस्य देश हैं। यह सूचना साझाकरण, रोग की रोकथाम और नियंत्रण, कृषि उत्पादन के विविधीकरण, मूल्य–श्रृंखला विकास और अन्य संबंधित पहलों के माध्यम से ग्रामीण पशुधन कृषि उत्पादन में सतत सुधार का सहायता करता है। एपीएचसीए विकासशील देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता और आपसी सहायता के सिद्धांत पर काम करता है। 18 सदस्य देशों के साथ, एपीएचसीए सतत और सुरक्षित पशुधन के माध्यम से पशुधन समुदायों के लिए पोषण बढ़ाने और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए समर्पित है।

पशुपालन आयुक्त, पशुपालन और डेयरी विभाग ने थाईलैंड के खोन केन में एपीएचसीए के 45वें व्यावसायिक सत्र और एपीएचसीए की 83 वीं कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता की

6.12 पशु स्वास्थ्य के लिए अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएएच)

वर्ष 2021 में स्थापित, ईसीएएच पशुपालन और डेयरी विभाग के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों, उभरते रोग खतरों, वन हेल्थ पहलों और पशु चिकित्सा टीकों, दवाओं और जैविक के लिए नियामक ढांचे पर साक्ष्य–आधारित अंतर्दृष्टि और नीति अनुशंसाएं प्रदान करता है।

पशुपालन और डेयरी विभाग की पशु स्वास्थ्य के लिए अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएएच) की 8वीं बैठक 28 अक्टूबर, 2024 को विज्ञान भवन में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक परामर्शीकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद की अध्यक्षता में और पशुपालन और डेयरी विभाग की सचिव सुश्री अलका उपाध्याय की उपाध्यक्षता में आयोजित की गई।

28 अक्टूबर 2024 को पशु स्वास्थ्य के लिए अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएएच) की 8वीं बैठक

वर्ष 2024 में, पशु स्वास्थ्य के लिए अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएएच) के तहत उपसमिति ने पशु चिकित्सा टीकों, जैविक पदार्थों, दवाओं और आहार योजकों पर नीतिगत इनपुट प्रदान करने के लिए बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की।

- पशु चिकित्सा टीके/जैविक/औषधियांः कुल 11 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें मूल्यांकन और उन पर केंद्रित 122 विचार–विमर्श हुए।
- फ़ीड योजकः पांच बैठकें हुईं, जिसके परिणामस्वरूप फ़ीड योजकों के लिए मानकों और नीतियों को बढ़ाने के उद्देश्य से 54 विचार–विमर्श हुए।

इन चर्चाओं ने पशु स्वास्थ्य और पोषण में सूचित नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

6.13 देश की रोग मुक्त स्थितिः

भारत ने वर्ष 2024 के दौरान निम्नलिखित रोगों के लिए अपनी मुक्त स्थिति बरकरार रखी, जैसा कि डब्ल्यूओएएच द्वारा मान्य किया गया हैः

क. नगण्य जोखिम स्थिति बोवाइन स्पोंजिफॉर्म एन्सेफैलोपैथी (बीएसई)

ख. संक्रामक बोवाइन प्लुरोनिमोनिया (सीबीपीपी) स्वतंत्रता

ग. अफ़्रीकी घोड़ा रोग (एएचएस) स्वतंत्रता स्थिति

घ. एवियन इन्फ्लूएंजा के लिए कम्पार्टमेंटलाइज़ेशन

एक प्रभावी नियंत्रण उपाय के रूप में और पोल्ट्री तथा पोल्ट्री से संबंधित उत्पादों के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए, विभाग ने अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा मुक्त पोल्ट्री कम्पार्टमेंट घोषित करने के लिए उपकरण अपनाया है। कम्पार्टमेंटलाइज़ेशन पशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और कम्पार्टमेंट के अंदर और बाहर रोग के प्रकोप के जोखिम को कम करने का एक उपकरण है। कम्पार्टमेंटलाइज़ेशन में राष्ट्रीय क्षेत्र के भीतर एक निर्दिष्ट स्वास्थ्य स्थिति के पशु उप–आबादी की परिभाषा शामिल है। यह स्थिति डब्ल्यूओएएच स्थलीय कोड (अध्याय 4.4 और 4.5) में मानकों और संबंधित रोग अध्यायों में सिफारिशों के आधार पर जैव सुरक्षा से संबंधित प्रबंधन और पालन–पोषण पद्धतियों के माध्यम से बनाए रखी जाती है।

पशुपालन और डेयरी विभाग ने भारत में 32 पोल्ट्री कम्पार्टमेंट में उच्च रोगजनकता वाले एवियन इन्फ्लूएंजा से मुक्ति की स्व–घोषणा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूओएएच) को प्रस्तुत की है और इसे मई 2024 में डब्ल्यूओएएच द्वारा अनुमोदित किया गया है और डब्ल्यूओएएच की वेबसाइट https://www.woah.org/en/what-we-offer/self-declared-disease-status/ पर प्रकाशित किया गया है। ये पोल्ट्री प्रतिष्ठान देश के 4 राज्यों अर्थात महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में स्थित हैं।

*****

अध्याय-7

पशुपालन सांख्यिकी

पशुपालन और डेयरी विभाग पशुधन को भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला मानता है, जो आजीविका, खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस क्षेत्र में परिवर्तनकारी चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करते हुए, पशुपालन और डेयरी विभाग साक्ष्य–आधारित निर्णय लेने के लिए सटीक, वास्तविक समय के आंकड़ों के संग्रह को प्राथमिकता देता है। पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण में सुधार से लेकर पशु चिकित्सा सेवाओं को बढ़ाने, संसाधन आवंटन, आहार और चारा उत्पादन और पशुधन आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने तक के लिए मान्य आंकड़े अति आवश्यक हैं। उन्नत तकनीकों और समावेशी पद्धतियों का लाभ उठाते हुए, पशुधन संगणना (एलसी) और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (आईएसएस) सटीक पशुपालन आंकड़े उत्पन्न करने के लिए दोहरे स्तंभों के रूप में उभरे हैं, जो संधारणीय विकास और ग्रामीण सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

7.1 एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (आईएसएस)

पशुपालन और डेयरी विभाग एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (आईएसएस) के माध्यम से चार प्रमुख पशुधन उत्पादों (एमएलपी) – दूध, अंडे, मांस और ऊन – के वार्षिक उत्पादन का अनुमान लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह राष्ट्रव्यापी योजना एमएलपी अनुमानों का समय पर उत्पादन सुनिश्चित करती है, जो नीति निर्माण और रणनीतिक योजना के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है।

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में कार्यान्वित की गई इस योजना को पात्र कर्मियों के वेतन को सम्मिलित करने के लिए राज्यों के लिए 50%, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90% और संघ राज्य क्षेत्र के लिए 100% केंद्रीय सहायता से लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त, पूर्ण केंद्रीय सहायता से संगणकों और पर्यवेक्षकों को फील्डवर्क के लिए टी एंड डीए, आईएसएस सॉफ्टवेयर और कार्यप्रणाली में पुनश्चर्या प्रशिक्षण और सुव्यवस्थित संचालन के लिए आईटी समाधानों के एकीकरण में सहायता मिलती है।

सर्वेक्षण मार्च से फरवरी तक चलता है, जिसे तीन अलग–अलग मौसमों में विभाजित किया जाता है– गर्मी, बरसात और सर्दी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर संकलित मौसमी अनुमानों को वार्षिक अनुमान तैयार करने के लिए एकत्र किया जाता है, जिन्हें मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी (बीएएचएस) पर वार्षिक प्रकाशन में प्रकाशित किया जाता है। नवीनतम संस्करण, बीएएचएस 2024 का दिनांक 26 नवंबर, 2024 को अनावरण किया गया, जो इस क्षेत्र के प्रदर्शन का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह भारत की पशुधन अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार देने वाले प्रमुख निष्कर्षों पर प्रकाश डालता है।

7.1.1 दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और दूध उत्पादन की प्रतिशत हिस्सेदारी

भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता (पीसीए) पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ी है, जो डेयरी उत्पादन में देश की मजबूत वृद्धि को दर्शाती है। वर्ष 2018–19 में उपलब्धता लगभग 390 ग्राम प्रतिदिन थी। यह वृद्धि दर लगातार जारी रही, जो वर्ष 2023–24 में 471 ग्राम प्रतिदिन तक पहुँच गई। इस वृद्धि का श्रेय राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम और पशु प्रजनन, चारा प्रबंधन और पशु चिकित्सा देखभाल में प्रगति जैसी सरकारी पहलों को दिया जा सकता है। रोग के प्रकोप जैसी चुनौतियों के बावजूद, डेयरी क्षेत्र ने पूरे देश में पोषण सुरक्षा में अपना योगदान बनाए रखा है।

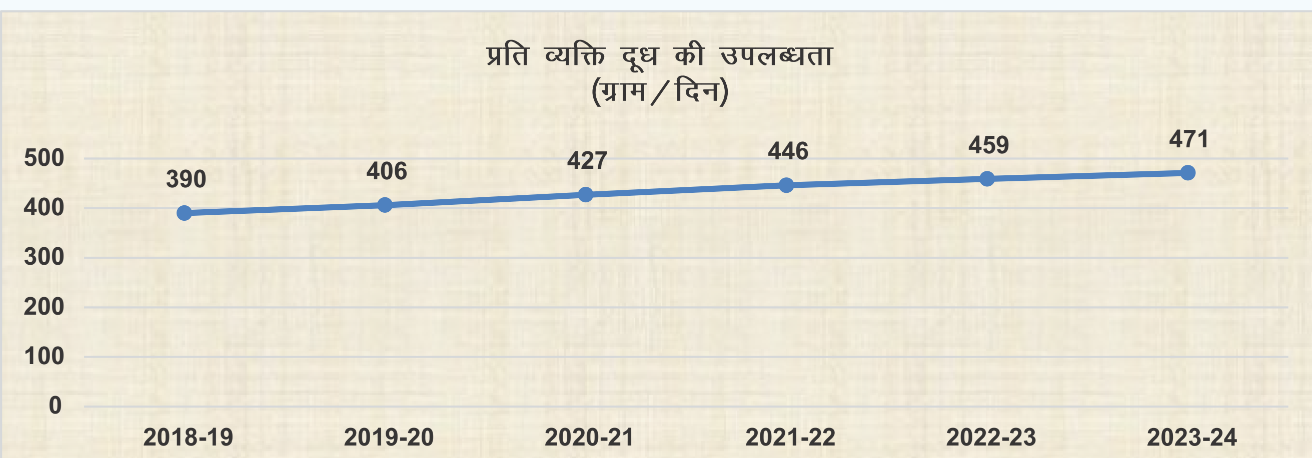

दूध उत्पादन की यह सफलता की कहानी भारत के विभिन्न राज्यों के योगदान से बुनी गई है, जो दूध उत्पादन उत्कृष्टता की एक समृद्ध कहानी तैयार करती है। उत्तर प्रदेश भारत के डेयरी क्षेत्र के मुकुट रत्न के रूप में खड़ा है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र सहित शीर्ष उत्पादकों के एक शक्तिशाली संघ का नेतृत्व करता है। पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा और तमिलनाडु के महत्वपूर्ण योगदान से यह कहानी और समृद्ध होती है, जिनमें से प्रत्येक भारत के डेयरी पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी अनूठी ताकत जोड़ता है।

चित्र 1: वर्ष 2023–24 के लिए 5 प्रमुख दूध उत्पादक राज्यों का दूध उत्पादन में प्रतिशत हिस्सा

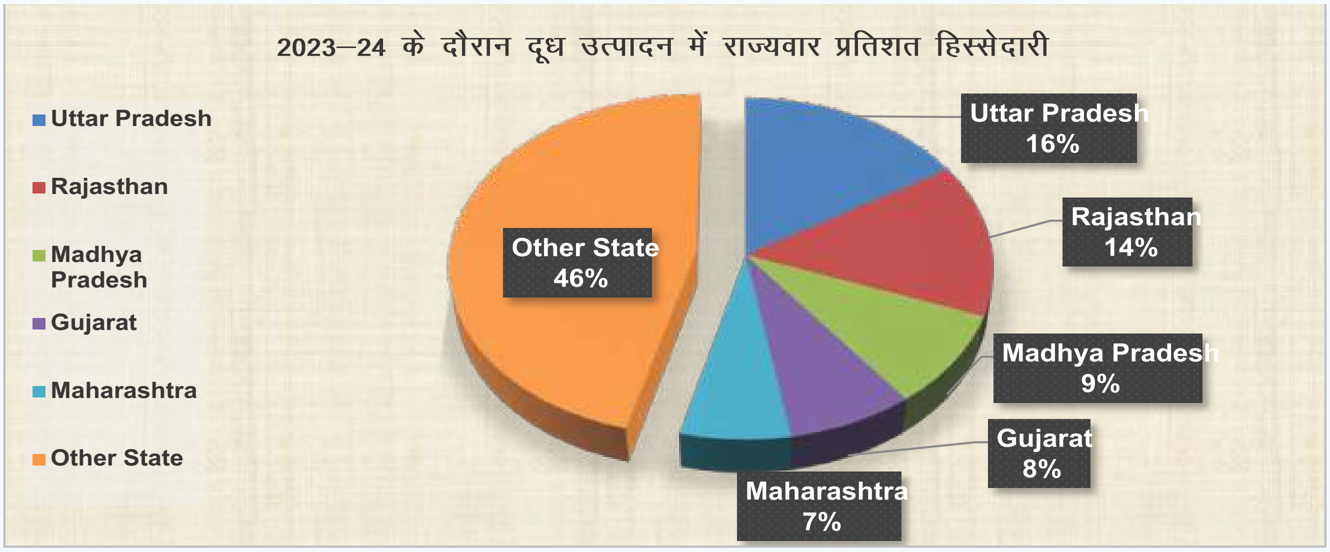

7.1.2 प्रति व्यक्ति उपलब्धता और अंडा उत्पादन का प्रतिशत हिस्सा

भारत में प्रति व्यक्ति अंडों की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो पोल्ट्री उद्योग की गतिशीलता को दर्शाता है। वर्ष 2018–19 में उपलब्धता प्रति वर्ष लगभग 79 अंडे थी। वर्ष 2023–24 तक, यह आंकड़ा बढ़कर 103 अंडे प्रति वर्ष हो गया, जो एक बड़ी छलांग है। यह वृद्धि पोल्ट्री फार्मिंग पद्धतियों के आधुनिकीकरण, बेहतर आहार गुणवत्ता और अंडे की खपत में वृद्धि के माध्यम से प्रोटीन कुपोषण को दूर करने पर सरकार के ध्यान देने का परिणाम है।

ये रुझान पशुधन और पोल्ट्री उत्पादन में भारत की प्रगति को उजागर करते हैं, जो देश के पोषण मानकों को बढ़ाने और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आजीविका का समर्थन करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

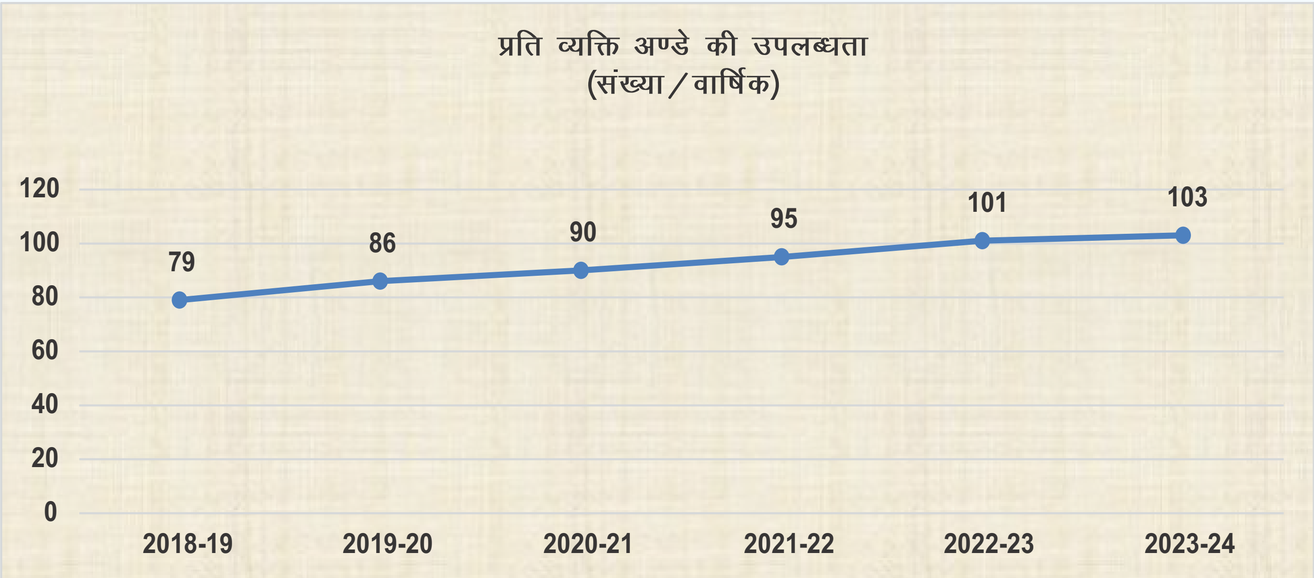

अंडा उत्पादन की यह सफलता की कहानी भारत के विविध परिदृश्य में राज्यों के सामंजस्यपूर्ण सहयोग से तैयार की गई है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक की दक्षिणी चौकड़ी इस उल्लेखनीय यात्रा का नेतृत्व करती है, जबकि पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में हरियाणा और पश्चिम में महाराष्ट्र इस राष्ट्रीय उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के पर्याप्त योगदान से यह कहानी और समृद्ध होती है, जो सफलता की एक ऐसी सिम्फनी बनाती है जो पूरे देश के पोल्ट्री क्षेत्र में गूंजती है।

चित्र 2: वर्ष 2023–24 के लिए 5 प्रमुख अंडा उत्पादक राज्यों का अंडा उत्पादन में प्रतिशत हिस्सा

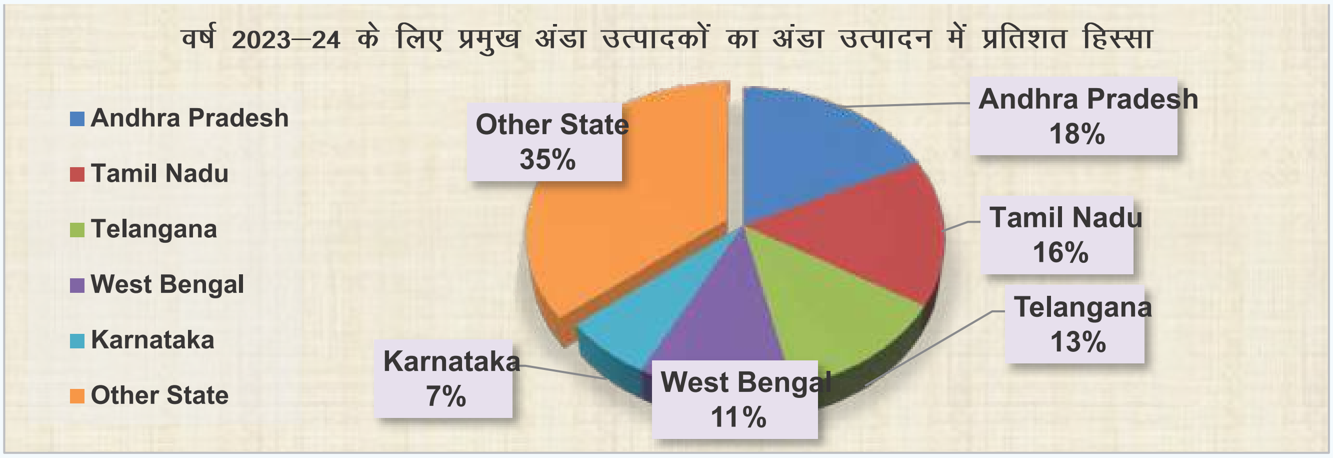

7.1.3 प्रति व्यक्ति उपलब्धता और मांस उत्पादन का प्रतिशत हिस्सा

भारत में प्रति व्यक्ति मांस की उपलब्धता में भी पिछले कुछ वर्षों में उत्तरोत्तर वृद्धि देखी गई है, जिसे बढ़ती उपभोक्ता मांग और पशुधन प्रबंधन में प्रगति का सहयोग भी मिला है। वर्ष 2018–19 में, यह 6.15 किलोग्राम प्रति वर्ष दर्ज किया गया था। वर्ष 2023–24 तक यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 7.39 किलोग्राम प्रति वर्ष हो गया। यह वृद्धि पोल्ट्री मांस उत्पादन के विस्तार से प्रेरित है, जो देश के कुल मांस उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, साथ ही प्रोटीन युक्त आहार के बारे में बढ़ती जागरूकता भी है।

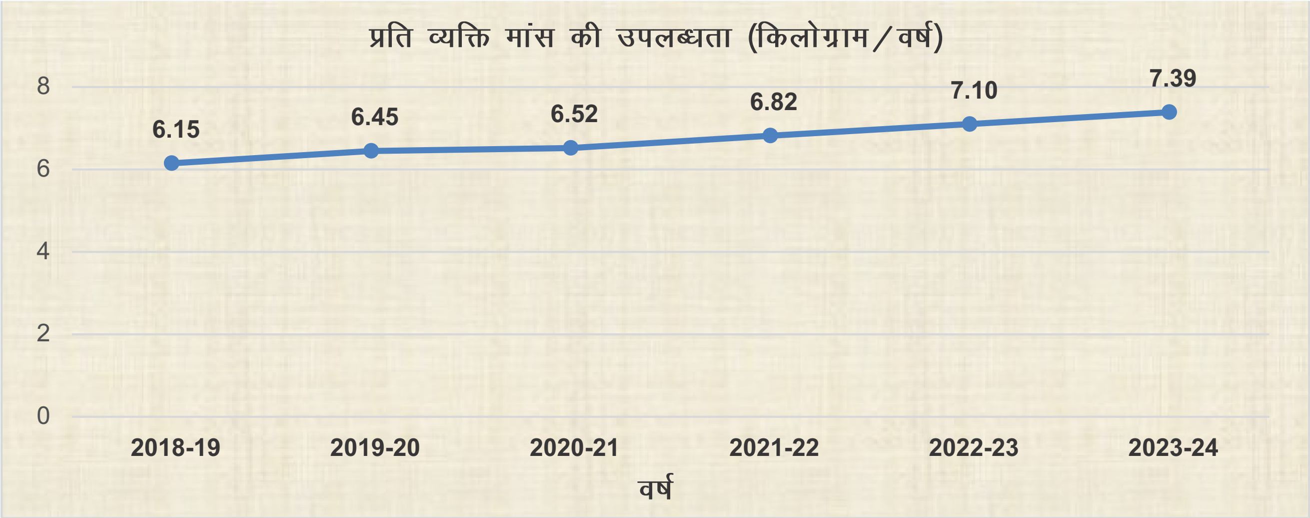

यह सफलता की कहानी भारत के विविध भौगोलिक क्षेत्रों में फैले राज्यों के सहयोगात्मक प्रयासों से बुनी गई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की दक्षिणी जोड़ी इस उल्लेखनीय प्रगति का नेतृत्व करती है, जबकि पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में महाराष्ट्र इस उपलब्धि की रीढ़ हैं। तमिलनाडु, हरियाणा, केरल, कर्नाटक और बिहार के महत्वपूर्ण योगदान के साथ यह कहानी और भी गहराई पकड़ती है, जिनमें से प्रत्येक ने भारत के मांस उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी अनूठी ताकत जोड़ी है।

चित्र 3: वर्ष 2023–24 के लिए 5 प्रमुख मांस उत्पादक राज्यों का मांस उत्पादन में प्रतिशत हिस्सा

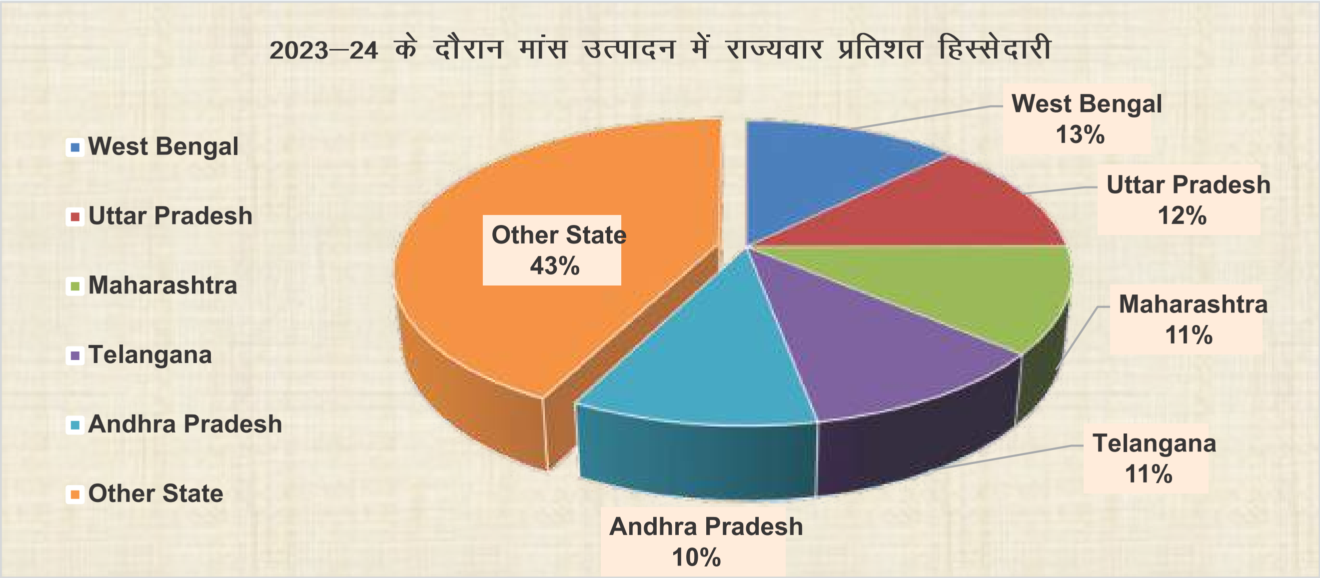

7.1.4 ऊन उत्पादन का प्रतिशत हिस्सा

विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, भारत की ऊनी पट्टियाँ देहाती विरासत से समृद्ध राज्यों द्वारा बुनी जाती रही हैं। राजस्थान के धूप से तपते रेगिस्तान से लेकर जम्मू और कश्मीर की बर्फ से ढकी घाटियों तक, गुजरात के जीवंत परिदृश्यों से लेकर महाराष्ट्र के विविध भूभागों और हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ों तक, प्रत्येक क्षेत्र इस प्राचीन शिल्प में अपना अनूठा योगदान देता है। उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल के पूर्वी इलाकों, कर्नाटक के दक्षिणी विस्तार और हरियाणा और पंजाब के उत्तरी गढ़ों के उल्लेखनीय योगदान के साथ यह कहानी आगे बढ़ती है।

चित्र 4: वर्ष 2023–24 के लिए 5 प्रमुख ऊन उत्पादक राज्यों का ऊन उत्पादन में प्रतिशत हिस्सा

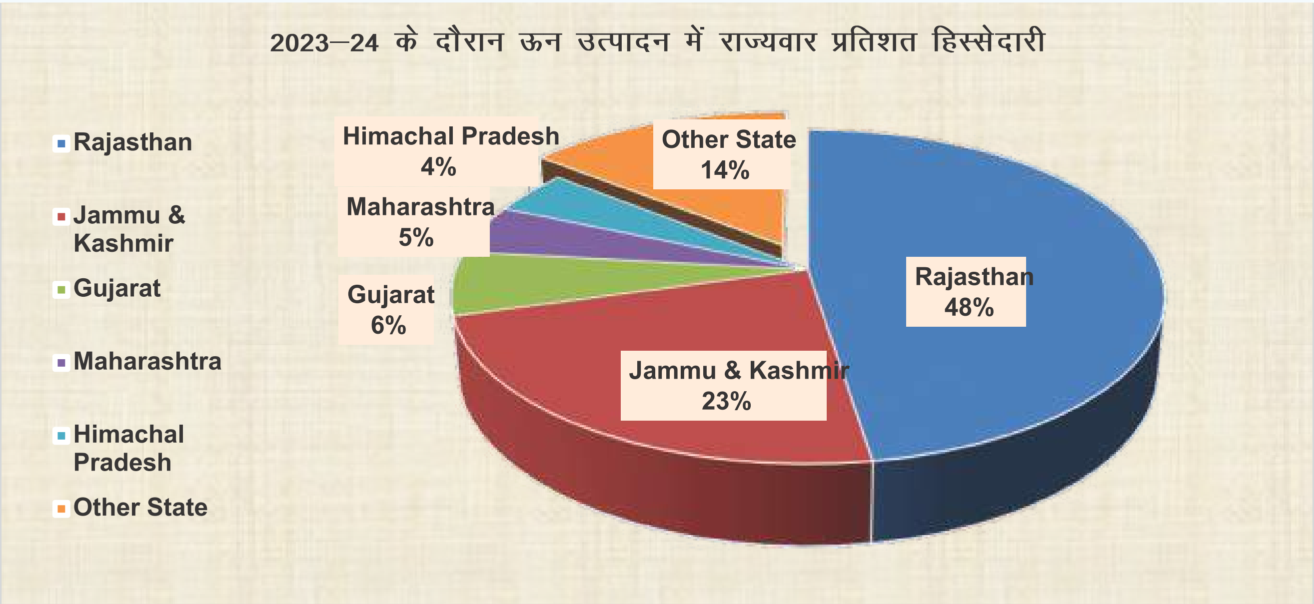

7.2 पशुधन संगणना

20वीं पशुधन संगणना की विरासत

आंकड़े संग्रह और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच के अभूतपूर्व कारनामे में, भारत की 20वीं पशुधन संगणना 2019 ने देश की पशु संपदा का एक आकर्षक चित्र प्रस्तुत किया है। यह पंचवर्षीय प्रयास, भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के हर कोने तक पहुँचता है, जो देश की विविध पशु आबादी का निर्णायक इतिहास है, जिसमें घरेलु पोल्ट्री से लेकर कामकाजी हाथियों तक सब कुछ सावधानीपूर्वक दर्ज किया गया है।

इस संगणना को असाधारण बनाने वाली बात यह है कि इसमें आंकड़े संग्रह के लिए सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाया गया है। एक विशाल पहेली की तरह, यह व्यक्तिगत घरों से लेकर बड़े कृषि उद्यमों तक, शहरी घरेलु से लेकर ग्रामीण खेतों तक विभिन्न स्रोतों से जानकारी को एक साथ जोड़ता है। परिणामी रिपोर्ट, ''20वीं पशुधन संगणना–2019,'' भारत की पशु विविधता के एक व्यापक एटलस के रूप में कार्य करती है, जो विस्तृत जानकारी प्रदान करती है:

- विभिन्न क्षेत्रों में प्रजातियों का वितरण
- नस्लवार जनसंख्या विश्लेषण
- पशुधन की आयु और लिंग संरचना
- भौगोलिक वितरण पैटर्न
- विभिन्न सामाजिक समूहों में स्वामित्व पैटर्न

भारत की पशुधन संपदा का यह जटिल मानचित्रण न केवल नीति–निर्माण के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करता है, बल्कि भारत के लोगों और उनके पशु साथियों के बीच विकसित होते संबंधों की एक अनूठी झलक भी प्रदान करता है, जो पारंपरिक पद्धतियों और आधुनिक कृषि प्रवृत्तियों दोनों को प्रतिबिंबित करता है।

पशु

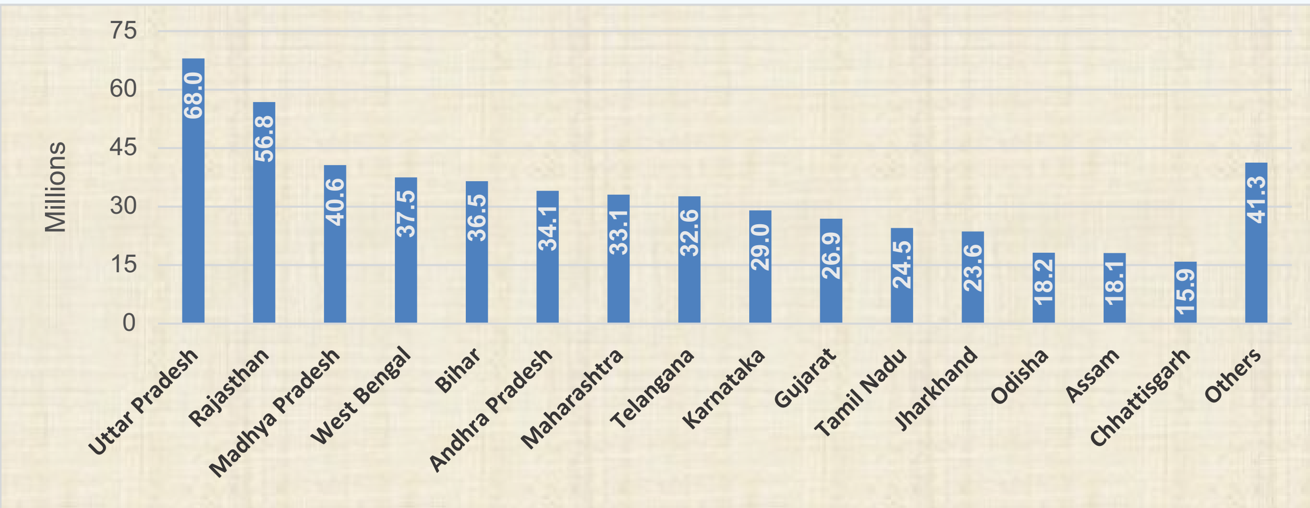

- भारत की पशुधन जनसंख्या बढ़कर 535.78 मिलियन हो गई है, जो वर्ष 2012 की गणना से 4.6% की वृद्धि को दर्शाती है।
- उल्लेखनीय रूप से, भेड़ और बकरियों का अनुपात बढ़ा है, जबकि गोपशुओं, भैंसों और सूअरों के हिस्से में मामूली गिरावट आई है, जो देश के पशुधन संरचना में बदलते रुझान को उजागर करता है

पोल्ट्री

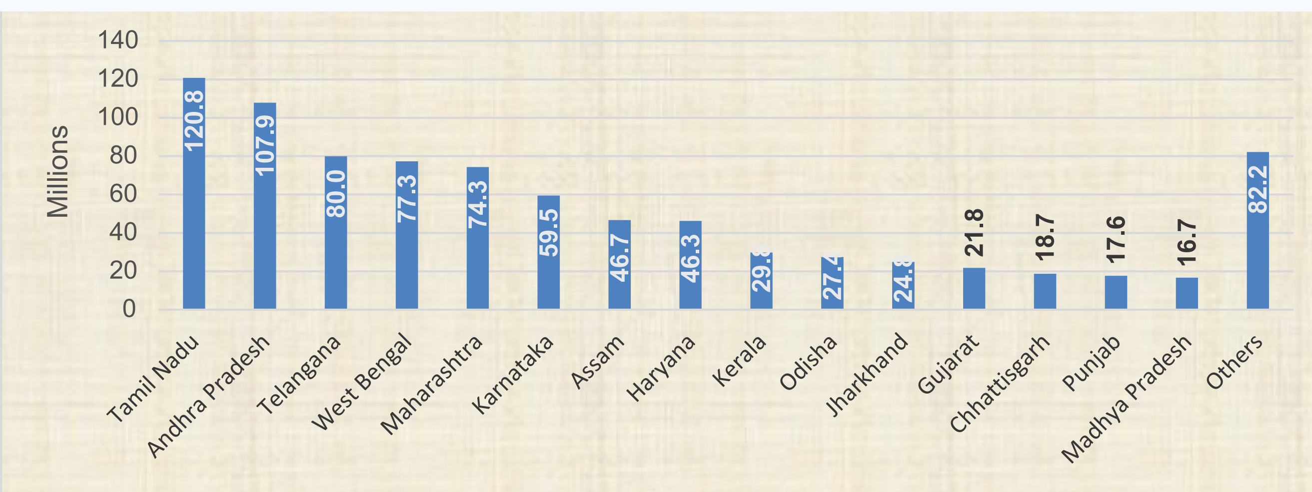

- भारत की पोल्ट्री आबादी वर्ष 2019 में रिकॉर्ड 851.81 मिलियन तक पहुंच गई, जो उल्लेखनीय 16.81% की वृद्धि को दर्शाता है और उत्पादन में प्रगति और आहार प्रवृत्तियों में बदलाव को दर्शाता है।
- घरेलु पोल्ट्री: ग्रामीण पुनर्जागरण: घरेलु पोल्ट्री में 45.78% की वृद्धि हुई है और पक्षियों की संख्या 317.07 मिलियन तक पहुंच गई है, जिससे ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाया गया है और स्थायी आजीविका के लिए पारंपरिक पद्धतियों को पुनर्जीवित किया गया है।
- वाणिज्यिक पोल्ट्री: (स्थिर प्रगति): वाणिज्यिक पोल्ट्री क्षेत्र में 4.5% की वृद्धि हुई और यह 534.74 मिलियन पक्षियों तक पहुंच गया, जो आधुनिकीकरण और भारत की प्रोटीन मांगों को कुशलतापूर्वक पूरा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

गोपशु

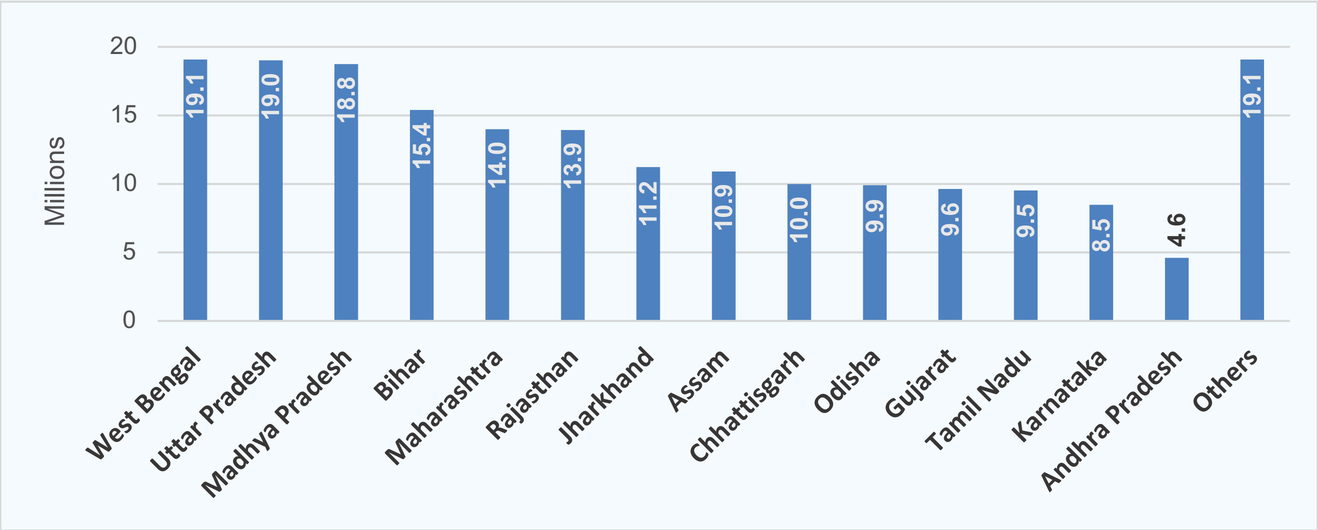

- वर्ष 2019 में, भारत की कुल गोपशु आबादी 192.49 मिलियन तक पहुँच गई, जो वर्ष 2012 में पिछली पशुधन संगणना से 0.8% की वृद्धि दर्शाती है।
- उल्लेखनीय रूप से, मादा गोपशुओं की आबादी में 18.0% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जबकि नर गोपशुओं की आबादी में 30.2% की गिरावट आई।
- अब देश के कुल पशुधन में गोपशुओं की हिस्सेदारी लगभग 36% है, जो कृषि परिदृश्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

भैंस

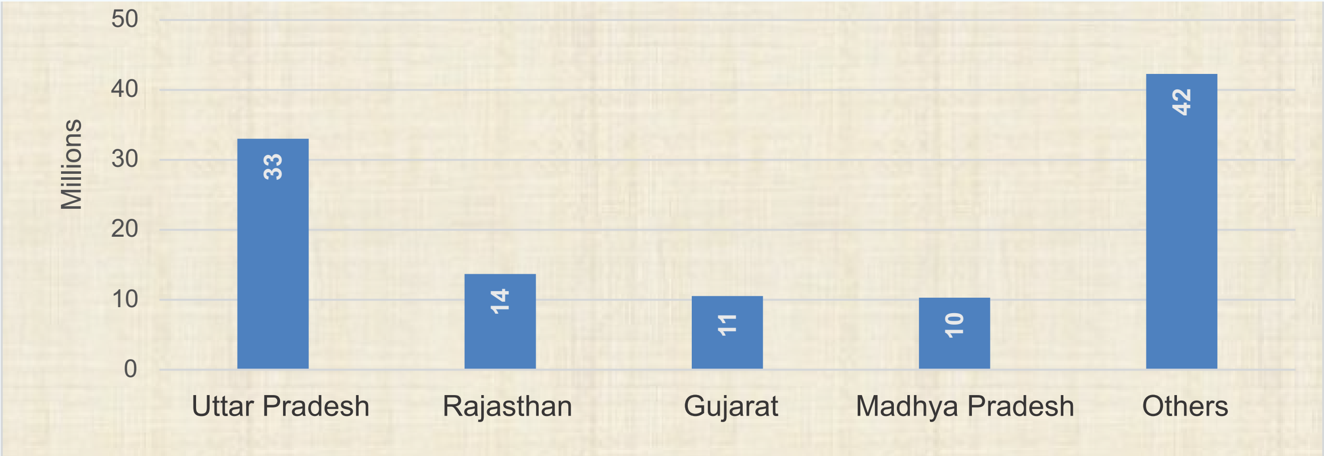

- वर्ष 2019 में, भारत की भैंसों की आबादी 109.85 मिलियन तक पहुंच गई, जो वर्ष 2012 में पिछली पशुधन संगणना से 1.1% की वृद्धि दर्शाती है।
- मादा भैंसों की आबादी में 8.61% की वृद्धि हुई, जबकि नर भैंसों की आबादी में 42.35% की उल्लेखनीय गिरावट देखी गई।
- भैंस अब देश के कुल पशुधन का लगभग 20.5% प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इस क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है।

बोवाइन पशु

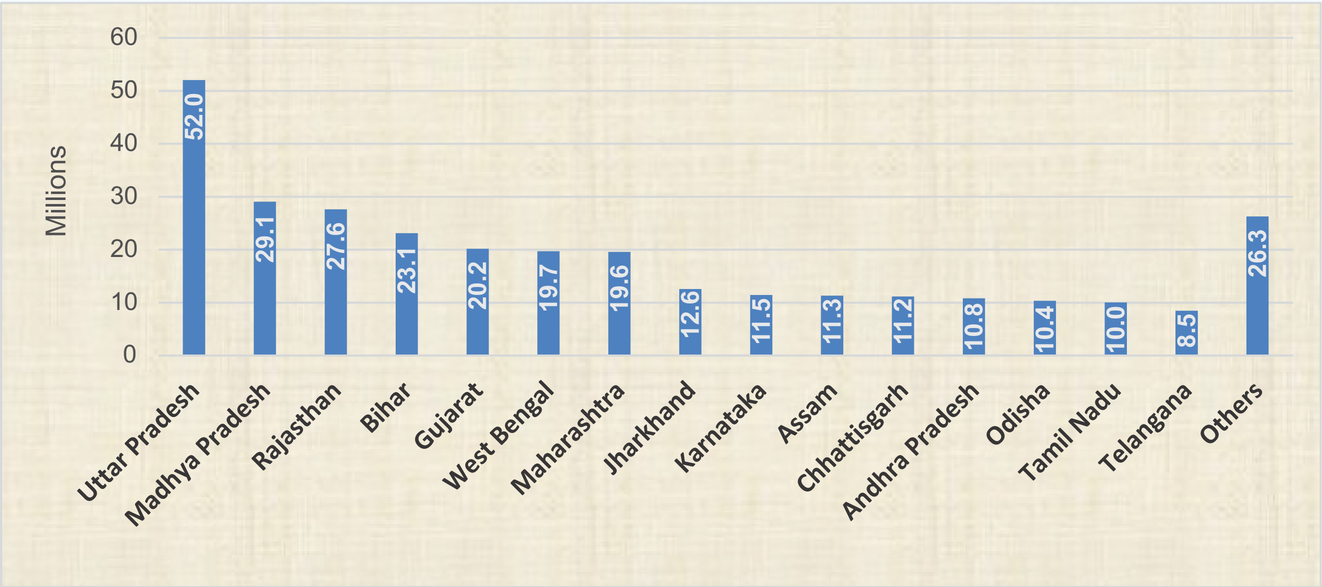

- वर्ष 2019 में गोपशु, भैंस, मिथुन और सहित भारत की कुल बोवाइन आबादी 302.79 मिलियन तक पहुँच गई, जो पिछली संगणना की तुलना में 1.0% की वृद्धि दर्शाती है।

भेड़

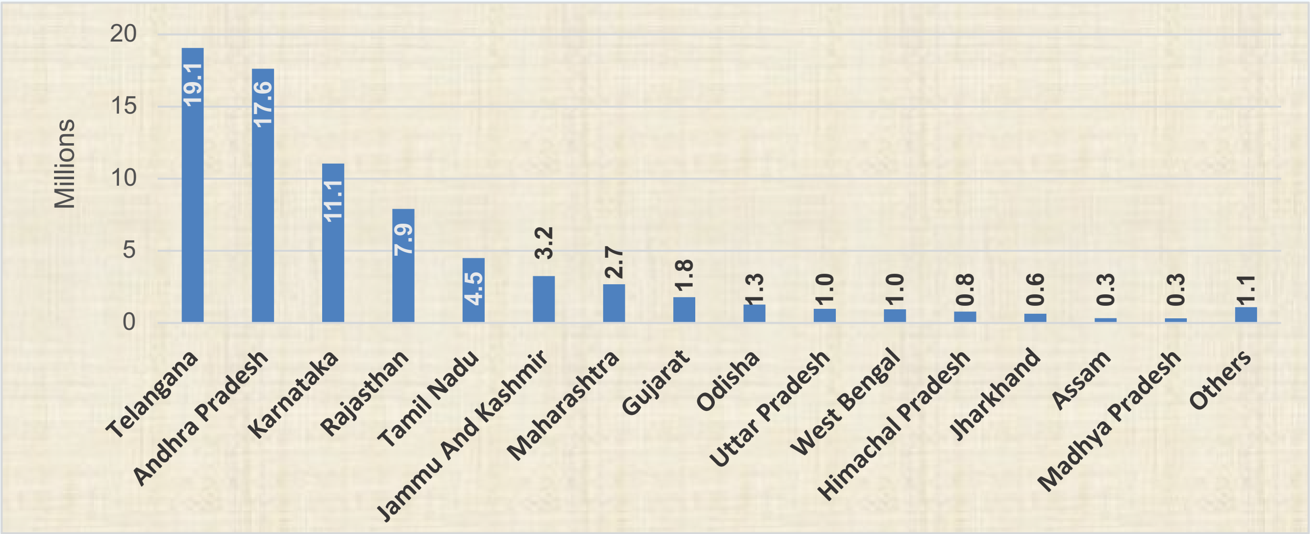

- वर्ष 2019 में भारत की भेड़ों की आबादी 74.26 मिलियन तक पहुँच गई, जो वर्ष 2012 में पिछली पशुधन संगणना से 14.13% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाती है।
- भेड़ें अब देश के कुल पशुधन का लगभग 13.8% हिस्सा हैं, जो कृषि परिदृश्य में उनके बढ़ते महत्व पर जोर देता है।

बकरी

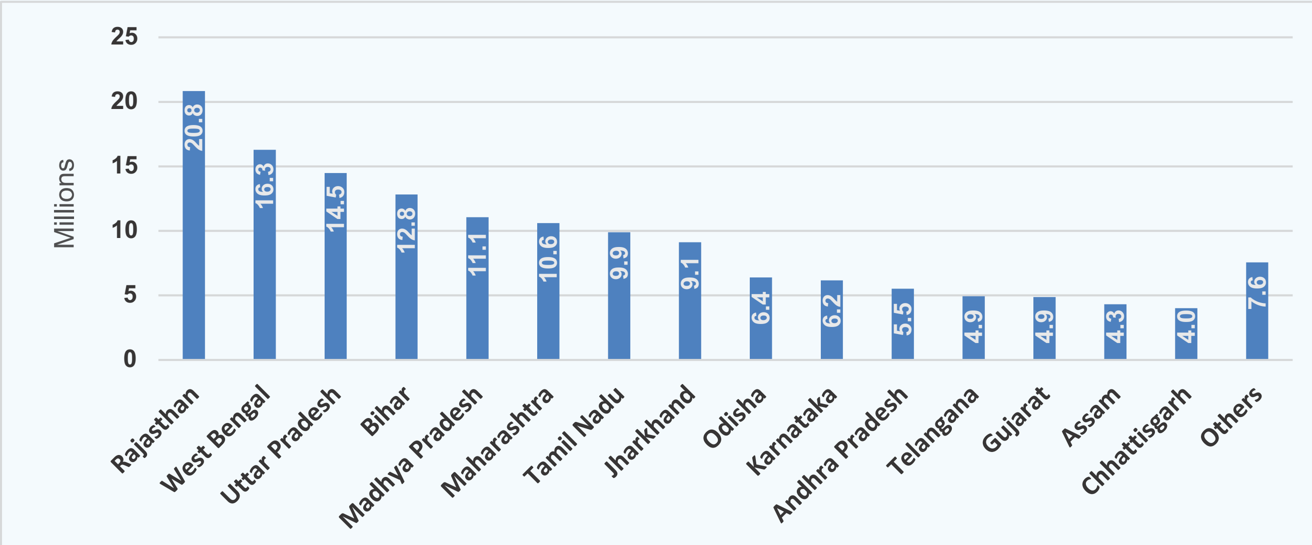

- वर्ष 2019 में भारत की बकरियों की आबादी 148.88 मिलियन तक पहुँच गई, जो वर्ष 2012 में पिछली पशुधन संगणना से 10.14% की वृद्धि को दर्शाता है।
- बकरियाँ अब देश के कुल पशुधन में 27.8% का महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, जो भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

घोड़े और टट्टू

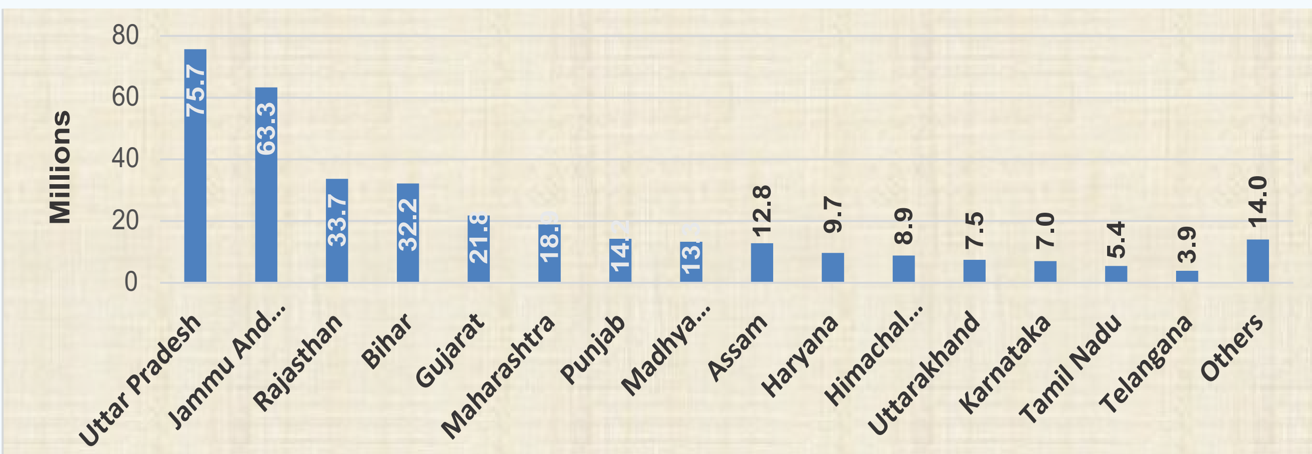

- वर्ष 2019 में, भारत में घोड़ों, टट्टुओं, खच्चरों और गधों की आबादी 0.55 मिलियन थी, जो वर्ष 2012 में पिछली पशुधन संगणना की तुलना में 51.9% की महत्वपूर्ण गिरावट को दर्शाती है।
- यह प्रवृत्ति देश के पशुपालन परिदृश्य में बदलते पैटर्न को उजागर करती है।

7.2.1 नस्लवार रिपोर्ट

20वीं पशुधन संगणना में एक गहन नस्ल रिपोर्ट भी जारी की गई, जिसमें राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBAGR) द्वारा मान्यता प्राप्त 16 प्रजातियों में 184 देशी और विदेशी नस्लों को शामिल किया गया। यह व्यापक रिपोर्ट देशी गोपशुओं, भैंसों, भेड़ों, बकरियों, सूअरों और अन्य सहित पशु आबादी पर विस्तृत नस्लवार आंकड़े प्रदान करती है। पशुधन संगणना देश भर में पशु नस्ल विविधता की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्ष 2012 से, पशुपालन और डेयरी विभाग पशुधन संगणना कर रहा है, जिसमें आईसीएआर–एनबीएजीआर द्वारा पंजीकृत सभी देशी नस्लों के लिए नस्ल–विशिष्ट संगणना शामिल है, जिससे देश की अपनी समृद्ध पशुधन विरासत की समझ में और वृद्धि हुई है।

7.2.2 नस्ल निगरानी सूची 2022

विभाग द्वारा वर्ष 2022 में प्रकाशित 20वीं संगणना की नस्लवार रिपोर्ट के आधार पर, एनबीएजीआर ने देशी नस्लों की जोखिम स्थिति का आकलन करने के लिए 'नस्ल निगरानी सूची 2022' तैयार की। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के दिशानिर्देशों के अनुसार, कुल 38 नस्लों की पहचान विभिन्न जोखिम स्थिति के साथ की गई, जैसे 14 नस्लें 'कमजोर', 19 नस्लें 'लुप्तप्राय' और 5 नस्लें 'गंभीर' श्रेणी के तहत पहचानी गईं और निगरानी सूची में सूचीबद्ध की गईं।

20वीं पशुधन संगणना का परिणाम, नस्ल निगरानी सूची, नीतिगत इनपुट के रूप में संरक्षण और विकास के लिए नस्लों को प्राथमिकता देने के लिए महत्वपूर्ण है। पालतू पशुओं के राष्ट्रीय भण्डार के रूप में आईसीएआर–एनबीएजीआर ने मध्यम और दीर्घकालिक संरक्षण के लिए अपने राष्ट्रीय जीन बैंक में 26 संकटग्रस्त नस्लों के जर्मप्लाज्म (वीर्य/दैहिक कोशिकाओं) को क्रायोप्रिजर्व किया है। खतरे में पड़ी देशी नस्लों की पहचान करने से देश के संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के राष्ट्रीय संकेतक का लक्ष्य भी पूरा हो जाता है।

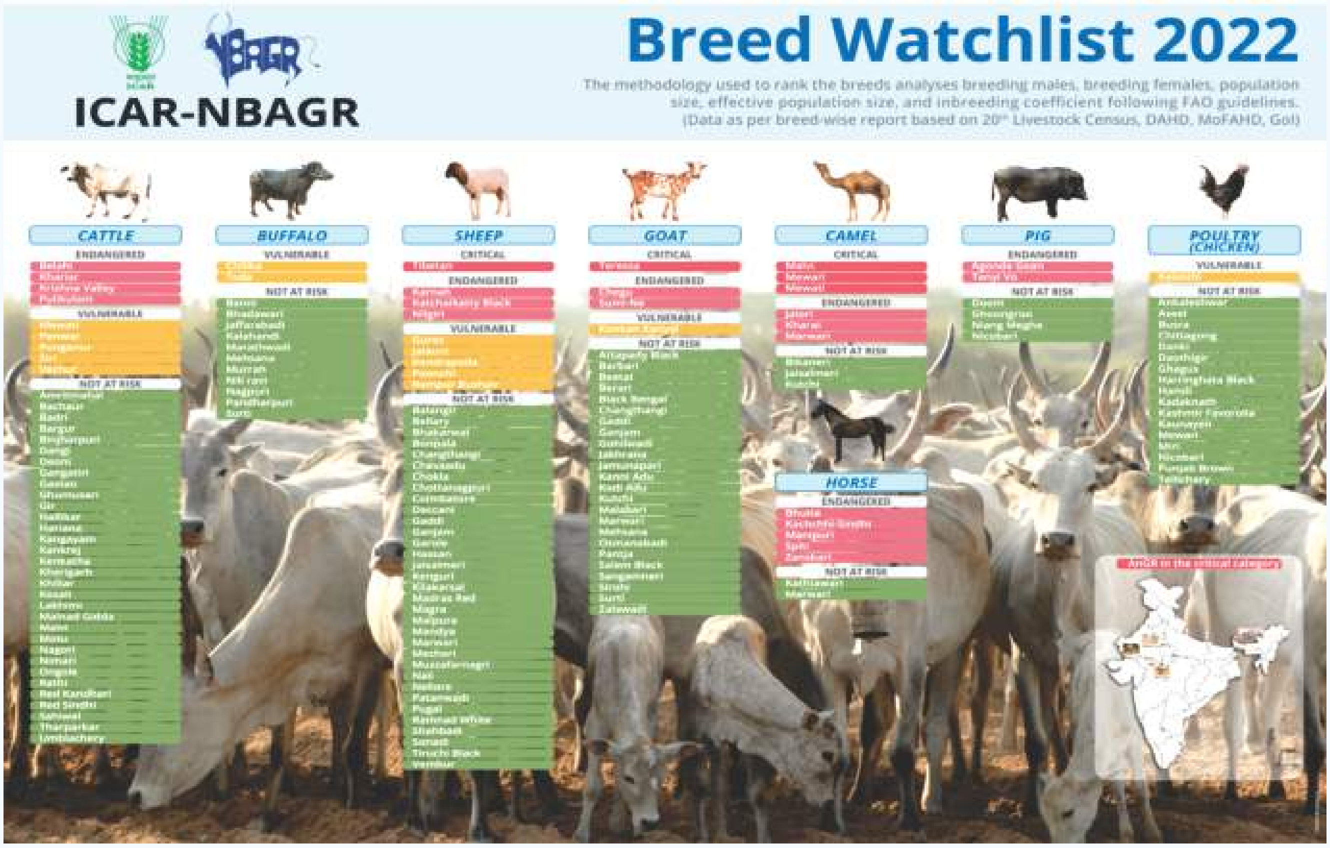

7.2.3 21वीं पशुधन संगणना का आगाज

भारत की सबसे व्यापक पशु गणना

एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रव्यापी पहल में, भारत अपने सबसे व्यापक पशुधन गणना अभ्यास का आयोजन कर रहा है। अक्टूबर 2024 में आरंभ किए गए इस विशाल आंकड़े संग्रह प्रयास में 88,000 संगणकों और 15,000 पर्यवेक्षक कर्मियों की एक प्रभावशाली टीम तैनात की गई है, जो देश भर के शहरी केंद्रों, ग्रामीण अंचल और यहां तक कि सबसे दूरदराज के क्षेत्रों के हर कोने में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करती है। यह महत्वाकांक्षी संगणना न केवल अपने व्यापक दायरे में बल्कि अपने अभिनव दृष्टिकोण में भी अलग है, जिसमें देश के पशुधन क्षेत्र की गहरी और अधिक समग्र समझ प्रदान करने के लिए आधुनिक पद्धतियों को शामिल किया गया है। आंकड़े संग्रह एक मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा रहा है, जो गणना प्रक्रिया की दक्षता और सटीकता को बढ़ाता है। ऐप वास्तविक समय में आंकड़े प्रविष्टि सुनिश्चित करता है, मानवीय त्रुटि को कम करता है और रिपोर्टिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली मौजूद है कि आंकड़े संग्रह सख्त दिशानिर्देशों का पालन करता है, जिससे परिणामों में उच्चतम स्तर की सटीकता और विश्वसनीयता मिलती है।

इस संगणना की एक प्रमुख विशेषता पशुधन पालन की सामाजिक–आर्थिक गतिशीलता का दस्तावेजीकरण करने पर इसका समर्पित ध्यान है। पहली बार, यह पशुपालन समुदायों के पशुधन पर भी जोर देता है, जो लंबे समय से भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं, साथ ही पशुधन प्रबंधन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर देता है। इन अक्सर अनदेखा किए जाने वाले पहलुओं को पकड़कर,

संगणना का उद्देश्य पशुपालक समुदायों के लिए लक्षित नीतियों के निर्माण को सुविधाजनक बनाना और लिंग, संस्कृति और पशुधन उत्पादन के बीच जटिल संबंधों को उजागर करना है, जो ग्रामीण आजीविका में महिलाओं की विकसित होती भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।

संगणना 16 विविध प्रजातियों को सावधानीपूर्वक सूचीबद्ध कर रही है, जो भारत की पशु संपदा की एक व्यापक तस्वीर पेश करती हैः गोपशु, भैंस, मिथुन, याक, भेड़, बकरी, सूअर, घोड़े, टट्टू, खच्चर, गधे और ऊंट, कुत्ते, खरगोश और हाथी, मुर्गी, बत्तख और अन्य पक्षी प्रजातियाँ।

अब तक लगभग 40% गणना पूरी हो चुकी है, इस विशाल अभ्यास का समापन फरवरी 2025 में होना तय है। एकत्र किए गए आंकड़े पशुधन विकास नीतियों को आकार देने, पशुपालन में बदलते पैटर्न को समझने और पूरे भारत में टिकाऊ कृषि पद्धतियों का समर्थन करने में सहायक होंगे।

*****

अध्याय-8

व्यापार संबंधी मामले

व्यापार संबंधी मामले

अध्याय-8

8.1 प्रस्तावना

8.1.1 विभिन्न पशुधन उत्पादों पर मात्रात्मक प्रतिबंध (क्यूआर) हटाने के बाद, विभाग ने पशुधन आयात अधिनियम, 1898 में संशोधन किया और सभी पशुधन उत्पादों को उनके आयात को विनियमित करने के उद्देश्य से इसके दायरे में लाया। तदनुसार, पशुधन उत्पादों के लि, दिनांक 7 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या 655 (अ), मत्स्य उत्पादों के लि, दिनांक 16.10.2001 की अधिसूचना संख्या 1043 (अ) और पोल्ट्री के ग्रेंड पैरेंट स्टॉक के लिए दिनांक 27.11.2001 की अधिसूचना संख्या 1175 (अ) जारी की गई थी, जिससे स्वच्छता आयात परमिट (एसआईपी) के तहत पशुधन उत्पादों का आयात करना अनिवार्य हो गया। दिनांक 28.03.2008 की अधिसूचना संख्या 794 (अ) के तहत विभाग ने दिनांक 7.07.2001 की अधिसूचना संख्या 655 (अ) में और संशोधन किया था, जिसके तहत उसने पशुधन उत्पादों को वर्गीकृत किया था, जिनके लि, सैनिटरी आयात परमिट (एसआईपी) की आवश्यकता होती है, वे उत्पाद जिन्हें पशु संगरोध और प्रमा.ान सेवाओं से अनापत्ति के आधार पर अनुमोदन दिया जा सकता है तथा वे उत्पाद जिनके लिए न तो एसआईपी और न ही अनापत्ति की आवश्यकता होती है।

8.1.2 वर्ष 2014 में, मुख्य अधिसूचना एसओ 655 (अ) दिनांक 7.07.2001 को अधिक्रमण करके, एक समेकित अधिसूचना एसओ 2666 (अ) दिनांक 17.10.2014 जारी की गई, जिसमें पशुधन आयात अधिनियम, 1898 की धारा 2 (घ) के तहत पशुधन उत्पादों और धारा 3 क के तहत पशुधन उत्पादों के आयात की प्रक्रिया को सूचीबद्ध किया गया। एसआईपी निर्यातक देश में बीमारी की स्थिति के मुकाबले देश में बीमारी की स्थिति के आधार पर जोखिम विश्लेषण करने के बाद जारी की जाती है।

8.1.3 इसके अलावा, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 के अंतर्गत दिनांक 11 जून, 2014 को एसओ 1495 (अ) और 1496 (अ) के माध्यम से अधिसूचनाएं भी जारी की गई थीं, जिसमें विभाग ने धारा 3 के अनुसार जीवित पशुओं के आयात और संगरोध प्रक्रिया निर्धारित की है और पशुधन आयात अधिनियम, 1898 की धारा 2 (घ) के अनुसार ''पशुधन'' की परिभाषा को पशुओं की संख्या तक आगे बढ़ा दिया गया है।

8.1.4 आयात की प्रक्रिया: विभाग ने विभिन्न पशुधन उत्पादों के आयात हेतु एसआईपी जारी करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के लिए संयुक्त सचिव (व्यापार) की अध्यक्षता में जोखिम विश्लेषण पर एक समिति गठित की है, जिसके सदस्य के रूप में सभी संयुक्त सचिव या प्रतिनिधि हैं। दिनांक 17.10.2014 की अधिसूचना एसओ 2666 (अ) में आवश्यक संशोधन के बाद, विभाग ने एक नया पोर्टल विकसित किया है और पशुधन उत्पादों के आयात संबंधी कार्यकलापों में लगे विभिन्न फर्मों/संगठनों को एसआईपी आवेदनों को ऑनलाइन जमा करने और सैनिटरी आयात परमिट जारी करने के लिए इसे राष्ट्रीय सिंगल विंडो, https://sip.nic.in के साथ एकीकृत किया है। सैनिटरी आवश्यकताओं के बारे में प्रासंगिक जानकारी के साथ ऑन–लाइन एसआईपी आवेदन जमा करने की प्रक्रिया भी विभाग की वेबसाइट www.dahd.nic.in पर उपलब्ध है। प्राप्त एसआईपी आवेदनों की जांच की जाती है और वैज्ञानिक साक्ष्यों और ओआईई विनियमन के आधार पर विभाग के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा उनका जोखिम विश्लेषण किया जाता है। एसआईपी जारी करने या उसे अस्वीकृत करने के लि, जोखिम विश्लेषण समिति द्वारा तकनीकी विशेषज्ञों की संस्तुतियों पर विचार किया जाता है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान समिति की कुल 34 बैठकें हो चुकी हैं। विभाग की व्यापार इकाई ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान विभिन्न फर्मों/संगठनों को 2983 स्वच्छता आयात परमिट जारी कि, हैं ताकि वे मत्स्य उत्पादों सहित विभिन्न पशुधन उत्पादों का आयात कर सकें। दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024 तक की अवधि के लिए सभी एक्यूसीएस स्टेशनों के पशुधन और पशुधन उत्पादों की आयात/निर्यात रिपोर्ट **अनुबंध XII** में दी गई है ।

8.1.5 यह विभाग पशुधन और पशुधन से संबंधित वस्तुओं और प्रतिबंधित श्रेणी के पशुधन और पशुधन उत्पादों के आयात और निर्यात के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) से प्राप्त राज्य सरकारों/फर्मों/संगठनों के प्रस्तावों पर भी कार्रवाई करता है। इन प्रस्तावों पर व्यापार और निवेश मामलों की समिति द्वारा विचार करने के बाद संबंधित राज्य सरकारों/फर्मों/संगठनों के पक्ष में आवश्यक आयात लाइसेंस जारी करने के लिए विभाग के विचार विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) को सूचित किए जाते हैं। व्यापार और निवेश मामलों की समिति भी संयुक्त सचिव (व्यापार) की अध्यक्षता में सभी संयुक्त सचिवों या प्रतिनिधियों के साथ इसके सदस्यों के रूप में बैठक करती है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, उक्त समिति की कुल 34 बैठकें हुईं और विभिन्न फर्मों/संगठनों के साथ–साथ विभिन्न राज्य सरकारों के पक्ष में 568 सिफारिशें जारी की गईं।

8.1.6 वित्तीय वर्ष के दौरान, ''व्यापार करने में आसानी'' के लिए तेजी से कदम उठाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख नीतिगत पहलें की गई हैं;

1. व्यापार करने में आसानी को सुगम बनाने तथा आयातकों और व्यापारियों को सहायता प्रदान करने के लिए, पशुपालन और डेयरी विभाग ने अपने उन्नत वेब

पोर्टल (http://sip.nic.in) को राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) पोर्टल (https://www.nsws.gov.in/) के साथ एकीकृत करके सफलतापूर्वक काम शुरू कर दिया है। यह एकीकरण आगे की प्रक्रिया के लिए एनएसडब्ल्यूएस से संपूर्ण डेटा प्राप्त करने और उसका उपयोग करने में सक्षम बनाता है, जिससे आयात अनुमोदन प्रक्रिया सरल हो जाती है।

2. विभाग ने दिनांक 10.10.24 के एसओ 4396 (अ) के तहत कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सामान नियम के तहत पालतू कुत्तों और बिल्लियों के आयात की अनुमति दी।

3. पशु संगरोध एवं प्रमाणन सेवा द्वारा आयातित खेपों की निकासी संबंधी अनापत्ति के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली उपकरण को एक्यूसीएस, दिल्ली और एक्यूसीएस, मुंबई में पायलट चरण के रूप में लागू किया गया है।

*****

अध्याय-9

अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी)
और
जनजातीय उप-योजना (टीएसपी)

अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप-योजना (टीएसपी)

अध्याय-9

9.1 विभाग विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है, जिनका मुख्य उद्देश्य पशुपालन और डेयरी के विकास के लिए राज्य सरकारों की अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। अधिकांश योजनाएं सीधे लाभार्थी–उन्मुख नहीं हैं। देश की एक बड़ी आबादी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज के अन्य कमजोर वर्गों और महिलाओं से संबंधित है जो पशुधन क्षेत्रों के कार्यकलापों में लगी हुई है। परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा कार्यान्वित की गई विभिन्न योजनाएं समाज के इन वर्गों को लाभान्वित करती हैं। हालाँकि, विभाग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं से संबंधित लाभार्थियों का रिकॉर्ड नहीं रख रहा है। योजनाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारें/कार्यान्वयन एजेंसियां भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं रख रही हैं।

9.2 अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) के अंतर्गत 16.6% निधि निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा दिनांक 15.12.2010 के डी.ओ. पत्र संख्या एन–11016/12(1)/2009–पीसी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, विभाग ने एससीएसपी घटक के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत बीई चरण में 699.07 करोड़ रुपए निर्धारित किए, जिसे आरई चरण में घटाकर 528.42 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसके सापेक्ष वर्ष 2023–24 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 408.98 करोड़ रुपए व्यय किए गए। चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए विभाग ने बीई चरण में 714.56 करोड़ रुपए निर्धारित किए, जिसे आरई चरण में घटाकर 328.17 करोड़ रुपए कर दिया गया। जिसमें से वर्ष 2024–25 में एससीएसपी घटक के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत 174.38 करोड़ रुपये (दिनांक 31.12.2024 तक) व्यय किए जा चुके हैं।

9.3 टीएसपी घटक के अंतर्गत, विभाग ने वर्ष 2023–24 में बीई चरण में 376.92 करोड़ रुपये निर्धारित किए थे, जिसे आरई चरण में घटाकर 268.69 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसके सापेक्ष वर्ष 2023–24 में 209.17 करोड़ रुपये खर्च किए गए। चालू वित्त वर्ष 2024–25 के लिए, विभाग ने बीई चरण में 377.24 करोड़ रुपये निर्धारित किए थे, जिसे आरई चरण में घटाकर 170.97 करोड़ रुपये कर दिया गया। जिसमें से वर्ष 2024–25 में टीएसपी घटक के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत 86.02 करोड़ रुपये (दिनांक 31.12.2024 तक) खर्च किए जा चुके हैं।

*****

अध्याय-10

महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण

अध्याय-10

10.1 महिला उद्यमिता विकास

10.1.1 राष्ट्रीय पशुधन मिशन– उद्यमिता विकास–

वित्त वर्ष 2023–24 में पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने 398 महिला उद्यमिता प्रस्तावों को अनुमोदित किया है। इन प्रस्तावों में ग्रामीण पोल्ट्री प्रजनन फार्मों की स्थापना के लिए 17 उद्यमिता प्रस्ताव, भेड़/बकरी प्रजनन फार्मों की स्थापना के लिए 338 उद्यमिता प्रस्ताव, सुअर प्रजनन फार्मों की स्थापना के लिए 35 उद्यमिता प्रस्ताव, आहार और चारा इकाइयों की स्थापना के लिए 9 प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों की कुल परियोजना लागत 28224.57 लाख रुपये है, जिसमें 13062.13 लाख रुपये की अनुमोदित सब्सिडी शामिल है।

क. एनएलएम–ईडीपी योजना के तहत ग्रामीण पोल्ट्री फार्म की स्थापना– क्षमा रानी, कर्नाटक

62 साल की उम्र में, मैसूर के सरगुर गांव की एम. क्षमा रानी ने एक उद्यमी यात्रा शुरू की, जिसने घरेलु में पोल्ट्री फार्मिंग के माध्यम से अपने और हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया। राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) उद्यमिता विकास कार्यक्रम के सहयोग से, उन्होंने ''नम्मा मैसूर नाटी कोली'' का निर्माण किया, जो देसी पोल्ट्री को बढ़ावा देने वाला एक संपन्न उद्यम है।

क्षमा रानी ने अपने बेटे सागर उर्स के साथ मिलकर अत्याधुनिक हैचरी और ब्रीडिंग फार्म की स्थापना की, जिससे हर महीने 60,000 चूजों की क्षमता तक संचालन बढ़ गया। बाजार की चुनौतियों पर काबू पाकर, उन्होंने ग्रामीण–शहरी पोल्ट्री मांग के अंतर को पाटा, माइक्रोफाइनेंसिंग की शुरुआत की और ग्रामीण किसानों, खासकर महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया। आज, उनका व्यवसाय 1.48 करोड़ रु. का वार्षिक कारोबार करता है, जिसमें 15 कर्मचारी कार्यरत हैं और 2,000 से अधिक किसान लाभान्वित हैं।

आज, क्षमा रानी की उपलब्धियाँ उनकी लगन और कड़ी मेहनत के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। 2,000 से ज्यादा ग्रामीण किसान, खास तौर पर महिलाएँ, अब उनके व्यवसाय से जुड़ी हैं और सतत आय अर्जित कर रही हैं। उनकी पहल ने 15 कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सशक्त बनाया है, जिससे उन्हें आपातकालीन स्थितियों के लिए "एटीएम" जैसा एक विश्वसनीय आय स्रोत मिला है।

भविष्य को देखते हुए, क्षमा रानी का लक्ष्य अपने परिचालन को और आगे बढ़ाना है। वह सालाना 30% उत्पादन बढ़ाने और टीकाकृत चूजों के लिए अभिनव बायबैक योजनाएँ शुरू करने की योजना बना रही है, जिससे एक चक्रीय और टिकाऊ मॉडल तैयार होगा। अपने व्यवसाय को सरकारी कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करके, वह ग्रामीण आजीविका को और भी बेहतर बनाने की उम्मीद करती है।

प्रशंसापत्र

''क्षमा रानी की यात्रा यह साबित करती है कि दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता जीवन को बदल सकती है। ग्रामीण विकास में उनका योगदान वास्तव में प्रेरणादायक है।''

चित्र 9 चित्र 10

चित्र 9 और 10: ग्रामीण पोल्ट्री नस्ल फार्म के अंतर्गत उद्यमिता विकास के भाग के रूप में, महिला उद्यमियों द्वारा कर्नाटक में 1100 पशुयूथों के आकार का एक ग्रामीण पोल्ट्री फार्म स्थापित किया गया है।

ख. एनएलएम–ईडीपी योजना के तहत सुअर पालन इकाई की स्थापना–प्रियंकी देब शर्मा

त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर के पित्रा की 39 वर्षीय महिला प्रियंकी देब शर्मा ने सुअर पालन से जुड़े अपने बचपन के अनुभव को एक सफल उद्यमशीलता उद्यम में बदल दिया है। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्हें पारंपरिक नौकरी पाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इससे विचलित हुए बिना, प्रियंकी ने अपने परिवार से मिले सुअर पालन के ज्ञान का लाभ उठाया और व्यावसायिक सुअर पालन में एक साहसिक कदम उठाया। पशु संसाधन विकास

(एआरडी) विभाग और राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एनएलएम ईडीपी) के समर्थन से, उन्होंने जनवरी 2024 में अपना सुअर पालन उद्यम शुरू किया, जिसका उद्देश्य खुद के लिए एक सतत आय प्रदान करना और अपने समुदाय का उत्थान करना है।

प्रियांकी का व्यवसाय शुरू से ही खूब फल–फूल रहा है। 8.33 लाख रु. के शुरुआती निवेश के साथ, जिसमें 25 लाख रु. का लोन और एनएलएम ईडीपी के तहत 30 लाख रु. की सब्सिडी शामिल है। उन्होंने प्रजनन में विशेषज्ञता वाला एक सूअर फार्म स्थापित किया। सिर्फ दो साल में, वित्त वर्ष 2024–25 में उसका टर्नओवर 30 लाख रु. तक पहुँच गया, जिससे उन्हें 8 लाख रु. का मुनाफा हुआ। उन्होंने 685 सूअर और 45 वयस्क सूअर बेचे हैं, और वर्तमान में 112 सोज, 10 बोर्स और 187 पिगलेट्स के बच्चे पालती है। उसके फार्म की सफलता का श्रेय उचित पशु देखभाल, पोषण और टीकाकरण को जाता है, जिससे स्थानीय किसानों को ज्यादा लाभ अर्जन हेतु स्वस्थ पशुधन का लाभ मिलता है।

प्रियंकी के काम ने उनके गांव में कई महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाया है, जिससे पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएं बदल गई हैं। वह चार श्रमिकों को रोजगार देती हैं और दूसरों को वैकल्पिक आजीविका के रूप में पशुपालन का पता लगाने के लिए प्रेरित करती हैं। अपने संसाधन–साझाकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से, वह साथी ग्रामीणों को वैज्ञानिक सुअर पालन के महत्व को समझने में मदद करती हैं। प्रियंकी महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाली ष्लखपति दीदीष पहल में भी सक्रिय भागीदार हैं। उनका उद्यम ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है और क्षेत्र के समग्र सामाजिक–आर्थिक उत्थान में योगदान देता है।

सर्वोत्तम कार्यकलाप

- पशुधन के लिए नियमित टीकाकरण और स्वास्थ्य देखभाल
- स्थानीय किसानों को वैज्ञानिक सुअर पालन तकनीकों पर प्रशिक्षण देना
- उत्पादकता बढ़ाने के लिए उचित प्रजनन प्रबंधन लागू करना।
- रोग के प्रकोप को रोकने के लिए स्वच्छता और जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाए रखना।

चित्र 11 और 12: एक महिला उद्यमी सुश्री प्रियांकी देब शर्मा द्वारा त्रिपुरा के गोमती में सुअर पालन इकाई की स्थापना का एक हिस्सा,

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)

पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा 29,110.25 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) को व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और धारा 8 की कंपनियों और डेयरी सहकारी समितियों द्वारा (i) डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, (ii) मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, (iii) पशु आहार संयंत्र (iv) नस्ल सुधार तकनीक और नस्ल वृद्धि फार्म (v) पशु चिकित्सा टीका और औषधि विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना और (vi) पशु अवशिष्ट से संपत्ति प्रबंधन (कृषि अपवशिष्ट प्रबंधन) हेतु निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

इस योजना के तहत, केंद्र सरकार पात्र संस्थाओं को 3% ब्याज सबवेंशन प्रदान करती है जो किसी भी अनुसूचित बैंक/नाबार्ड/एनसीडीसी/एनडीडीबी से परियोजना लागत के 90% तक सावधि ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत एनएबी संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्थापित क्रेडिट गारंटी निधि की सुविधा एमएसएमई के लिए 25% क्रेडिट गारंटी प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत पात्र सावधि ऋण राशि की कोई सीमा नहीं है।

योजना के उद्देश्यः

क) दूध और मांस प्रसंस्करण क्षमता और उत्पाद विविधीकरण को बढ़ाने में सहायता करना, जिससे असंगठित ग्रामीण दूध और मांस उत्पादकों को संगठित दूध और मांस बाजार तक अधिक पहुंच प्रदान की जा सके।

ख) उत्पादकों को बढ़ी हुई कीमत उपलब्ध कराना

ग) घरेलू उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण दूध और मांस उत्पाद उपलब्ध कराना

घ) देश की बढ़ती आबादी की प्रोटीन युक्त गुणवत्तापूर्ण खाद्य आवश्यकता को पूरा करना तथा दुनिया में सबसे अधिक कुपोषित बच्चों वाले देशों में से एक में कुपोषण को रोकना

ङ) उद्यमशीलता कार्यकलापों को बढ़ावा देना तथा रोजगार सृजन को सुगम बनाना

च) निर्यात को बढ़ावा देना तथा दूध और मांस क्षेत्र में निर्यात योगदान को बढ़ाना

छ) गोपशुओं, भैंसों, भेड़, बकरी, सूअर और मुर्गी को किफायती मूल्य पर संतुलित राशन उपलब्ध कराने के लिए गुणवत्तापूर्ण पशु आहार उपलब्ध कराना।

एएचआईडीएफ की अब तक की प्रगति:

दिनांक 31.12.2024 तक, विभाग द्वारा 18,096 करोड़ रु. की कुल 933 परियोजनाओं को पात्र पाया गया है और ऋणदाता बैंकों द्वारा 13,551 रु. करोड़ की कुल 506 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। योजना शुरू होने के पहले वर्ष में 713 परियोजनाएँ प्राप्त हुईं, जो वर्ष 2021–22 में बढ़कर 2480, वर्ष 2022–23 में 2014, वर्ष 2023–24 में 298 और वर्ष 2024–25 में 1228 परियोजनाएँ हो गईं, जो दर्शाता है कि समय के साथ योजना की लोकप्रियता बढ़ी है। विभाग ने इस योजना के तहत सभी संभावित कार्यकलापों को शामिल किया है चाहे वह डेयरी प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण, चारा निर्माण, पशु चिकित्सा टीके और दवा निर्माण, पशु अपशिष्ट से धन प्रबंधन हो। इसके अलावा प्राथमिक ऊन प्रसंस्करण अवसरंचना को योजना के तहत पात्र श्रेणी के रूप में जोड़ा गया है। समय बीतने के साथ, योजना के अंतर्गत प्रत्येक कार्यकलाप में तेजी आई है और विभाग को अब दूरदराज के जिलों से भी परियोजनाएं प्राप्त हो रही हैं, जहां पहले परियोजनाओं की संख्या कम थी।

दिनांक 31.12.2024 तक की स्थिति के अनुसार, 149 परियोजनाओं के लिए 80.87 करोड़ रुपये का ब्याज सबवेंशन जारी किया गया है।

एएचआईडीएफ के तहत बैंकों द्वारा दिनांक 31.12.2024 तक स्वीकृत 363 परियोजनाओं के तहत, डेयरी प्रसंस्करण के तहत निर्मित अवसरंचना की क्षमता 130 परियोजनाओं के लिए 165.75 लाख लीटर प्रति दिन (एलएलपीडी) है। मांस प्रसंस्करण में, अब तक 21 परियोजनाओं के लिए 8.95 लाख एमटीपीए क्षमता बनाई गई है। पशु आहार निर्माण के तहत, 128 परियोजनाओं के लिए लगभग 84.52 लाख एमटीपीए क्षमता बनाई गई है।

नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी एवं वृद्धि फार्म श्रेणी के अंतर्गत 75 इकाइयों को सहायता दी गई है। इस योजना के अंतर्गत, कुल 8060 गायों/भैंसों/सूअरों के लिए नस्ल सुधार फार्म, प्रति वर्ष 24.49 करोड़ पोल्ट्री पक्षियों/चूजों की क्षमता वाले आधुनिक पोल्ट्री फार्म तथा प्रति वर्ष 119 करोड़ अंडे की क्षमता वाले आधुनिक पोल्ट्री फार्म को सहायता प्रदान की गई है।

पशु अपशिष्ट से धन प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन) श्रेणी के अंतर्गत 10351 मीट्रिक टन/प्रति वर्ष संपीड़ित गैस की क्षमता वाली तीन परियोजना को सहायता दी गई है। इनके माध्यम से दिनांक 31.12.2024 तक 63 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं।

पशु चिकित्सा टीके और औषधि उत्पादन सुविधा श्रेणी के अंतर्गत 3 परियोजनाओं को सहायता दी गई है, जिनमें 90 लाख बोलस, 400 लाख टैबलेट, 60,000 किलोग्राम पाउडर, 70 लाख शीशियाँ और प्रति वर्ष 2.74 लीटर तरल पशु चिकित्सा औषधियाँ और दवा तथा प्रति वर्ष 3 करोड़ इंजेक्शन योग्य औषधियों के प्रति वर्ष उत्पादन की सुविधा है। इनके माध्यम से दिनांक 31.12.2024 तक 253 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं।

363 परियोजनाओं के तहत कुल 50,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए गए हैं। हालांकि, इस योजना से दिनांक 31.12.2024 तक 1,80,000 से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

एएचआईडीएफ योजना के तहत अब तक लगभग 48 महिला लाभार्थी स्वीकृत की गई हैं और वे 2235 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रही हैं।

रोहिणी सुमित्रा पोवार और प्रोफोड

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)

प्रोफोड प्राइवेट लिमिटेड
फाजिल्का, पंजाब

परियोजना की मुख्य विशेषताएं

मद	विवरण
क्षेत्र	पशु आहार संयंत्र
रोजगार की संभावना	40
संयंत्र की क्षमता	105एमटी/दिन (मौजूदा 10–15एमटी/दिन)
नई परियोजना/विस्तार परियोजना	विस्तार
निवेश उत्प्रेरित (परियोजना लागत)	1.48 करोड़ रु.
सावधि ऋण	0.95 करोड़ रु.
लाभान्वित किसान (अस्थायी रूप से)	500

योजना का विवरण

दिनांक 22 फरवरी, 2021 को स्थापित प्रोफॉड प्राइवेट लिमिटेड, अपने पंजीकृत ब्रांड "हे काउ" के तहत चावल के भूसे की गांठें, गेहूं के भूसे की गांठें, घोड़े का चारा और बहुत कुछ बनाती है, जिसका व्यापक रूप से भारत भर में डेयरी किसानों द्वारा उपयोग किया जाता है।

कंपनी का नेतृत्व श्री अनुराग नागपाल करते हैं, जिनके पास 30 से अधिक वर्षों का कृषि अनुभव है, और श्रीमती संगीता नागपाल, एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं, जो चारे के पोषण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती हैं। प्रोफॉड सक्रिय रूप से कृषि अपशिष्ट को चारे के रूप में उपयोग करने और फसल अवशेष जलाने को हतोत्साहित करने को बढ़ावा दे रहा है।

कंपनी में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से प्रतिदिन 105 मीट्रिक टन चारा ब्लॉक का उत्पादन हो रहा है, जिसका लक्ष्य एएचआईडीएफ योजना के तहत अतिरिक्त 70 मीट्रिक टन प्रतिदिन का विस्तार करना है, जिससे 40 प्रत्यक्ष और 500 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

आपूर्ति शृंखला	पिछला टर्नआवर	अपेक्षित लाभ
पड़ोसी राज्यों (जम्मू–कश्मीर, हिमाचल, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड अन्य) सहित स्थानीय किसान और स्थानीय बाजार	मौजूदा प्रतिष्ठान से 1.42 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2020–21) का उत्पादन शुरू होने के बाद 1.96 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2021–22) और वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 3.54 करोड़ रुपये	चालू वित्त वर्ष में 8–9 करोड़ रुपये के बीच अपेक्षित राजस्व चारा ब्लॉक– 5,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन

प्रोमोटर की टेस्टीमॉनी

"प्रोफॉड को एएचआईडीएफ योजना के समर्थन से ही सुदृढ़ आधार मिला है।

एएचआईडीएफ के साथ, हम बैंक की मदद से आवश्यक अवसरंचना का विकास करने में सक्षम हुए हैं और हमारे पास चारा ब्लॉक के क्षेत्र में उत्पादन की उच्च क्षमता है।

यह सब 5–7 साल पहले शुरू हुआ जब हमने देश के विभिन्न राज्यों के डेयरी किसानों के सामने आने वाली बाधाओं को महसूस किया।

वर्तमान में, हम विभिन्न राज्यों में 100 से अधिक खुदरा साझेदार बनाने में सक्षम हैं और उन्हें अपने क्षेत्रीय डेयरी सेगमेंट/किसानों और गौशालाओं को हमारे चारा ब्लॉक यानी हे काऊ की आपूर्ति और कभी न खत्म होने वाली आपूर्ति के साथ सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाया है, जिसे प्रोफॉड द्वारा बड़े करीने से और सटीक रूप से विकसित किया गया है।

हम इसके लिए पशुपालन विभाग को अपना हार्दिक धन्यवाद देते हैं।"

परियोजना की झलकियाँ

हे सी हे काऊ

चॉप्पे कटे हुए चावल का भूसा

"ग्राहक खरीदते हैं" ग्राहक अंतिम उत्पाद खरीदते हैं"

तैयार माल लदान के साथ संयंत्र का बाहरी दृश्य तैयार माल लदान के साथ संयंत्र का बाहरी

रोहिणी सुमित्रा पोवार

कोल्हापुर, महाराष्ट्र

परियोजना की मुख्य विशेषताएं

मदें	विवरण
क्षेत्र (पोल्ट्री आहार)	पशु आहार संयंत्र
रोजगार की संभावना	50–60 (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष)
संयंत्र की क्षमता	10 केएल/दिन
नई परियोजना/विस्तार परियोजना	नया
उत्प्रेरित निवेश (परियोजना लागत)	0.20 करोड़ रु.
सावधि ऋण	0.15 करोड़ रु.

योजना का विवरण

रोहिणी सुमित्रा पोवार एक महिला उद्यमी हैं और उन्होंने हीरा पोल्ट्री फीड के नाम से पोल्ट्री आहार निर्माण का व्यवसाय शुरू किया है। इस परियोजना ने जून 2021 में व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया। कच्चे माल की खरीद के लिए, प्रोपराइटर ने स्थानीय किसानों और मंडी के साथ सहयोग किया है।

प्रारम्भ के बाद, परियोजना प्रतिवर्ष 4500 बैग (50 किलोग्राम) का सफलतापूर्वक निर्माण कर रही है तथा स्थानीय पोल्ट्री किसानों को आपूर्ति कर रही है।

प्रोपराइटर ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 40 से 50 लोगों को रोजगार की संभावना सृजित की है। वह रोजगार और क्षेत्र के सतत विकास के लिए अधिक संभावनाएं निर्मित करने की दृष्टि से क्षमता को दोगुना करने की योजना बना रही है।

योजना का विवरण

रोहिणी सुमित्रा पोवार एक महिला उद्यमी हैं और उन्होंने हीरा पोल्ट्री फीड के नाम से पोल्ट्री आहार निर्माण का व्यवसाय शुरू किया है। इस परियोजना ने जून 2021 में व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया। कच्चे माल की खरीद के लिए, प्रोपराइटर ने स्थानीय किसानों और मंडी के साथ सहयोग किया है।

प्रारम्भ के बाद, परियोजना प्रतिवर्ष 4500 बैग (50 किलोग्राम) का सफलतापूर्वक निर्माण कर रही है तथा स्थानीय पोल्ट्री किसानों को आपूर्ति कर रही है।

प्रोपराइटर ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 40 से 50 लोगों को रोजगार की संभावना सृजित की है। वह रोजगार और क्षेत्र के सतत विकास के लिए अधिक संभावनाएं निर्मित करने की दृष्टि से क्षमता को दोगुना करने की योजना बना रही है।

आपूर्ति श्रृंखला	पिछला टर्नआवर	अपेक्षित लाभ
स्थानीय किसान/एवं स्थानीय बाजार	शुरूआत के बाद वित्त वर्ष 2021–22 में अंतिम टर्नओवर 0.55 करोड़ रुपये	प्रति वर्ष 4500 पोल्ट्री आहार बैग/50 किलोग्राम प्रति बैग की कीमत/1300 रुपये

प्रोमोटर की टेस्टीमॉनी

"मालिक का कहना है कि एएचआईडीएफ ब्याज सबवेंशन की सहायता से परियोजना लाभदायक साबित हुई। यह वित्त पोषण ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक उपकरण स्वस्थ साबित हुआ।'

10.2 राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत महिला सशक्तिकरण

राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2014 में स्वदेशी बोवाईन नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य बेहतर प्रजनन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों के माध्यम से दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। महिला सशक्तिकरण इस मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह पशुधन क्षेत्र में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है।

1. राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (एनएआईपी): इस घटक के तहत किसानों के द्वार मुफ्त एआई सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। आरजीएम के तहत इस पहल के माध्यम से कई महिला किसान लाभान्वित हुईं।

राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत लाभान्वित महिला किसान।

सामुदायिक संसाधन व्यक्ति को मैत्री के रूप में शामिल करनारू यह योजना किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण एआई सेवाएं प्रदान करने के लिए महिलाओं के प्रशिक्षण और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। आरजीएम के अंतर्गत, प्रशिक्षण के लिए सहायता दी जाती है और प्रशिक्षण के बाद मैत्री को क्षेत्र में शामिल करने से पहले निशुल्क एआई किट उपलब्ध कराई जाती है। मैत्री, वस्तु और सेवा की लागत के संग्रहण के माध्यम से स्व–संपोषणीय आधार पर किसानों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करती हैं। इसके अलावा, इन महिला मैत्री को राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकार्य प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

महिला मैत्री कार्मिक

मैत्री का प्रशिक्षण और मैत्री को एआई किटों का वितरण

3. नस्ल वृद्धि फार्मः यह घटक नस्ल वृद्धि फार्मों की स्थापना करने के लिए सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसका डेयरी क्षेत्र में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस घटक के तहत इच्छुक उद्यमियों को गोपशु शेडों के निर्माण, मशीनों और सर्वश्रेष्ठ पशुओं आदि की खरीद के लिए 2 करोड़ रु. तक की 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है। योजना के तहत संस्वीकृत 132 नस्ल वृद्धि फार्मों (बीएमएफ) में से, 32 बीएमएफ की स्थापना महिला उद्यमियों द्वारा की जा रही है।

4. गोपाल रत्न पुरस्कारः आरजीएम, डेयरी क्षेत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, नेतृत्वकारी भूमिकाओं को बढ़ावा देता है और विभिन्न समितियों तथा सहकारी समितियों में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। गोपाल रत्न पुरस्कार पशुधन और डेयरी के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। दिनांक 26 नवंबर 2024 को देशी गाय/भैंस नस्ल पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान श्रेणी में दो महिला किसानों (श्रीमती रेणु, झज्जर, हरियाणा और श्रीमती सुरभि सिंह, बिजनौर, उत्तर प्रदेश) को गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी श्रेणी में विशेष पुरस्कार दो महिला किसानों (श्रीमती जुनुमा माली, मोरीगांव, असम और सुश्री जूना तामुली बर्मन, बाजाली, असम) को दिया गया।

गोपाल रत्न से पुरस्कृतजन

*****

अध्याय-11

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

अध्याय-11

11.1 अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता

पशुपालन और डेयरी विभाग पशु स्वास्थ्य एवं डेयरी से संबंधित निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का नियमित सदस्य है (वार्षिक सदस्यता अंशदान का भुगतान करता है)।

- विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूओएएच), (पूर्व में ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिजूटीज (ओआईई), पेरिस, फ्रांस।
- अंतर्राष्ट्रीय डेयरी परिसंघ (आईडीएफ), बेल्जियम।
- एशिया और प्रशांत क्षेत्र हेतु पशु उत्पादन और स्वास्थ्य आयोग (एपीएचसीए), बैंकॉक, थाईलैंड, एफएओ के तहत एक संगठन।

11.2 अधिकारियों द्वारा विदेश में की गई प्रतिनियुक्ति/प्रशिक्षण में सहभागिता

अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 के दौरान, डीएएचडी/अधीनस्थ कार्यालयों के 31 अधिकारियों को कुल 25 बैठकों/सम्मेलनों/प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं आदि में भाग लेने के लिए विदेश में प्रतिनियुक्त किया गया। अप्रैल, 2024 से दिसंबर, 2024 की अवधि के दौरान न्यूजीलैंड, यूके, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ब्राजील, रूस आदि देशों के विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के साथ माननीय एफएएचएंडडी मंत्री और डीएएचडी के वरिष्ठ अधिकारियों की कुल 32 बैठकें (वर्चुअल/भौतिक दोनों) आयोजित की गईं।

11.3 डीएएचडी द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/कार्यक्रम

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), जो कि इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त निकाय है, ने दिनांक 26 से 28 जून 2024 तक कोच्चि, केरल में ''अंतर्राष्ट्रीय डेयरी परिसंघ का पहला क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया प्रशांत 2024 (आईडीएफ आरडीसीएपी 2024)'' आयोजित किया।

*****

अध्याय-12

जीव-जंतु कल्याण

जीव-जंतु कल्याण

अध्याय-12

जीव–जन्तु कल्याण विषय को कार्य आबंटन नियमों में संशोधन के पश्चात् अधिसूचना सं. का.आ.1531 (अ) दिनांक 4 अप्रैल, 2019 के अनुसरण में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में हस्तांतरित कर दिया गया है। तदनुसार, भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड और पशुओं पर परीक्षण के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति (सीपीसीएसईए) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं। इन संगठनों के क्रियाकलाप इस प्रकार हैं–

12.1 भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड

भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड (एडब्लूबीआइ) की स्थापना 1962 में पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा–4 के अनुसरण में की गयी थी। सुप्रसिद्ध मानवतावादी श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडेल बोर्ड की संस्थापक सदस्य थीं।

बोर्ड में 28 सदस्य हैं, जिसमें 6 संसद सदस्य (लोकसभा से 4 और राज्य सभा से 2 –वर्तमान बोर्ड में अभी नामांकित किया जाना है) और अन्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं, इन सभी को भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है। तीन साल में एक बार बोर्ड का पुनर्गठन किया जाता है। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्तमान बोर्ड को दिनांक 15.05.2023 से प्रभावी तीन वर्षों के लिए पुनर्गठित किया गया था जिसमें 20 सदस्य थे और 1 सदस्य को दिनांक 01.09.2023 को नामित किया गया था।

भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड का उद्देश्य पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 9 के तहत परिभाषित किया गया है। संक्षेप में, एडब्लूबीआई का अधिदेश भारत में पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण के कानूनों का निरंतर अध्ययन करना और अधिनियम के तहत नियम बनाने, पशुओं के अनावश्यक दर्द अथवा पीड़ा को रोकने के लिए आवश्यक संशोधन हेतु केन्द्र सरकार को सलाह देना है।

12.2 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान किये गये कार्यकलाप

(i) मान्यताः

बोर्ड उन जीव–जंतु कल्याण संगठनों (एडब्लूओ) को मान्यता प्रदान करता है जो बोर्ड के पास मान्यता के लिए आवेदन करते हैं। बोर्ड ने दिनांक 31.12.2024 तक 3796 जीव–जंतु कल्याण संगठनों (एडब्लूओ) को मान्यता प्रदान की है। बोर्ड ने दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024 तक 12 गौशालाओं/ जीव–जन्तु कल्याण संगठनों (एडब्ल्यूओ) को मान्यता प्रदान की है। इस प्रकार, बोर्ड द्वारा दिनांक 31.12.2024 तक कुल 3807 एडब्लूओ को मान्यता प्रदान की गई है।

(ii) अनुदानः

(क) **नियमित अनुदान गोपशु बचाव अनुदानः** भारतीय जीव–जंतु कल्याण बोर्ड मान्यता प्राप्त जीव–जंतु कल्याण संगठनों को पशु शेल्टरों के रख–रखाव, पशुओं की दवाईयों, चिकित्सा उपकरणों की खरीद तथा पशु चिकित्सा कैंप आयोजित करने इत्यादि के लिए नियमित और गोपशु बचाव अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा अवैध ढुलाई/बूचड़खानों से छुडाए गये पशुओं के रख–रखाव के लिए गोपशु बचाव रख–रखाव अनुदान प्रदान करता है। जीव–जंतु कल्याण संगठनों को नियमित अनुदान, आश्रय में रखे गए/उपचार किए गए/बचाए गए पशुओं की संख्या के आधार पर दिया जा रहा है, जो इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा स्वीकृत मानदंडों के अनुसार पशुपालन विभाग द्वारा यथोचित रूप से सत्यापित होती है। बोर्ड केवल एडब्ल्यूबीआई मान्यता प्राप्त जीव–जन्तु कल्याण संगठनों (एडब्ल्यूओ) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2024–25 के दौरान (31.12.2024 तक), भारतीय जीव–जंतु कल्याण बोर्ड ने दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 31.12.2024 तक जीव–जन्तु कल्याण संगठनों में आवारा पशुओं के रखरखाव के लिए 23 एडब्ल्यूओ को 42,03,275ध– रुपये/– की नियमित और गोपशु बचाव अनुदान राशि जारी की है।

(ख) **पशुओं की देखभाल के लिए आश्रय आवास योजनाः** इस योजना का उद्देश्य देश में सकंटग्रस्त पशुओं के लिए आश्रय आवासों की स्थापना और उनका रख–रखाव करना है। मुख्यतः गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) तथा पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटी (एसपीसीए) को चार दीवारी, आश्रय, पानी के टैंक, नाले, इनहाऊस डिस्पेंसरी बनाने, चिकित्सा उपकरण, आकस्मिक व्यय इत्यादि के लिए अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जीव–जन्तु कल्याण संगठनों (एडब्ल्यूओ) के 10 प्रतिशत योगदान को छोड़कर अधिकतम 22.50 लाख रू. तक का अनुदान प्रदान किया जाता है। बोर्ड ने दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 31.12.2024 तक आश्रय आवास योजना के तहत 3 एडब्ल्यूओ को 30,24,826/– रु. जारी किये हैं।

(ग) **पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) और आवारा कुत्तों का टीकाकरण करने संबंधी योजनाः** यह योजना बंध्याकरण द्वारा आवारा कुत्तों (आश्रयहीन/बेसहारा) की आबादी को नियंत्रित करने और टीकाकरण द्वारा

रेबीज की घटनाओं में कमी लाने के लिए है। इस अनुदान के लिए गैर–सरकारी संगठन, पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटी तथा स्थानीय निकाय अनुदान के पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत, दवाईयों तथा एंटी–रेबीज टीके (एआरवी) सहित ऑपरेशन से पहले और पश्चात् की देखभाल के लिए 370/– रूपए प्रति कुत्ते की दर से तथा कुत्ते को पकड़ने और किसी और जगह छोड़ने के लिए 75/– रूपए प्रति कुत्ते की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) **संकटग्रस्त पशुओं के लिए एंबुलेंस सेवाओं की व्यवस्था करने संबंधी योजनाः** इस योजना के अंतर्गत, जीव–जन्तु कल्याण संगठनों को ढुलाई, बचाव तथा संकटग्रस्त पशुओं को आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयुक्त वाहन खरीदने के लिए भी अनुदान दिया जाता है। गैर–सरकारी संगठनों को उपयुक्त वाहन और उपकरण और उसकी फिटिंग की लागत के 90 प्रतिशत तक की सहायता प्रदान की जाती हैं। सहायता अनुदान की अधिकतम राशि वाहन खरीदने के लिए 3.50 लाख रू. तक और उपकरण तथा उसकी फिटिंग के लिए 1.00 लाख रू. तक सीमित है।

(ड.) **प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पशुओं को सहायता देने संबंधी योजनाः** प्रत्येक वर्ष बाढ़, सूखा, भूकंप इत्यादि के रूप में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रभावित पशुओं के लिए चारे, पर्याप्त आवास, चिकित्सा इत्यादि की व्यवस्था करने की तत्काल आवश्यकता होती है। ऐसे पशुओं को राहत देने के लिए जीव–जन्तु कल्याण संगठनों (एडब्ल्यूओ) के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत निधियां प्रदान की जाती हैं।

(iii) करतब दिखाने वाले पशुओं का पंजीकरण

करतब दिखाने वाले पशु (पंजीकरण) नियम, 2001 के नियम 3 के अंतर्गत, बोर्ड पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी है। वर्ष 2023–24 के दौरान, 768 फिल्मोंधविज्ञापनों को अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए विचार किया गया और 438 फिल्मोंधविज्ञापनों को अपनी फिल्मोंधविज्ञापनों में पशुओं का इस्तेमाल करने के लिए प्री–शूट अनुमति देने के लिए विचार किया गया।

(iv) सर्कसों का पंजीकरण

बोर्ड ने करतब दिखाने वाले पशु (पंजीकरण) नियम, 2001 के तहत आज की तिथि तक 6 सर्कसों का पंजीकरण किया है जो प्रदर्शन के उद्देश्य के लिए करतब दिखाने वाले पशुओं का उपयोग कर रहे हैं।

(v) टर्फ क्लबों में उपयोग होने वाले घोड़ों का पंजीकरण

बोर्ड, रेस हॉर्स क्लबों में उपयोग होने वाले घोड़ों का भी पंजीकरण करता है। बोर्ड ने करतब दिखाने वाले पशु (पंजीकरण) नियम, 2001 के तहत दिनांक 31.03.2024 तक विभिन्न रेस हॉर्स क्लबों की दौड़ के लिए 6326 घोडों का पंजीकरण किया है।

(vi) कॉलोनी पशु देखभालकर्ता (सीएसीटी) को प्राधिकार पत्र जारी करना

देश के अधिकांश दयालु नागरिक अपने संबंधित स्थानीय क्षेत्रों में आवारा पशुओं को खिलाकर जीव–जन्तुओं के कल्याण में सहायता करते हैं। बोर्ड इन नागरिकों को आवारा पशुओं को खिलाने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करता है। बोर्ड ने लगभग 8149 आवेदकों को सीएसीटी प्राधिकार पत्र जारी किये थे। वर्ष 2024–25 (दिनांक 31.12.2024), के दौरान, बोर्ड ने 868 सीएसीटी प्राधिकार पत्र जारी किये हैं।

(vii) मानद जीव जन्तु कल्याण प्रतिनिधि का नामांकन (पूर्ववर्ती अधिकारी)

बोर्ड पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण से संबंधित मामलों पर अपने संबंधित क्षेत्रों में प्रशासन/कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ समन्वय करके सभी जीव–जंतु कल्याण मामलों को देखने के लिए मानद जीव जन्तु कल्याण प्रतिनिधियों (नामांकित प्रतिनिधियों को उपयुक्त प्रशिक्षण देने के बाद) को भी नामित करता है। बोर्ड ने 01 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये थे जिसमें 29 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया था और 23 व्यक्तियों को मानद जीव जन्तु कल्याण प्रतिनिधि (एचएडब्ल्यूआर) के रूप में नामित किया गया था।

(viii) क्रूरता संबंधी मामले और शिकायतों पर की गई कार्रवाई

बोर्ड को देश के विभिन्न भागों से पशुओं के साथ क्रूरता के संबंध में कई शिकायतें मिली थीं और उक्त की जांच करने और शिकायतों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने के लिए राज्य सरकारों के संबंधित अधिकारियों/जिलाधीशों/न्यायाधीशों /जिला पुलिस अधीक्षक को अग्रेषित कर दिया गया। बोर्ड ने दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 31.12.2024 तक की अवधि के दौरान आवश्यक कार्रवाई के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त 780 क्रूरता शिकायतों पर कार्रवाई की हैध्संबंधित अधिकारियों को अग्रेषित की है।

(ix) अदालती मामलेः

दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 31.12.2024 (दिनांक 31.12.2024) तक की अवधि के दौरान, बोर्ड के पास देश की विभिन्न अदालतों में पशुओं के कल्याण से संबंधित 196 मामले सक्रिय हैं।

(x) राज्य सरकार के साथ बैठकः

मंत्रालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से क्षेत्रीय समीक्षा बैठक आयोजित कर रहा है, जिसमें जीव–जंतु कल्याण से संबंधित मामलों पर भी सभी राज्य सरकारों के साथ पीसीए अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चर्चा की गई है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकांश अधिकारियों ने भाग लिया है।

(xi) मानवीय शिक्षा

(क) ''पशु अधिकार जागरूकता सप्ताह (दिनांक 17–23 जून, 2024)'' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई

बोर्ड ने मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से दिनांक 17 से 23 जून, 2024 तक पशु अधिकार जागरूकता सप्ताह पर दिनांक 20 जून, 2024 को एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की है। पशु अधिकार जागरूकता सप्ताह पशुओं के कल्याण और अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इस सप्ताह भर चलने वाली पहल का उद्देश्य सभी जीवित प्राणियों के साथ दया और सम्मान के साथ व्यवहार करने, उनकी भलाई की वकालत करने और पशु अधिकारों से जुड़े नैतिक विचारों की गहरी समझ को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डालना है। संगोष्ठी का उद्घाटन डॉ. ओ.पी. चौधरी, आईएफएस, संयुक्त सचिव, डीएएचडी और एडब्ल्यूबीआई के अध्यक्ष ने किया। जीव–जंतु कल्याण के क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों ने अपने व्याख्यान दिए। इस संगोष्ठी में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रोंके पशुपालन विभाग के 450 से अधिक प्रतिभागियों/ अधिकारियों, जिला पशुपालन अधिकारियों, मान्यता प्राप्त जीव–जंतु कल्याण संगठनों के प्रतिनिधियों, बोर्ड के मानद पशु कल्याण प्रतिनिधियों, आवासीय पशु देखभाल करने वालों, पशु प्रेमियों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। एडब्ल्यूबीआई के सचिव ने सभी प्रतिभागियों से साथी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा व्यक्त करने की अपील की। साथ ही, पशुओं को अनावश्यक दर्द या पीड़ा से बचाने के लिए सक्रिय कदम उठाने की सलाह दी।

(ख) डीपीएसजी, सीकरी, बल्लभगढ़ में पांच दिवसीय बाल शिक्षा कार्यक्रम

भारतीय जीव–जंतु कल्याण बोर्ड ने दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद (डीपीएसजी), सीकरी, बल्लभगढ़, हरियाणा के साथ समन्वय में ''पशुओं के प्रति करुणा (दिनांक 08–12, जुलाई, 2024)'' पर पांच दिवसीय बाल शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया है। जागरूकता कार्यक्रम 5वीं से 8वीं और 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए अलग–अलग आयोजित किया गया था।

जूनियर सेशन में पशुओं के प्रति दया, पशु व्यवहार, पशु क्रूरता, जिम्मेदार पालतू स्वामित्व और पशु को लेकर अंधविश्वास से संबंधित विषयों के बारे में जानकारी दी गई। सीनियर सेशन में पालतू पशुओं और आवारा पशुओं के लिए पशु चिकित्सा सहायता, संघर्ष शमन, भारत में जीव–जंतु कल्याण में उपलब्धियां, पशु स्वास्थ्य स्थिरता/मानव स्वास्थ्य और अहिंसा – भारत की संस्कृति और विरासत के बारे में जानकारी दी गई। जूनियर सेशन ने ''पशु क्रूरता निषेध'' पर एक पोस्टर प्रस्तुत किया और इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

सीनियर सत्र ने विषय को विस्तार से जानने के लिए सभी सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया। सभी छात्रों को पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने और आम आदमी को जागरूक और संवेदनशील बनाकर पशुओं को अनावश्यक दर्द या पीड़ा को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। डीपीएसजी के प्रबंधन, प्रिंसिपल, शिक्षकों और अन्य सभी कर्मचारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सभी सहयोग दिए।

(ग) समस्त महाजन के सहयोग से पशु एवं पर्यावरण पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई

बोर्ड ने समस्त महाजन के साथ मिलकर दिनांक 23.08.2024 से 25.08.2024 तक पशु एवं पर्यावरण पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की है। संगोष्ठी का उद्देश्य पशुपालन एवं पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं एवं चिकित्सकों को एक साथ लाना है, ताकि पशुओं एवं पर्यावरण दोनों के लिए लाभकारी नवीन दृष्टिकोणों एवं संधारणीय प्रथाओं पर चर्चा की जा सके। आपकी गरिमामयी उपस्थिति एवं ज्ञानवर्धक संबोधन प्रतिभागियों को बहुत प्रेरित करेगा तथा कार्यक्रम के महत्व को बढ़ाएगा। यह संगोष्ठी जीव–जंतु कल्याण एवं भारत एवं अन्य स्थानों पर पशुपालन एवं पर्यावरणीय संधारणीयता के भविष्य के दृष्टिकोण के बारे में व्यापक जागरूकता में मदद करेगी।

(घ) दिनांक 19.10.2024 को पुलिस अधिकारियों के लिए जीव–जंतु कल्याण कानूनों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया

बोर्ड ने 19.10.2024 को पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, थानिसांद्रा, बेंगलुरु में जीव–जंतु कल्याण कानूनों पर पुलिस अधिकारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था। जीव–जंतु कल्याण पर महत्व, पीसीए अधिनियम, 1960, पशुओं के वध और परिवहन पर विनियम, एबीसी नियम और व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा केस स्टडी पर सत्र शामिल किए गए। पुलिस विभाग के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए जीव–जंतु कल्याण कानूनों और नियमों के क्षेत्र में विषय विशेषज्ञों ने अपने व्याख्यान दिए। पुलिस अधीक्षक और प्रिंसिपल, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल और उनकी टीम ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन में समन्वय किया।

(ङ.) दुवासु, मथुरा, उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सा स्नातकों और पैरा पशु–चिकित्सक के लिए 07 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता संस्वीकृती की गई।

बोर्ड ने पशु चिकित्सा विज्ञान और पशु चिकित्सा महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश के पशु चिकित्सा पैथोलॉजी विभाग को 5,51,320/– रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा, उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में पशु चिकित्सा स्नातकों और पैरा पशु चिकित्सा के लिए 07 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पशु चिकित्सा स्नातकों और पशु चिकित्सा डिप्लोमा धारकों को पशु क्रूरता और कुत्तों के कल्याण तथा रेबीज प्रबंधन के विशेष संदर्भ में पशुओं के साथ मानवीय व्यवहार के बारे में अधिक जागरूक करेगा। ''कुत्तों के कल्याण और मानव स्वास्थ्य'' पर 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 20 पशु चिकित्सकों/पैरा–पशु चिकित्सकों के लिए निर्धारित है। प्रशिक्षित मानव संसाधन समाज के लिए राजदूत बनकर लोगों को कुत्तों के कल्याण और रेबीज प्रबंधन के बारे में जागरूक करेंगे। प्रशिक्षण का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के पशु चिकित्सकों/पैरा–पशु चिकित्सकों को जागरूक बनाना है, जिसमें एक राज्य से दो प्रतिभागी शामिल हो सकते हैं।

(च) गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र, नागपुर, महाराष्ट्र के सहयोग से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ''पंचगव्य, आयुर्वेद, कामधेनु कृषि और देशी नस्लों के संरक्षण'' विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर दो दिवसीय कार्यशाला।

गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र, नागपुर, महाराष्ट्र के सहयोग से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 'पंचगव्य, आयुर्वेद, कामधेनु कृषि और देशी नस्लों के संरक्षण' विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने के लिए बोर्ड ने 2.50 लाख रुपये के वित्तीय सहायता को अनुमोदित किया है।

(xii) एडब्ल्यूबीआई का ऑनलाइन पोर्टलः

बोर्ड ने एडब्ल्यूओ/गौशाला की मान्यता के लिए, विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए, मानद जीव–जंतु कल्याण प्रतिनिधि को नामित करने के लिए, कॉलोनी जीव–जंतु देखभालकर्ता (सीएसीटी) को नामित करने, करतब दिखने वाले पशुओं के पंजीकरण के लिए, प्री–शूट अनुमति जारी करने, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने, रेस हॉर्स क्लब में प्रदर्शन करने वाले घोड़ों के पंजीकरण के लिए और क्रूरता/शिकायतों आदि के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए आवेदन के ऑनलाइन प्रसंस्करण के लिए अपना ऑनलाइन पोर्टल (www.awbi.gov.in) तैयार किया है। इससे अनुमति प्रदान करने में लगने वाले समय में कमी आई है और इससे बोर्ड के कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत बातचीत से भी बचा गया है।

(xiii) बोर्ड की बैठक तथा इसकी विभिन्न समितियों का पुनर्गठनः

बोर्ड के और अधिक प्रभावी कार्यकरण के लिए बोर्ड समय–समय पर अपनी विभिन्न समितियों का पुनर्गठन कर रहा है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 31.12.2024 तक बोर्ड तथा इसकी विभिन्न समितियों की बैठकें आयोजित की गई हैं:

- दिनांक 22.11.2024 को बोर्ड की एक वार्षिक आम बैठक आयोजित की गई।
- दिनांक 17.05.2024 को बोर्ड की एक आम बैठक आयोजित की गई।
- कार्यकारी समिति की तीन बैठकें क्रमशः दिनांक 17.05.2024, 11.07.2024 और 22.10.2023 को आयोजित की गईं।
- दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024 तक करतब दिखने वाले पशुओं की समिति की 64 बैठकें आयोजित की गईं।
- एबीसी परियोजना मान्यता समिति की पांच बैठकें क्रमशः दिनांक 14.05.2024, 03.07.2024, 02.09.2024, 04.10.2024 और 04.12.2024 को आयोजित की गईं।
- मानद जीव–जंतु कल्याण अधिकारी समिति की एक बैठक क्रमशः दिनांक 17.05.2024 को आयोजित की गईं।
- एबीसी परियोजना मान्यता समिति के कार्य समूह की दो बैठकें दिनांक 23.07.2024 और 01.08.2024 को आयोजित की गईं।
- पुरस्कार और कार्यक्रम समिति की तीन बैठकें दिनांक 06.12.2024, 17.12.2024 और 18.12.2024 को आयोजित की गईं।

(xiv) एडब्ल्यूबीआई की आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम

एडब्ल्यूबीआई को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए गए हैं। इस संबंध में, बोर्ड ने विभिन्न सेवाओं के लिए अपने प्रसंस्करण शुल्क में संशोधन किया है। बोर्ड द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक एकत्रित की गई प्रसंस्करण शुल्क की राशि 90.14 लाख रुपये है।

12.3 उपलब्धियां (वास्तविक/वित्तीय):

भारतीय जीव–जंतु कल्याण बोर्ड ने जीव–जंतु कल्याण के संवर्द्धन और उनके प्रति क्रूरता की रोकथाम में 63 वर्ष की समर्पित सेवा पूरी कर ली है। बोर्ड के कार्यकलाप जम्मू–कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और यहां तक कि देश के दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में जारी रहे। वर्ष के दौरान बोर्ड की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

i. बोर्ड ने दिनांक 31.12.2024 तक, 3807 जीव–जंतु कल्याण संगठनों (एडब्लूओ) को मान्यता प्रदान की है। वर्ष 2024–25 के दौरान, बोर्ड ने 17 एडब्लूओ को मान्यता प्रदान की है।

ii. बोर्ड ने एडब्लूबीआई की विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष 2024–25 (31.12.2024 तक) के दौरान 23 एडब्ल्यूओ को 42,03,275 लाख रु. की अनुदान सहायता दी है।

iii. वर्ष 2023–24 (दिनांक 31.12.2024 तक) के दौरान, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 768 फिल्मों/विज्ञापनों पर विचार किया गया और अपनी फिल्मों/विज्ञापनों में पशुओं का उपयोग करने के लिए प्री–शूट अनुमति प्राप्त करने के लिए 438 फिल्मों/विज्ञापनों पर विचार किया गया।

iv. वर्ष 2024–25 के दौरान, बोर्ड ने सीएसीटी के रूप में 149 आवेदकों को प्राधिकार पत्र जारी किए।

v. वर्ष 2024–25 के दौरान (दिनांक 31.12.2024 तक), बोर्ड ने 23 मानद जीव–जंतु कल्याण प्रतिनिधियों को नामित किया जिन्होंने बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और अर्हक अंक प्राप्त किए।

vi. वर्ष 2024–25 के दौरान (दिनांक 31.12.2024 तक), बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों से प्राप्त 780 क्रूरता संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई की/आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को अग्रेषित किया।

vii. बोर्ड द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से 31 दिसंबर, 2025 तक एकत्रित किए गए प्रसंस्करण शुल्क की राशि 304.98 लाख रु. है।

12.4 बोर्ड ने पशुओं को होने वाले अनावश्यक दर्द और पीड़ा को रोकने के लिए रिपोर्ट अवधि हेतु राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित परामर्शी जारी की हैं:

i. दिनांक 18.04.2024 को अत्यधिक गर्मी के मौसम में पशुओं को सीधे गर्मी के संपर्क में आने से बचाने तथा उनकी देखभाल करने का अनुरोध

ii. दिनांक 25.04.2024 को पतंगबाजी कार्यकलापों में उपयोग किए जाने वाले सभी हानिकारक नुकीले धागों या मांझे के निषेध के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी अधिसूचना में आवश्यक संशोधन जारी करने का अनुरोध

iii. दिनांक 05.06.2024 को बकरीद के अवसर पर गायों/बछड़ों, ऊँटों तथा अन्य पशुओं की अवैध हत्या/बलि पर रोक

iv. दिनांक 09.07.2024 को असम में भीषण बाढ़ से प्रभावित पशुओं का बचाव एवं पुनर्वास

v. दिनांक 10.07.2024 को मानसून सीजन के दौरान आवारा पशुओं को अस्थायी आश्रय प्रदान करने तथा उनकी सुरक्षा के लिए अनुरोध

vi. दिनांक 31.08.2024 को देश में मनाए जा रहे प्रदूषण/दशलाभ पर्व के पावन अवसर पर बूचड़खानों को बंद करने का अनुरोध

vii. दिनांक 06.09.2024 को विश्व रेबीज दिवस 2024 पर संदेश

viii. दिनांक 01.10.2024 को 2 अक्टूबर, 2024 को देश में मनाए जा रहे महात्मा गांधी जयंती के पावन अवसर पर बूचड़खानों को बंद करने का अनुरोध

ix. दिनांक 01.10.2024 को पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के कार्यान्वयन पर परामर्शी

x. दिनांक 29.10.2024 को प्रेमपूर्ण और पर्यावरण–अनुकूल दीपावली मनाने का संदेश

xi. दिनांक 29.10.2024 को भारत–नेपाल सीमा पर अवैध गोपशु परिवहन के संबंध में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (पीसीए अधिनियम) के तहत पशु परिवहन नियम, 1978 (2001 और 2009 में संशोधित) का अनुपालन सुनिश्चित करने के तत्काल अनुरोध के संबंध में परामर्शी

12.5 पशुओं पर परीक्षण के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति (सीपीसीएसईए)

पशुओं पर परीक्षण के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति (सीपीसीएसईए), पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 15 के अंतर्गत गठित एक वैधानिक समिति है। सीसीएसईए में 20 सदस्य हैं और पशुपालन आयुक्त (एएचसी) सीसीएसईए के अध्यक्ष और संयुक्त आयुक्त (जीव–जंतु कल्याण) सीसीएसईए के सदस्य सचिव हैं।

सीसीएसईए ऐसे सभी उपाय करने के लिए बाध्य है जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं कि पशुओं पर प्रयोगों के प्रदर्शन से पहले, दौरान अथवा बाद में उन्हें अनावश्यक दर्द अथवा पीड़ा के अधीन नहीं किया जायेगा। इस उद्देश्य के लिए, समिति ने पशुओं पर प्रयोगों को विनियमित करने के लिए "पशुओं के अभिजनन और उन पर प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) नियम, 1998" (2001 और 2006 में संशोधित) तैयार किए हैं। उपरोक्त नियमों के उपबंधों के अंतर्गत, जैव चिकित्सा अनुसंधान में लगे स्थापनाओं को स्वयं सीपीसीएसईए के पास पंजीकृत होना आवश्यक है, संस्थागत पशु आचार (एथिक्स) समिति (आईएईसी) का गठन करना है, अपने पशु सदन सुविधाओं का निरीक्षण करना है और साथ ही पशुओं पर अनुसंधान करने से पहले सीसीएसईए द्वारा मंजूरी दिये गये अनुसंधान के लिए विशिष्ट परियोजनाएं प्राप्त करना है। इसके अलावा, इस प्रकार के प्रयोगों के लिए पशुओं के प्रजनन और व्यापार को भी इन नियमों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। दिनांक 31.12.2024 तक, सीपीसीएसईए के पास 1697 प्रतिष्ठान पंजीकृत हैं।

12.5.1 कार्य:

क. पशुओं के प्रजनन में शामिल और पशुओं पर प्रयोग करने वाली स्थापनाओं का पंजीकरण और पंजीकृत स्थापनाओं का नवीनीकरण।

ख. संस्थागत पशु आचार समिति का गठन, पुनर्गठन और संशोधन।

ग. छोटे और बड़े पशुओं के लिए पशु गृह सुविधाओं का अनुमोदन।

घ. पशुओं पर प्रयोग के लिए अनुसंधान प्रोटोकॉल की जांच या बड़े पशुओं पर अनुसंधान प्रोटोकॉल की पूर्व–जांच और उनका अनुमोदन।

ङ. उन स्थापनाओं, संस्थानों और केन्द्रों की पशु गृह सुविधाओं की जांच करना जहां प्रयोगात्मक पशुओं को अनुसंधान, बायोफर्मास्यूटिकल्स के उत्पादन और प्रजनन उद्देश्य के लिए रखा जाता है।

च. प्रयोगशाला पशु कल्याण और नैतिकता के बारे में जागरूकता के लिए सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशाला, नामांकित प्रशिक्षण आदि आयोजित करना तथा प्रयोगों और शिक्षण या प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए पशुओं के उपयोग के संबंध में प्रतिस्थापन, कमी और परिशोधन के सिद्धांतों को बढ़ावा देना और समिति के अधिदेश के अनुसार उपलब्ध गैर–पशु विधियों और गैर–पशु व्युत्पन्न जैविक उत्पादों को मान्यता देना।

छ. अनुसंधान संस्थानों, दवा कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रयोग के लिए रखे गए पशुओं के कल्याण के बारे में सरकार को सलाह देना।

ज. पशुओं के कल्याण के लिए पीसीए अधिनियम, 1960 के तहत समिति द्वारा बनाए गए नियमों और दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

झ. समिति के नामांकित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्टों का विश्लेषण करना और प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत संस्थागत पशु आचार समिति की बैठक के कार्यवृत्त की जांच करना।

ञ. प्रयोगशाला पशुओं को रखने वाले अधिक से अधिक प्रतिष्ठानों को जोड़ने और उन्हें समिति के दायरे में लाने का प्रयास करना।

ट. पीसीए अधिनियम, 1960 के अनुसार सौंपे गए समिति के अधिदेशानुसार प्रयोगशाला पशु कल्याण से संबंधित कोई अन्य कार्य।

ठ. समिति के दिशा–निर्देशों का संशोधन, उनका प्रचार–प्रसार, कार्यान्वयन और निगरानी।

ड. पशु गृह सुविधाओं का उद्देश्यानुसार श्रेणीकरण, जैसे किः–

(i) मेडिकल कॉलेज की स्थापना,

(ii) फार्मेसी कॉलेज की स्थापना,

(iii) पशु चिकित्सा कॉलेज की स्थापना,

(iv) अनुसंधान संस्थान की स्थापना,

(v) फार्मा उद्योग की स्थापना,

(vi) वैक्सीन उद्योग की स्थापना,

(vii) जीव–विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना, और इसी प्रकार।

ढ. प्रयोगों, शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध गैर–पशु विधियों संबंधी डेटाबेस का रखरखाव।

12.5.3 उपलब्धियां (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक):

आईएईसी का पंजीकरण और गठन	39
आईएईसी का नवीनीकरण और पुनर्गठन	109
आईएईसी का संशोधन	267
पंजीकरण में संशोधन	40
सीसीएसईए की बैठकें	7
बड़े पशुओं के लिए अनुमोदित अनुसंधान प्रोटोकॉल	429
सीसीएसईए के नामितों के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	1
प्रशिक्षित किए गए सीसीएसईए के नामांकित व्यक्ति	76
"पशुओं पर प्रयोगों के दौरान अपनाई जाने वाली प्रयोगशाला पशु देखभाल/नैतिकता" पर कार्यशालाएं/सम्मेलन/सेमिनार आयोजित करने के लिए सीसीएसईए के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता	4
बड़े पशुओं की स्वास्थ्य स्थिति की जांच करने और समिति द्वारा अनुमोदित अनुसंधान प्रोटोकॉल की स्थिति की जांच के लिए प्रतिष्ठानों का मध्यावधि निरीक्षण	3

12.6 लेखापरीक्षा पैरा

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को 2024 की रिपोर्ट 3, अध्याय 5, पैरा 5.1 के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से निम्नलिखित लेखापरीक्षा पैरा प्राप्त हुए हैं

- बजट अनुमान तैयार न करना और योजना कार्यान्वयन का कम कवरेज
- जीव–जंतु कल्याण संगठनों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्रों का गलत/न प्रस्तुत करना
- जुर्माना/दंड का संग्रह न करना
- पशु क्रूरता मामलों के संबंध में शिकायतों के पंजीकरण और निपटान के लिए अप्रभावी तंत्र
- भर्ती नियमों और विनियमों का अभाव
- पशु जन्म नियंत्रण नियमों (एबीसी नियम, 2001) का पालन न करना

उपर्युक्त लेखापरीक्षा पैरा का उत्तर **अनुबंध XIII** में दिया गया है।

*****

अध्याय-13

क्रेडिट, विस्तार और प्रचार

क्रेडिट, विस्तार और प्रचार

अध्याय–13

13.1 सिंहावलोकन

- ''क्रेडिट, विस्तार और प्रचार'' प्रभाग, विभाग के विस्तार और प्रचार संबंधी सभी मामलों को समन्वित कर रहा है। ''किसान क्रेडिट कार्ड'' योजना के तहत सभी ऋण सुविधाएं भी इस प्रभाग के तहत आती हैं।
- विस्तार इकाई किसानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता, वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में जानकारी प्राप्त करने में तथा पशुधन उत्पादन और पशुपालन पद्धतियों से संबंधित नवीन ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। यह अपने विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं और कार्यकलापों के माध्यम से प्रोफेशनल विस्तार सेवाओं के आयोजन, रखरखाव और संचालन में राज्य सरकारों की सहायता करती है और उन्हें प्रोत्साहित करती है।
- प्रचार इकाई विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग करके विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के महत्व को और बढ़ाती है। यह मीडिया के माध्यम से प्रोडक्शन और कैम्पेन के लिए पीआईबी, प्रसार भारती, ऑल इंडिया रेडियो और केंद्रीय संचार ब्यूरो के साथ समन्वय करती है। यह पशुपालन और डेयरी विभाग के हैंडल के माध्यम से सोशल मीडिया का भी प्रभावी ढंग से उपयोग करती है।

13.2 विस्तार कार्यकलाप

13.2.1 ए–हेल्पः स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट

अभिसरण (कंवर्जेंस) के माध्यम से ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) मंच का लाभ उठाने के लिए, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) ने 1 सितंबर 2021 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ''ए–हेल्प'' (स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट) नामक एक नए प्रत्यायित मॉडल के माध्यम से पशुधन रिसोर्स व्यक्ति और प्राथमिक सेवा प्रदाता के रूप में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों की सेवाओं का लाभ उठाएगा।

यह कार्यक्रम वर्ष 2022 में आरंभ किया गया था और तब से 215 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं तथा 834 मास्टर प्रशिक्षक तैयार किए गए हैं। एनडीडीबी, आणंद द्वारा तैयार किए गए मास्टर प्रशिक्षकों का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:

मास्टर प्रशिक्षक कार्यक्रम की समेकित स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	उपस्थित प्रतिभागियों की संख्या
1	मध्य प्रदेश	5	60
2	जम्मू और कश्मीर	2	40
3	उत्तराखंड	4	59
4	झारखंड	4	59
5	महाराष्ट्र	3	59
6	बिहार	3	60
7	गुजरात	4	99
8	कर्नाटक	4	96
9	केरल	3	65
10	असम	2	40
11	राजस्थान	3	74
12	छत्तीसगढ़	3	61
13	मिजोरम	2	10
14	सिक्किम	1	5

मास्टर प्रशिक्षक कार्यक्रम की समेकित स्थिति			
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	उपस्थित प्रतिभागियों की संख्या
15	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	5
16	त्रिपुरा	2	9
17	ओडिशा	2	33
	कुल	**49**	**834**

15 राज्यों नामतः केरल, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, झारखंड, असम, महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान, सिक्किम ओडिशा और त्रिपुरा में क्षेत्र स्तर के कुल 215 ए–हेल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 3773 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एएचडी प्रशिक्षण केंद्र/आरएसईटीआई/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/एनजीओ / ट्रस्ट / एलडीबी प्रशिक्षण केन्द्रों / निजी प्रशिक्षण केन्द्रों पर आयोजित किए गए हैं।

ए–हेल्प कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित प्रतिभागियों का राज्य–वार विवरण नीचे दिया गया है:

ए–हेल्प के तहत प्रशिक्षित की समेकित सूची			
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1	मध्य प्रदेश	39	997
2	जम्मू और कश्मीर	24	599
3	बिहार	40	996
4	गुजरात	21	486
5	कर्नाटक	18	542
6	झारखंड	12	294
7	उत्तराखंड	17	426
8	असम	6	150
9	केरल	15	438
10	महाराष्ट्र	9	233
11	मिजोरम	7	175
12	राजस्थान	3	70
13	सिक्किम	2	50
14	ओडिशा	1	25
15	त्रिपुरा	1	25
	कुल	**215**	**5506**

13.3 आकांक्षी जिलों के लिए विशिष्ट जागरूकता कार्यक्रम

13.3.1 ''पशुधन जागृति अभियान''

पशुधन रोग, वैज्ञानिक प्रबंधन और योजना जागरूकता पर जागरूकता कार्यक्रम जारी रखने के लिए, 22 आकांक्षी जिलों में ''पशुधन जागृति अभियान गहन जागरूकता कार्यक्रम'' आयोजित किया गया था। यह अभियान उत्पादन को बढ़ावा देता है और किसानों के द्वार पर पशु रोगों की रोकथाम के माध्यम से पशुधन किसानों अपनी आजीविका में सुधार करने में मदद करता है। एक जिले में, दो शिविर आयोजित किए गए थे।

ओडिशा में पशुधन जागृति अभियान का आयोजन

13.3.2 प्रजनन शिविर

इस अभियान/मुहिम ने पशुधन किसानों को जानकारी प्रदान करने में मदद की और पशुधन रोग के लक्षणों और इसके इलाज के बारे में जागरूकता पैदा की। इससे उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और पशुपालकों को अपनी आजीविका में सुधार करने में मदद मिलेगी। बांझपन से संबंधित मुद्दों को हल करने, डिवार्मिंग संबंधी उपायों को लागू करने और समग्र उत्पादकता बढ़ाने के लिए पशु स्वास्थ्य का व्यापक मूल्यांकन किया गया था।

ये पहलें सामूहिक रूप से पशु आबादी के समग्र कल्याण और उनकी उत्पादकता में योगदान करती हैं। 01 जनवरी, 2025 तक, 22 शिविर आयोजित किए गए, 2200 से अधिक पशुओं की जांच की गई और 4400 से अधिक किसानों ने इन शिविरों में भाग लिया।

मिजोरम में प्रजनन शिविर का आयोजन

13.4 प्रचार

13.4.1 वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन, क्षमता निर्माण और संचार योजना के डिजिटलीकरण पर डीएएचडी और यूएनडीपी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने दिनांक 20 मई, 2024 को वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन, क्षमता निर्माण और संचार योजना के डिजिटलीकरण पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यूएनडीपी के लोधी एस्टेट स्थित कंट्री ऑफिस ''वी द पीपल हॉल'' में पशुपालन और डेयरी विभाग की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय और भारत में यूएनडीपी की रेजिडेंट प्रतिनिधि सुश्री कैटलिन विसेन द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य भारत में वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन, क्षमता निर्माण और संचार योजना के डिजिटलीकरण को बढ़ाना है।

उल्लेखनीय है कि, यूएनडीपी और डीएएचडी संयुक्त रूप से केंद्र में वन हेल्थ दृष्टिकोण के साथ पशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने पर काम करेंगे। यह कदम यूएनडीपी इंडिया द्वारा कोल्ड चेन के डिजिटलीकरण और दूरस्थ तापमान निगरानी के माध्यम से डिजिटल भविष्य के निर्माण में योगदान देगा। यह सुनिश्चित करेगा कि टीकों को 2–8 डिग्री सेल्सियस की निर्धारित सीमा के पर्याप्त तापमान में संग्रहीत किया जाए जो टीकाकरण कवरेज और आउटरीच को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, डीएएचडी इस वर्ष लगभग 900 करोड़ रुपये मूल्य के एफएमडी (खुरपका और मुंहपका रोग) टीके की आपूर्ति कर रहा है और इसका लक्ष्य एफएमडी टीकाकरण कार्यक्रम में 50 करोड़ बड़े पशुओं और 20 करोड़ छोटे पशुओं को शामिल करना है।

इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से, पशुपालन प्रथाओं में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सीईएएच को तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। समझौता ज्ञापन के अन्य पहलुओं में प्रभावी और समावेशी पशुधन बीमा कार्यक्रम की योजना और विकास में सहायता और विभाग के लिए एक प्रभावी संचार योजना तैयार करना और उसका कार्यान्वयन शामिल है जो विभाग के

कार्यकलापों के बेहतर प्रचार और आउटरीच को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

यह साझेदारी पशुपालन क्षेत्र में हितधारकों की तकनीकी जानकारी और क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए विस्तार सेवाओं और कौशल विकास पहलों पर भी काम करेगी। संचार नियोजन पहलू सीईपी प्रभाग के रणनीतिक संचार के प्रयासों को सुदृढ़ करेगा।

डीएएचडी और यूएनडीपी ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन, क्षमता निर्माण और संचार योजना के डिजिटलीकरण संबंधी समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

13.4.2 माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने कार्यभार संभालने के बाद एक संक्षिप्त बैठक की।

माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने दिनांक 12 जून 2024 को कृषि भवन, नई दिल्ली में एक ब्रीफिंग मीटिंग की अध्यक्षता की। माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री श्री (प्रो.) एस.पी. सिंह बघेल और श्री जॉर्ज कुरियन भी ब्रीफिंग मीटिंग के दौरान उपस्थित थे। यह बैठक मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद हुई थी। श्रीमती अलका उपाध्याय, सचिव (एएचडी) ने देश में पशुधन क्षेत्र की जानकारी देते हुए पशुपालन और डेयरी विभाग के सभी कार्यकलापों की संक्षिप्त जानकारी दी। बैठक के दौरान विभाग के प्रभाग प्रमुखों ने विभाग के में चल रही योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी। अधिकारियों ने मंत्रियों को वर्तमान कार्यकलापों की प्रगति से अवगत कराया।

सीईपी प्रभाग ने मंत्री जी की टीम के साथ मिलकर सुचारू परिवर्तन के लिए काम किया, जिसमें मंत्री जी के कर्मचारियों के साथ संपर्क और सोशल मीडिया चैनलों को अपडेट करना शामिल था।

माननीय केंद्रीय मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, श्री राजीव रंजन सिंह ने कार्यभार संभालने के बाद एक संक्षिप्त बैठक की अध्यक्षता की

13.4.3 पशुपालन और डेयरी विभाग ने जैव–नियंत्रण सुविधा के उन्नयन और संबंधित मरम्मत कार्यों के निष्पादन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी), मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने दिनांक 20 जून 2024 को सचिव सुश्री अलका उपाध्याय की उपस्थिति में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान (सीसीएसएनएआईएच), बागपत में "जैव–नियंत्रण सुविधा के उन्नयन और संबंधित मरम्मत कार्यों" के निष्पादन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उक्त कार्यों के लिए अनुमानित बजटीय ओवरले 160 करोड़ रुपये है और इसे 20 महीनों के भीतर निष्पादित करने की योजना है। इस अवसर पर विभाग, सीसीएसएनआईएएच, बागपत और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

प्रमुख संस्थान में जैव–नियंत्रण सुविधा के उन्नयन के प्रस्तावित कार्यों के साथ, विभाग ने बहुआयामी उद्देश्यों जैसे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पशु चिकित्सा सेवाएँ, पशु चिकित्सा जैविकीय का गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण, वैक्सीन प्रभावकारिता और सुरक्षा के संदर्भ में गुणवत्ता नियंत्रण प्रोटोकॉल का परिशोधन, पशुधन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहायता, पशुधन स्वास्थ्य प्रोफिलैक्सिस और निदान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना। इसके अलावा, संस्थान में एक अत्याधुनिक पशु गृह रोकथाम सुविधा होगी, जो चिकित्सा और वैक्सीन अनुसंधान के क्षेत्र में अनुबंध और सहयोगी अनुसंधान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करने को प्राप्त करने के लिए, सुविधा के परिवर्तन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अलावा, संस्थान में अत्याधुनिक पशु गृह नियंत्रण सुविधा होगी, जो चिकित्सा विज्ञान और टीका अनुसंधान के क्षेत्र में अनुबंध और सहयोगी अनुसंधान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगी।

13.4.4 केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने योग के महत्व पर जोर दिया और शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का सुझाव दिया

केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने दिनांक 21 जून 2024 को कृषि भवन में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय 'स्वयं और समाज के लिए योग' था। अपने संबोधन के दौरान, केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने योग के महत्व पर जोर दिया और शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का सुझाव दिया। सुश्री अलका उपाध्याय, सचिव, डीएएचडी, भारत सरकार, सुश्री वर्षा जोशी, अपर सचिव, डीएएचडी, भारत सरकार और डीएएचडी के सभी अधिकारियों ने इस आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। साथ ही, उन्होंने अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग करने का संकल्प भी लिया।

13.4.5 पशु अधिकार जागरूकता सप्ताह (17–23 जून, 2024) वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया

भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) द्वारा दिनांक 20 जून, 2024 को पशुपालन और डेयरी विभाग, एफएएचडी मंत्रालय, भारत सरकार के समन्वय से ''पशु अधिकार जागरूकता सप्ताह (17–23 जून, 2024)'' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का उद्घाटन डॉ ओ.पी. चौधरी, आईएफएस, पूर्व संयुक्त सचिव, डीएएचडी और अध्यक्ष ने किया जिसमें 450 से अधिक लोग उपस्थित हुए थे।

13.4.6 विश्व ऊंट दिवस 2024 का आयोजन

संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष 2024 के उपलक्ष्य में, आईसीएआर–राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र, बीकानेर ने दिनांक 22 जून को 'विश्व ऊंट दिवस' मनाया। मुख्य अतिथि डॉ. ए. साहू, निदेशक, आईसीएआर–राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु ने राजस्थान राज्य द्वारा ऊंट संरक्षण पर बनाए गए कानून में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि इसे मालिकों की आजीविका के लिए अधिक उपयोगी बनाया जा सके। उन्होंने ऊंटनी के दूध में मौजूद औषधीय गुणों और ऊंट डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी संगठनों की प्रमुख भूमिका के साथ दूध के व्यवस्थित संग्रह, परिवहन और प्रसंस्करण को चैनलाइज करने पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में माउंट आबू, सिरोही के 500 से अधिक ऊंट प्रजनकों, देशनोक और गंगाशहर के निकटवर्ती गांवों की महिलाओं और उद्यमियों, ऊंटगाड़ी मालिकों, आम लोगों, बीकानेर जिले के आईसीएआर संस्थानों के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों ने भाग लिया।

विश्व ऊंट दिवस मनाया गया

13.4.7 डीएएचडी ने एनडीडीबी के साथ कोच्चि, केरल में प्रथम आईडीएफ एशिया–प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया

पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ मिलकर दिनांक 26–28 जून 2024 तक कोच्चि, केरल में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के एशिया प्रशांत के पहले क्षेत्रीय सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया। तीन दिवसीय सम्मेलन निर्बाध रूप से आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर से वक्ताओं और अध्यक्षों ने भाग लिया।

लुलु इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में दीप प्रज्वलित कर गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करके उद्घाटन समारोह का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का एक रिकॉर्ड किया गया वीडियो संदेश चलाया गया। श्री सिंह ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया और भारत में पशुधन क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डाला।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ मिलकर संयुक्त स्टॉल लगाया। इसमें पशुधन और डेयरी उद्योगों में उनकी उल्लेखनीय योजनाओं, पहलों और अत्याधुनिक तकनीकों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें अभिनव उत्पाद और लाइव प्रदर्शन शामिल थे। इसमें उन्नत प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया गया। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल ने कोच्चि, केरल में आईडीएफ क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन 2024 में 25 देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उन्होंने सम्मेलन में प्रदर्शनी का भी दौरा किया।

आईडीएफ क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया प्रशांत 2024 में वैश्विक नेताओं के साथ श्रीमती अलका उपाध्याय, सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार भी शामिल हुईं। नीति निर्माताओं की गोलमेज चर्चा में उत्पादकता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सहकारिता और जलवायु कार्रवाई से संबंधित नीतियों में प्रगति के माध्यम से एशिया–प्रशांत क्षेत्र में डेयरी उद्योग को बढ़ाने और धारणीय डेयरी प्रथाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

डीएएचडी ने पहली आईडीएफ एशिया पेसिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन, कोच्ची केरल में भाग लिया।

13.4.8 राजस्थान में 'ए–हेल्प' कार्यक्रम का शुभारंभ

पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री श्री जोराराम कुमावत द्वारा राजस्थान में दिनांक 1 जुलाई 2024 को राजस्थान पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में ए–हेल्प (पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य एवं विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट) कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में ए–हेल्प कार्यक्रम और पशुधन प्रबंधन पर इसके अपेक्षित प्रभाव पर एक फिल्म भी दिखाई गई। कार्यक्रम का समापन माननीय मुख्य अतिथि श्री जोराराम कुमावत के संबोधन से हुआ, जिन्होंने पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार के लिए इस पहल के महत्व पर जोर दिया। इसके बाद डॉ. भवानी सिंह राठौर ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

राजस्थान में ए–हेल्प का शुभारंभ

13.4.9 विश्व जूनोसिस दिवस

विश्व जूनोसिस दिवस के उपलक्ष्य में, पशुपालन और डेयरी विभाग ने विश्व जूनोसिस दिवस की पूर्व संध्या पर पशुपालन और डेयरी विभाग (एएचडी) के सचिव की अध्यक्षता में एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया। इस सत्र ने खुली बातचीत के माध्यम से ज्ञान साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया। जूनोसिस संक्रामक रोग हैं जो पशुओं और मनुष्यों के बीच स्थानांतरित हो सकते हैं, जैसे रेबीज, एंथ्रेक्स, इन्फ्लूएंजा (H1N1 और H5N1), निपाह, कोविड–19, ब्रूसेलोसिस और तपेदिक। ये रोग बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी और कवक सहित विभिन्न रोगजनकों के कारण होते हैं।

विश्व जूनोसिस दिवस की संध्या को वार्तालाप सत्र का आयोजन

13.4.10 पशुधन पर एफएओ की सीओएजी 29 उप–समिति में डीएएचडी का प्रतिनिधित्व

पशुपालन और डेयरी विभाग का प्रतिनिधित्व मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की अपर सचिव सुश्री वर्षा जोशी ने किया, जिन्होंने दिनांक 16 से 18 जुलाई 2024 को रोम में एफएओ मुख्यालय में आयोजित पशुधन संबंधी सीओएजी–उप–समिति के दूसरे सत्र में भाग लिया।

पशुपालन पर एफएओ की सीओएजी 29 उप–समिति में प्रतिनिधित्व के दौरान, सुश्री वर्षा जोशी, अपर सचिव, डीएएचडी, भारत सरकार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 80 मिलियन डेयरी फार्मिंग परिवारों सहित 100 मिलियन से अधिक छोटे पशुधन उत्पादक हैं। एजेंडा आइटम 3.1 के दौरान, भारत ने वन हेल्थ और जैव सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। सुश्री वर्षा जोशी, अपर सचिव, डीएएचडी, भारत सरकार ने पशु स्वास्थ्य प्रबंधन को मजबूत करने में भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला।

सुश्री वर्षा जोशी, अपर सचिव ने एफएओ सीओएजी पशुधन पर उप–समिति में डीएएचडी का प्रतिनिधित्व

13.4.11. भोपाल में ए–हेल्प कार्यकर्ताओं के साथ विचार–विमर्श सत्र का आयोजन

श्रीमती अलका उपाध्याय, सचिव, डीएएचडी, भारत सरकार की उपस्थिती में मध्य प्रदेश के ए–हेल्प के साथ एक सत्र का आयोजन किया गया। सचिव ने दिनांक 20 जुलाई, 2024 को कामधेनु भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश में पशुधन के स्वास्थ्य और उत्पादन विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंटों (ए–हेल्प) के साथ गहन चर्चा की। बातचीत सत्र के दौरान, ए–हेल्प ने डीएएचडी सचिव के साथ प्रशिक्षण और फील्डवर्क के बारे में अपने अनुभव साझा किए।

सुश्री. अलका उपाध्याय, सचिव डीएएचडी की कामधेनु भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश में ए–हेल्प के साथ बातचीत

13.4.12. सिक्किम में 'ए–हेल्प' कार्यक्रम का शुभारंभ

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के मंत्री श्री पूरन कुमार गुरुंग ने दिनांक 30 जुलाई 2024 को चिंतन भवन, गंगटोक, सिक्किम में 'ए–हेल्प' (पशुधन के स्वास्थ्य एवं उत्पादन विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट) कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डीएएचडी) की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय ने अपने वीडियो संदेश के माध्यम से सभा को संबोधित किया और ए–हेल्प कार्यकर्ताओं को किसानों के द्वार पर विस्तार कार्यकलापों में मौजूदा अंतराल को भरकर किसानों को पर्याप्त सहायता देकर पशुधन क्षेत्र के विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया।

सिक्किम में ए–हेल्प प्रोग्राम का उद्घाटन

13.4.13 कृषि भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन

राष्ट्रीय खेल दिवस–2024 के अवसर पर, मेजर ध्यानचंद की विरासत को याद करते हुए तथा खेल एवं शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देते हुए पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 2024 को कृषि भवन में राष्ट्रीय खेल दिवस–2024 मनाया गया।

माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री श्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया और शारीरिक कार्यकलाप एवं खेल को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें पशुपालन और डेयरी विभाग की सचिव सुश्री अलका उपाध्याय के साथ–साथ पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।

कृषि भवन, दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया

13.4.14 एक्यूसीएस, कापसहेड़ा, नई दिल्ली से #एक_पेड़_मां के_नाम अभियान की शुरुआत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए दूरदर्शी अभियान #एक_पेड़_मां_के_नाम के अनुसरण में केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने दिनांक 04 सितंबर 2024 को पशु संगरोध एवं प्रमाणन सेवाएं (एक्यूसीएस), कापसहेड़ा, नई दिल्ली में अपनी मां के सम्मान में एक पौधा लगाया।

इस कार्यक्रम में सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय, अपर सचिव सुश्री वर्षा जोशी, संयुक्त सचिव डॉ. सुपर्णा शर्मा पचौरी, सलाहकार (सांख्यिकी) श्री जगत हजारिका सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, श्री राजीव रंजन सिंह ने बताया कि सभी अधीनस्थ संस्थान ष्एक महीने के अभियानष में भाग लेंगे और पांच लाख पेड़ लगाएंगे। श्रीमती उपाध्याय ने पर्यावरणीय स्थिरता को समर्थन देने में पशुपालन की भूमिका पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम का समापन यह स्वीकार करते हुए किया गया कि छोटे–छोटे कार्य भी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ प्रदान कर सकते हैं। इसी के साथ सभी नागरिकों से वृक्षारोपण पहल में भाग लेने का आह्वान किया गया।

माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने एक्यूसीएस, कापसहेड़ा, नई दिल्ली में #एक पेड़ मां के नाम अभियान का उद्घाटन किया

13.4.15 केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने ओडिशा के भुवनेश्वर में मानसून मीट 2024 – राज्य पशुपालन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की

केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने दिनांक 13 सितंबर 2024 को कन्वेंशन सेंटर, लोक सेवा भवन, भुवनेश्वर, ओडिशा में "मानसून मीट 2024– राज्य पशुपालन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन" की अध्यक्षता की। इस अवसर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी "मुख्य अतिथि" के रूप में उपस्थित हुए। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल और श्री जॉर्ज कुरियन भी मानसून मीट में शामिल हुए।

दिनांक 13 सितंबर 2024 को आयोजित बैठक में 17 राज्यों के पशुपालन और डेयरी विभागों के मंत्रियों ने भाग लिया। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की अपेक्षाओं को जानने और जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए एक अभिसरण ढांचा बनाने के लिए के लिए मानसून बैठक आयोजित की गई।

मानसून बैठक में कार्यान्वयन चुनौतियों पर चर्चा की गई और विचारों के आदान–प्रदान को बढ़ावा दिया गया। भाग लेने वाले राज्यों के सभी मंत्रियों ने अपनी चुनौतियों को सामने रखा और अपने–अपने राज्यों में पशुधन क्षेत्र की वर्तमान प्रगति रिपोर्ट साझा की।

केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने नई सरकार द्वारा पशुधन और डेयरी क्षेत्र में पहले 100 दिनों के लिए कार्य योजना के तहत शामिल विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ किया।

केंद्रीय मंत्री ने ओडिशा राज्य के लिए ए–हेल्प कार्यक्रम का शुभारंभ किया और पशुसखियों को फील्ड किट वितरित किए। सभी पात्र पशुपालन और मत्स्यपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री द्वारा दिनांक 15 सितंबर से दिनांक 31 मार्च 2025 तक राष्ट्रव्यापी केसीसी अभियान–2024–25 का शुभारंभ किया गया।

केंद्रीय मंत्री द्वारा डीएएचडी के कौशल विकास ढांचे और ''फार्मिंग फ्यूचर्स– सेलिब्रेटिंग 101 वीमेन सक्सेस स्टोरीज इन लाइवस्टॉक सेक्टर'' पर एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया।

पशुपालन विभाग, ओडिशा सरकार, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और ओडिशा राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (ओएमएफईडी) ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा भुवनेश्वर, ओडिशा में मानसून बैठक की अध्यक्षता

13.4.16 केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में मंत्रालय की उपलब्धियों पर मीडिया को जानकारी दी

केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने दिनांक 17 सितंबर, 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों एवं उपलब्धियों के बारे में मीडिया को जानकारी दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल, केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन, मत्स्यपालन विभाग के सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी तथा पशुपालन और डेयरी विभाग की सचिव सुश्री अलका उपाध्याय और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों और उपलब्धियों के बारे में मीडिया को जानकारी

13.4.17 केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कृषि भवन परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान में भाग लिया

स्वच्छता संबंधी भारत के सबसे महत्वपूर्ण जन आंदोलनों में से एक, स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ पर स्वच्छ भारत दिवस के उपलक्ष्य में, कृषि भवन, नई दिल्ली में एक विशेष स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कृषि भवन परिसर में एक विशेष स्वच्छता अभियान में भाग लिया। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी इस विशेष स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया।

पशुपालन और डेयरी विभाग ने मत्स्यपालन क्षेत्र में स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 को सफलतापूर्वक पूरा किया। दिनांक 17 सितंबर 2024 से दिनांक 01 अक्टूबर 2024 तक चलने वाले इस अभियान में अधिकारियों, कर्मचारियों और क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जिसमें स्वच्छता अभियान, जागरूकता कार्यकलापों और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा विशेष सफाई अभियान में भागीदारी

13.4.18 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में लगभग 23,300 करोड़ रुपये की कृषि और पशुपालन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया।

प्रधानमंत्री ने गोपशुओं के लिए यूनिफाइड जीनोमिक चिप और स्वदेशी सेक्स–सॉर्टेड सीमेन तकनीक का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गायों के लिए काऊ चिप और भैंसों के लिए महिष चिप का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में, केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी मौजूद थे।

नस्ल सुधार में सेक्स सॉर्टेड सीमेन काफी कारगर है और अब तक इसका निर्माण बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती थीं। इसकी कीमत 800 रुपये थी। यह किसानों को किफायती दर पर उपलब्ध नहीं थी। प्रधानमंत्री की 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत, पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने 250 रुपये मूल्य की सेक्स सॉर्टेड सीमेन की स्वदेशी तकनीक विकसित की है। इसका उदघाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह सेक्स–सॉर्टेड वीर्य अब किसानों को 250 रुपये में उपलब्ध होगा, जिससे पशुधन की नस्ल सुधारने में मदद मिलेगी।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में कृषि और पशुपालन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया

13.4.19 राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2024 का आयोजन

विभाग ने डॉ. वर्गीस कुरियन की 103वीं जयंती के उपलक्ष्य में, दिनांक 26 नवंबर को मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2024 का आयोजन किया। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और माननीय राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल और श्री जॉर्ज कुरियन ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अर्थव्यवस्था और किसानों के जीवन में डेयरी के योगदान पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के विजेताओं के लिए विशेष पुरस्कार भी शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान ''मूल पशुपालन सांख्यिकी 2024'' और ष्सुरभि श्रृंखलाष का शुभारंभ किया गया। पैनल चर्चा और अमूल स्वच्छ ईंधन रैली में डेयरी की परिवर्तनकारी भूमिका का जश्न मनाया गया तथा इसकी उपलब्धियों और संभावनाओं को प्रदर्शित किया गया।

राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर सुरभि श्रृंखला का विमोचन

13.4.20 8वें भारत जल सप्ताह 2024 में भागीदारी

पशुपालन और डेयरी विभाग ने दिनांक 17 से 20 सितंबर 2024 तक दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 8वें भारत जल सप्ताह 2024 प्रदर्शनी में भागीदार विभाग के रूप में भाग लिया।

डीएएचडी प्रदर्शनी में "पशुधन क्षेत्र में वाटर फुटप्रिंट" की अवधारणा और भारतीय परिदृश्य में पशुधन और पोल्ट्री के उत्पादन में इसके प्रभाव को प्रदर्शित किया गया। डीएएचडी स्टॉल में विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों तथा इसकी उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया गया। डीएएचडी की प्रदर्शनी सतत विकास लक्ष्य 6 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

जल शक्ति मंत्रालय प्रमुख मंत्रालय था जिसने दिनांक 17–20 सितंबर 2024 तक भारत जल सप्ताह–2024 का आयोजन किया। यह आयोजन दुनिया भर के जल संसाधनों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर के निर्णय कर्ताओं, राजनेताओं, शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों, योजनाकारों, नवप्रवर्तकों, छात्रों और हितधारकों से विचार और राय प्राप्त करने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है, जो "समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग" पर केंद्रित है।

डीएएचडी ने जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित
8वें भारत जल सप्ताह 2024 प्रदर्शनी में भाग लिया

13.4.21 वर्ल्ड फूड इंडिया, 2024 में भागीदारी

विभाग ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 19 से 22 सितंबर 2024 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली के हॉल नंबर 2 में आयोजित 'वर्ल्ड फूड इंडिया 2024' प्रदर्शनी में भाग लिया। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय ने विभाग के स्टॉल का उद्घाटन किया। मंडप में, विभाग ने पशुधन एवं डेयरी क्षेत्र में प्रमुख योजनाओं, कार्यक्रमों, नई पहलों और नवीन तकनीकों का प्रदर्शन किया। मंडप में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, स्टार्ट–अप और पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों सहित 25 स्टॉल भी थे। मंडप में मुख्य आकर्षण "सेल्फी प्वाइंट" तथा स्टार्ट–अप और कंपनियों द्वारा विभिन्न नवीन उत्पादों का लाइव प्रदर्शन था। प्रदर्शनी में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने और क्षेत्र के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया।

केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में विभाग के मंडप का दौरा किया। उन्होंने प्रदर्शनी में भाग लेने वाले स्टार्टअप के प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप की सराहना की। उन्होंने कुछ स्टार्टअप द्वारा विकसित नए उत्पाद भी लॉन्च किए।

विभाग ने दिनांक 20 सितंबर 2024 को भारत मंडपम के सम्मेलन कक्ष 15 में ''पशुधन क्षेत्र में उद्यमिता और युवा विकास'' शीर्षक से एक ज्ञान सत्र का आयोजन किया। सुश्री वर्षा जोशी, अपर सचिव (डीएएचडी) ने सत्र का संचालन किया। विशिष्ट वक्ताओं में एनडीडीबी (राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड) के समूह प्रमुख (एएन) डॉ. राजेश शर्मा, मिल्क स्टेशन के संस्थापक श्री निर्मल चौधरी, पश्चिम बंगाल पशुधन विकास निगम लिमिटेड के हरिंघटा मीट प्लांट के प्रबंधक (उत्पादन) डॉ. अरिंदम मुखोपाध्याय, अत्सुया टेक्नोलॉजीज के संस्थापक श्री राहुल गणपति और डीएएचडी के एनएलएम प्रभाग की उपायुक्त डॉ. लिपि सैरीवाल शामिल थे। सत्र का उद्देश्य पशुधन क्षेत्र में युवाओं को एकीकृत करने के लिए नवीन रणनीतियों की खोज करना, उद्यमशीलता के अवसरों पर प्रकाश डालना और पशुधन प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करना था।

डीएएचडी ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 प्रदर्शनी में भाग लिया

13.5 व्यापक जागरूकता कार्यक्रम

13.5.1 सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्रीः

- बकरी, भेड़, सूअर, चारा और पोल्ट्रीके वैज्ञानिक प्रबंधन पर पशुधन क्षेत्र संबंधी बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने वाले 5 ब्रोशर तैयार किए गए हैं।
- ''फार्मिंग फ्यूचर्सः सेलिब्रेटिंग 101 वूमन सक्सेस स्टोरीज इन लाइवस्टॉक सेक्टर'' पर कॉफी टेबल बुक तैयार की गई है, जिसमें डेयरी क्षेत्र में महिलाओं के विकास और उपलब्धियों को दर्शाया गया है।
- विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों की सफलता संबंधी कहानियों को दर्शाने वाले 10 वीडियो तैयार किए गए हैं।
- गोपाल रत्न पुरस्कार विजेताओं को दर्शाने वाले 15 वीडियो तैयार किए गए हैं, जो प्रभावशाली नैरेटिव और उपलब्धियों को साझा करने में मल्टीमीडिया दृष्टिकोण में योगदान देते हैं।
- पशुधन संगणना और गोपाल रत्न पुरस्कार के प्रचार के लिए 2 टेलीविजन विज्ञापन और 2 रेडियोस्पॉट तैयार किए गए हैं, साथ ही दोनों को 10 क्षेत्रीय भाषाओं में भाषा रूपांतरित किया गया है।

13.5.2 सोशल मीडिया

13.5.2 सोशल मीडिया रिपोर्ट (अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024)

- **ट्विटरः** उल्लिखित अवधि के दौरान एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर कुल 2400 पोस्ट किए गए। इस प्लेटफॉर्म के 12,55,000 फॉलोअर्स हैं। उल्लिखित अवधि के दौरान, इस प्लेटफॉर्म पर 41000 लाइक्स और 2 मिलियन से अधिक इंप्रेशन प्राप्त हुए।
- **फेसबुकः** इस अवधि के दौरान फेसबुक पर कुल 2200 पोस्ट किए गए। उल्लिखित अवधि के दौरान उक्त पोस्टों को 1,27,000 लाइक्स और 1.6 मिलियन इंप्रेशन प्राप्त हुए। इस प्लेटफॉर्म के 1,38,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं।
- **इंस्टाग्रामः** ऊपर उल्लिखित अवधि के दौरान इंस्टाग्राम पर कुल 2,200 पोस्ट किए गए। इन पोस्टों को 1,31,000 लाइक्स और 6,48,000 इंप्रेशन प्राप्त हुए। इस प्लेटफॉर्म के 4,200 फॉलोअर्स हैं।
- **लिंक्डइनः** उल्लिखित अवधि के दौरान लिंक्डइन पर कुल 2,200 पोस्ट किए गए। इन पोस्टों को 15,000 से अधिक लाइक्स और 1,140,642 से अधिक इंप्रेशन मिले। इस प्लेटफॉर्म के 9072 फॉलोअर्स हैं।
- **पब्लिक ऐपः** पब्लिक एप पर कुल 2,200 पोस्ट किए गए। इस प्लेटफॉर्म के 2,88,000 फॉलोअर्स हैं।

13.5.2.2 सोशल मीडिया अभियान

- **चारा अभियान**

  धारणीय चारा प्रबंधन को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साइलेज बनाने जैसी तकनीकों और साल भर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए घास की उन्नत किस्मों पर प्रकाश डाला गया। संतुलित पशुधन आहार पर विभिन्न इन्फोग्राफिक्स और चारा संरक्षण विधियों पर वीडियो साझा किए गए।

- **21वीं पशुधन संगणना**

  21वीं पशुधन संगणना के प्रचार–प्रसार के महत्वपूर्ण कार्य के लिए, किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने और बेहतर पहुँच और समर्थन सुनिश्चित करने के लिए टोल–फ्री नंबर साझा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया। निम्नलिखित कार्यों

के बारे में पोस्ट किए गए:

1. जनरल क्रिएटिव – संगणना और इसके महत्व को समझाते हुए सामग्री पोस्ट की गई।
2. हेल्पलाइन नंबर पोस्ट – सहायक क्रिएटिव के साथ हेल्पलाइन विवरण साझा किए गए।
3. लाइव स्ट्रीमः क्षेत्रीय बैठक और उद्घाटन समारोह को स्ट्रीम किया गया।
4. संगणना कार्यकलापों की वास्तविक छवियां– विभिन्न राज्यों में आयोजित की जा रही संगणना की छवियां और वीडियो पोस्ट किए गए।
5. क्षेत्रीय भाषा क्रिएटिव– स्थानीय दर्शकों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित प्रमुख पोस्ट।

- **विश्व पशु चिकित्सा दिवस अभियान**

  पशु और सार्वजनिक स्वास्थ्य में पशु चिकित्सकों के योगदान का जश्न मनाने के लिए, पशु चिकित्सा दिवस अभियान चलाया गया। इसमें पशु चिकित्सकों की सफलता की कहानियाँ, जूनोटिक रोगों से निपटने और पशु कल्याण के सुधार में उनकी भूमिका को दिखाया गया।

- **हीट स्ट्रेस अभियान**

  पशुधन के वैज्ञानिक प्रबंधन के तहत, हीट स्ट्रेस से बचाव के लिए मौसमी दिशा–निर्देश तैयार किए गए, जिसका उद्देश्य किसानों को हीट स्ट्रेस के लक्षणों और शेड स्ट्रक्चर, पानी की उपलब्धता और संतुलित आहार जैसी शमन रणनीतियों के बारे में शिक्षित करना था। इन्फोग्राफिक्स और रीलों में व्यावहारिक सुझाव दिखाए गए।

- **दूध अभियान**

  दूध के महत्व को बढ़ावा देने के लिए, दूध के पोषण संबंधी लाभों, धारणीय डेयरी प्रथाओं के बारे में सोशल मीडिया अभियान चलाया गया। इसमें स्वास्थ्य में दूध की भूमिका, डेयरी फार्मिंग में नवाचार और किसानों की कहानियाँ शामिल थीं।

- **अंडा अभियान**

  पशुधन क्षेत्र के उप–उत्पादों में से एक, अंडे पोषण का एक किफायती स्रोत हैं। इस अभियान में पोषण संबंधी तुलनाओं को उजागर करते हुए अंडे की खपत को बढ़ावा देना और अंडे से जुड़ी मिथकों को दूर करना शामिल था।

- **मिशन लाइफ अभियान**

  मिशन लाइफ अभियान चलाया गया, जिसमें किसानों के बीच संधारणीय पशुधन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना, बायोगैस, खाद और प्राकृतिक उर्वरकों को बढ़ावा देना शामिल था। इसने वीडियो और इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से पशुधन अपशिष्ट प्रबंधन के पर्यावरणीय लाभों पर प्रकाश डाला।

- **योग अभियान**

  यह अभियान किसानों और पशुपालकों की भलाई के लिए योग के महत्व पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें तनाव को कम करने और लचीलेपन को बेहतर बनाने के लिए योगासन संबंधी पोस्ट शामिल थे, जो उन्हें एक स्वस्थ जीवन शैली से जोड़ते हैं।

- **मानसून देखभाल अभियान**

  पशुधन के वैज्ञानिक प्रबंधन के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने मानसून के मौसम में पशुधन के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक अभियान चलाया। इसमें किसानों को रोग की रोकथाम, आश्रय के रखरखाव और कीट नियंत्रण पर शिक्षित करने के बारे में पोस्ट शामिल थे। पशुधन स्वास्थ्य के लिए व्यावहारिक सुझाव भी साझा किए गए।

- **जूनोटिक अभियान**

  जूनोसिस की रोकथाम के माध्यम से पशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभियान चलाया गया। इसमें जूनोटिक रोगों के परिचय, निवारक उपायों और पशु चिकित्सकों की भूमिका पर पोस्ट शामिल थे। इसमें एनिमेटेड स्पष्टीकरण और विशेषज्ञों के साथ प्रश्नोत्तर सत्रों के साथ रील का उपयोग किया गया।

- **वन हेल्थ**

  वन हेल्थ अभियान के माध्यम से जूनोटिक रोगों, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव और एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) के बारे में जागरूकता बढ़ाई गई। इसके मूल में, इसने सामूहिक प्रयासों के माध्यम से सभी के लिए एक स्वस्थ और धारणीय भविष्य को बढ़ावा दिया।

13.6 क्रेडिट यूनिटः

13.6.1 पशुपालन किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

पहली बार, भारत सरकार ने वर्ष 2019 के दौरान पशुपालन और डेयरी किसानों को केसीसी का लाभ दिया था। आत्मनिर्भर पैकेज के हिस्से के रूप में, विभाग ने दूध सहकारी समितियों और दूध उत्पादक कंपनियों से जुड़े डेयरी किसानों को केसीसी प्रदान करने के लिए दिनांक 01.06.2020 से दिनांक 31.12.2020 तक एक विशेष अभियान का आयोजन किया। इस कदम से भूमिहीन पशुपालन किसानों को कम ब्याज पर ऋण मिला।

इसके अलावा, सभी पात्र पशुपालन और मत्स्यपालन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान करने के लिए, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से दिनांक 15 नवंबर 2021 से दिनांक 15 फरवरी 2022 तक राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियान शुरू किया। इस अभियान को आगे दिनांक 31.07.2022 तक और फिर दिनांक 15.03.2023 तक बढ़ाया गया। इस अभियान के दौरान, प्राप्त आवेदनों की मौके पर जांच के लिए अग्रणी

जिला प्रबंधक (एलडीएम) द्वारा समन्वित केसीसी समन्वय समिति द्वारा हर सप्ताह जिला स्तरीय केसीसी शिविरों का आयोजन किया गया।

वर्ष 2023–24 के लिए, केसीसी अभियान दिनांक 1 मई, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक आयोजित किए गए। दिनांक 13.09. 2024 को माननीय एफएएचडी मंत्री द्वारा वर्ष 2024–25 के लिए राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियान शुरु किया गया। यह अभियान दिनांक 15.09.2024 से 31.03.2025 तक आयोजित किया जा रहा है। इन अभियानों के तहत दिनांक 27.12.2024 तक, देश में कुल 51,59,049 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 50,77,511 आवेदन स्वीकार किए गए और 35,44,752 स्वीकृत किए गए।

अब तक, एएचडी किसानों के लिए 42.38 लाख से अधिक नए केसीसी संस्वीकृत किए गए हैं। पशुपालन और डेयरी किसानों को दिनांक 03.01.2025 तक संस्वीकृत नए केसीसी का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	प्रकार	संस्वीकृत नए केसीसी
1	डेयरी के साथ फसल ऋण	6,12,344
2.	अन्य संबद्ध कार्यकलापों के साथ फसल ऋण	1,15,838
3.	डेयरी	31,54,279
4.	पोल्ट्री	81,884
5.	अन्य	2,74,273
	कुल	**42,38,618**

स्रोतः वित्तीय सेवा विभाग

13.6.2 ग्राउण्ड लेवल क्रेडिट (जीएलसी):

विभाग के सतत प्रयासों के कारण, पहली बार वर्ष 2022–23 से सावधि ऋण लक्ष्यों के साथ–साथ पशुपालन और मत्स्यपालन क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजीगत ऋण लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसके परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा केसीसी की स्वीकृति दर में वृद्धि हुई। पिछले वर्षों में ग्राउंड लेवल क्रेडिट लक्ष्य में भी वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी है। कृषि के लिए जीएलसी लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए बढ़ाकर 27.50 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया, जो वर्ष 2023–24 में 20.00 लाख करोड़ रुपये था।

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन के लिए बढ़े हुए ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, 27,50,000 करोड़ रुपए के समग्र सावधि ऋण लक्ष्य के भीतर पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन के लिए 4,20,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 4,20,000 करोड़ रुपये का कार्यकलाप–वार विवरण निम्नानुसार है।

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	कार्यकलाप	कार्यशील पूंजीगत का लक्ष्य	सावधि ऋण लक्ष्य	कुल लक्ष्य
i.	डेयरी	64,750	1,10,250	1,75,000
ii.	पोल्ट्री	25,100	10,900	36,000
iii.	भेड़, बकरी, सूअर पालन	23,700	26,300	50,000
iv.	पशुपालन– अन्य	58,900	65,100	1,24,000
v.	मत्स्यपालन	25,500	9,500	35,000
	कुल	**1,97,950**	**2,22,050**	**4,20,000**

*****

अध्याय–14

विभागीय लेखा संगठन

विभागीय लेखा संगठन

अध्याय-14

14.1 सिंहावलोकन

पशुपालन और डेयरी विभाग के मुख्य लेखा प्राधिकारी सचिव हैं। सचिव, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (एएस एंड एफए) तथा मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं।

14.1.1 सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 1.2.3 के अनुसार, मुख्य लेखा नियंत्रक, मुख्य लेखा प्राधिकारी के लिए और उनकी ओर से निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार हैः–

(क) वेतन और लेखा कार्यालयों/प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से सभी भुगतानों की व्यवस्था करना, केवल उन्हें छोड़कर जहां आहरण और संवितरण अधिकारी कुछ प्रकार के भुगतान करने के लिए प्राधिकृत हैं।

(ख) मंत्रालय/विभाग के लेखों का संकलन और समेकन और उन्हें निर्धारित प्रपत्र में महालेखा नियंत्रक को प्रस्तुत करनाय अपने मंत्रालय/विभाग की अनुदान मांगों के लिए वार्षिक विनियोग लेखों को तैयार करना, उनकी विधिवत लेखापरीक्षा कराना और उन्हें मुख्य लेखा प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित करा कर सीजीए को प्रस्तुत करना।

(ग) विभाग के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों एवं वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा तैयार किये गए भुगतान एवं लेखा अभिलेखों के आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था करना तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखे जा रहे सरकारी मंत्रालयों/विभागों के लेन–देन से संबंधित अभिलेखों के निरीक्षण की व्यवस्था करना।

14.1.2 मुख्य लेखा नियंत्रक, पशुपालन और डेयरी विभाग दो लेखा नियंत्रकों, एक सहायक लेखा नियंत्रक और मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के 11 वेतन एवं लेखा कार्यालयों की सहायता से मुख्यालय में 8 प्रधान लेखा अधिकारियों (प्रशा./स्था. लेखा, राजकोषीय भुगतान; और आईएडब्ल्यू) के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। वरिष्ठ लेखा अधिकारियों की अध्यक्षता में क्षेत्रीय आंतरिक लेखापरीक्षा दल भी कोच्चि में तैनात हैं जो आईएडब्ल्यू (मुख्यालय) के नियंत्रण में काम करती है। प्रधान लेखा कार्यालय सहित वेतन एवं लेखा कार्यालयों के सभी अधिकारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन हैंय इसलिए, क्रमशः पशुपालन और डेयरी विभाग तथा मत्स्यपालन विभाग के विभागीय लेखा संगठन में जनशक्ति में वृद्धि की आवश्यकता है। मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय में कार्य के वितरण का विवरण **अनुबंध–XIII** में दिया गया है। पशुपालन और डेयरी विभाग में पीएओ में 10 सीडीडीओ और 26 एनसीडीडीओ हैं। लेखांकन सूचना प्रवाह चार्ट **अनुबंध–XIII** में दिया गया है।

14.1.3 मंत्रालय/विभाग में लेखा संगठन के प्रमुख के रूप में सीसीए की भूमिका और जिम्मेदारियां

सिविल लेखा मैनुअल, संशोधित चतुर्थ संस्करण (2024) के परिशिष्ट–'1.1' के पैरा 1.3 के अनुसार, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रधान सीसीए/सीसीए/सीए (आईसी) संबंधित मंत्रालयों/विभागों में लेखा संगठन के प्रमुख होते हैं। उनके व्यापक कार्य निम्नानुसार निर्धारित हैं–

क. प्राप्ति, भुगतान और खातेः

i. मंत्रालय/विभाग की सभी प्राप्तियों और भुगतानों के लेखांकन के लिए आवश्यक आंतरिक नियंत्रण के साथ प्रभावी और कुशल प्रणालियों की स्थापना सुनिश्चित करना।

ii. पीएओ और चेक आहरण डीडीओ के माध्यम से किए जाने वाले भुगतान और प्राप्ति लेनदेन का पर्यवेक्षण करना तथा यह सुनिश्चित करना कि वे निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुरूप किए जा रहे हैं।

iii. संहिता प्रावधानों के अनुसार सभी पात्र दावेदारों (सरकारी कर्मचारी, विक्रेता, अनुदान प्रदान और ऋण प्राप्तकर्ता संस्थान आदि, जिसमें जेम (GeM) के माध्यम से खरीद के संदर्भ में आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान भी शामिल है) को समय पर भुगतान का पर्यवेक्षण करना।

iv. सीजीए कार्यालय में मासिक और वार्षिक खातों का दक्षतापूर्वक, सटीकता से और समय पर प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करना।

v. समय पर, सटीक, व्यापक, प्रासंगिक और उपयोगी वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।

vi. सीजीए कार्यालय के लिए मासिक रिपोर्ट की सटीकता से और समय पर प्रस्तुति सुनिश्चित करना।

vii. प्रामाणिक/प्राधिकृत बैंकों द्वारा मंत्रालय/विभाग को कुशल सेवा प्रदायगी की निगरानी करना और सरकारी खातों में प्राप्तियों की समय पर वसूली के उनके निष्पादन की निगरानी करना।

viii. निर्धारित लेखांकन मानकों, नियमों और सिद्धांतों के पालन की निगरानी करना।

ix. मंत्रालय/विभाग के मुख्य लेखा प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित लेखापरीक्षित वार्षिक विनियोग खातों का सीजीए कार्यालय में समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना।

x. अपने मंत्रालय/विभाग के संबंध में वार्षिक 'खाते एक दृष्टि में' तैयार करना सुनिश्चित करना।

xi. व्यक्तिगत जमा खाता खोलने या इसे चालू करने के लिए भारत के लोक लेखा में नव निर्मित निधि के संबंध में लेखांकन प्रक्रिया तैयार करने के लिए मंत्रालयों/विभागों के प्रस्ताव की जांच करना और उनके सुगम परिचालन की निगरानी करना।

xii. समय–समय पर सीजीए कार्यालय द्वारा निर्धारित मौद्रिक सीमा के अनुसार भुगतान मंजूरी (जीएसटी रिफंड संस्वीकृति सहित) की समीक्षा करना।

xiii. ऋण, जमा, उचंत और प्रेषण (डीडीएसआर) शीर्षों के तहत शेष राशि की निकासी की निगरानी करना और शीर्षों (Heads) के तहत प्रतिकूल शेष राशि का उपयोग करने के लिए समय पर सुधारात्मक उपाय करना।

xiv. व्यय विभाग द्वारा वस्तु शीर्षों के निर्धारित लेखा चार्ट तथा मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची (एलएमएमएचए) के अनुसार नई योजनाओं/व्यय के लिए उपयुक्त खाता शीर्षों के खुलने की निगरानी करना।

xv. सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के सटीक और समय पर प्राधिकार देने की निगरानी करना।

xvi. खरीद और संबंधित भुगतान से संबंधित मामलों पर जेम (GeM) स्थायी समिति के साथ समन्वय करना।

xvii. प्रधान सीसीए/सीसीए/सीए (आईसी) पीएफएमएस मामले के लिए मंत्रालय के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

xviii. ऋण और ब्याज की अदायगी के बारे में ऋणदाता से संपर्क बनाए रखना।

उपरोक्त जिम्मेदारियों के संबंध में, प्रधान सीसीए/सीसीए/सीए (आईसी), लेखा महानियंत्रक के निर्देशन, अधीक्षण और नियंत्रण के तहत कार्य करेंगे।

ख. परिणामी बजट सहित बजट तैयार करना:

i. प्रधान सीसीए/सीसीए/सीए (आईसी) बजटीय प्रस्तावों की तैयारी में निगरानी और सहायता करेंगे और व्यय तथा प्रत्येक कार्यक्रम (उप–कार्यक्रम) के विश्लेषण के आधार पर, बजटीय सीमा के अंदर बेहतर परस्पर कार्यक्रम प्राथमिकता/आवंटन में प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों की सहायता करेंगे।

ii. वित्त मंत्रालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित समय–सारिणी/दिशानिर्देशों के अनुसार परिणामी बजट/आउटपुट–आउटकम निगरानी ढांचे (ओओएमएफ) की तैयारी में प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

iii. बजट प्रभाग को सार्वजनिक खाता लेनदेन और बजट प्रभाग द्वारा नियंत्रित समग्र मांगों के संबंध में बजट अनुमान प्रस्तुत करेंगे ताकि उन्हें बजट में शामिल किया जा सके।

iv. कर्मचारियों के भविष्य निधि शेष राशि और आरक्षित निधि सहित सार्वजनिक खाते में विभिन्न जमाओं पर ब्याज के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करेंगे।

v. बजट दस्तावेजों से संबंधित सभी रिपोर्टों और विवरणों (Statements) की निगरानी करेंगे।

ग. गैर–कर राजस्व प्राप्तियों का अनुमान:

प. प्रशासनिक प्रभागों के साथ मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न गैर–कर राजस्व प्राप्तियों की समय–समय पर समीक्षा में एफए की सहायता करना और बजट प्रभाग, डीईए को गैर–कर राजस्व प्राप्तियों का अनुमान प्रस्तुत करना।

घ. आंतरिक लेखापरीक्षा/जोखिम आधारित लेखापरीक्षा:

i. पीएसी, सी एंड एजी और आंतरिक लेखापरीक्षा के ऑडिट पैरा की समीक्षा करने और सहवर्ती अनुपालन/तरीके में सुधार के लिए प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता वाली आंतरिक लेखापरीक्षा समिति के सदस्य सचिव के कर्तव्यों का निर्वहन करना।

ii. वे मुख्य लेखा प्राधिकारी या सीजीए के निर्देशानुसार मंत्रालयों/विभागों में विशेष ऑडिट करने के लिए जिम्मेदार हैं। प्रधान सीसीए/सीसीए/सीए के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत काम करने वाला आंतरिक लेखा परीक्षा विंग अनुपालन/नियामक लेखा परीक्षा की मौजूदा प्रणाली से आगे बढ़ेगा और निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा।

क. सामान्य रूप से आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का आकलन, और विशेष रूप से वित्तीय प्रणालियों की सुदृढ़ता और वित्तीय तथा लेखांकन रिपोर्टों की विश्वसनीयता;

ख. जोखिम कारकों की पहचान और निगरानी (परिणामी बजट/ओओएमएफ ढांचे में शामिल कारकों सहित);

ग. मुद्रा का मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सेवा वितरण तंत्र की इकॉनॉमी, दक्षता और प्रभावशीलता का महत्वपूर्ण मूल्यांकन; और

घ. मिड–कोर्स सुधारों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक प्रभावी निगरानी प्रणाली प्रदान करना।

iii. योजनाओं का वित्तीय मूल्यांकन करता है और नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से परियोजनाओं और योजनाओं की निगरानी करता है।

iv. उन संगठनों में सरकारी लेनदेन के संबंध में ई–एफपीबीएस सहित मान्यता प्राप्त बैंकों, अधिकृत/अन्य बैंकों/सीपीपीसी और फोकल प्वाइंट बैंक शाखाओं का ऑडिट करता है जहां इसकी आवश्यकता होती है।

v. वार्षिक लेखापरीक्षा योजना और वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा समीक्षा तैयार करना सुनिश्चित करेगा।

उपरोक्त कार्य सीजीए द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाएंगे।

ड. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और आईटी परियोजनाएं:

i. पीएफएमएस के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा एफए को यह सुनिश्चित करने में सहायता करना कि पीएफएमएस पर जारी दिशा–निर्देशों/निर्देशों का पालन/कार्यान्वयन किया जा रहा है तथा पीएफएमएस के कुशल संचालन से संबंधित मुद्दों का समाधान करना।

ii. अंतिम स्तर की कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थी तक निधियों के प्रवाह और भारत सरकार की केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित/प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं के तहत इसके उपयोग पर नजर रखने के उद्देश्य से समयबद्ध, सटीक और उपयोगी वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मंत्रालय और सीजीए कार्यालय के पीएफएमएस प्रभाग के साथ समन्वय सहित पीएफएमएस और इसके विभिन्न मॉड्यूल के उपयोग की निगरानी करना।

iii. सरकारी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (जीआईएफएमआईएस) की स्थापना के लिए डेटाबेस और प्रक्रियाओं के एकीकरण का समन्वय करना।

iv. प्रणाली के दृष्टिकोण से, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के कार्य में पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान करना तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाना।

v. पीएफएमएस के नियंत्रण और अन्य संबंधित सुरक्षा पहलुओं तक पहुंच के लिए जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना और प्रणाली की नियमित निगरानी करके डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना।

vi. सटीक व्यय रिपोर्टिंग के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की लेखांकन बास्केट (Accounting Basket) की सही मैपिंग सुनिश्चित करना।

vii. पीएफएमएस में रिपोर्टों और सूचनाओं की नियमित समीक्षा करना और निर्णय लेने के लिए इसे कार्यकारी के समक्ष प्रस्तुत करना।

viii. अपने संबंधित मंत्रालयों में योजनाओं के प्रदर्शन से संबंधित रिपोर्टों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर प्रासंगिक पीएफएमएस रिपोर्टों और डैशबोर्ड की निगरानी करना।

ix. एजेंसियों आदि के निष्क्रिय पंजीकरण को समय पर बंद करना सुनिश्चित करना, आदि।

च. व्यय और नकदी प्रबंधन:

बजट प्रभाग, एमओएफ (मासिक व्यय योजना (एमईप)/त्रैमासिक व्यय योजना (क्यूईपी) सीमा, स्वायत्त निकायों को 'जस्ट–इन–टाइम' में निधियां जारी करने के लिए टीएसए प्रणाली का कार्यान्वयन) द्वारा जारी नकदी प्रबंधन प्रणाली दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय करना।

छ. एफआरबीएम अधिनियम के तहत प्रकटन और रिपोर्टिंग आवश्यकताएं।

अपने मंत्रालय/विभाग के संबंध में एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण विवरण तैयार करने में सहायता करना, ताकि उन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा समग्र रूप से सरकार के लिए संकलित समेकित विवरण में शामिल किया जा सके।

ज. परिसंपत्तियों और देनदारियों की निगरानी:

परिसंपत्तियों और देनदारियों के व्यापक रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए मंत्रालयों/विभागों की सहायता करना और प्रधान लेखा कार्यकाय के माध्यम से सरकारी गारंटी की निगरानी करना और रिकॉर्ड रखना।

झ. वित्त मंत्रालय और एफए के बीच बातचीत:

प्रधान सीसीए/सीसीएएस/सीएएस (आईसी), सचिव (व्यय) के साथ एफएएस की त्रैमासिक बैठक के लिए आवश्यक सामग्री और सहायता तथा समय–समय पर एफएएस द्वारा अपेक्षित अन्य वित्तीय इनपुट प्रदान करेंगे।

ञ. सामान्य प्रशासन और समन्वय:

i. लेखा संगठन के लिए विभाग के प्रमुख की शक्तियों का प्रयोग करेंगे और प्रशासन तथा स्थापना से संबंधित कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे।

ii. नियुक्ति प्राधिकारी/अनुशासनात्मक प्राधिकारी होने के नाते प्रयोग की जाने वाली वैधानिक शक्तियों के संदर्भ में जिम्मेदारियों का निर्वहन करना।

iii. अपने वेतन एवं लेखा कार्यालयों/प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा विभागीय खातों की समग्र गुणवत्ता और रखरखाव पर उचित निगरानी रखना।

टिप्पण:

क. उन मंत्रालयों/विभागों में, जिनका नेतृत्व प्रधान सीसीए द्वारा किया जाता है, वहां प्रधान सीसीए का यह विशेषाधिकार होगा कि वे ऊपर सूचीबद्ध उत्तरदायित्वों में से किसी एक को उनकी प्रशासनिक सुविधा और आवश्यकता के अनुसार तथा स्थापित संहितागत प्रावधानों के अधीन, सीसीए/सीए को सौंपें।

ख. उपर्युक्त के अतिरिक्त, लेखा संगठन के प्रमुख अर्थात प्रधान सीसीए/सीसीए/सीए (आईसी) जैसा भी मामला हो, मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा सौंपी गई किसी अन्य जिम्मेदारी के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

ग. इसके अलावा, मंत्रालय के बजट अनुभाग को आमतौर पर सीसीए के नियंत्रण में कार्य करना चाहिए और एफएस एवं सचिव (व्यय) द्वारा दिनांक

13/06/2023 के डीओ पत्र 23(3)/ई. समन्वय/2018 द्वारा जारी वित्तीय सलाहकार संबंधी चार्टर के पैरा 43 और पैरा 44 के संदर्भ में, इसके सुचारू कार्य और कुशल संचालन से संबंधित मुद्दों को हल करने में अन्य बातों के साथ–साथ सीसीए से पीएफएमएस के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

14.2 बैंकिंग व्यवस्था

भारतीय स्टेट बैंक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग में पीएओ और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए मान्यता प्राप्त बैंक है। पीएओ/सीडीडीओ द्वारा संसाधित ई–भुगतान का निपटान विक्रेताओं/लाभार्थियों के बैंक खाते के पक्ष में सीएमपी, एसबीआई, हैदराबाद के माध्यम से किया जाता है। कुछ मामलों में, पीएओ/सीडीडीओ द्वारा जारी किए गए चेक भुगतान के लिए मान्यता प्राप्त बैंक की नामित शाखा में प्रस्तुत किए जाते हैं। गैर–कर–प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) के अलावा संबंधित पीएओ/सीडीडीओ द्वारा भी मान्यता प्राप्त बैंकों को रसीदें भेजी जाती हैं। मान्यता प्राप्त बैंक में किसी भी बदलाव के लिए लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की विशिष्ट मंजूरी की आवश्यकता होती है।

प्रधान लेखा कार्यालय में 11 (ग्यारह) वेतन एवं लेखा कार्यालय हैं। पांच पीएओ दिल्ली/एनसीआर में, दो मुंबई में, एक–एक चेन्नई, कोचीन, कोलकाता और नागपुर में स्थित हैं। विभाग/मंत्रालय से संबंधित सभी भुगतान संबंधित पीएओ से संबद्ध पीएओ/सीडीडीओ के माध्यम से किए जाते हैं। आहरण और संवितरण अधिकारी अपने दावेधबिल नामित पीएओ/सीडीडीओ को प्रस्तुत करते हैं, जो सिविल लेखा मैनुअल, रसीद और भुगतान नियमों तथा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अन्य आदेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जांच करने के बाद ई–भुगतान जारी करते हैं।

14.3 आंतरिक लेखापरीक्षा विंग

आंतरिक लेखापरीक्षण एक स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ आश्वासन और परामर्श कार्यकलाप है जिसे मूल्यवर्धन और संगठन के संचालन में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य मूल रूप से जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और उसमें सुधार करने के लिए एक व्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण को शामिल करके संगठन को अपने उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करना है। यह वस्तुनिष्ठ आश्वासन और सलाह प्रदान करने के लिए भी एक प्रभावी उपकरण है जो महत्व को बढ़ाता है, ऐसे परिवर्तन को प्रभावित करता है जो शासन में सुधार करता है, जोखिम प्रबंधन में सहायता करता है, प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और परिणामों के लिए जवाबदेही में सुधार करता है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग में सचिव (पशुपालन और डेयरी) की अध्यक्षता में आंतरिक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है। स्वायत्त निकायों और अन्य अनुदान प्राप्त संस्थानों को छोड़कर पशुपालन और डेयरी विभाग में 36 ऑडिटी इकाइयाँ/डीडीओ हैं।

14.4 सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) शुरू में वर्ष 2008–09 में पूर्ववर्ती योजना आयोग के सीपीएसएमएस नामक एक योजना स्कीम के रूप में शुरू हुई थी।

I. पीएफएमएस का कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) मॉड्यूलः

यह मॉड्यूल पशुपालन और डेयरी विभाग के आहरण और संवितरण कार्यालय में क्रियान्वित किया गया है।

II. पीएफएमएस का ईएटी मॉड्यूलः

पशुपालन और डेयरी विभाग के सभी स्वायत्त निकायों को पीएफएमएस के व्यय अग्रिम हस्तांतरण (ईएटी) मॉड्यूल पर शामिल किया गया है।

III. गैर–कर राजस्व संग्रह के लिए ऑनलाइन पोर्टल (भारतकोष):

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में एनटीआरपी पोर्टल अप्रैल, 2017 से कार्यशील है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान दिनांक 31.12.2024 तक पशुपालन और डेयरी विभाग का गैर–कर राजस्व संग्रह 134.56 करोड़ रु. है जिसे एनटीआर ई–पोर्टल पर भारत कोष के माध्यम से एकत्र किया गया है।

एनटीआरपी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न वेबसाइट लिंक http://cga.nic.in//Page/FAQs.aspx पर उपलब्ध हैं।

14.5 वित्त मंत्रालय और लेखा महानियंत्रक कार्यालय द्वारा की गई नई पहलें

क. 'ई–बिल प्रणाली'

क. केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 46वें नागरिक लेखा दिवस पर केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए ई–बिल प्रणाली शुरू की थी। नई ई–बिल प्रणाली कागज रहित बिल जमा करने और बिलों की संपूर्ण डिजिटल प्रोसेसिंग को सक्षम बनाएगी।

ख. नई प्रणाली चरणबद्ध तरीके से, बिलों को प्रस्तुत करने और बैकएंड प्रोसेसिंग की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से कागज रहित और पारदर्शी बना देगी। इस प्रकार, यह 'डिजिटल इंडिया' के दृष्टिकोण को साकार करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने में एक बड़ा कदम है।

ग. **प्रणाली के उद्देश्य इस प्रकार हैं:**

i. सरकार के सभी विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं को किसी भी समय, कहीं से भी अपने बिल/दावे प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करना।

ii. आपूर्तिकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच फिजिकल इंटरफेस को समाप्त करना।

iii. बिलों/दावों के प्रसंस्करण में दक्षता बढ़ाना।

iv. ''फर्स्ट–इन–फर्स्ट–आउट'' (एफआईएफओ) पद्धति के माध्यम से बिलों पर कार्रवाई करने में विवेकाधिकार को कम करना।

घ. वर्तमान में, सरकार को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को अपने बिलों की वास्तविक, स्याही हस्ताक्षरित प्रतियां भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को प्रस्तुत करनी होती हैं। इसी तरह, सरकारी कर्मचारियों को भी अपने दावों की हार्ड कॉपी जमा करनी होती है। बैकएंड पर भी, बिलों का प्रसंस्करण वास्तविक और डिजिटल मोड की मिश्रित प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। इसलिए, आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं या उनके प्रतिनिधियों को बिल देने के लिए कार्यालय जाने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही, वे अपने बिलों के प्रसंस्करण की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम होते हैं।

ङ. नई शुरू की गई ई–बिल प्रणाली के तहत, विक्रेता/आपूर्तिकर्ता डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से किसी भी समय अपने घर/कार्यालय से सहायक दस्तावेजों के साथ अपने बिल ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। जिनके पास डिजिटल हस्ताक्षर नहीं हैं, उनके लिए आधार का उपयोग करके ई–साइन की सुविधा भी प्रदान की गई है। इसलिए, आपूर्तिकर्ताओं को अब इस उद्देश्य के लिए संबंधित कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती है।

च. बैकएंड पर भी, प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक बिल को प्रत्येक चरण में अधिकारियों द्वारा डिजिटल रूप से संसाधित किया जाएगा और अंत में, भुगतान विक्रेता के बैंक खाते में डिजिटल रूप से जमा किया जाएगा। विक्रेता/आपूर्तिकर्ता अपने बिलों की प्रोसेसिंग की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने में सक्षम होंगे। इस प्रकार, नया सिस्टम, प्रणाली में बहुत दक्षता और पारदर्शिता लाएगा और यह भारत सरकार का एक बड़ा नागरिक–केंद्रित निर्णय है।

छ. ई–बिल प्रणाली को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक कार्यालय में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) प्रभाग द्वारा विकसित किया गया है। बिलों को फर्स्ट–इन–फर्स्ट–आउट (FIFO) पद्धति द्वारा संसाधित किया जाएगा।

ज. व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और लाखों विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं की सुविधा के अलावा, ई–बिल प्रणाली पर्यावरण के अनुकूल होगी, जिससे सालाना करोड़ों पेपर बिल जमा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और इस प्रकार हर साल कई टन कागज की बचत होगी। ई–बिल प्रणाली में दस्तावेजों की पुनर्प्राप्ति के लिए एक विस्तृत डिजिटल स्टोरेज सुविधा और एक मजबूत ऑडिट ट्रेल मौजूद है।

(ख) केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत निधियां जारी करने की संशोधित प्रक्रिया:

केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत राज्यों को जारी निधियों की उपलब्धता और उपयोग की बेहतर निगरानी के लिए और फ्लोट को कम करने के लिए, व्यय विभाग ने सीएसएस के तहत निधियां जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन किया है और प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक सीएसएस को लागू करने के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) नामित करेगी।

एसएनए मॉडल के लिए प्रक्रिया प्रवाह संबंधी संक्षिप्त सार:

क. प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक सीएसएस को लागू करने के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) नामित करेगी। एसएनए एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में राज्य स्तर पर प्रत्येक सीएसएस के लिए एक एकल नोडल खाता खोलेगा।

ख. योजना का एकल नोडल खाता खोलने के बाद और आईए के शून्य शेष सहायक खाता खोलने या उन्हें एसएनए के खाते से अधिकार प्राप्त करने के लिए सौंपने से पहले, आईए अपने खातों में पड़ी सभी अव्ययित राशि को सभी स्तरों पर एसएनए के एकल नोडल खाते में वापस कर देंगे।

ग. एसएनए यह सुनिश्चित करेंगे कि जारी की गई निधियों से अर्जित ब्याज को जीएफआर, 2017 के नियम 230(8) के संदर्भ में यथानुपात आधार पर संबंधित समेकित निधि में अनिवार्य रूप से विप्रेषित किया जाना चाहिए।

घ. एसएनए के बैंक खाते में उपलब्ध निधियां वर्ष 2022–23 के लिए एक राज्य को सीएसएस के तहत जारी की जाने वाली राशि (राज्य के हिस्से सहित) के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ङ. एसएनए और आईए अनिवार्य रूप से पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल का उपयोग करेंगे या पीएफएमएस के साथ अपने सिस्टम को एकीकृत करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक आईए द्वारा पीएफएमएस पर जानकारी हर दिन कम से कम एक बार अपडेट की जाती है।

च. सीएसएस के मामले में जहां राज्य का कोई हिस्सा नहीं है और जहां योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्रीय मंत्रालय/विभाग द्वारा सीधे जिलों/ ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों/कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी की जाती हैं, राज्य स्तर पर एकल नोडल एजेंसी को अधिसूचित करने और एकल नोडल खाते को खोलने की आवश्यकता को

संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग के सचिव द्वारा वित्तीय सलाहकार के परामर्श से माफ किया जा सकता है।

(ग) केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निधियां जारी करने की संशोधित प्रक्रियाः

पिछले सभी जारी आदेशों के अधिक्रमण में, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निधियां जारी करने के संबंध में केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) नामित करके केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निधियों के प्रवाह के लिए दिशानिर्देशों/प्रक्रिया का उल्लेख करते हुये दिनांक 09 मार्च 2022 को एक कार्यालय ज्ञापन सं. एफ.सं. 1(18)/पीएफएमएस/एफसीडी/2021 जारी किया है। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत निधियों के प्रवाह हेतु 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी प्रक्रिया को दो मॉडलों में विभाजित किया गया हैः–

i) **ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) मॉडल I के माध्यम से कार्यान्वयन**– यह मॉडल 500 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक परिव्यय वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के मामले में लागू होगा और राज्य एजेंसियों की भागीदारी के बिना कार्यान्वित किया जाएगा। ऐसी योजनाओं को ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) मॉडल के माध्यम से लागू करना अनिवार्य होगा।

ii) **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) मॉडल II के माध्यम से कार्यान्वयन**– यह मॉडल केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के निम्न मामलों में लागू होगा (क) 500 करोड़ रुपये से कम वार्षिक परिव्यय या (ख) योजनाएं विशेष रूप से राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा या केंद्रीय एजेंसियों के अतिरिक्त लागू की जा रही हों अथवा (ग) मॉडल–1 में कवर नहीं की गईं अन्य योजनाएं।

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए प्रक्रिया प्रवाह संबंधी संक्षिप्त सारः

क. मॉडल–I या मॉडल–II के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की पहचान।

ख. केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) के रूप में एबी/सीपीएसई/कार्यान्वयन एजेंसियों की अधिसूचना।

ग. मॉडल–I के तहत प्रत्येक योजना के लिए आरबीआई (ई–कुबेर) के साथ असाइनमेंट खाता खोलना।

घ. मॉडल–II के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में प्रत्येक योजना के लिए खाता खोलना।

ङ. सीएनए और एसए के मौजूदा बैंक खातों को सूचीबद्ध करना और बंद करना।

च. खाते में शेष राशि को मॉडल–I के तहत भारत की संचित निधि (सीएफआई) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और सभी उप एजेंसियों (एसए) द्वारा योजना की अव्ययित राशि मॉडल–II के तहत सीएनए खाते में लौटा दी जाती है।

छ. निधियों से अर्जित ब्याज को मॉडल–II के तहत भारत की संचित निधि (सीएफआई) में विप्रेषित किया जाता है।

ज. पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल का अनिवार्य रूप से उपयोग या पीएफएमएस के साथ उनके सिस्टम का एकीकरण।

वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए संरचनात्मक परिवर्तन/ सुधार (वित्त वर्ष– 2023–24)

1) 'सीएनए मॉडल' पर दिनांक 21.05.2024 का मास्टर परिपत्र।

क) मॉडल–1ः ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) के माध्यम से कार्यान्वयन

यह मॉडल उन योजनाओं के लिए लागू होगा जिनका बजट अनुमान एक वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है और जिनका कार्यान्वयन आरबीआई में खाता खोलने के लिए पात्र केवल दो स्तर की केंद्रीय/राज्य सरकार एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है। एजेंसियां केंद्रीय स्वायत्त निकाय या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम या राज्य सरकार की एजेंसी हो सकती हैं।

ख) मॉडल–1कः हाइब्रिड ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) के माध्यम से कार्यान्वयन

यह मॉडल उन योजनाओं के लिए लागू है जिनका बजट अनुमान एक वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है। जहां योजना के कार्यान्वयन में एक निजी उप–एजेंसी (एसए) शामिल है जो आरबीआई में खाता नहीं खोल सकती है और/या जहां योजना के कार्यान्वयन में दो से अधिक स्तर की सरकारी/निजी एसए शामिल हैं क्योंकि आरबीआई तीसरे और उससे नीचे के स्तर की एजेंसियों को खाते खोलने की सुविधा प्रदान नहीं करता है।

ग) मॉडल–2ः अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) के माध्यम से कार्यान्वयन

यह मॉडल 100 करोड़ रुपये से कम के बजट अनुमान वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए लागू होगा। हालांकि, मंत्रालय/विभाग ऐसी योजनाओं को लागू करने के लिए मॉडल 1/1ए का विकल्प भी चुन सकते हैं। इस मॉडल के तहत, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग प्रत्येक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को लागू करने के लिए एक केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) को नामित करेगा और सीएनए प्रत्येक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा सरकारी कार्य संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक केंद्रीय नोडल खाता (बचत बैंक खाता) खोलेगा।

2) एसएनए स्पर्श मॉडल– भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ई–कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के फंड को

"जस्ट–इन–टाइम" जारी करना, जैसा कि व्यय विभाग (क्वम) द्वारा उनके दिनांक 13.07.2023, 21.05.2024, 04.10.2024 और दिनांक 17.12.2024 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से प्रख्यापित किया गया है।

व्यय विभाग (DoE) के दिनांक 17.12.2024 के आदेश 1(27)/पीएफएमएस/2020 के अनुसार, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) को एसएनए स्पर्श के माध्यम से 26 राज्यों (21 मौजूदा और 5 नए) में लागू किया जाना है।

3) केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत निधियों के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया – केंद्रीय एसएनए (सीएसएनए) मॉड्यूल का कार्यान्वयन।

व्यय विभाग के दिनांक 24.05.2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(13)/पीएफएमएस/2021 के अनुसरण में पीएफएमएस प्रभाग, सीजीए द्वारा एसएनए–केंद्रीय की सुविधा विकसित की गई है, ताकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत भारत सरकार से सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी की जा सकें, जिसमें राज्य का कोई हिस्सा नहीं है। पीएफएमएस प्रभाग, सीजीए द्वारा दिनांक 27.05.2024 के अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सीएसएनए मॉड्यूल के कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है।

घ. पीएफएमएस का उपयोग करते समय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर समेकित निर्देश:

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, लेखा महानियंत्रक का कार्यालय ने दिनांक 30.09.2022 के का.ज्ञा. संख्या 1–17016/1/2022–आईटीडी–सीजीए/10985/229 के द्वारा पीएफएमएस का उपयोग करते समय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर समेकित निर्देश जारी किए हैं:

क) एक्सेस प्रबंधन:

i) पीएफएमएस के पीएओ और डीडीओ मॉड्यूल पर काम करने वाले अधिकारियों के नए उपयोगकर्ता पंजीकरण (New User Registration) के लिए, केवल एनआईसी/जीओवी डोमेन वाली ईमेल आईडी की अनुमति होगी। विभिन्न फील्ड कार्यालयों में उपयोगकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले कई कार्यों को ध्यान में रखते हुए एक ही ईमेल–आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग एक ही पीएओ कोड के भीतर अधिकतम चार उपयोगकर्ता आईडी और अन्य (Across) पीएओ कोड के लिए अतिरिक्त तीन उपयोगकर्ता आईडी के लिए किया जा सकता है।

ii) सिस्टम में उपयोगकर्ता (Users) के निर्माण के लिए दो स्तरों के अनुमोदन की प्रणाली और अनुमोदनकर्ताओं के लिए उपयोगकर्ताओं के निर्माण पर ई–मेल/एसएमएस अलर्ट बनाया गया है।

iii) पीएफएमएस में 45 दिनों से अधिक तक निष्क्रिय उपयोगकर्ता आईडी को अक्षम (disabled) के रूप में चिन्हित करना लागू किया जा रहा है।

iv) किसी भी समूह क और समूह ख के अधिकारी को कार्यभार मुक्त करते समय, जो पीएफएमएस में एक उपयोगकर्ता है अर्थात सीसीए स्तर का उपयोगकर्ता, पीएओ प्रकार का उपयोगकर्ता, उनके डिजिटल हस्ताक्षर और उपयोगकर्ता आईडी को निष्क्रिय कर दिया जाना चाहिए।

v) उपयोगकर्ता द्वारा आमतौर पर उपयोग किए जा रहे सिस्टम के अलावा सिस्टम में उपयोगकर्ता लॉगिन के मामले में परिवर्तन के लिए उपयोगकर्ता को सचेत करने की सूचना दी जाती है।

ख) पीएफएमएस में पासवर्ड नीति:

i) पासवर्ड कम से कम 8 अक्षरों का होना चाहिए।

ii) पासवर्ड में अनिवार्य रूप से विशेष अक्षरों के साथ ही अल्फा न्यूमेरिक वर्ण दोनों शामिल होने चाहिए।

iii) पासवर्ड की उपयोगकर्ता नाम या उपयोगकर्ता नाम के भाग के साथ समानता नहीं होनी चाहिए।

ग) भुगतान की प्रक्रिया:

i) प्रधान लेखा अधिकारी की/कुंजी/डीएससी को अनिवार्य रूप से सीसीए स्तर के उपयोगकर्ता द्वारा जबकि पीएओ की I कुंजी/डीएससी को प्रधान लेखा अधिकारी स्तर के उपयोगकर्ता द्वारा और पीएओ स्तर के उपयोगकर्ता द्वारा सीडीडीओ के उपयोगकर्ता द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। पीएफएमएस में हर सत्र के लिए I कुंजी/डीएससी डालने की टाइमआउट प्रक्रिया तय की गई है।

ii) पीएओ को सख्ती से सलाह दी जाए कि वे अपने कार्यालय के बाहर स्थापित कंप्यूटरों पर पीएओ/डीडीओ मॉड्यूल का उपयोग न करें और भुगतान करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग न करें।

iii) भुगतान करने के लिए निर्धारित सभी दिशा–निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उपयोगकर्ता के लिए स्पष्ट निर्देशों द्वारा निर्धारित किए जाने तक सभी स्तरों पर भौतिक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

iv) भुगतान करने के लिए प्राधिकृत सभी भुगतान एवं लेखा अधिकारी डिजिटल हस्ताक्षर करने से पहले बैच की प्रत्येक भुगतान फाइल को संबंधित वास्तविक बिलई–बिल के साथ अनिवार्य रूप से सत्यापित करेंगे।

घ) नेटवर्क सुरक्षा:

i) हमेशा वास्तविक सॉफ्टवेयर का उपयोग करें, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के लिए नवीनतम अपडेट/पैच इंस्टॉल करें।

ii) फायरवॉल सक्षम करें, कंप्यूटर पर उपयोगकर्ता विशेषाधिकार सीमित करें, फाइल संलग्नक खोलने

से पहले ईमेल प्रेषक आईडी और वेब लिंक जांचें और सत्यापित करें।

iii) मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करें, सोशल इंजीनियरिंग के हमलों से बचाव करें।

iv) केवल आधिकारिक आपूर्ति किए गए यूएसबी स्टोरेज मीडिया का ही उपयोग करें।

v) उपयोगकर्ताओं को समय–समय पर साइबर सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।

vi) पायरेटेड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करने से बचें।

vii) इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों का उपयोग संवेदनशील आधिकारिक दस्तावेजों/पत्राचारों के प्रारूपण/भंडारण के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

ङ. बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा दिनांक 23.02.2024 के उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. 1(22)–बी(एसी)/2022 तहत प्रख्यापित, 'नई सेवा'/'सेवा के नए साधन' से संबंधित मामलों के निर्धारण में वित्तीय सीमाओं पर संशोधित दिशानिर्देश।

च. **निधियों का पुनर्विनियोजन**– इस विषय पर संशोधित दिशानिर्देश व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या 01(14)/2016–ई.II(ए)(भाग–III) दिनांक 28.03.2024 के तहत जारी किए गए हैं।

छ. सीजीए कार्यालय द्वारा सिविल लेखा मैनुअल, संशोधित चतुर्थ संस्करण फरवरी 2024 के महीने में प्रकाशित किया गया है, जिसे वित्त सचिव द्वारा सिविल लेखा दिवस, 2024 पर जारी किया गया था।

ज. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम 2024 प्रकाशित किया गया है, जो 1 अप्रैल, 2024 से लागू हो गया है।

झ. **कुछ अन्य नई पहलें**

- टीएसए/एसएनए/सीएनए/एसएनए स्पर्श/हाइब्रिड टीएसए और सीएसएनए पर व्यय विभाग (DoE) के दिशानिर्देशों का अक्षरशः कार्यान्वयन।
- योजनावार व्यय, अव्ययित शेष राशि, बकाया यूसीएस, राजकोष से एसएनए को अधिकता/घाटे के हस्तांतरण की योजनावार और राज्यवार एमआईएस, एसएनए खाते में उपलब्ध निधि, सीएफआई को प्रेषित ब्याज, 'लेगेसी' डेटा की स्थिति का विवरण साप्ताहिक आधार पर कार्यक्रम प्रभाग के साथ साझा किया जा रहा है ताकि निधि प्रवाह की निगरानी की जा सके और उन्हें समय पर (जेआईटी) जारी करने में मदद मिल सके।
- प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा प्रभागीय प्रमुखों सहित सभी हितधारकों के लिए पीएफएमएस के ई–बिल और टीएसए मॉड्यूल पर प्रशिक्षण की एक श्रृंखला आयोजित की गई है।
- प्रधान–सह–वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा बकाया एमईए डेबिट दावों के निपटान के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया था।
- सरकारी ई–मार्केट प्लेस (जीईएम) में विक्रेता/आपूर्तिकर्ता को भुगतान में देरी और पीएफएमएस के अनुसार ब्लॉक बजट के संदर्भ में लंबित बिलों की स्थिति संबंधित विभाग प्रमुख को सूचित की जा रही है, जिसकी एक प्रति सचिव के पीपीएस और एएस एंड एफए को दी जा रही है जिससे कि डीओई द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान जारी किया जा सके।
- सीजीए के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में मुख्य लेखा प्राधिकारी यानी सचिव (पशुपालन और डेयरी) की अध्यक्षता में आंतरिक लेखा परीक्षा समिति की स्थापना की गई है। वर्ष 2023–24 में बकाया आंतरिक ऑडिट पैरा के परिसमापन के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है और साप्ताहिक आधार पर सचिव की अध्यक्षता में एसओएम में बकाया पैरा की आवधिक समीक्षा की गई है।
- एनपीएस निरीक्षण तंत्र के लिए समिति का गठन और वित्तीय सलाहकार की टिप्पणियों के साथ एनपीएस डैशबोर्ड में त्रैमासिक रिपोर्ट अपलोड करना।
- प्रधान सह वेतन एवं लेखा कार्यालय के सभी अधिकारियों के लिए पदनाम आधारित ई–मेल खोला गया है।
- आरटीआई, पीजी एवं वीआईपी सन्दर्भों सहित लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु विशेष अभियान 2.0
- वर्ष 2023–24 में पीएफएमएस की इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रणाली (ई–बिल) के लिए अखिल भारतीय प्रशिक्षण सह रोल–आउट योजना।
- डीएफपीआर के नियम (8) के तहत खातों के संशोधित/नए वस्तु शीर्षों के संचालन के लिए व्यय विभाग (DoE) द्वारा दिनांक 12.12.2022 को अधिसूचना और सीजीए कार्यालय द्वारा दिनांक 15.12.2022 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था और इस संबंध में प्रधान सह वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा एक कार्यशाला भी आयोजित की गई थी।
- आंतरिक नियंत्रण में सुधार और कौशल के उन्नयन के लिए, प्रधान सह वेतन और लेखा कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को सीवीसी, डीओपीटी दिशानिर्देशों और सीजीए कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार स्थानांतरित किया गया है।
- पीएफएमएस खोलने के लिए फिडो (FIDO) डिवाइस के माध्यम से द्वितीय कारक (Second Factor) बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण का कार्यान्वयन।

- कार्यान्वयन एजेंसियों को 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता और टीएसए/एसएनए/सीएनए रूट के अलावा एबीएस को जीआईए (वेतन, सामान्य और पूंजीगत परिसंपत्ति का सृजन) जारी करने के लिए योजना–वार बैंक खाता खोलना।
- दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 07.04.2024 तक सिविल लेखा सप्ताह का आयोजन।
- साप्ताहिक और मासिक आधार पर पीएफएमएस की टीएम–02 रिपोर्ट (भुगतान टैब में सीएएम रिपोर्ट के तहत) की निगरानी के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाना।
- वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (DoE), पीएफएमएस प्रभाग के का. ज्ञा. प्र. एओ(प्रशा.)/पीएफएमएस प्रकोष्ठ/2024–25/1228–56 दिनांक 12.12. 2024 के अनुसरण में, पीएफएमएस से संबंधित किसी भी मुद्दे के लिए पीडी और आईएफडी के लिए कॉल के पहले पोर्ट के रूप में सीए की अध्यक्षता में प्रधान सह वेतन एवं लेखा कार्यालय में पीएफएमएस प्रकोष्ठ का गठन।
- सीजीए कार्यालय के दिशानिर्देशों के संदर्भ में वित्त मंत्रालय (DoF) की योजनाओं का जोखिम आधारित लेखा परीक्षण।
- पीएफएमएस के संस्वीकृति मॉड्यूल में मौजूदा जावा आधारित उपयोगिता के स्थान पर नई विंडो आधारित डिजिटल हस्ताक्षर उपयोगिता का कार्यान्वयन।
- केंद्रीय नागरिक पेंशन नियम, 2021 के नियम 32 के संदर्भ में समय पर पीएओ के परामर्श से सरकारी कर्मचारी को कार्यालय प्रमुख द्वारा अर्हक सेवा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए विशेष अभियान।
- मासिक आधार पर पीएओ और डीडीओ के बीच व्यय का समाधान।
- पेंशन मामलों को संवेदनशीलता से और समय पर निपटाना।
- सीजीए और कैग (सीएजी) ऑडिट पैरा के परिसमापन के लिए विशेष अभियान।
- पीएफएमएस में इलेक्ट्रॉनिक इंटर गवर्नमेंट एडजस्टमेंट एडवाइस (e&IGAA) की प्रोसेसिंग शुरू (Roll&out)।
- सीजीए कार्यालय के दिनांक 19.07.2023 के का.ज्ञा. के संदर्भ में किसी भी वित्तीय अनियमितता से बचने के लिए विभिन्न स्तरों पर निवारक उपाय

ञ. बजट अनुमान (ठम्) 2024–25 के संदर्भ में दिनांक 31.12.2024 तक का व्यय इस प्रकार है:

अनुदान सं. 44 पशुपालन और डेयरी विभाग बीई की तुलना में व्यय की निगरानी लेन–देन की तिथि: 01.04.2024 से 31.12.2024 तक

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम/विवरण	बीई 2024–25	आरई 2024–25 (संभावित)	दिनांक 01.04.2024 तक सीएनए/एसएनए/एबी का बैंक बैलेंस	दिनांक 03.01.2025 तक सीएनए/एसएनए/एबी का बैंक बैलेंस	दिनांक 31.12.2024 तक प्रगतिशील व्यय (अनंतिम)	बीई तुलना में व्यय का %	आरई की तुलना में व्यय का % (संभावित)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	केंद्र का स्थापना व्यय							
1.1	सचिवालय आर्थिक सेवा	51.03	66.16			44.97	88.12%	67.97%
1.2	पशु स्वास्थ्य संस्थान	55.41	60.26			47.82	86.30%	79.36%
1.3	लघु पशुधन संस्थान	40.10	38.00			23.10	57.61%	60.79%
1.4	नस्ल सुधार संस्थान	37.72	38.00	लागू नहीं		21.80	57.79%	57.37%
1.5	पशुपालन का उत्कृष्टता केंद्र (सीईएएच)	34.13	26.00			14.14	-	54.38%
	कुल – केंद्र का स्थापना व्यय	**218.39**	**228.42**			**151.83**	**69.52%**	66.47%

क्र.सं.	योजना का नाम/विवरण	बीई 2024–25	आरई 2024–25 (संभावित)	दिनांक 01.04.2024 तक सीएनए/एसएनए/एबी का बैंक बैलेंस	दिनांक 03.01.2025 तक सीएनए/एसएनए/एबी का बैंक बैलेंस	दिनांक 31.12.2024 तक प्रगतिशील व्यय (अनंतिम)	बीई तुलना में व्यय का %	आरई की तुलना में व्यय का % (संभावित)
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं							
2.1	पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	2465.00	1980.00	513.10	76.33	927.72	37.64%	46.85%
2.2	अवसंरचना विकास निधि	370.00	395.00	42.95	0.00	236.99	64.05%	60.00%
2.3	डेयरी विकास	371.00	450.00			239.48	64.55%	53.22%
2.4	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	700.00	268.00			231.90	33.13%	86.53%
	कुल – केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	**3906.00**	**3093.00**	**556.05**	**76.33**	**1636.09**	**41.89%**	**52.90%**
3	**अन्य केन्द्रीय क्षेत्र व्यय**							
3.1	**वैधानिक और स्वायत्त निकाय**							
(i)	जीव–जंतु कल्याण बोर्ड	10.00	9.84	0.60	1.77	3.93	39.30%	39.94%
(ii)	पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति (सीपीसीएसईए)	1.61	1.61	0.12	0.26	1.21	75.16%	75.16%
(iii)	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद	13.74	8.13	5.94	2.78	4.44	32.31%	54.61%
(iv)	अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को योगदान	2.50	3.25			2.31		71.08%
	कुल वैधानिक और स्वायत्त निकाय	**27.85**	**22.83**	**6.66**	**4.81**	**11.89**	**42.69%**	52.08%
3.2	**अन्य**							
(i)	दिल्ली दुग्ध योजना (डीएमएस)	410.00	175.00			94.13	22.96%	53.79%
	कुल अन्य	**410.00**	**175.00**	**0.00**		**94.13**		53.79%
	कुल – अन्य केन्द्रीय क्षेत्र व्यय	**437.85**	**197.83**	**6.66**	**4.81**	**106.02**	**24.21%**	**53.59%**
4	**केंद्र प्रायोजित योजनाएं**							
4.1	**विकास कार्यक्रम**							
(i)	पशुधन संगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	45.00	45.00	6.48	6.94	17.23	38.29%	38.29%
(ii)	राष्ट्रीय पशुधन मिशन	324.00	450.00	77.63	36.97	205.68	63.48%	45.71%
	कुल – विकास कार्यक्रम	**369.00**	**495.00**	**84.11**	**43.91**	**222.91**	**60.41%**	45.03%

क्र.सं.	योजना का नाम/विवरण	बीई 2024–25	आरई 2024–25 (संभावित)	दिनांक 01.04.2024 तक सीएनए/एसएनए/एबी का बैंक बैलेंस	दिनांक 03.01.2025 तक सीएनए/एसएनए/एबी का बैंक बैलेंस	दिनांक 31.12.2024 तक प्रगतिशील व्यय (अनंतिम)	बीई तुलना में व्यय का %	आरई की तुलना में व्यय का % (संभावित)
	1	2	3	4	5	6	7	8
	कुल केंद्र प्रायोजित योजनाएं	369.00	495.00	84.11	43.91	222.91	60.41%	45.03%
	कुल (अनुदान संख्या 44)	4931.24	4014.25	653.48	125.05	2116.85	42.93%	52.73%

* एलएचडीसीपी योजना में, टीएसए के तहत जारी राशि 212.73 करोड़ रु. है, जिसमें से 30.45 करोड़ रु. का व्यय हुआ है। (दिनांक 03.01.2025 तक)

\# अवसंरचना विकास निधि योजना में, टीएसए के अंतर्गत जारी राशि 100.00 करोड़ रु. है, जिसमें से 53.61 करोड़ रु. का व्यय हुआ है। (दिनांक 03.01.2025 तक)

$ डेयरी विकास योजना में, टीएसए के तहत जारी राशि 201.64 करोड़ रु. है, जिसमें से 6.15 करोड़ रु. का व्यय हुआ है। (दिनांक 03.01.2025 तक)

@ राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना में, टीएसए के अंतर्गत जारी राशि 227.56 करोड़ रु. है, जिसमें से 87.91 करोड़ रु. का व्यय हुआ है। (दिनांक 03.01.2025 तक)

*****

अध्याय-15

संसद अनुभाग के कार्यकलाप

संसद अनुभाग के कार्यकलाप

अध्याय-15

15.1. परिचयः

संसद अनुभाग, विभाग के सभी संसदीय मामलों से संबंधित कार्य करता है और लोकसभा सचिवालय/राज्यसभा सचिवालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त सभी मामलों के लिए नोडल अनुभाग है। संसद अनुभाग, विभाग के अंतर्गत संबंधित कार्यक्रम प्रभागों के समन्वय से सभी संसदीय मामलों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करता है। यह अनुभाग ऐसे सभी मामलों के निपटान के लिए विभाग और लोकसभा सचिवालय/राज्यसभा सचिवालय/संसदीय कार्य मंत्रालय के बीच एकल नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है।

15.2. कार्य, भूमिका और उत्तरदायित्वः—

इस इकाई के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैंः—

क. सभी संसदीय कार्यों के लिए केंद्रीय समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करना।

ख. अंतिम रूप से स्वीकृत प्रश्नों और किए जाने वाले अन्य कार्यों के बारे में अग्रिम सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सभा/लोकसभा सचिवालय और संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ संपर्क बनाए रखना और उस सूचना को संबंधित अधिकारियों/अनुभागों को तत्काल प्रेषित करना;

ग. आरएस/एलएस सचिवालय और संसदीय कार्य मंत्रालय से सभी डाक (जब तक कि उन्हें कार्यालयों को नाम से संबोधित न किया गया हो) अपनी केंद्रीय रजिस्ट्री के माध्यम से प्राप्त करना;

घ. सभी कागजातों को बिना किसी देरी के संबंधित अधिकारियों/अनुभागों को प्रेषित करना;

ङ. संबंधित कार्यालयों/अनुभागों को शीघ्र और समय पर मामले के निपटान के लिए स्मरण कराना, जब तक कि, जहां आवश्यक हो, संबंधित फाइल मंत्री तक न पहुंच जाए।

संसद अनुभाग की प्रमुख भूमिका और जिम्मेदारियों में अन्य बातों के अलावा, संसदीय प्रश्नों, अधिनियमों और संशोधनों को देखना, डीएएचडी के दायरे में आने वाले विभिन्न निकायों की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खातों को संसद में रखने से संबंधित समन्वय; डीएएचडी की विभाग संबंधी स्थायी समिति (अर्थात कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति), अन्य संसदीय समिति और डीएएचडी की परामर्शी समिति से संबंधित मामले; संसदीय आश्वासनों की हैंडलिंग; लोकसभा में नियम 377 के तहत और राज्यसभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए विभिन्न मामले; स्थायी समिति की रिपोर्ट और अन्य विविध मामलों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट/टिप्पण के लिए विवरण प्रस्तुत करना शामिल है।

15.3 दिनांक 01—04—2024 से दिनांक 31—12—2024 तक संसद अनुभाग में किए गए महत्वपूर्ण कार्यकलापों का विवरण

i. कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति की बैठक

क्र.सं.	तिथि	बैठक का विषय/स्थान
1.	05-11-2024	अधिदेश योजनाएं/कार्यक्रम और कार्यप्रणाली, कक्ष संख्या 3, संसद भवन एनेक्सी विस्तार (ईपीएचए), नई दिल्ली में आयोजित की गई।
2.	22-11-2024	अनुदान मांगों की जांच (2024—25), कक्ष संख्या 1, संसद भवन एनेक्सी विस्तार (ईपीएचए), नई दिल्ली में आयोजित की गई।

ii परामर्शी समिति की बैठकें: —

क्र.सं.	तिथि	बैठक का विषय/स्थान
1.	13-12-2024	मत्स्य उत्पादों में मूल्य संवर्धन एवं निर्यात संवर्धन" विषय पर मत्स्यपालन विभाग की बैठक संसद भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

iii वर्ष 2024–25 के विगत 3 सत्रों, अर्थात बजट, मॉनसून और शीत सत्र में संसदीय प्रश्नों की संख्या;–

क्र.सं.	तिथि	संसद सत्र	लोक सभा	राज्य सभा	कुल
1.	तक 22-07-2024 से 09-08-2024	बजट सत्र	29	15	44
2.	तक 25-11-2024 से 20-12-2024	शीत सत्र	26	25	51

IV. संसद में प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्टों और लेखापरीक्षित खातों का विवरण

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय/संगठन का नाम	निम्न वित्तीय वर्ष के लिए एआर/एए	संसद भवन में रखी गई एआर/एए का विवरण	
			लोक सभा	राज्य सभा
1.	विस्तृत अनुदान मांगें आउटपुट–आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क	2024-25	30-07-2024	---
2.	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा	2022-23	06-08-2024	09-08-2024

V. पशुपालन और डेयरी विभाग की वर्ष 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट माननीय संसद सदस्यों के बीच वितरण हेतु संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की गई।

*****

अध्याय–16

विभाग की साइबर सुरक्षा स्थिति

विभाग की साइबर सुरक्षा स्थिति

अध्याय-16

साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्ट

16.1 विभाग की साइबर सुरक्षा स्थिति में सुधार करने के लिए किए गए उपाय

16.1.1 साइबर सुरक्षा के लिए आईटी बजट

विभाग ने बजट से आईसीटी/आईटी कार्यकलापों के लिए बजट अनुमान (बीई) में से 53 लाख रुपये और संशोधित अनुमान (आरई) में से 75 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया है तथा साइबर सुरक्षा के लिए आईटी बजट का कम से कम 10% हिस्सा आवंटित किया है।

16.1.2 सीआईएसओ और डीसीआईएसओ का नामांकन

आईटी सुरक्षा के लिए मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) और उप मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (डीसीआईएसओ) का नामांकन किया गया है। साइबर सुरक्षा निर्देशों के अनुसार सीआईएसओ (संपर्क बिंदु) से सीईआरटी–इन का विवरण निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	पदनाम	संगठन	अधिकारी
1	मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ)	विभाग	सुश्री वर्षा जोशी, अपर सचिव
2	उप मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (डीसीआईएसओ)	एनआईसी–डीएडीएफ	श्री सुमेश कुमार अग्रवाल निदेशक (आईटी), एनआईसी

16.1.3 मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ)

मुख्य सूचना अधिकारियों के नामांकन संबंधी दिनांक 6 नवम्बर, 2023 के कार्यालय ज्ञापन सं ओ–1101311/9/2022 (ई–23076) के अनुसार, विभाग ने निम्नलिखित सीआईओ नामित किया हैः

पदनाम	संगठन	अधिकारी
मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ)	विभाग	सुश्री वर्षा जोशी, अपर सचिव

16.1.4 साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) संबंधी दस्तावेज़

भारत सरकार यह अपेक्षा करती है कि प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय अपना स्वयं का सीसीएमपी तैयार करे जो कि क्षेत्रीय (सेक्टोरल) साइबर संकट प्रबंधन योजना हो। यद्यपि आईसीटी परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक (फिज़िकल) उपायों सहित सभी संभव सुरक्षा उपाय किए जाते हैं, फिर भी बढ़ते खतरों के साथ, संभावित दुश्मनों द्वारा कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है और सेवाओं का दुरुपयोग किया जा सकता है और/या उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध सेवाओं से वंचित किया जा सकता है। इसलिए, उन संभावित खतरों के खिलाफ हमारी आईसीटी परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए सभी निवारक उपाय करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। व्यक्तिगत और संगठन स्तर पर आने वाले खतरों और उनसे निपटने के लिए अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में समझना तथा हमलों के दौरान भी निर्बाध कामकाज सुनिश्चित करने के लिए पद्धतियां प्रक्रियाएं, स्थापित करना भी अनिवार्य है। संकट प्रबंधन योजना, साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए है। इसमें साइबर घटना, प्रतिक्रिया तथा पशुपालन और डेयरी विभाग के प्रभागों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के बीच समन्वय हेतु रूपरेखा का वर्णन किया गया है

विभाग के लिए एक सीसीएमपी उपलब्ध है।

16.1.5 वेबसाइट (https://dahd.nic.in)

विभागीय वेबसाइट अद्यतित है और एचटीटीपीएस पोर्ट पर सुरक्षित रूप से चल रही है। इसके पास नवीनतम वैद्य सुरक्षा ऑडिट प्रमाणपत्र है।

वेबसाइट https://dahd.nic.in के लिए एसक्यूटीसी/जीआईजीडब्ल्यू 2.0 प्रक्रियाधीन है।

वेबसाइट के प्रबंधन के लिए वेबसाइट गुणवत्ता मैनुअल (डब्ल्यूक्यूएम) दस्तावेज मौजूद है। वेब सूचना प्रबंधक (डब्ल्यूआईएम) को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार नामित किया गया है और जीआईजीडब्ल्यू अनुपालन की पाक्षिक समीक्षा की जाती है और उसे https://guidelines.nic.in पर अद्यतित किया जाता है।

पदनाम	संगठन	अधिकारी
वेब सूचना प्रबंधक (डब्ल्यूआईएम)	विभाग	सुश्री वर्षा जोशी, अपर सचिव

16.1.6 अंतिम बिंदु (एंड प्वाइंट) सुरक्षा

विभाग में समय–समय पर एक सर्वेक्षण कराया जाता है और सुरक्षा अनुपालन की दृष्टि से उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है, जैसे कि पुराने सामानों (हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, असमर्थित ओएस, स्विच रिप्लेसमेंट, असमर्थित वाईफ़ाई डिवाइस), को हटाना, एंटीवायरस (एवी) इंस्टाल करना /एंडप्वाइंट की पहचान और प्रतिक्रिया (ईडीआर), मैक बाइंडिंग, विभाग का अलग आईपी विभाजन और विभाग के भीतर कार्यात्मक स्तर पर विभाजन आदि।

कृषि भवन में लगभग 168 डेस्कटॉप और चंद्रलोक बिल्डिग में 60 डेस्कटॉप हैं। विभाग के पास 50 लैपटॉप (लगभग) भी हैं। सभी डेस्कटॉप पर EDR इंस्टाल किया गया है।

16.1.7 साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम

साइबर खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा पद्धतियों के बारे में अंतिम उपयोगकर्ता को शिक्षित करने के लिए विभाग–व्यापी साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

16.1.8 विभाग की नेटवर्क कनेक्टिविटी

विभाग दो अलग–अलग स्थानों में स्थित है जहां निकनेट (NICNET) कनेक्टिविटी है। नेटवर्क का प्रबंधन एनआईसी के मार्गदर्शन में विभाग में तैनात जनशक्ति द्वारा किया जा रहा है।

क्र.सं.	भवन	तैनात जनशक्ति
1	कृषि भवन	एनआईसी–भवन समन्वयक (कृषि भवन) के मार्गदर्शन में जनशक्ति।
2	चंद्रलोक बिल्डिग	विभाग ने नेटवर्क के प्रबंधन के लिए एक कार्मिक की नियुक्ति की है।

16.1.9 प्रत्यायोजित प्रबंधक (डेलिगेटिड एडमिन) (डीए)

प्रत्यायोजित प्रबंधक (डीए) मंच संगठनों/विभागों को संबंधित डोमेन/विभागों के ईमेल उपयोगकर्ताओं के लिए सभी कार्य करने की अनुमति देता है। डीए जब आवश्यक हो, ई–मेल समर्थन टीम के माध्यम से अनुरोध को रूट किए बिना ईमेल खातों को बना सकता है, हटा सकता है, सक्रिय कर सकता है, निष्क्रिय कर सकता है, आईएमएपी और पीओपी को सक्षम/अक्षम कर सकता है, पासवर्ड बदल सकता है, मोबाइल आदि को अपडेट कर सकता है। विभाग ने निम्नानुसार एक प्रत्यायोजित प्रबंधक (डीए) नामित किया है। विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए gov.in/nic.in ईमेल आईडी होना सुनिश्चित किया और कवच को 2 कारकीय (फैक्टर) प्रमाणीकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

पदनाम	संगठन	अधिकारी
प्रत्यायोजित प्रबंधक (डीए)	विभाग	डॉ. बादल विश्वकर्मा निदेशक

16.1.10 ई–ऑफिस

विभाग में ई–ऑफिस चलाने के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है। विभाग के सभी संबंधित ई–ऑफिस उपयोगकर्ता परिचय आधारित 2 कारकीय सिंगल साइन ऑन (एसएसओ) सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। विभाग पेपरलेस कार्यालय बन गया है।

पदनाम	संगठन	अधिकारी
नोडल अधिकारी	विभाग	डॉ. बादल विश्वकर्मा निदेशक

16.1.11 बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (बीएएस)

विभाग में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (बीएएस) के प्रबंधक हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

पदनाम	संगठन	अधिकारी
नोडल अधिकारी	विभाग	श्रीमती पूनम हांडा अनुभाग अधिकारी

16.1.12 स्पैरो

विभाग में स्पैरो (SPARROW) हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

पदनाम	संगठन	अधिकारी
नोडल अधिकारी	विभाग	श्री राम प्रताप सिंह अवर सचिव

16.1.13 क्लाउड खाता/संसाधन प्रबंधन

क्लाउड में क्लाउड अकाउंट और डिजिटल एसेट प्रबंधन किया जा रहा है।

16.1.14 Gov.in संबंधित डोमेन का प्रबंधन

विभाग में gov.in (डोमेन नाम) संबंधित कार्यकलाप (registry.gov.in का उपयोग करके) के तहत डोमेन नाम के प्रबंधन के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है

पदनाम	संगठन	अधिकारी
नोडल अधिकारी	विभाग	सुश्री वर्षा जोशी, अपर सचिव

16.1.15 (इंवेंट्री) सूची

विभाग अधिकृत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सूची का रख–रखाव कर रहा है।

16.1.16 मैनेज सर्विस प्रोवाइडर (एमएसपी) की नियुक्ति

सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना प्रबंधन के रखरखाव के लिए सेवा प्रदाता प्रबंधकों (एमएसपी) को नियुक्त किया जा रहा है।

16.2 नियोजित कार्रवाई:

16.2.1 समर्पित साइबर सुरक्षा टीम

सीआईएसओ की सहायता के लिए आईटी संचालन और अवसंरचना से अलग एक समर्पित साइबर सुरक्षा टीम बनाई जाएगी। टीम निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी:

i. नेटवर्क की सुरक्षा की निगरानी करना और सुरक्षा चेतावनियों का जवाब देना

ii. घटना की प्रतिक्रिया का संचालन करना

iii. आईटी सुरक्षा नीतियों को तैयार करना, क्रियान्वित करना और समीक्षा करना

iv. संगठन के भीतर साइबर सुरक्षा जागरूकता अभ्यास और अभियान आयोजित करना

v. सीईआरटी–इन और अन्य सरकारी तथा उद्योग साइबर सुरक्षा संगठनों के साथ संपर्क करना

16.2.2 संपूर्ण अवसंरचना का आंतरिक और बाह्य ऑडिट

विभाग की आईसीटी परिसंपत्तियों संबंधी अवसंरचना के लिए एनआईसी के साइबर सुरक्षा अवसंरचना ऑडिट समूह के माध्यम से सीडैक द्वारा आईसीटी अवसंरचना का ऑडिट किया जा रहा है।

16.2.3 स्वचालित स्कैनिंग उपकरण

अनधिकृत उपकरणों और सॉफ्टवेयर की उपस्थिति का पता लगाने के लिए स्वचालित स्कैनिंग के लिए तंत्र। दिशानिर्देशों के अनुसार एकीकृत अंतिम बिंदु प्रबंधन (यूईएम) उपकरण का उपयोग किया जाएगा।

16.2.4 मैनेज सर्विस प्रोवाइडर (एमएसपी) की नियुक्ति

विभाग आईटी अवसंरचना के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार जल्द ही एनआईसी सूचीबद्ध एमएसपी नियुक्त करेगा। एमएसपी कृषि भवन और चंद्रलोक भवन में आईटी अवसंरचना का प्रबंधन करेगा।

16.2.5 नेटवर्क विभाजन/वर्चुअल लैन (वीएलएएन)

विभाग नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी) और फ़ायरवॉल नियमों का उपयोग करके ज़ोन को अलग करने और वीएलएएन के बीच संचार को प्रतिबंधित करने के लिए वीएलएएन विभाजन के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू करेगा। विभाग एक सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) भी स्थापित करेगा और नेटवर्क प्रबंधन के लिए साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश को पूरा करने के लिए एल 3 और एल 2 स्विच खरीदेगा। स्विच के फर्मवेयर को नवीनतम संस्करण में अपडेट किया जाएगा।

*****

अनुबंध

20वीं पशुधन संगणना वर्ष 2019 के दौरान पशुधन और कुक्कुट की कुल संख्या राज्यवार

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गोपशु	भैंस	भेड़	बकरी	सूअर	घोड़ा+ टट्टू	खच्चर	गधे	ऊंट	याक	मिथुन	कुल पशुधन	कुल पोल्ट्री
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	36438	3700	5	64761	40488	0	0	2	0	0	0	145394	1289160
2	आंध्र प्रदेश	4600087	6219499	17626971	5522133	91958	1884	240	4678	166	0	0	34067616	107863152
3	अरुणाचल प्रदेश	339221	6379	7345	159740	271463	3051	0	0	0	24075	350154	1161428	1599575
4	असम	10909239	421715	332100	4315173	2099000	12783	724	900	567	0	0	18092201	46712341
5	बिहार	15397980	7719794	213377	12821216	343434	32176	1491	11264	88	0	0	36540820	16525349
6	चंडीगढ़	13440	12177	0	998	138	237	0	0	0	0	0	26990	48883
7	छत्तीसगढ	9983954	1174722	180229	4005657	526901	675	21	142	1	0	0	15872302	18711824
8	दादरा और नगर हवेली	39736	997	84	7548	0	39	0	0	0	0	0	48404	89671
9	दमन और दीव	1840	374	68	987	0	15	0	0	0	0	0	3284	18264
10	दिल्ली*	86433	162142	932	30470	76346	2694	136	1087	157	0	0	360397	43831
11	गोवा	60247	27207	8	9446	35480	15	1	0	2	0	0	132406	349543
12	गुजरात	9633637	10543250	1787263	4867744	658	21811	5	11286	27620	0	0	26893274	21773392
13	हरियाणा	1928682	4368023	288370	334640	108240	9683	2499	800	5154	0	0	7046091	46294965
14	हिमाचल प्रदेश	1828017	646565	791345	1108413	2477	8851	20415	4797	26	1940	0	4412846	1341951
15	जम्मू और कश्मीर	2539240	690829	3247503	1730218	1215	63335	16722	9563	466	26221	12	8325324	7366308
16	झारखंड	11223052	1350313	641183	9121173	1276973	1378	73	400	0	0	0	23614545	24832906
17	कर्नाटक	8469004	2984560	11050728	6169392	323836	7018	51	8790	33	0	0	29013412	59494481
18	केरल	1341996	101504	1482	1359161	103863	560	0	65	26	0	0	2908657	29771905
19	लक्षद्वीप	2493	16	0	43188	0	0	0	0	0	0	0	45697	226025
20	मध्य प्रदेश	18750828	10307131	324585	11064524	164616	13260	2543	8135	1753	0	0	40637375	16659898
21	महाराष्ट्र	13992304	5603692	2680329	10604883	161000	18892	681	17572	465	0	0	33079818	74297765
22	मणिपुर	224472	36230	5921	38697	235255	1083	0	2	0	0	9059	550719	5897637
23	मेघालय	903570	15714	15679	397503	706364	273	0	0	0	0	0	2039103	5379532
24	मिजोरम	45701	2109	485	14820	292465	159	8	0	0	0	3957	359704	2047810
25	नागालैंड	78296	15654	361	31602	404695	70	0	2	0	0	23123	553803	2838944

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गोपशु	भैंस	भेड़	बकरी	सूअर	घोड़ा+ टट्टू	खच्चर	गधे	ऊंट	याक	मिथुन	कुल पशुधन	कुल पोल्ट्री
26	ओडिशा	9903970	458324	1279149	6393452	135162	143	18	83	8	0	0	18170309	27439257
27	पुदुचेरी	71984	2395	2445	73630	880	29	0	4	1	0	0	151368	235999
28	पंजाब	2531460	4015947	85560	347949	52961	14243	1644	471	120	0	0	7050355	17649984
29	राजस्थान	13937630	13693316	7903857	20840203	154808	33679	1339	23374	212739	0	0	56800945	14622975
30	सिक्किम	148010	1144	2016	90506	27320	115	0	2	0	5219	0	274332	580864
31	तमिलनाडु	9518660	518795	4500491	9888746	66772	5417	305	1428	7	0	0	24500621	120781100
32	तेलंगाना	4232539	4226306	19063058	4934673	177992	3878	91	2031	71	0	0	32640639	79999404
33	त्रिपुरा	739031	7131	5460	360204	206035	17	2	10	2	0	0	1317892	4168246
34	उत्तर प्रदेश	19019641	33016785	984725	14480025	408678	75718	8933	16016	2424	0	0	68012945	12515704
35	उत्तराखंड	1852123	866318	284615	1371971	17659	7452	26293	589	15	54	0	4427089	5018684
36	पश्चिम बंगाल	19077916	630921	952886	16279340	540356	1593	26	94	45	61	0	37483238	77322602
	कुल	**193462871**	**109851678**	**74260615**	**148884786**	**9055488**	**342226**	**84261**	**123587**	**251956**	**57570**	**386305**	**536761343**	**851809931**

*दिल्ली के मामले में 19वीं पशुगणना –2012 के आंकड़े

स्रोतः 20वीं पशुधन संगणना, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

प्रमुख पशुधन उत्पादों का उत्पादन – अखिल भारतीय

Year	Milk (Million Tonnes)	Eggs (Million Nos.)	Wool (Million Kgs.)	Meat (000 Tonnes)
1950-51	17.0	1832.0	27.5	-
1955-56	19.0	1908.0	27.5	-
1960-61	20.0	2881.0	28.7	-
1968-69	21.2	5300.0	29.8	-
1973-74	23.2	7755.0	30.1	-
1979-80	30.4	9523.0	30.9	-
1980-81	31.6	10060.0	32.0	-
1981-82	34.3	10876.0	33.1	-
1982-83	35.8	11454.0	34.5	-
1983-84	38.8	12792.0	36.1	-
1984-85	41.5	14252.0	38.0	-
1985-86	44.0	16128.0	39.1	-
1986-87	46.1	17310.0	40.0	-
1987-88	46.7	17795.0	40.1	-
1988-89	48.4	18980.0	40.8	-
1989-90	51.4	20204.0	41.7	-
1990-91	53.9	21101.0	41.2	-
1991-92	55.7	21983.0	41.6	-
1992-93	58.0	22929.0	38.8	-
1993-94	60.6	24167.0	39.9	-
1994-95	63.8	25975.0	40.6	-
1995-96	66.2	27187.0	42.4	-
1996-97	69.1	27496.0	44.4	-
1997-98	72.1	28689.0	45.6	-
1998-99	75.4	29476.0	46.9	1859.43
1999-2000	78.3	30447.0	47.9	1910.77
2000-01	80.6	36632.0	48.4	1851.43
2001-02	84.4	38729.0	49.5	1921.83
2002-03	86.2	39823.0	50.5	2113.21
2003-04	88.1	40403.0	48.5	2080.00
2004-05	92.5	45201.0	44.6	2211.00
2005-06	97.1	46235.0	44.9	2312.00
2006-07	102.6	50663.0	45.1	2302.00
2007-08	107.9	53583.0	43.9	4009.00
2008-09	112.2	55562.0	42.8	4279.61
2009-10	116.4	60267.0	43.1	4565.57
2010-11	121.8	63024.0	43.0	4868.97
2011-12	127.9	66450.0	44.7	5514.25
2012-13	132.4	69731.0	46.1	5948.17
2013-14	137.7	74752.0	47.9	6235.48
2014-15	146.3	78484.0	48.1	6691.08
2015-16	155.5	82929.0	43.6	7019.96
2016-17	165.4	88139.0	43.5	7385.61
2017-18	176.3	95217.0	41.5	7655.63
2018-19	187.7	1,03,804	40.4	8114.45
2019-20	198.4	1,14,383	36.8	8599.97
2020-21	210.0	1,22,050	36.9	8797.91
2021-22	222.1	1,29,600	32.9	9292.13
2022-23	230.6	1,38,376	33.6	9768.64
2023-24	239.3	1,42,772	33.7	10252.65

"- "Not received/not available

Source: State/UT Animal Husbandry Departments

वर्ष 2023–24 और वर्ष 2024–25 (दिनांक 31.12.2024 तक) के दौरान वित्तीय आवंटन और व्यय

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 2023-24			वर्ष 2024-25		
		बीई	आरई	व्यय	बीई	आरई	31.12.2024 तक व्यय
	गैर–योजना						
1	सचिवालय आर्थिक सेवा	56.40	62.90	57.76	51.03	66.16	44.96
2	पशु स्वास्थ्य संस्थान	27.00	26.75	21.64	55.41	60.26	47.82
3	नस्ल सुधार संस्थान	60.00	39.54	37.20	37.72	38.00	21.80
4	लघु पशुधन संस्थान	45.00	44.00	33.35	40.10	38.00	23.10
5	पशु स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्र (सीईएएच)		25.73	19.06	34.13	26.00	14.14
7	दिल्ली दुग्ध योजना	360.00	270.00	195.72	410.00	175.00	94.13
8	अंतर्राष्ट्रीय संगठन योगदान				2.50	3.25	2.31
9	जीव जंतु कल्याण बोर्ड	12.00	12.00	10.23	10.00	9.84	3.93
10	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद	30.30	10.00	4.00	13.74	8.13	4.44
11	पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति (सीसीएसईए)	1.51	1.51	1.51	1.61	1.61	1.21
	कुल – गैर–योजनाएँ	**592.21**	**492.43**	**380.46**	**656.24**	**426.25**	**257.84**
	योजना						
12	पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	2349.71	1500.00	1034.47	2465.00	1980.00	927.72
13	अवसंरचना विकास निधि	340.00	340.00	271.09	370.00	395.00	236.92
14	डेयरी विकास	326.93	371.00	370.82	371.00	450.00	239.48
15	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	600.00	869.54	869.13	700.00	268.00	231.90
16	राष्ट्रीय पशुधन मिशन	410.00	410.00	370.31	324.00	450.00	205.68
17	पशुधन संगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	50.00	34.65	22.90	45.00	45.00	17.23
18	सहकारिता के माध्यम से डेयरी (ईएपी)	19.00	166.31	166.31			
	कुल – योजनाएँ	**4095.64**	**3691.50**	**3105.03**	**4275.00**	**3588.00**	**1858.93**
	कुल योग	**4687.85**	**4183.93**	**3485.50**	**4931.24**	**4014.25**	**2116.77**

संगठनात्मक चार्ट

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)

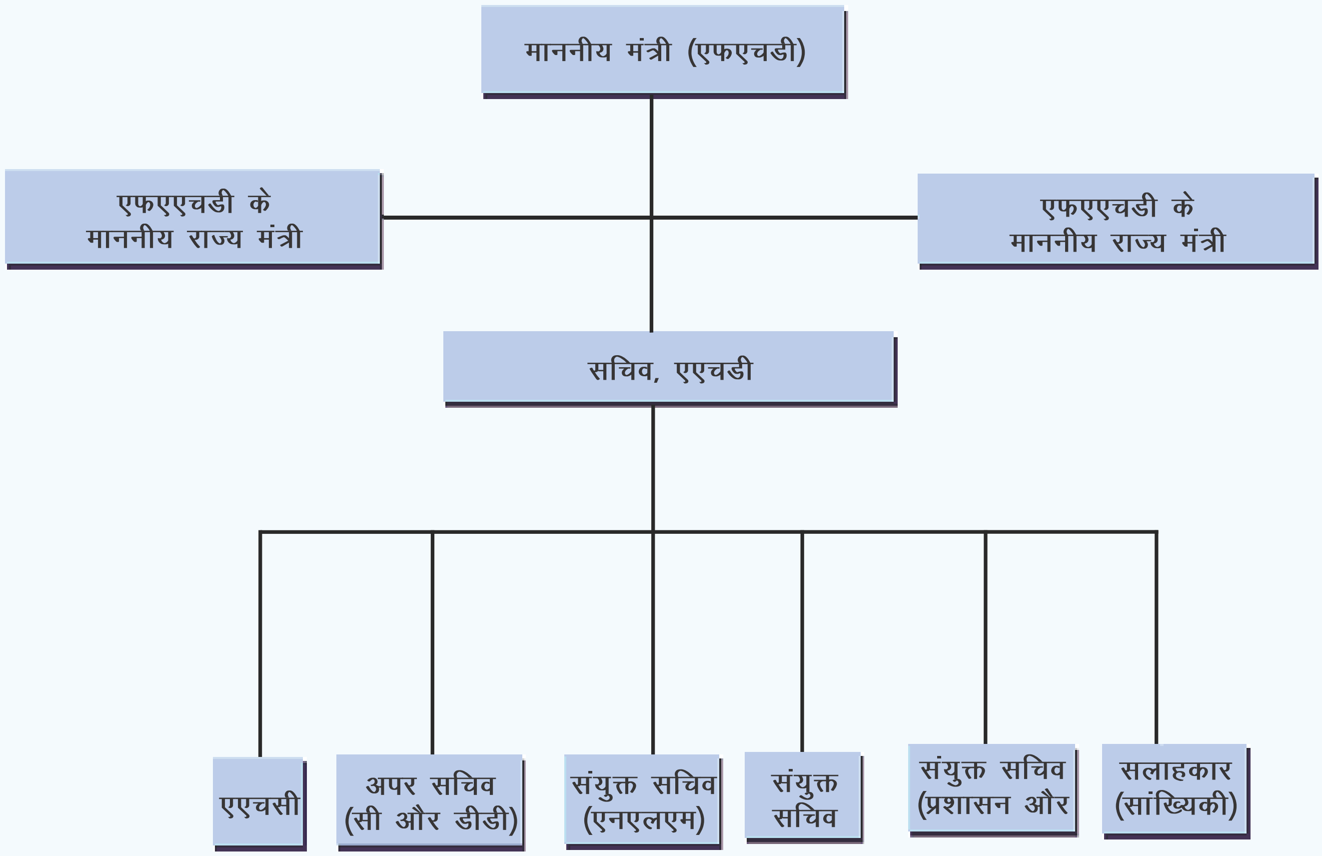

कार्य आबंटन

पशुपालन आयुक्त

पशु स्वास्थ्य और उत्पादन, पशु आनुवंशिक संसाधन, पशु जर्मप्लाज्म/जैव विविधता, पशु देखभाल और कल्याण से संबंधित सभी तकनीकी मामले; जैव–सुरक्षा और संगरोध मुद्दों से संबंधित तकनीकी मामले; पशु फार्मों के लिए उत्पादन, प्रजनन, पशु स्वास्थ्य और जैव–सुरक्षा के लिए पशुपालन और डेयरी मैनुअल तैयार करना; भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से संबंधित तकनीकी मामले; व्यापार और स्वच्छता फाइटो–स्वच्छता मुद्दों से संबंधित तकनीकी मामले; भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पशुधन उत्पादों के लिए मानकों की स्थापना से संबंधित तकनीकी मामले; पशुधन उत्पादों, मांस और डेयरी उत्पादों में दवाओं और कीटनाशकों के अवशेषों की निगरानी से संबंधित तकनीकी मामले; जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और तकनीकी विभाग, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई)/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के साथ समन्वय और केंद्र सरकार/राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ किसी अन्य तकनीकी मुद्दे से संबंधित तकनीकी मामले; एनआईएएच से संबंधित सभी तकनीकी मामले; एवियन इन्फ्लूएंजा से संबंधित सभी तकनीकी मामले; सूचीबद्ध रोगों (छमाही और वार्षिक) के बारे में रिपोर्टिंग सहित ओआईई से संबंधित सभी मामले; राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत टीकों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए समन्वय से संबंधित सभी मामले, जिसमें इसके लिए पशुओं की समय पर उपलब्धता शामिल है; आरडीडीएल/सीडीडीएल से संबंधित सभी मामले; वन हेल्थ मामलों (विश्व बैंक परियोजना सहित), एएमआर और शेष पदार्थों की निगरानी से संबंधित तकनीकी मामले; ईसीएएच और नियामक मामलों से संबंधित सभी मामले; एलएच डिवीजन से संबंधित बाजार पहुंच मामलों सहित व्यापार के जोखिम प्रबंधन मामलों से संबंधित तकनीकी मामले; विदेशी, उभरते और फिर से उभरने वाले रोगों से संबंधित तकनीकी मामले– ग्लैंडर्स, रिंडरपेस्ट, एएसएफ, एलएसडी आदि; पशु रोग अधिसूचना और पशु चिकित्सा उत्पादों के लिए राष्ट्रीय फोकल प्वाइंट ओआईई; एक स्वास्थ्य सहायता इकाई से संबंधित सभी मामले।

अपर सचिव (सी और डीडी)

राष्ट्रीय डेयरी योजनाएं; डेयरी विकास योजनाएं; बोवाईन और डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय परियोजना; क्षेत्रीय कार्यालयों

का प्रशासन, अर्थात गोपशु और डेयरी विकास (केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म और केंद्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना); सूचना तकनीकी तथा सी और ईपी (क्रेडिट, विस्तार और प्रचार) से संबंधित मामले; दिल्ली दुग्ध योजना और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के स्थापना मामले; किसान क्रेडिट कार्ड सहित ऋण से संबंधित सभी मामले; देश भर में सोशल मीडिया सहित सभी माध्यमों से जनसंचार, सूचना तकनीकी, मीडिया आउटरीच और निवेश संवर्धन प्रकोष्ठ, आईईसी कार्यकलापों और प्रचार संबंधी कार्यकलापों से संबंधित सभी मामले; मुख्य सतर्कता अधिकारी/प्रोबिटी पोर्टल; पशुधन और डेयरी विकास कार्य योजनाओं और राष्ट्रीय पशुधन नीति की तैयारी से संबंधित तकनीकी मामले; बीएमजीएफ परियोजना और इसके प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित तकनीकी मामले; व्यापार से संबंधित सभी मामले; डब्ल्यूटीओ और एफएओ के साथ स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस) मामलों हेतु राष्ट्रीय केंद्र बिंदु; पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाओं (एक्यूसीएस) और पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र (सीईएएच), बैंगलोर से संबंधित सभी मामले; गुजरात, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू–कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर) के साथ समन्वय; कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, एफएसएसएआई, वाणिज्य विभाग और एपीडा के साथ समन्वय।

संयुक्त सचिव (एनएलएम)

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय पशुधन मिशन में कुक्कुट विकास, बकरी और भेड़ विकास, सूअर पालन विकास, मांस हेतु प्रयोज्य पशुओं का विकास, ग्रामीण बूचड़खाना योजना, परीक्षण सहित आहार और चारा, पशुधन बीमा योजनाएं, पशुपालन विस्तार योजनाएं; प्रशासन (एनएलएम) (क्षेत्रीय चारा स्टेशनों, केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठनों, केंद्रीय कुक्कुट उत्पाद परीक्षण केंद्र, गुरुग्राम, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार से संबंधित कार्य); राष्ट्रीय कामधेनु आयोग से संबंधित सभी मामलेय हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू–कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय; पर्यावरण और वन मंत्रालय, एमएनआरई, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय के साथ समन्वय; भारत के स्टड फार्मों के घोड़े के विकास और पंजीकरण से संबंधित सभी मामले; जीव–जंतु कल्याण बोर्ड और परियोजना विकास प्रकोष्ठ (इन्वेस्ट इंडिया और एएचआईडीएफ टीम को शामिल करते हुए) से संबंधित सभी मामले, डीपीआईआईटी से संबंधित सभी मामले।

संयुक्त सचिव (एलएच)

केंद्रीय क्षेत्र की योजना ''पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी)'' के प्रशासन सहित पशुधन स्वास्थ्य से संबंधित सभी मामले; भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से संबंधित सभी मामले; मिशन निदेशक, एफएमडी और ब्रूसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम; नोडल अधिकारी, आपदा प्रबंधन; सीसीएस–एनआईएएच, बागपत से संबंधित सभी प्रशासनिक मामले; संसद से संबंधित सभी मामले, वीआईपी संदर्भ, वेबसाइट, डैशबोर्ड, एलएच डिवीजन से संबंधित मंत्रिमंडल मामले; राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत टीकों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए समन्वय से संबंधित सभी प्रशासनिक मामले, जिसमें पशुओं की समय पर उपलब्धता शामिल है; वन हेल्थ से संबंधित सभी प्रशासनिक मामले (विश्व बैंक परियोजना सहित); एलएच डिवीजन से संबंधित बाजार पहुंच मामलों सहित व्यापार के जोखिम प्रबंधन मामलों से संबंधित मामले; विदेशी, उभरते और फिर से उभरने वाले रोग से संबंधित प्रशासनिक मामले– ग्लैंडर्स, रिंडरपेस्ट, एएसएफ, एलएसडी आदि; पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों के साथ समन्वय; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल्स मंत्रालय के साथ समन्वय।

संयुक्त सचिव (प्रशासन और समन्वय)

मुख्यालय (स्थापना–मुख्यालय) में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थापना मामलों से संबंधित कार्य; रोकड़ और सामान्य प्रशासन; नोडल अधिकारी – एसीसी रिक्ति निगरानी प्रणाली (एवीएमएस); अदालती मामलों की ऑन–लाइन निगरानी, स्वच्छ भारत अभियान, ई–समीक्षा, आरटीआई, लोक शिकायत, डीबीटी; कानूनी मामलों का समन्वय; डीएएचडी के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी के संबंध में सेवाओं में आरक्षण से संबंधित सभी मामले; सामान्य समन्वय और योजना समन्वय से संबंधित सभी मामले; राजभाषा और संसद; असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड राज्यों के साथ समन्वय; नीति आयोग, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, उत्तरपूर्व क्षेत्र विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग और पीजी के साथ समन्वय।

सलाहकार (सांख्यिकी)

पशुधन संगणना और नस्ल संगणना से संबंधित सभी मामले; मूलभूत पशुपालन सांख्यिकीय गुणवत्ता निगरानी– राष्ट्रीय स्तर की मॉनिटर।

पशुपालन और डेयरी विभाग को आवंटित विषयों की सूची

पार्ट–I

निम्नलिखित विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I के अंतर्गत आते हैं:

1. उद्योग, जिनका नियंत्रण संघ द्वारा संसद की विधि द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित किया गया है, जहां तक कि उनका संबंध पशुधन और पक्षियों के चारे तथा डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के विकास से है, इस सीमा के साथ कि उनका संबंध पशुधन और पक्षियों के चारे तथा डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के विकास से है तथा उद्योगों के विकास से है। पशुपालन और डेयरी विभाग के कार्य मांग तैयार करने और लक्ष्य निर्धारित करने से आगे नहीं बढ़ते हैं।
2. पशुधन, डेयरी और पोल्ट्री तथा इससे संबंधित गतिविधियों का संवर्धन और विकास, जिसमें बुनियादी ढांचे का विकास, विपणन, निर्यात और संस्थागत व्यवस्था आदि शामिल हैं।
3. पशुधन, डेयरी और पोल्ट्री से संबंधित कार्यकलापों में लगे व्यक्तियों का कल्याण।
4. पशुधन और पोल्ट्री विकास से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क और सहयोग।
5. पशुधन संगणना।
6. पशुधन सांख्यिकी।
7. प्राकृतिक आपदाओं के कारण पशुधन की हानि से संबंधित मामले।
8. पशुधन आयात, पशु संगरोध और प्रमाणीकरण का विनियमन।
9. गौशालाएं और गौ सदन
10. पौंड और गोपशु अतिचार से संबंधित मामले।
11. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण।
12. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59)

भाग–II

निम्नलिखित विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III के अंतर्गत आते हैं (केवल कानून बनाने के संबंध में):

13. **पशुचिकित्सा संबंधी सेवा।**
14. पशुओं और पक्षियों को प्रभावित करने वाले संक्रामक या संचारी रोगों या पीड़कों का एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने का निवारण।
15. देसी नस्लों का रूपांतरण, देसी नस्लों के पशुओं के लिए केन्द्रीय पशुयूथ पुस्तकों की शुरूआत और रखरखाव।
16. राज्य एजेंसियों/सहकारी संघों के माध्यम से विभिन्न राज्य उपक्रमों, डेयरी विकास योजनाओं को वित्तीय सहायता का स्वरूप।

भाग–III

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ऊपर भाग 1 और 2 में उल्लिखित विषय, जहां तक वे उन राज्य क्षेत्रों के संबंध में विद्यमान हैं और इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 के अंतर्गत आते हैं।

17. पशुओं और पक्षियों का संरक्षण, सुरक्षा और सुधार तथा रोगों की रोकथाम, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और अभ्यास।
18. कोर्ट ऑफ वार्ड्स।
19. पशुधन और पक्षियों का बीमा।

भाग–4

20. गोपशुओं के उपयोग और वध से संबंधित मामले।
21. चारा विकास।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों की सूची

1. पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र, हेसरघट्टा , बैंगलोर।
2. केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, धामरोड़, जिला सूरत, गुजरात।
3. केंद्रीय पशु एवं प्रजनन फार्म, अंदेश नगर, जिला लखीमपुर, खेरी, (यूपी)।
4. केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, सिमिलिगुडा, सुनाबेड़ा (कोरापुट), ओडिशा।
5. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़ (राजस्थान)।
6. केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा, बसंतपुर, जिला संबलपुर, (ओडिशा)।
7. केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, आवड़ी, अलामाधी (चेन्नई)।
8. केंद्रीय पशुयूथ पंजीकरण इकाई, रोहतक (हरियाणा)।
9. केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण इकाई, अजमेर, राजस्थान।
10. केंद्रीय पशुयूथ पंजीकरण इकाई, अहमदाबाद, गुजरात।
11. केंद्रीय पशुयूथ पंजीकरण इकाई, संथापत, ओंगोल, जिला प्रकाशम (आंध्र प्रदेश)
12. क्षेत्रीय चारा स्टेशन कल्याणी, जिला नादिया, (पश्चिम बंगाल)।
13. क्षेत्रीय चारा स्टेशन, जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर)।
14. क्षेत्रीय चारा स्टेशन, सूरतगढ़ (राजस्थान)।
15. क्षेत्रीय चारा स्टेशन हिसार (हरियाणा)।
16. क्षेत्रीय चारा स्टेशन, धामरोड़ (गुजरात)।
17. क्षेत्रीय चारा स्टेशन, आवड़ी, अलामाधी, चेन्नई (तमिलनाडु)।
18. क्षेत्रीय चारा स्टेशन, हैदराबाद।
19. चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत (उत्तर प्रदेश)।
20. पशु संगरोध एवं प्रमाणन सेवा स्टेशन, कापसहेड़ा गांव, नई दिल्ली।
21. पशु संगरोध एवं प्रमाणन सेवा स्टेशन, पल्लीकर्णी गांव, चेन्नई।
22. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा स्टेशन, गोपालपुर, जिला 24 परगना (पश्चिम बंगाल)।
23. पशु संगरोध एवं प्रमाणन सेवा स्टेशन, मुंबई।
24. पशु संगरोध एवं प्रमाणन सेवा स्टेशन, हैदराबाद।
25. केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार (हरियाणा)।
26. केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, पूर्वी क्षेत्र, कट्टक (ओडिशा)।
27. केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, पश्चिमी क्षेत्र, आरे मिल्क कॉलोनी, मुंबई।
28. केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, उत्तरी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, चंडीगढ़।
29. केंद्रीय कुक्कुट प्रदर्शन परीक्षण केंद्र, गुड़गांव (हरियाणा)।
30. दिल्ली दुग्ध योजना, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली।

"राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम" के अंतर्गत
वित्तीय प्रगति (31.12.2024 तक)

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत लागत	केंद्रीय हिस्सा	कुल जारी	उपयोग की गई निधि	अव्ययित
1	आंध्र प्रदेश	4	235.05	162.25	95.54	62.30	33.24
2	अरुणाचल प्रदेश	2	11.91	11.26	8.84	3.72	3.46
3	असम	2	34.36	32.65	4.55	0.83	0.00
4	बिहार	17	263.23	210.19	204.07	194.14	0.99
5	छत्तीसगढ	3	23.39	20.96	11.14	8.61	2.53
6	गोवा	2	16.90	13.93	8.74	1.78	6.95
7	गुजरात	8	552.82	337.52	207.04	175.62	16.50
8	हरियाणा	4	25.24	21.33	19.32	13.33	5.99
9	हिमाचल प्रदेश	6	57.16	52.39	43.58	43.07	0.26
10	जम्मू और कश्मीर	4	151.12	139.81	139.81	133.20	6.60
11	झारखंड	3	31.54	25.02	16.35	11.79	3.80
12	कर्नाटक	19	425.61	292.44	199.07	159.18	38.49
13	केरल	16	193.98	142.44	127.56	119.43	7.23
14	मध्य प्रदेश	14	99.53	77.47	70.43	53.98	15.95
15	महाराष्ट्र	4	51.77	46.46	45.42	36.92	7.54
16	मणिपुर	3	30.29	27.85	23.41	16.40	7.01
17	मेघालय	6	63.94	57.80	49.84	49.47	0.37
18	मिजोरम	3	11.01	10.31	10.31	10.31	0.00
19	नागालैंड	4	13.06	12.15	12.15	12.15	0.00
20	ओडिशा	7	62.60	55.33	53.84	50.20	3.24
21	पुदुचेरी	5	7.83	7.67	7.64	3.39	4.17
22	पंजाब	10	279.07	184.41	155.09	128.73	26.37
23	राजस्थान	31	327.45	236.40	190.33	179.88	7.88
24	सिक्किम	6	52.35	48.39	48.38	44.81	3.57
25	तमिलनाडु	10	300.09	208.45	192.19	159.44	32.75
26	तेलंगाना	8	89.16	69.67	37.71	31.11	6.40
27	त्रिपुरा	3	22.92	20.26	20.26	20.19	0.03
28	उत्तर प्रदेश	7	81.84	68.43	45.56	8.44	0.05
29	उत्तराखंड	4	75.04	64.12	55.42	47.82	7.60
30	पश्चिम बंगाल	3	4.03	3.93	3.63	3.56	0.00
	कुल योग	**218**	**3594.29**	**2661.30**	**2107.21**	**1783.80**	**248.98**

"राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम" के अंतर्गत वास्तविक प्रगति (31.12.2024) तक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डेयरी प्लांट क्षमता (टीएलपीडी)		औसत दैनिक दूध खरीद (टीकेजीपीडी) (000')		कार्यात्मक डीसीएस (सं.)		(किसान सदस्य संख्या)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	आंध्र प्रदेश	0.0	0.0	1049.59	264.2	9317	2315	322686	95915
2	अरुणाचल प्रदेश	15.0	0.0	8.50	0.0	79	0	2165	0
3	असम	0.0	0.0	0.00	0.0	0	0	0	0
4	बिहार	201.0	201.0	790.48	413.5	6620	7851	309330	501091
5	छत्तीसगढ़	0.0	0.0	16.13	16.2	207	-4	5229	768
6	गोवा	90.0	0.0	70.46	0.0	70	0	9970	0
7	गुजरात	100.0	400.0	4572.69	3622.2	1873	793	224585	30097
8	हरियाणा	0.0	0.0	56.54	0.0	297	0	13060	0
9	हिमाचल प्रदेश	120.0	120.0	140.91	34.3	432	177	18677	2059
10	जम्मू और कश्मीर	226.5	200.0	272.00	306.0	1941	1418	96500	79150
11	झारखंड	0.0	0.0	85.72	77.7	895	203	17000	7887
12	कर्नाटक	0.0	0.0	3849.96	1499.1	6113	1950	781210	713950
13	केरल	1255.0	1105.0	1207.97	249.9	671	-693	139574	61038
14	मध्य प्रदेश	15.0	15.0	408.35	57.42	1460	-491	105981	-8331
15	महाराष्ट्र	0.0	0.0	330.56	192.9	141	369	38150	35362
16	मणिपुर	10.0	0.0	31.45	4.3	150	50	5325	1043
17	मेघालय	70.0	50.0	61.00	-2.9	103	21	1940	735
18	मिजोरम	0.0	0.0	10.46	0.8	15	3	408	60
19	नागालैंड	7.0	2.0	11.11	3.4	69	54	1725	1342
20	ओडिशा	30.0	30.0	171.27	161.7	1071	973	58114	57416
21	पुदुचेरी	0.0	0.0	65.00	33.0	12	7	1737	600
22	पंजाब	60.0	60.0	588.76	1435.1	984	563	57611	32660
23	राजस्थान	440.0	440.0	1624.84	591.3	3742	2074	172628	122262
24	सिक्किम	55.0	45.0	61.66	50.4	175	287	9030	6938
25	तमिलनाडु	100.0	100.0	1960.26	435.0	2807	380	97819	6492
26	तेलंगाना	0.0	0.0	508.83	178.1	1177	290	66365	13600
27	त्रिपुरा	16.0	0.0	9.00	-1.1	55	6	4800	530
28	उत्तर प्रदेश	0.0	0.0	452.41	15.1	2361	288	144840	11520
29	उत्तराखंड	55.0	50.0	196.62	79.6	1292	257	51270	51914
30	पश्चिम बंगाल	0.0	0.0	5.42	3.7	95	70	5170	3532
	कुल योग	**2865.5**	**2818.0**	**18617.94**	**9720.70**	**44224**	**19211**	**2762899**	**1829630**

"डेयरी विकास कार्यक्रम" के अंतर्गत वास्तविक प्रगति (31.12.2024) तक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	औसत दैनिक दूध विपणन (टीएलपीडी)		बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी)				एफटीआईआर प्रौद्योगिकी आधारित दूध विश्लेषक	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि
				सं.	क्षमता (किलोलीटर)	सं.	क्षमता (किलोलीटर)		
1	आंध्र प्रदेश	576.65	248.31	150	750.00	31	155.00	7	7
2	अरुणाचल प्रदेश	8.50	0.00	13	9.50	0	0.00	0	0
3	असम	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1
4	बिहार	400.03	245.18	72	199.00	72	199.00	11	10
5	छत्तीसगढ़	6.86	12.21	29	58.00	29	58.00	2	1
6	गोवा	49.00	0.00	57	43.50	0	0.00	1	1
7	गुजरात	1883.45	3014.00	2245	8087.50	1834	6311.00	5	5
8	हरियाणा	34.71	-4.17	50	39.00	59	48.00	6	5
9	हिमाचल प्रदेश	99.83	20.32	47	86.00	25	49.00	4	2
10	जम्मू और कश्मीर	135.00	228.00	66	267.00	58	275.00	5	5
11	झारखंड	61.87	28.45	48	108.00	13	26.00	3	1
12	कर्नाटक	1555.86	519.97	760	2229.00	411	1182.00	46	18
13	केरल	898.39	648.72	117	425.00	108	392.50	14	11
14	मध्य प्रदेश	198.39	255.15	294	291.00	201	181.00	8	5
15	महाराष्ट्र	251.39	21.61	95	199.50	69	149.00	24	22
16	मणिपुर	24.74	3.76	115	23.00	38	8.40	0	0
17	मेघालय	59.75	-5.12	153	76.50	61	28.94	1	1
18	मिजोरम	10.42	0.84	23	11.50	9	4.50	0	0
19	नागालैंड	13.86	4.30	31	16.00	28	14.50	0	0
20	ओडिशा	140.56	127.62	43	119.00	37	107.00	10	10
21	पुदुचेरी	42.00	0.00	25	44.50	15	14.50	3	1
22	पंजाब	411.26	531.60	527	721.50	423	580.00	25	16
23	राजस्थान	756.52	399.38	1259	1508.00	865	976.50	22	16
24	सिक्किम	69.24	27.22	231	73.50	225	73.10	1	1
25	तमिलनाडु	905.58	104.12	485	1531.00	463	1423.00	23	23
26	तेलंगाना	154.43	19.61	87	81.50	20	18.00	4	1
27	त्रिपुरा	27.66	-3.87	11	11.50	11	11.50	0	0
28	उत्तर प्रदेश	237.69	2.08	0	0.00	0	0.00	1	1
29	उत्तराखंड	167.16	96.05	2	2.00	1	1.00	4	3
30	पश्चिम बंगाल	1.70	2.37	4	2.00	4	2.00	2	2
	कुल योग	**9182.50**	**6547.70**	**7039**	**17013.50**	**5110**	**12288.44**	**233**	**169**

"राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम" के अंतर्गत वास्तविक प्रगति (31.12.2024) तक

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वचालित दूध संग्रह इकाई (एएमसीयू)		डेटा प्रोसेसर और दूध संग्रह इकाई (डीपीएमसीयू)		इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण इकाई	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	आंध्र प्रदेश	9690	2654	0	0	283	73
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	2	0
3	असम	0	0	0	0	0	0
4	बिहार	626	626	5516	5707	617	620
5	छत्तीसगढ़	36	43	0	0	56	56
6	गोवा	57	0	70	0	19	0
7	गुजरात	4776	4176	450	0	4389	82
8	हरियाणा	120	0	344	513	1	1
9	हिमाचल प्रदेश	335	335	32	0	11	11
10	जम्मू और कश्मीर	1852	1586	0	0	96	96
11	झारखंड	84	25	526	314	0	0
12	कर्नाटक	6119	5195	0	0	2186	1018
13	केरल	1055	1000	214	214	0	0
14	मध्य प्रदेश	817	817	259	63	149	149
15	महाराष्ट्र	561	561	7	7	75	75
16	मणिपुर	48	10	80	51	1	1
17	मेघालय	123	41	41	40	105	3
18	मिजोरम	71	46	0	0	3	3
19	नागालैंड	0	0	0	0	3	3
20	ओडिशा	849	792	150	35	151	150
21	पुदुचेरी	15	15	80	80	0	0
22	पंजाब	2072	1926	450	250	1267	1146
23	राजस्थान	2895	2672	100	0	2369	2171
24	सिक्किम	546	588	0	0	2	2
25	तमिलनाडु	2094	2094	716	716	732	569
26	तेलंगाना	943	479	994	1395	3	0
27	त्रिपुरा	150	150	0	0	9	9
28	उत्तर प्रदेश	0	0	210	196	8	8
29	उत्तराखंड	5	0	2599	2528	36	19
30	पश्चिम बंगाल	100	100	0	0	1	1
	कुल योग	**36039**	**25931**	**12838**	**12109**	**12574**	**6266**

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक अस्पतालों, औषधालयों और पशु चिकित्सा सहायता केंद्रों की संख्या

पशु चिकित्सा संस्थानों की संख्या (31/03/2024 की स्थिति के अनुसार)						
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पशु चिकित्सा अस्पताल/पॉलीक्लिनिक	पशु चिकित्सा औषधालय	पशु चिकित्सा सहायता केंद्र (स्टॉकमैन केंद्र/मोबाइल औषधालय)	कुल	दिनांक 31 मार्च 2024 तक पंजीकृत पशु चिकित्सक
1	आंध्र प्रदेश	337	1577	1558	3472	5643
2	अरुणाचल प्रदेश	16	183	311	510	245
3	असम	21	421	767	1209	3208
4	बिहार	1098	39	1595	2732	3586
5	छत्तीसगढ	350	835	72	1257	1298
6	गोवा	5	25	50	80	261
7	गुजरात	34	741	1057	1832	4743
8	हरियाणा	1048	1815	22	2885	2571
9	हिमाचल प्रदेश	466	1762	1228	3456	1450
10	जम्मू और कश्मीर	19	1256	225	1500	1242
11	झारखंड	35	424	433	892	972
12	कर्नाटक	697	2156	1381	4234	5082
13	केरल	279	870	15	1164	5395
14	मध्य प्रदेश	1064	1583	65	2712	3266
15	महाराष्ट्र	39	1976	2841	4856	11242
16	मणिपुर	59	151	23	233	582
17	मेघालय	4	126	121	251	449
18	मिजोरम	11	67	69	147	379
19	नागालैंड	11	55	100	166	368
20	ओडिशा	30	511	3553	4094	2882
21	पंजाब	1389	1489	20	2898	4947
22	राजस्थान	2975	0	6434	9409	5669
23	सिक्किम	23	68	63	154	191
24	तमिलनाडु	189	2741	3446	6376	6610
25	तेलंगाना	107	909	1201	2217	2306
26	त्रिपुरा	16	65	459	540	558
27	उत्तराखंड	330	10	779	1119	1236
28	उत्तर प्रदेश	2208	267	2575	5050	7421
29	पश्चिम बंगाल	113	613	2609	3335	2724
30	अं. और नि. द्वीप समूह	10	13	49	72	66
31	चंडीगढ़	5	9	0	14	13
32	लद्दाख	4	9	127	140	77
33	दादर और नागर हवेली और दमन और दीव	1	2	14	17	05
34	दिल्ली	49	29	0	78	585
35	लक्षद्वीप	0	9	0	9	35
36	पुदुचेरी	0	17	75	92	592
	कुल	**13042**	**22823**	**33337**	**69202**	**87899**

विभाग द्वारा स्वीकृत राज्यवार एमवीयू

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत एमवीयू की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5
2	आंध्र प्रदेश	340
3	अरुणाचल प्रदेश	25
4	असम	159
5	बिहार	307
6	चंडीगढ़	-
7	छत्तीसगढ	163
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप	-
9	दिल्ली	3
10	गोवा	2
11	गुजरात	127
12	हरियाणा	70
13	हिमाचल प्रदेश	44
14	जम्मू और कश्मीर	6
15	झारखंड	236
16	कर्नाटक	275
17	केरल	29
18	लद्दाख	9
19	लक्षद्वीप	9
20	मध्य प्रदेश	406
21	महाराष्ट्र	80
22	मणिपुर	33
23	मेघालय	17
24	मिजोरम	26
25	नागालैंड	16
26	ओडिशा	181
27	पुदुचेरी	4
28	पंजाब	70
29	राजस्थान	536
30	सिक्किम	6
31	तमिलनाडु	245
32	तेलंगाना	100
33	त्रिपुरा	13
34	उत्तर प्रदेश	520
35	उत्तराखंड	60
36	पश्चिम बंगाल	218
	कुल	**4340**

वर्ष 2024 (जनवरी–जून) के दौरान भारत में पशुधन रोगों की प्रजातिवार घटना

क्र.सं.	रोग	प्रजातियाँ	प्रकोप	संक्रमण	मृत्यु
1	खुरपका और मुंहपका रोग	बोवाइन	41	1794	135
		कुल	**41**	**1794**	**135**
2	रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया	बोवाइन	70	521	190
		भैंस	2	2	1
		ओवाइन / कैप्रिन	38	62	0
		कुल	**110**	**585**	**191**
3	ब्लैक क्वार्टर	बोवाइन	10	141	9
		ओवाइन / कैप्रिन	1	6	5
		कुल	**11**	**147**	**14**
4	एंथ्रेक्स	बोवाइन	19	104	89
		ओवाइन / कैप्रिन	13	55	55
		कुल	**32**	**159**	**144**
6	एंटरोटॉक्सिमिया	ओवाइन / कैप्रिन	10	140	28
7	भेड़ और बकरी चेचक	ओवाइन / कैप्रिन	12	239	133
8	नीली जीभ	ओवाइन / कैप्रिन	2	5	3
9	सी.सी.पी.पी.	ओवाइन / कैप्रिन	4	89	30
10	क्लासिकल स्वाइन फीवर	स्वाइन	9	1044	85
11	साल्मोनेलोसिस	एवियन	1	10	6
12	रानीखेत रोग	एवियन	116	52506	27482
13	मुर्गी चेचक	एवियन	22	3691	510
14	मुर्गी हैजा	एवियन	9	376	30
15	मारेक रोग	एवियन	1	6300	13
16	आई.बी.डी.	एवियन	77	116135	24366
17	बत्तख प्लेग	एवियन	10	802	186
18	सीआरडी	एवियन	3	77	23
19	रेबीज	बोवाइन	4	13	13
		केनीन	10	23	23
		कुल	**14**	**36**	**36**
20	बेबेसिओसिस	बोवाइन	59	313	3
21	ट्रिपैनोसोमोसिस	बोवाइन	4	4	0
		कुल	**4**	**4**	**0**
22	मांगे	बोवाइन	7	7	0
23	पीपीआर	ओ / सी	69	2657	678
24	एनाप्लास्मोसिस	बोवाइन	175	255	1
25	ब्रूसेलोसिस	बोवाइन	3	49	0
26	थाइलेरियोसिस	बोवाइन	204	484	22
27	अफ्रीकी स्वाइन फीवर $	स्वाइन	11	993	966

क्र.सं.	रोग	प्रजातियाँ	प्रकोप	संक्रमण	मृत्यु
28	**लम्पी त्वचा रोग (एलएसडी)**	बोवाइन	167	4049	222
29	**ग्लैंडर्स #**	इक्विन	6	7	6
	* नष्ट किए गए पक्षी				
	# 1 नष्ट किए गए पशु				
	$ 27 नष्ट किए गए पशु				

पशुधन वार्षिक रिपोर्ट दिनांक 01.04.2024–31.12.2024

क्र.सं.	विवरण	निर्यात (संख्या में)	आयात (संख्या में)
1	घोड़े	21	146
2	पोलो के लिए घोड़े	––	––
3	खच्चर	––	––
4	पालतू बिल्ली	829	978
5	पालतू कुत्ता	2348	2446
6	बकरी	77	298
7	तोते	––	1
8	अन्य (अफ्रीकी ग्रे तोते)	––	14
9	आर्टेमिया	––	316000 किग्रा
10	सांड	––	––
11	मीठे पानी वाली फिश, सजावटी फिश	1788788	2188502
12	जीवित सजावटी फिश	––	10117448
13	अन्य (ड्रोसोफिला)	––	119
14	चिड़ियाघर का पशु (रेड पांडा)	––	2
15	चिड़ियाघर का पशु (जगुआर)	––	1
16	चिड़ियाघर का पशु (कैपुचिन)	––	4
17	चिड़ियाघर का पशु (चीता)	––	1
18	वन्यजीव (बचाए गए)	––	23253*
19	जीवित पॉलीचेटेस		13971
20	प्रयोगशाला पशु (चूहे)	––	25
21	ब्रूडस्टॉक पी. मोनोडॉन	––	5633
23	वजन 50 किलो से कम	25599 (एक दिन के चूजे)	12700
24	अन्य (मिनी पिग)	––	82 (छोटा सुअर)
25	रेनबो ट्राउट अंडे	––	600000
26	हैचिंग और टेबल अंडे	25228731	37830
27	गैलस डोमेस्टिकस प्रजाति के पक्षी	112	8329
28	ऊंट और अन्य कैमेलिड (कैमेलिडे)	––	––
29	रैबिट और हेयर	5	1
30	अन्य (प्रयोगशाला पशु)	––	10871
31	अन्य (सीब्रूड स्टॉक एसपीएफ एल. वन्नामेई और ब्रूडस्टॉक का पीपीएल	2551008	464466
32	जी.पी चूजे	––	––

*बचाए गए वन्यजीवों में 10315 जंगली पशु और 12938 जंगली पक्षी शामिल हैं जिन्हें विभिन्न देशों से भारत में बचाया और पुनर्वासित किया गया।

क्र.सं.	विवरण	निर्यात मात्रा (किग्रा)	आयात मात्रा (किग्रा)
1	मीट बोनलेस, पोर्क मीट	––	1030
2	बोनलेस	––	28000
3	कट और ऑफल, फ्रोजन	1075415	––
4	अटलांटिक सैल्मन (साल्मो सालार) और डेन्यूब सैल्मन (हुचो हुचो)	––	1764634.41
5	पैसिफिक सैल्मन	––	155.11
6	कैट फिश	––	5
7	ताजी फिश	2692658.00	19141022
8	सूखी फिश	3380586.00	1025057.00
9	फ्रोजन पंगेसियस/बासा फिललेट्स	––	1155312.00
10	फ्रोजन येलो फिन सोल/फ्रोजन फिश	––	842851.00
11	फ्रोजन किंग, शैल, हिल्सा, सी बास	––	23030.00
12	फिश मीट (सैल्मन)	––	5024991
13	फिश फिललेट	––	5210371
14	एक्वा फिश सीड्स	––	––
15	अन्य	––	––
16	फ्रेश चिल्ड लेडी फिश	––	993
17	सार्डिन	––	170006
18	फ्रोजन मटन मीट	––	13761
19	फ्रोजन व्हाइट टूना	––	23711
20	फ्रोजन पॉमफ्रेट और फ्रोजन कोबिया फिश	––	59118
21	फ्रोजन गटेड फिश	––	10350
22	फ्रोजन फिश	––	109522
23	फ्रोजन मैकेरल	––	74114
24	स्क्रैम्बल फ्रोजन	––	22
25	फ्रोजन अलास्का पोलाक (थेराग्रा चाल्कोग्रामा)	––	22455
26	सीर फिश	––	24270
27	फ्रोजन क्रिल	––	18144
28	क्रिल मील	22000	3353112
29	अन्य फ्रोजन क्रिल सुपरबा–श्रिम्प फीड) जोका पाउडर	––	81344
30	फ्रोजन कोपपोड्स	––	6960
31	फ्रोजन मसल्स	––	22990
32	फ्रोजन स्क्विड	––	277962.96
33	फ्रोजन ऑक्टोपस	––	50000
34	फ्रोजन सी–स्नेल	––	15000
35	फ्रोजन स्कैम्पी टेल्स, फ्रोजन होसो श्रिम्प्स	––	227973
36	व्हे, केंद्रित, वाष्पित या संघनित, तरल या अर्ध–ठोस (एसआईपी श्रेणी) मीठा व्हे पाउडर, व्हे पर्मीट पाउडर	––	325000
37	व्हे पर्मीट पाउडर	––	599925
38	पूर्ण अंडा पाउडर	––	10000
39	व्हिपिंग क्रीम	––	10927.87

क्र.सं.	विवरण	निर्यात मात्रा (किग्रा)	आयात मात्रा (किग्रा)
40	एग अल्बुमेन पाउडर	——	167499
41	व्हे प्रोटीन, कॉन्संट्रेट	——	1842050
42	हाइड्स, तकनीकी जिलेटिन से प्राप्त ग्लू	949823	——
43		——	——
44	एनहाइड्रोस दूध वसा, मक्खन तेल	24704	——
45	बटर	2952	79959
46	फिश मीट	——	13080828
47	फिश फिलेट	——	
48	फ्रोजन फिश फिलेट	——	5560863.7
49	ड्राइड स्किल वर्म पूपा	156750	——
50	मसाला मिश्रण	28666	——
51	फ्रीज ड्राइड ग्रीन शेल मसल पाउडर	——	110
52	अन्य (श्रिम्प)	7000	69763
53	अन्य (ब्रेड इम्प्रूवर)	——	100
54	खोया पिंडी	——	——
55	अन्य (टेबल अंडा)	2421544 नग	
56	स्किम्ड दूध	——	37000
57	दूध पाउडर	——	483828
58	अन्य (शिशु फार्मूला)	——	427743
59	अन्य (पशु उप–उत्पाद)	——	——
60	मट्ठा, सूखा, ब्लॉक और पाउडर	——	5754725
61	अन्य	——	3804803
62	घी	435413.78	9000
63	ताजा (अनराइपन्ड या अनक्योरड) पनीर, जिसमें व्हे पनीर और दही शामिल है	——	19988
64	प्रोसेस्ड पनीर जिसे कद्दूकस या पाउडर न किया गया हो	14964	162744
65	अन्य पनीर	383468.73	776196
66	सूअर, हॉग या बोअर के ब्रिस्टल और बाल	15502	26221
67	कोरल	——	7876.78
68	चौंक्स	——	120897
69	शैल	——	33850
70	अन्य	57000	51656.5
71	बैल की पित्त पथरी	12.5	
72	पित्त	109460	319741.53
73	अन्य (सूअर ब्रिस्टल)	1000	——
74	डक फेदर	26627	——
75	फेदर मील	——	121630
76	एसिड से उपचारित ओसीन और बोन्स		——
77	एसिड से उपचारित ओसीन और बोन्य (अन्य)	105475.00	——
78	भैंस का सींग	——	——

क्र.सं.	विवरण	निर्यात मात्रा (किग्रा)	आयात मात्रा (किग्रा)
79	सींग और खुर	45762093.65	---
80	सींग उत्पाद	1728950.86	---
81	सींग से बने उत्पाद	371335.2	---
82	अन्य (सींग)	855985.58	259
83	सींग और खुर	31211	---
84	कटल फिश बोन	80460	---
85	चंक्स	35360	---
86	मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पशु उत्पाद	23570	---
87	बोवाइन के अलावा हिमित वीर्य	---	353.3
88	फिश ऑयल	---	42053
89	फिटल बोवाइन सीरम	---	25406.306
90	एडल्ट बोवाइन सीरम	---	19421.606
91	बोवाइन सीरम एल्बुमिन	---	7
92	बोवाइन सीरम	---	12.6
93	होर्स सीरम	---	247.6
94	नवजात बछड़े का सीरम	---	7034.1
95	अन्य (एंटीबॉडी, एंटीसेरा	35	2755.4
96	अन्य (एम्पुल स्ट्रिप्स)	---	0.2
97	अन्य (टैफ्लोप्रोस्ट)	---	203
98	बोवाइन एल्बुमिन और पशु मूल की दवाएं	---	415
99	अन्य (पेप्टन/व्युत्पन्न)		1296.685
100	अन्य (ट्रिप्सिन)	4310.37	
101	अन्य (फ्रोजन क्रिल, फ्रोजन सी श्रिम्प, हेडलेस श्रिम्प, पीयूडी श्रिम्प, थेली श्रिम्प, फ्रोजन ब्राउन श्रिम्प)	---	126926
102	फ्रोजन केकड़े	---	185000
103	नॉर्वे लॉबस्टर	---	178179
104	गैलस डोमेस्टिकस प्रजाति के पक्षी (टेबल अंडे, सफेद शेल अंडे, हैचिंग अंडे)	32501659.65 संख्या	27500 संख्या
105	फ्रोजन	817139 (फिश और श्रिम्प)	25000
106	फ्रोजन चिकन	1253638.5	---
107	क्रश्ड बोन्स, बोन चिप्स, बोन ग्रिस्ट	321200	1448615
108	कैटलफिश बोन्स, चिटिन	625989.5	---
109	फिश स्केल्स, फिश ओसीन	---	288760
110	ड्राइड श्रिम्प शेल	43200	---
111	रॉ सी शेल	47392	---
112	महासागर हर्वेस्ट टूना चंक	---	2131.2
113	पाश्चुरीकृत फ्रोजन क्रेब मीट	---	6499
114	फ्रोजन श्रिम्प पैटी, सीपैक श्रिम्प स्कैम्पी किर्कलैंड (नमूना) फ्रोजन श्रिम्प, पॉपकॉर्न श्रिम्प	---	72615
115	बैटर मिक्स, स्प्रिंग रोल पेस्ट्री, प्रीमिक्स, आटा–डस्टिंग, एगलेस डोनट मिक्स	---	224505

क्र.सं.	विवरण	निर्यात मात्रा (किग्रा)	आयात मात्रा (किग्रा)
116	पैराटा	160905	
117	खाद्य पदार्थ (पास्ता, चावल के स्ट्रॉ मैक्रोनी, नूडल्स, पनीर खुदा, गुलाब जामुन, केक)	60628	54360
118	ब्रेडक्रंब	––	133366
119	ऑरेंज कॉकटेल सॉस, सोया सॉस पाउडर, लहसुन और जड़ी बूटी, पास्ता सॉस, मसाला पाउडर	1564127	550174
120	आइसक्रीम	––	37497
121	टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन, हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन पाउडर, स्प्राउट्स विटामिन बेस प्रीमिक्स	51262	109607
122	कॉफीमेट कोल्ड सॉल्यूबल पाउडर, नॉन डेयरी क्रीमर, फ्लेवर्ड हर्बल टी, वेजी स्लाइस, एमुलपल्स, डीएचए रिच एल्गल ऑयल पाउडर, फोम, माइक्रोएनकैप्सुलेटेड पाउडर, वेज सोया बॉल, क्यूरमिन फोर्ट, फैट पावडर	––	340269
123	एक्टिपल एचपीआई–एसआई श्रिम्प पाउडर हाइड्रोलाइजेट/फिश मील, टूना फिश मील, क्रैब मील	––	1428060
124	श्रिम्प और श्रिम्प फीड, फ्रोजन पॉलीचेट, एक्वाकल्चर फीड स्पिरुलिना पाउडर	1345789	14002929
125	फिश फूड, लाइफ एचसी फीड	141900.2	1151168
126	अन्य (फिनेज एंजाइम, फ्लेक्स फीड, एक्टिपल श्रिम्प एसएल5, पिगिप्रो मिल्क, पिगिप्रो पी3 एस, नोविलम डब्ल्यू प्लस	––	49000
127	डायग्नोस्टिक्स किट, बोरम, ग्लाइकोहीमोग्लोबिन		366982
128	डायग्नोस्टिक्स किट, ग्लूइम्पल्स सिस्टम– सोडालाइम, एल्क–रेट–आरएनए किट, वैट सेट संस्कृति	––	35384
129	ब्यूट्री बीएसएल़प्रोबायोटेक एलजीजी, संस्कृति, पाउडर कार्बनिक कीचड़, डाइजेस्टर, फीड ट्रीट प्रोबायोटिक	––	42710
130	एलिसा किट, मानव परिधीय रक्त मोनोन्यूक्लियर कोशिकाएं, डेयरी क्लचर	––	29923
131	एससीडी प्रोबायो बैलेंस प्लस, न्यूट्री फार्म पी	––	18956
132	10 एल आईएमडीएम पाउडर माध्यम एल ग्लूटामाइन के साथ	––	6
133	मानव व्युत्पन्न प्लाज्मा	––	746163
134	आइसोसोर्बिटोल डिनिट्रेट मिश्रण 25:	––	52800
135	सल्फेट सोडियम	––	10444
136	एंजाइमी प्रिपेरेशन	––	1237
137	एसिड कैसिइन	––	2000
138	कैसिइन कंसंट्रेट पाउडर, केल्टो फेरिन फीड ग्रेड, हाइड्रोलाइज्ड समुद्री कोलेजनम, मटर प्रोटीन	––	100766
139	फिश लिपिड तेल	––	––
140	हैम्स और उसके कट्स	––	28109
141	लैनोलिन फैटी एसिड	132660	25565
142	नूडल्स	––	––
143	हैम्स और उसके टुकड़े	––	––
144	शोल्डर्स और उसके टुकड़े	––	––
145	अन्य, मिश्रण सहित	––	82245

क्र.सं.	विवरण	निर्यात मात्रा (किग्रा)	आयात मात्रा (किग्रा)
146	मसल्स पाउडर	––	––
147	मीट के अर्क	––	––
148	शीर्षक 1905 के बेकर्स के सामान की तैयारी के लिए मिश्रण और आटा	12304	1153477
149	अन्य (नूडल्स)	1376	––
150	स्वीट्स	––	––
151	चिली सॉस	––	––
152	अन्य (सॉस)	8783	515591
153	अन्य (नूडल्स, खाद्य पदार्थ)	24640.07	221376.7
154	खाद्य पदार्थ	––	844844
155	सूप	––	––
156	अन्य (खाने के लिए तैयार)	850808	29515.25
157	समरूप मिश्रित खाद्य तैयारी (स्वीट्स)	156388	––
158	प्रोटीन सांद्रता और बनावट वाले प्रोटीन पदार्थ	6893	1776676.52
159	अन्य (बादाम पेय)	302111	––
160	अन्य (कैल्शियम पिडोलेट)	6000	––
161	(फिश मील) से पाउडर	27000	––
162	अन्य (गाय, बकरी का चमड़े का मिश्रण जिसमें चमड़े या चमड़े के रेशे का आधार हो, तैयार चमड़ा	816035	––
163	खाद्य पूरक	––	4734
164	खाद्य पूरक	––	––
165	खाद्य सामग्री (मसाला पाउडर)	––	24100
166	खाद्य सामग्री	––	––
167	खाद्य तैयारियाँ	––	––
168	अन्य (खाद्य सामग्री और खाद्य पूरक)	36873404	20975841
169	कुत्ते या बिल्ली का भोजन, खुदरा बिक्री के लिए रखा गया	12917928	57257159.6
170	मिश्रित पशु आहार	7001107.9	141705
171	मिश्रित पशु आहार (यीस्ट, एक्टिपल श्रिम्प हाइड्रोलाइजेट, तरल फिश घुलनशील पेस्ट, स्क्विड लिवर पेस्ट, एक्टिपल, श्रिम्प एसआई5, फिश फीड एडिटिव्स के लिए एक्टिपल फिश टूना हाइड्रोलाइजेट तरल, पंख भोजन चिकन प्रोटीन पाउडर, रनियन पित्त एसिड, डीटेक 10 एल तरल स्वाद बढ़ाने वाला)	14036934	34490267
172	मिश्रित पशु आहार के लिए सांद्रता	7057885.00	5292734
173	भैंस का मीट	––	––
174	अन्य (फिश फीड या श्रिम्प फीड)	4973500	101847.2
175	अन्य (पशु फीड, पालतू चबाने, भैंस भोजन)	4235936	31537327
176	अन्य (फिश फीड और पशु आहार, पालतू पशु चबाना, भैंस का भोजन)	8266135.35	3436422.47
177	अन्य (पशु आहार, पालतू पशु चबाना, भैंस का भोजन, क्रिल भोजन)	12113788	2883129
178	चोंड्रोइटिन सल्फेट सोडियम	275.00	
179	विटामिन डी3	10951	20636
180	अन्य	5280094.637	7226666.9
181	लीवर का लिक्विड एक्सट्रैक्ट	––	40.58

क्र.सं.	विवरण	निर्यात मात्रा (किग्रा)	आयात मात्रा (किग्रा)
182	अन्य (किट, एंटीबॉडी)	——	119503
183	सूक्ष्मजीवों के संवर्धन के लिए मिश्रित टीके (यीस्ट को छोड़कर)	——	3360.65
184	सेल कल्चर, चाहे संशोधित हो या नहीं	——	117.214
185	अन्य परीक्षण किट	——	——
186	अन्य (डायग्नोस्टिक किट)	——	311624
187	लैब उपभोग्य वस्तुएं	——	——
188	पशु चिकित्सा के लिए टीके	——	——
189	लैब अभिकर्मक	——	——
190	सूक्ष्मजीवों के संवर्धन (यीस्ट को छोड़कर)	——	256925
191	चिकित्सीय, रोगनिरोधी या नैदानिक उपयोगों (एफबीएस) के लिए तैयार पशु रक्त	——	153577.02
192	अन्य (फार्मास्युटिकल उत्पाद)	6588420	11946
193	मैग्नीशियम की गोलियां		4385.13
194	गैर स्टेरॉयडल दवा, जिलेटिन कैप्सूल	90758.53	
195	लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का संयोजन पशु आहार	——	44341.5
196	अन्य (जैविक उर्वरक)	——	8743683
197	फार्मा जिलेटिन	——	1363788.1
198	आइसिंगलास	——	11397.6
199	जिलेटिन, खाद्य ग्रेड और अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं	10000	768805.75
200	हड्डियों, खाल और इसी तरह की वस्तुओं से प्राप्त गोंद; फिश के गोंद	2000	53440
201	अन्य (जेली ग्लू)		830268.1
202	अन्य (सिनर्जी)	2025	——
203	अन्य (शहद)	38140	——
204	अन्य	82320	2200
205	क्यूएफटी –प्लस प्लेट किट	——	10368.15
206	ब्लड ग्रुपिंग रिएजेंट	——	30639.1
207	अन्य	——	——
208	भैंस के बछड़े सहित भैंस का	50200	——
209	गाय के बछड़े सहित गाय का	25000	1918672
210	तैयार चमड़ा	——	1674
211	अन्य	——	1477244
212	गाय के बछड़े सहित गाय का	201706	9388526
213	अन्य (बैल बच्छिया हाइड्स)	——	5271215
214	पेल्ट्स के अलावा लैम्ब स्किन्स	——	——
215	शीप स्किन्स	——	56267
216	बेबी लैम्ब्स के पेल्ट्स	——	——
217	शीप स्किन	83161	2108455
218	लैम्ब पेल्ट	——	213428
219	शीप स्किन्स	——	——
220	लैम्ब स्किन	——	93277

क्र.सं.	विवरण	निर्यात मात्रा (किग्रा)	आयात मात्रा (किग्रा)
221	स्वाइन का	––	––
222	अन्य (क्रस्ट लेदर)	––	––
223	तैयार चमड़ा	––	508655.34
224	अन्य	––	6474
225	पूरा ग्रेन्स, अविभाजितय ग्रेन स्प्लिट	––	679
226	गीली अवस्था में (गीला–नीला सहित)	80480.18	4844053.1
227	अन्य	850920.43	447979.8
228	सूखी अवस्था में (क्रस्ट)		
229	गीली अवस्था में (गीला–नीला सहित) चमड़ा जिसे टैनिंग या क्रस्टिंग के बाद आगे तैयार किया जाता है, जिसमें भेड़ या लैम्ब का चर्मपत्र से तैयार चमड़ा शामिल है, पूरा ग्रेन, अनस्पलिट	––	434312
230	सूखी अवस्था में (क्रस्ट)	––	––
231	गीली अवस्था में (गीला–नीला सहित)	––	––
232	लैम्ब की खाल	––	––
233	पूरा ग्रेन, अनस्प्लिट	––	––
234	ग्रेन विभाजित	––	––
235	अन्य (तैयार चमड़ा)	160433.75	713257.2
236	तैयार चमड़ा	––	––
237	ग्रेन विभाजित	––	––
238	अन्य (तैयार चमड़ा)	267740.05	177783.82
239	चमड़ा जिसे टैनिंग या क्रस्टिंग के बाद आगे तैयार किया जाता है, जिसमें भेड़ या लैम्ब का चर्मपत्र से तैयार चमड़ा शामिल है, ऊन के बिना, चाहे विभाजित हो या नहीं, शीर्ष 4114 के चमड़े के अलावा	––	––
240	बकरी या किड्स का	12531.00	1120
241	अन्य (तैयार चमड़ा)	––	578
242	पेटेंट चमड़ा और पेटेंट लेमिनेटेड चमड़ा	––	164884.5
243	फर चमड़ा	––	1695
244	फर लैम्ब का चमड़ा	––	3834
245	बोवाइन चमड़े की खालें	––	9447
246	बकरी (सामान्य) और किड्स की स्किन, जिन पर बाल हों, टैन्ड या ड्रेस्ड हो	––	100846
247	अन्य पशुओं की खालें और खालें, जिन पर बाल हों, टैन्ड या ड्रेस्ड हो	––	262
248	कालीन अपशिष्ट ऊन	––	11116
249	बकरी के बाल	––	2392
250	गद्दा	––	114963
251	चमड़े या चमड़े के रेशे के आधार पर मिश्रित चमड़ा, स्लैब, शीट या पट्टी में, चाहे रोल में हो या नहीं	––	733740.9
252	तैयार चमड़ा	––	
253	चमड़ा	––	346
254	महिलाओं का हैंड बैग (चमड़ा)	––	23895.09
255	समुद्री खोल	––	
256	समुद्री खोल	––	1818

क्र.सं.	विवरण	निर्यात मात्रा (किग्रा)	आयात मात्रा (किग्रा)
257	भेड़ के बच्चे, निम्नलिखितरू एस्ट्राखान, ब्रॉडटेल, कैराकुल, फारसी और इसी तरह के भेड़ के बच्चे, भारतीय, चीनी, मंगोलियन या तिब्बती भेड़ के बच्चे, पूरे, सिर, पूंछ या पंजे के साथ या बिना	––	17997.7
258	तैयार चमड़ा	––	5811
259	अन्य बोवाइन और इक्वाइन की हाइड्स या स्किन्स, जिन पर बाल हों, टैन्ड या ड्रेस्ड हो	––	92247.7
260	अन्य (रेशम अपशिष्ट)	939054	
261	तकिया, गद्दा, मेडिकल पैड	––	311060.65
262	बकरी (सामान्य) और बकरी के बच्चे की खाल, जिस पर बाल हों, टैन्ड या ड्रेस्ड	––	493555.5
263	अन्य जानवरों की खाल और खाल, जिस पर बाल हों, टैन्ड या ड्रेस्ड	––	26678.2
264	सिर, पूंछ, पंजे और अन्य टुकड़े या कटिंग, इकट्ठे नहीं	––	12325
265	पूरी खाल और उसके टुकड़े या कटिंग, इकट्ठे	––	––
266	अन्य	14580.70	102903
267	ऊन	––	3637011
268	अन्य (ऊन)	––	14935975.4
269	कटा हुआ ऊन	12077	6062526
270	अन्य (चिकना ऊन)	35677	12612418.6
271	ऊन		6545
272	अन्य (सूअर और सूअर के बाल को छोड़कर)	38295.2	12757
273	ऊन	2981.00	40162
274	ऊन	––	––
275	ऊन नोइल	––	––
276	ऊन	269489.11	238.6
277	ऊन	––	––
278	ऊन अपशिष्ट	––	––
279	ऊन	––	––
280	ऊन	––	––
281	मोटे जानवरों के बालों का अपशिष्ट	––	52633
282	ऊन	24537.399	––
283	ऊनी टॉप	672860.23	––
284	ऊनी	207679	––
285	ऊनी वस्तुएँ	––	––
286	ऊनी टॉप	––	––
287	लेदर अपर्स (तैयार)	––	––
288	अन्य	––	––
289	अन्य	––	––
290	अन्य चमड़ा		103788.7
291	फीदर या डाउन से भरे बैग	––	––
292	बैडमिंटन शटल कॉक	––	446881.07
293	योगा मैट	––	––

क्र.सं.	विवरण	निर्यात मात्रा (किग्रा)	आयात मात्रा (किग्रा)
294	भैंस के सींग के बटन	132990.5	——
295	भैंस का सींग	344042.60	——
296	वर्क्ड बोन (व्हेल की हड्डी को छोड़कर) और उसके सामान	6011.78	——
297	वर्क्ड कोरल	2634.00	1285.72
298	वर्क्ड सींग, कोरल	31992.746	——
299	वर्क्ड सींग	——	——
300	जिलेटिन कैप्सूल, खाली	3744974.79	206370
301	सींग ब्लैंक्स	2832	——
302	सींग ब्लैंक्स	——	——
303	बटन मोल्ड्स और बटन के अन्य हिस्से; बटन ब्लैंक्स	20600	——
304	बटन ब्लैंक्स	584397.96	——
305	बटन ब्लैंक्स	——	——
306	बटन ब्लैंक्स	——	——
307	अन्य, यदि कोई हो (प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सोयाबीन भोजन, फिश कोलेजन पेप्टाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट आदि)	19001124	——

No.: Q-14039/1/2020-Admin_6 [E-15557]
भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
प्रशासन-6 (NLM Division)

ग्राउंड फ्लोर, चंद्रलोक बिल्डिंग,
36, जनपथ, नई दिल्ली-110001,
दिनांक: 20.11.2024

<u>OFFICE MEMORANDUM</u>

Subject: Selection of Subjects for examination by the Committee on Public Accounts (2024-25) during the year 2024-25- regarding.

The undersigned is directed to refer to your email dated 24.09.2024 vide which an OM dated 04.09.2024, received from Lok Sabha Secretariat, on the above-noted subject was forwarded to this Division.

2. In this connection, requisite information has been sought from Animal Welfare Board of India. AWBI vide their letter no. 12-42/2022-23/Accts dated 14.10.2024 (copy enclosed) has forwarded the reply to the audit observation of Theme based audit titled Functioning of Animal Welfare Board of India for the period 2019-20 to 2021-22.

3. Further, Action Taken Note on the paragraphs of C&AG reports in the prescribed format is enclosed herewith.

4. This issues with the approval of the Animal Husbandry Commissioner (DAHD).

Encl: as stated above.

(Anamika Nigam)
Under Secretary to the Government of India

To,

The Under Secretary, Budget section, DAHD, Krishi Bhawan, New Delhi.

ATN

FORMAT OF ATNS FOR THE USE OF CONCERNED MINISTRIES/DEPTTS.

APPENDIX III

(Vide Para 53)

Format of Action Taken Note (on Paragraphs of C&AG Reports)

I	(a)	Ministry/Department	Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
	(b)	Subject/Title of the Review/Paragraph	Audit observation of Theme Based Audit titled "Functioning of Animal Welfare Board of India" for the period 2019-20 to 2021-22.
	(c)	Paragraph No.	Audit Para No. 5.1 of Chapter 5 of Report No. 3 of 2024
	(d)	Report No. and year	Report No.3 of the year 2024 for the period from 2019-20 to 2021-22
II	(a)	Date of receipt of the Draft Paragraph/Review in the Ministry	04.09.2024
	(b)	Date of Ministry's reply	14.10.2024
III		Gist of Paragraph/Review	Copy attached.
IV	(a)	Do the Ministry agree with facts and figures included in the Paragraph?	Yes.
	(b)	If not, please indicate the areas of disagreement and also attach document in support	Not applicable.
V	(A)	Main Audit conclusions:	
	1.	Deficiency in the existing system includingsystem of internal control.	No, the observations made by the Audit are not true as the office of Animal Welfare Board of India is following the norms laid by the Ministry for the system of internal control. However, few new points have been raised by the Audit for that the Animal Welfare Board of India will be instructed to adhere with the observations made by the Audit in letter and spirit and submit the compliance of the same.
	2.	Failure to follow the system and procedure.	No, the office of the Animal Welfare Board of India is adhering the norms laid by the Ministry for the system and procedure. However, the Animal Welfare Board of India will be instructed to adhere with the observations made by the Audit in letter and spirit and submit the compliance of the same.
	3.	Failure of individuals.	Not applicable.
	4.	Amount of loss / short assessment / shortlevy.	Not applicable.
	(B)	Do the Ministry agree with the Audit conclusions? If not, please indicate specific areas of disagreement, reasons for disagreement and also attach copies of relevant	The Ministry does not agree with the Audit Conclusion. The details are furnished as under: - 1. To develop a mechanism for monitoring the proper implementation of schemes, rules and provisions of the Act - it is stated the Board is monitoring the implementation of the schemes through the inspections by the Department of Animal Husbandry, therefore, it is not agreeable with the conclusion. 2. Prepare Budget estimates for gauging the demands

		documents, where necessary.	raised by various agencies seeking financial assistance under various schemes under the Act – In this connection it is stated that the Board is furnishing its demand seeking funds from the Ministry in the end of the previous financial year and the applications from the AWOs are received later on, therefore, it is not possible to demand the budget as per the demand of the AWOs. 3. To collect the amount of fines levied and collected by State agencies if any – It is stated that collection of fines does not fall under the ambit of the Board as the responsibility entrusted to the SPCAs to collect the fines and remit the same to the Board which is to be disbursed to the AWOs. It is also stated that the corpus collected by AWBI under RRAECF is remitted to the Government of India through Consolidated Fund of India as stated in its reply. 4. To develop a mechanism for keeping a watch on implementation of the rules – In this connection it is stated that the AWBI is keeping a watch and initiating action on the breach of PCA Act, 1960 and the rules made thereunder, however, it is also pertinent to mention here that the AWBI is having only 22 sanctioned posts including Secretary, AWBI and it is hardly possible to have a mechanism for keeping proper watch throughout the country for proper implementation of the rules.
VI		Remedial actions taken:	
	(i)	Improvement in system and proceduresincluding internal controls	The points raised by the Audit for Animal Welfare Board of India will be instructed to adhere with the observations made by the Audit in letter and spirit and submit the compliance of the same.
	(ii)	Recovery of overpayment pointed out byaudit	In this connection it is stated that the employees of the Board are not having any promotional avenues therefore constituted a committee for addressing the grievances of the Staff who are stagnated in the same post where they were appointed without any promotion. The committee decided to provide upgradation and change of nomenclature of the posts as per the nature of work, workload entrusted to the employee, qualification and length of service of the employees after proper examination of their details with the approval of the Board. However, the approval of the Ministry was not sought and the matter was pointed out by the Audit and the benefits were withdrawn with immediate effect and the recovery could not be initiated as the matter is under consideration of the Ministry of Finance.
	(iii)	Recovery of under assessment, short levy or other dues.	Not applicable.
	(iv)	Write off of amount of losses / waste expenditure / irrecoverable amount	The Animal Welfare Board of India has initiated action for writing off the amount of losses / waste expenditure / irrecoverable amount. The details are given in Annexure – 1 wherein the excerpts of the minutes of the 52nd AGM are reproduced.
	(v)	Modification in the scheme, including financing pattern	The schemes being implemented by the AWBI are very old and need to be updated. The AWBI has requested the ministry for upgradation / revision of the existing CSS Schemes. However, the Regular and Rescued cattle scheme of the Board is updated by the AWBI time and again.

	(vi)	Review of similar cases/complete scheme/project in the light of findings of sample check by Audit	The scheme being implemented by the AWBI i.e. the Regular and Rescued cattle scheme of the Board is updated by the AWBI time and again, however, the AWBI will be directed to implement the observations and findings of the audit in letter and spirit. Moreover, the Board has launched its online portal for receiving and processing the grants and other applications including the Cruelty matters.

This has been vetted by Audit vide their U.O. No.........................Date.........................

Joint Commissioner(AH)

मत्स्यपालन एवं पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में लेखा संगठन की स्थापना

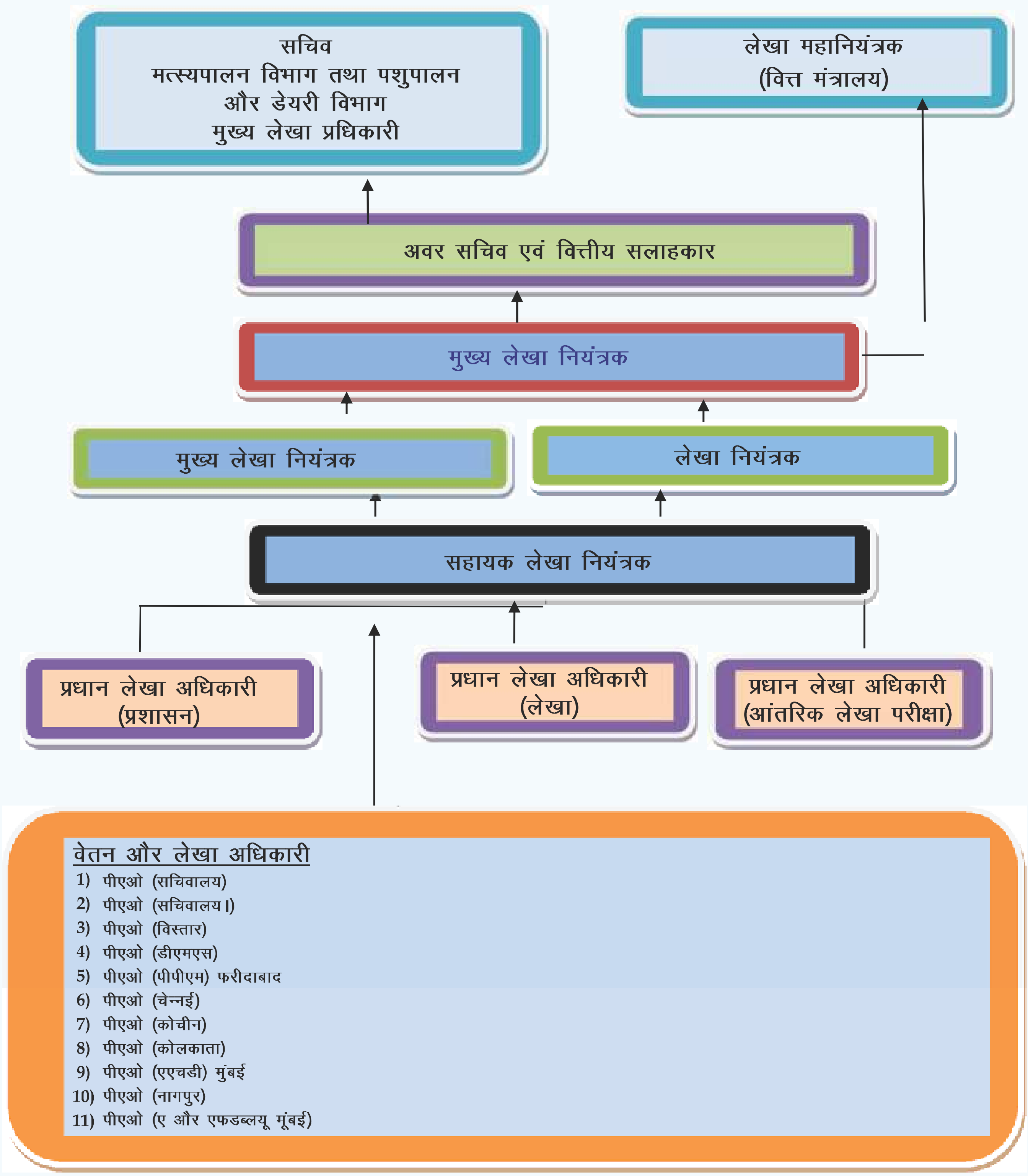

लेखांकन जानकारी का प्रवाह

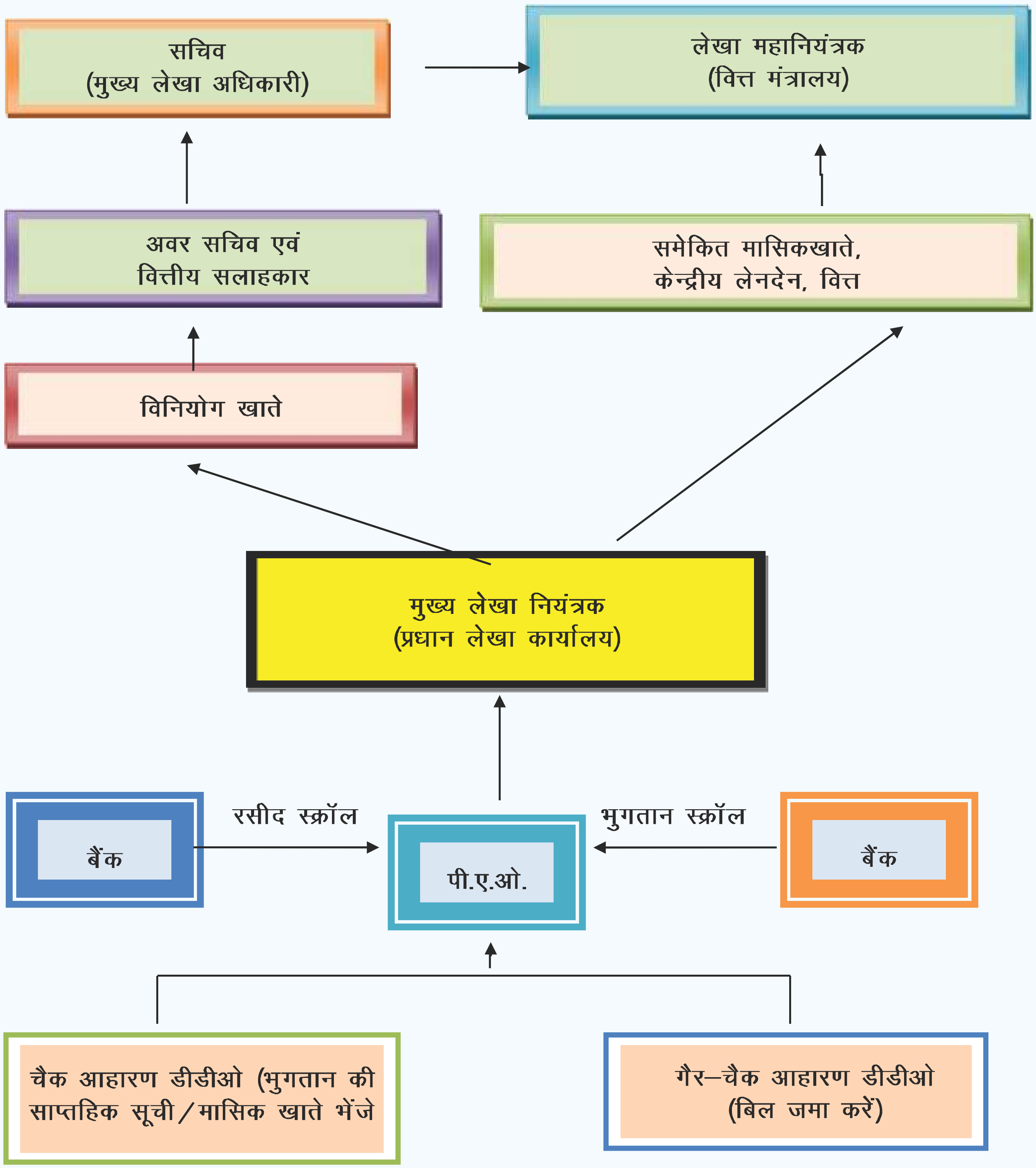

प्रयुक्त संक्षिप्त अक्षर

एआई	कृत्रिम गर्भाधान
एआईसी	कृत्रिम गर्भाधान केंद्र
एएमएफ	निर्जल दूध वसा
एपीईडीए	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
एपीएचसीए	एशिया और प्रशांत के लिए पशु उत्पादन और स्वास्थ्य आयोग
एएससीएडी	पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता
बीई	बजट अनुमान
बीजीसी	बोवाईन जननांग कैम्पिलोबैक्टीरियोसिस
सीएडीआरएडी	पशु रोग अनुसंधान और निदान केंद्र
सीएएलएफ	पशुधन और खाद्य में विश्लेषण और सीखने के लिए केंद्र
सीबीपीपी	संक्रामक बोवाईन प्लुरो–निमोनिया
सीसीबीएफ	केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म
सीडीडीएल	केंद्रीय रोग निदान प्रयोगशाला
सीएफएफ	कैम्पिलोबैक्टर भ्रूण भ्रूण
सीएफएसपीटीआई	केंद्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान
सीएफवी	कैम्पिलोबैक्टर भ्रूण वेनेरेलिस
सीएचआरएस	केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना
सीएमयू	केंद्रीय निगरानी इकाई
सीपीडीओ	केंद्रीय पोल्ट्री विकास संगठन
सीपीआईओ	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
सीएसबीएफ	केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म
सीएसएफ	क्लासिकल स्वाइन ज्वर
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीएसएस	केंद्रीय प्रायोजित योजना
सीवीई	सतत पशु चिकित्सा शिक्षा
डीसीजीआई	औषधि महानियंत्रक भारत
डीईडीएस	डेयरी उद्यमिता विकास योजना
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीएमआई	विपणन और निरीक्षण निदेशालय
डीएमएस	दिल्ली दूध योजना
ईईजेड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
ईएसवीएचडी	मौजूदा पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण
ईटीटी	भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी
एफएओ	खाद्य और कृषि संगठन

एफएमडी	खुरपका और मुँहपका रोग
एफएमडी–सीपी	खुरपका और मुँहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीआईएस	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
जीपीएस	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
एचएसीसीपी	खतरा विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु
आईएएसआरआई	भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान
आईबीएम	इन बोर्ड मोटर
आईबीआर	संक्रामक बोवाईन राइनोट्रैचेटिस
आईडीडीपी	गहन डेयरी विकास कार्यक्रम
आईजीएफआरआई	भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान
आईएनएपीएच	पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य के लिए सूचना नेटवर्क
आईएसओ	अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
आईएसएस	एकीकृत नमूना सर्वेक्षण
आईयूयू	अवैध, अनियमित और अप्रतिबंधित
जेडी	जॉन की बीमारी
एमसीएस	निगरानी, नियंत्रण और निगरानी
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमएलपी	प्रमुख पशुधन उत्पाद
एमएमएसआरटी	मोबाइल सैटेलाइट सेवा रिपोर्टिंग टर्मिनल
एमएसपी	न्यूनतम मानक प्रोटोकॉल
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनसीवीटी	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद
एनडीडीबी	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड
एनडीपी	राष्ट्रीय डेयरी योजना
एनडीआरआई	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान
एनजीसी	नई पीढ़ी की सहकारी समितियाँ
एनआईएएच	राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनएलडीबी	राष्ट्रीय पशुधन
एनएलएम	राष्ट्रीय पशुधन मिशन
एनपीबीबी	राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन कार्यक्रम
एनपीबीबी और डीडी	राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम
एनपीसीबीबी	राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना
एनपीआरएसएम	राष्ट्रीय रिंडरपेस्ट निगरानी और निगरानी परियोजना
एनएसएस	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण
एनएसएसओ	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय

ओबीएम	आउट बोर्ड मोटर
ओआईई	कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय डेस एपिजूटीज
ओएनबीएस	ओपन न्यूक्लियस प्रजनन सिस्टम
पीईडी	पेशेवर दक्षता विकास
पीपीआर	पेस्टे डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स
पीआरआई	पंचायती राज संस्था
पीटीपी	प्रजनन परीक्षण कार्यक्रम
पीवीसीएफ	पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड
क्यूआर	मात्रात्मक प्रतिबंध
आरडीडीएल	क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला
आरई	संशोधित अनुमान
आरएफडी	परिणाम रूपरेखा दस्तावेज
आरजीएम	राष्ट्रीय गोकुल मिशन
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसआईए	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी
एसआईपी	स्वच्छ आयात परमिट
एसआईक्यू और सीएमपी	गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना
एसएलबीटीसी	राज्य पशुधन प्रजनन और प्रशिक्षण केंद्र
एसएलसीएएनजीआर	पशु आनुवंशिक संसाधनों पर राज्य स्तरीय समिति
एसएलएसएमसी	राज्य स्तरीय मंजूरी और निगरानी समिति
एसएमपी	स्किम्ड मिल्क पाउडर
एसओपी	मानक संचालन प्रक्रिया
एसएससीसी	राज्य वीर्य संग्रह केंद्र
एसएसयू	द्वितीय चरण इकाई
टीसीडी	पशुपालन सांख्यिकी में सुधार के लिए दिशा–निर्देश की तकनीकी समिति
टीसीएमपीएफ	तमिलनाडु सहकारी दूध उत्पादक संघ
टीआरक्यू	टैरिफ दर कोटा
टीएसयू	तृतीय चरण इकाई
यूबीकेवी	उत्तर बंगा कृषि विश्व विद्यालय
वीसीआई	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद
वीकेजीयूवाई	विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना
वीएमएस	पोत निगरानी प्रणाली

सत्यमेव जयते

पशुपालन एवं डेयरी विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार

Department' Website : htts://www.dahd.nic.in • Farmer's Portal : http://www.farmer.gov.in

@Dept_of_AHD @DeptoAHD https://apps.mgov.in/details?appid=1526